अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश
website-http://updes.up.nic.in

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2017-18

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
website-http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या–520

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2017-2018

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

राज्य नियोजन संस्थान

नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष **"उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा"** प्रकाशित की जाती हैं। इसके अन्तर्गत प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाता है।

2. प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा वर्ष 2017–2018 को नये कलेवर में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों/संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में संचालित की जा रही योजनाओं की अधुनान्त स्थिति स्पष्ट करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, सेवा क्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रम शक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम तथा खनिज एवं विद्युत आदि का विस्तृत विश्लेषण अलग–अलग अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। महत्वपूर्ण आंकड़ों को इस प्रकाशन में तालिका/ग्राफ के माध्यम से भी दर्शाया गया है।

3. मै इस संस्करण हेतु अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराकर इसे प्रकाशित करने में दिये गये सहयोग हेतु विभिन्न विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा अर्थ एवं संख्या प्रभाग के सम्बद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करता हूँ।

4. मुझे आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन नियोजकों, नीति निर्धारकों, योजना निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं एवं प्रशासकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन को और अधिक सार्थक बनाने हेतु सुझावों को विचारार्थ सहर्ष स्वीकार किया जायेगा।

लखनऊः
दिनांकः जनवरी, 2019

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रस्तावना

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा वार्षिक प्रकाशन " उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2017–18" का प्रस्तुत संस्करण नये कलेवर में प्रकाशित किया जा रहा है।

2. इस प्रकाशन में उत्तर प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गयी है।

इस अंक में 15 अध्यायों में मुख्यतः प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुधन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, समाज कल्याण, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति तथा ग्राम्य विकास के कार्यक्रम आदि पर सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े एवं तथ्य सम्मिलित हैं।

3. मैं इस प्रकाशन को प्रकाशित करने में सम्बन्धित विभागों तथा संस्थाओं के अनवरत एवं उदार सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, साथ ही इसके संकलन में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के सम्बद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करना चाहूँगी।

4. मुझे विश्वास है कि यह अंक योजनाकारों, नीति–निर्माताओं, अनुसन्धानकर्ताओं एवं शिक्षाविदों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन के विषय–विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु उपयोगकर्ताओं के सुझावों का सहर्ष स्वागत किया जायेगा।

लखनऊः

दिनांकः 1 जनवरी, 2019

नीना शर्मा

(नीना शर्मा)
निदेशक

प्रकाशन से सम्बन्धित अधिकारी एवं सहायक

1– श्रीमती नीना शर्मा	निदेशक
2–श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	अपर निदेशक

प्रावैधिक मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण

1– श्रीमती मालोविका घोषाल	संयुक्त निदेशक
2– श्रीमती शालू गोयल	उप निदेशक

पाण्डुलिपि संरचना, समन्वय, टंकण एवं परिनिरीक्षण कार्य

1– श्रीमती रेखा शुक्ला	अपर सांख्यिकीय अधिकारी
2–कु0 आरती गुप्ता	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
3–श्रीमती आभा	कनिष्ठ सहायक

ग्राफ/चार्ट, नक्शा एवं कवर पृष्ठ के कार्य

1– श्री शिव शंकर यादव	चीफ आर्टिस्ट
2– श्री उमा शंकर मौर्य	वरिष्ठ कलाकार

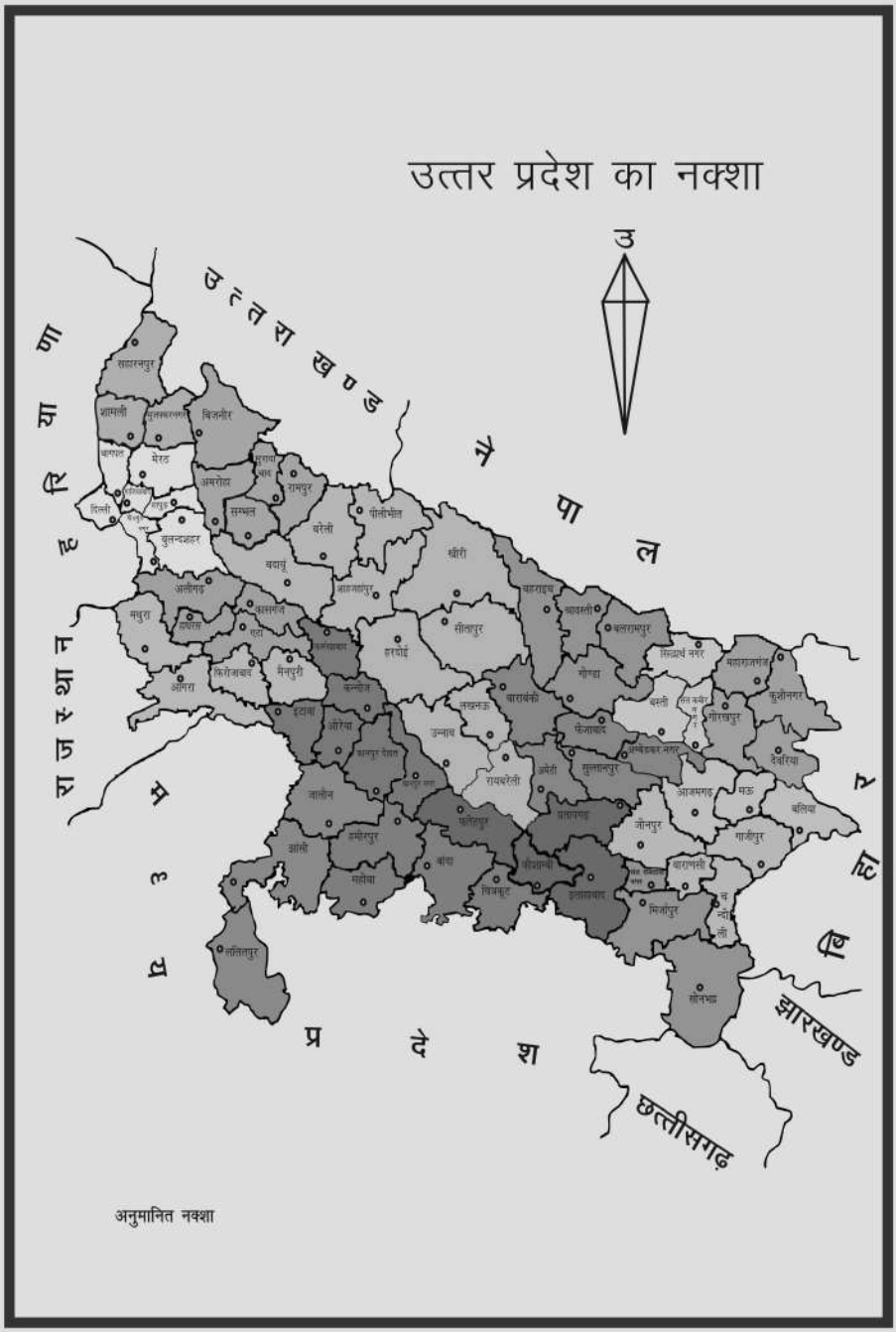

उत्तर प्रदेश का नक्शा

अनुमानित नक्शा

विषय–सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
1.	राज्य की अर्थव्यवस्था	1–11
2.	प्रदेश के विकास की चुनौतियां तथा रणनीति	12–19
3.	वित्त एवं बैंकिंग सेवायें	20–31
4.	कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा	32–53
5.	पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास	54–69
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	70–76
7.	ग्राम्य विकास के कार्यक्रम	77–87
8.	औद्योगिक प्रगति	88–99
9.	सेवा क्षेत्र	100–106
10	अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार	107–123
11.	शिक्षा	124–141
12.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	142–155
13.	समाज कल्याण	156–174
14.	श्रमशक्ति एवं सेवा योजन	175–189
15.	सतत विकास	190–193

अध्याय–1

राज्य की अर्थव्यवस्था

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य आय के वर्ष 2017–18 के जारी त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2017–18 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 7.0% रही है। वर्ष 2017–18 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 7.8%, 3.7%, 8.3% रही है। प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के संदर्भ में वर्ष 2017–18 की प्रति व्यक्ति आय रू० 55456 आंकलित हुई है जो गत वर्ष से 8.9% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2017–18 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का खण्डवार वितरण इस प्रकार है–(क) प्राथमिक खण्ड–27.0% (ख) द्वितीयक खण्ड–25.0% तथा (ग) तृतीयक खण्ड–48.0%। प्रदेश के राज्य आय के वर्ष 2017–18 के जारी त्वरित अनुमानों का विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12 में रू० 681895 करोड़, वर्ष 2012–13 में रू० 716339 करोड़, वर्ष 2013–14 में रू० 754331 करोड़, वर्ष 2014–15 में रू० 780937 करोड़, वर्ष 2015–16 में रू० 851033 करोड़, वर्ष 2016–17 में रू० 910436 करोड़ तथा वर्ष 2017–18 में 973493 करोड. रहा है जो वर्ष 2012–13 में 5.1%, वर्ष 2013–14 में 5.3%, वर्ष 2014–15 में 3.5%, वर्ष 2015–16 में 9.0%, वर्ष 2016–17 में 7.0% तथा 2017–18 में 6.9% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में क्रमशः 4.4%, 2.8% तथा 6.8%, वर्ष 2013–14 में क्रमशः (–)0.1%, 7.9% तथा 7.1%, वर्ष 2014–15 में क्रमशः (–)0.9%, (–)2.0% तथा 9.2%, वर्ष 2015–16 में क्रमशः 5.6%, 15.3% तथा 7.5%, वर्ष 2016–17 में क्रमशः 6.7%, 9.9% तथा 5.5% एवं वर्ष 2017–18 में क्रमशः 7.8%, 3.7% तथा 8.3% रही है।

खण्डवार विश्लेषण (स्थायी भावों पर)

प्राथमिक खण्ड

इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक–पृथक आंकलित किये गये हैं जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक साथ आंकलित किये जाते थे। प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, राजस्व परिषद तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष

2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में क्रमशः 5.0%, (-)2.3%, ,(-)5.4%, 4.9%, 7.2% तथा 9.1% की वृद्धि हुई है।

पशुपालन उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग, रेशम निदेशालय तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये दर एवं अनुपात के आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में पशुपालन उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में क्रमशः 4.9%, 4.7%, 5.6%, 3.7%, 2.4% तथा 1.6% की वृद्धि हुई है।

वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अनुमान उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा वन निगम एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में क्रमशः (–)1.2%, (–)1.9%, 1.2%, 0.6%, 1.4% तथा 0.8% की वृद्धि हुई है।

मत्स्य उपखण्ड के अनुमान मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में क्रमशः 4.7%, 3.3%, 6.4%, 2.1%, 22.4% तथा 1.8% की वृद्धि हुई है।

खनन तथा पत्थर निकालना उपखण्ड के अनुमान भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, आई०बी०एम०, नागपुर तथा के0 सां0 कार्या0, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में क्रमशः (–)0.6%, 10.1%,, 28.2%, 32.4%, 21.2% तथा 25.5% की वृद्धि हुई है।

माध्यमिक खण्ड

माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में क्रमशः 2.8%, 7.9%, (–)2.0%, 15.3%, 9.9% तथा 3.7% की वृद्धि हुई है।

विनिर्माण उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से अखिल भारतीय थोक भाव सूचकांक एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा एमसीए 21 डाटा बेस का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में क्रमशः 4.1%, 13.7%, (–)10.0%, 26.4%, 16.9% तथा 2.6% की वृद्धि हुई है।

विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उपलब्ध कराये गये आंकड़ों, स्थानीय निकायों के आय–व्ययक के खातों तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं वितरण में संलग्न निगमों की बैलेन्स शीट का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष

2015–16, वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में क्रमशः 5.8%, 13.0%, 6.0%, 6.3%, 12.5% तथा 7.8% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में क्रमशः 1.0%, 1.1%, 6.5%, 5.2% , 1.0% तथा 4.6% की वृद्धि हुई है।

तृतीयक खण्ड

अर्थ व्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार, व्यापार", "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित हैं। तृतीयक खण्ड के अनुमान मुख्य रूप से केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों तथा राज्य की आय–व्ययक, स्थानीय निकायों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लेखा खातों का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में क्रमशः 6.8%, 7.1%, 9.2%, 7.5%, 5.5% तथा 8.3% की वृद्धि हुई है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन(प्रचलित भावों पर)

बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12 में रू० 681895 करोड़, वर्ष 2012–13 में रू० 777206 करोड़, वर्ष 2013–14 में रू० 885565 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 में रू० 948993 करोड़, वर्ष 2015–16 में रू० 1057053 करोड़, वर्ष 2016–17 में रू० 1157943 तथा वर्ष 2017–18 में रू० 1271858 करोड़ रहा है। प्राथमिक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में क्रमशः रू० 189787 करोड़, रू० 219964 करोड़, रू० 246724 करोड़, रू० 254845 करोड़, रू० 283769 करोड़, रू० 311355 करोड़ तथा रू० 343853 करोड. रहा है। द्वितीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 में क्रमशः रू० 181781 करोड़, रू० 200719 करोड़, रू० 231544 करोड़, रू० 238000 करोड़, रू० 269234 करोड़, रू० 299782 करोड़ तथा रू० 317780 करोड. रहा है। तृतीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 में क्रमशः रू० 310326 करोड़, रू० 356522 करोड़, रू० 407297 करोड़, रू० 456148 करोड़, रू० 504051 करोड़, रू० 546806 करोड़ तथा रू० 610226 करोड. अनुमानित रहा है।

सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष 2011–12 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रू० 724050 करोड़ था जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर स्थायी भावों (2011–12) पर रू० 1042113 करोड़ तथा प्रचलित भावों पर रू० 1376324 करोड़ हो गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में स्थायी भावों पर क्रमशः 7.3 प्रतिशत तथा 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा प्रचलित भावों पर क्रमश 9.8 प्रतिशत तथा 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

वर्ष 2011–12 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद रू० 645132 करोड़ था जो वर्ष 2017–18 में स्थायी भावों पर बढ़कर रू० 907236 करोड़ तथा प्रचलित भावों पर बढ़कर रू० 1224672 करोड़ हो गया है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 में स्थायी भावों पर क्रमशः 7.1 तथा 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 9.9 तथा 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

तालिका–1.01
प्रदेश में सकल एवं निवल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	करोड़ रू० में					वृद्धि दर (प्रतिशत में)			
	2011–12	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर)	724050	1011790	1137210	1248374	1376324	7.6	12.4	9.8	10.2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थायी भाव पर)	724050	834432	907700	974073	1042113	4.0	8.8	7.3	7.0
निवल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर)	645132	891798	1008179	1108017	1224672	7.0	13.1	9.9	10.5
निवल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थायी भाव पर)	645132	729686	790993	847510	907236	3.1	8.4	7.1	7.0

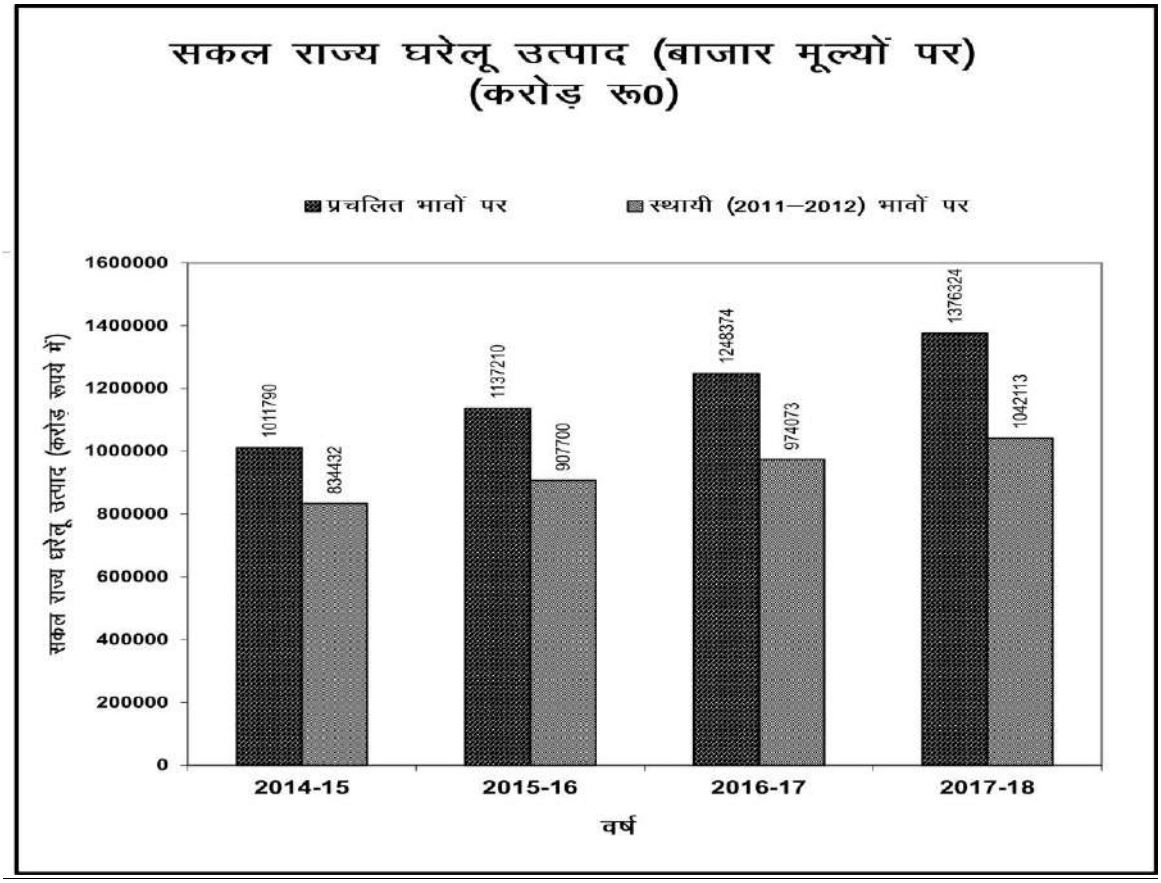

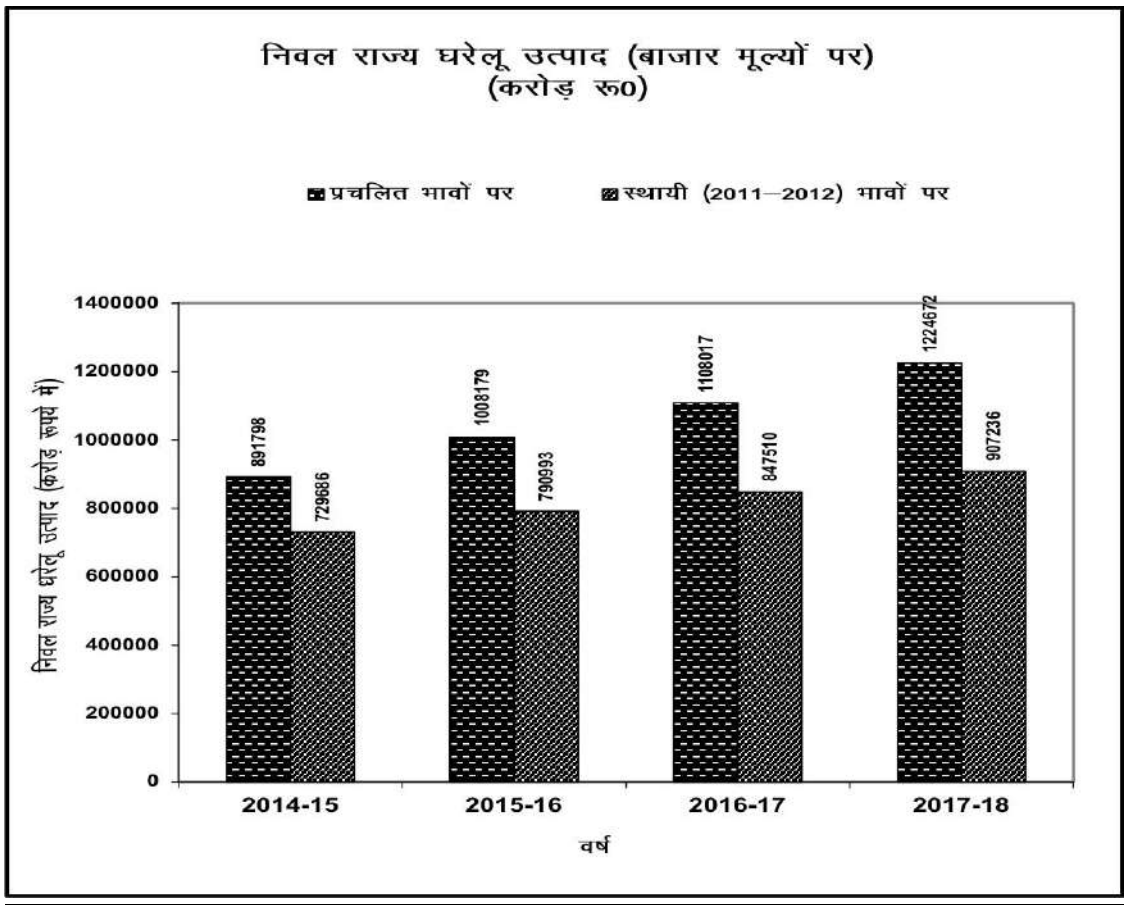

अर्थ–व्यवस्था की खण्डीय संरचना

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के अंशदानों एवं निश्चित अवधि में हुए परिवर्तनों से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी (2011–2012) भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान जो वर्ष 2011–12 में 29.0 प्रतिशत था, घटकर वर्ष 2017–18 में 25.6 प्रतिशत रह गया है। इस अवधि में राज्य की अर्थ व्यवस्था के प्राथमिक खण्ड में कृषि (फसल) का योगदान 18.5 प्रतिशत से घटकर 15.3 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2017–18 में पशुपालन खण्ड का योगदान 6.4 प्रतिशत तथा वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना खण्ड का योगदान 1.5 प्रतिशत है। इस प्रकार प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल खण्ड का योगदान अभी भी सर्वाधिक है।

माध्यमिक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 25.9 प्रतिशत था जो वर्ष 2017–18 में भी 25.9 प्रतिशत है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में विनिर्माण उपखण्ड का योगदान 13.6 प्रतिशत तथा निर्माण उपखण्ड का योगदान 11.5 प्रतिशत रहा है।

तृतीयक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 45.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 48.5 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में सर्वाधिक योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक उपखण्ड का 13.0 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2017–18 में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान 11.3 प्रतिशत तथा परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान 8.1 प्रतिशत आंकलित हुआ है। खण्डीय संरचना के इस परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2011–12 से राज्य की अर्थव्यवस्था कृषीय से अकृषीय की ओर निरन्तर अग्रसर होती जा रही है तथापि राज्य की सम्पूर्ण अर्थयवस्था में कृषि की प्रधानता है।

प्रतिव्यक्ति आय

वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू० 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2017–18 में रू० 55456 हो गयी है। वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 8.2 तथा 8. 9 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश की निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू० 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2017–18 में रू० 41082 हो गयी है। वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 मे प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 5.5 प्रतिशत तथा 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

तालिका–1.02

प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रति व्यक्ति आय

(रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	स्थायी भावों पर	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2011–12	32002	–	32002	–
2012–13	35812	11.9	32908	2.8
2013–14	40124	12.0	34044	3.5
2014–15	42267	5.3	34583	1.6
2015–16	47062	11.3	36923	6.8
2016–17	50942	8.2	38965	5.5
2017–18	55456	8.9	41082	5.4

त्रैमासिक अनुमान– अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी राज्य आय के वर्ष 2017–18 के समस्त चारों तथा वर्ष 2018–19 के प्रथम त्रैमास के त्रैमासिक अनुमानों का विश्लेषण निम्नवत् हैः–

प्रथम त्रैमास के अनुमान (Q_1)(अप्रैल से जून)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2017–18 के राज्य आय के प्रथम त्रैमासिक अनुमान में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2016–17 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

वर्ष 2018–19 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के प्रथम त्रैमास के अनुमान में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2017–18 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है। स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2018–19 के प्रथम त्रैमास में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2017–18 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष क्रमशः 4.0 प्रतिशत, 6.8 प्रतिशत तथा 7.1 प्रतिशत रही है। इस प्रकार तृतीयक खण्ड में सर्वाधिक वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

द्वितीय त्रैमास के अनुमान (Q_2)(जुलाई से सितम्बर)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2017–18 में राज्य आय के द्वितीय त्रैमास के अनुमान में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2016–17 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

तृतीय त्रैमास के अनुमान(Q_3)(अक्टूबर से दिसम्बर)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2017–18 के तृतीय त्रैमास के अनुमान में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2016–17 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

चतुर्थ त्रैमास के अनुमान (Q4)(जनवरी से मार्च)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2017–2018 के चतुर्थ त्रैमास के अनुमान में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2016–17 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।

इस प्रकार वर्ष 2017–18 के जारी चारो त्रैमासिक अनुमानों में से राज्य आय के चतुर्थ त्रैमास में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है ।

प्रदेश के राज्य आय तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय अनुमानों का विश्लेषणः–

प्रदेश के वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमान तथा राष्ट्रीय आय के वर्ष 2017–18 के अनन्तिम अनुमान के अनुसार तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत् हैं–

तालिका–1.03
उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक आंकड़े

वर्ष		उत्तर प्रदेश					भारत				
		2011–12	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2011–12	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
सकल राज्य मूल्य वर्धन का प्रतिशत वितरण (प्रचलित भावों पर)	प्राथमिक खण्ड	27.8	26.9	26.8	26.9	27.0	21.7	20.9	20.1	20.4	19.6
	द्वितीयक खण्ड	26.7	25.1	25.5	25.9	25.0	29.3	27.3	27.4	26.9	26.6
	तृतीयक खण्ड	45.5	48.1	47.7	47.2	48.0	49.0	51.8	52.5	52.7	53.8
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि (स्थायी भावों पर)	प्राथमिक	–	(–)0.9	5.6	6.7	7.8	–	1.2	2.6	7.4	3.3
	द्वितीयक	–	(–)2.0	15.3	9.9	3.7	–	6.7	9.4	6.1	5.8
	तृतीयक	–	9.2	7.5	5.5	8.3	–	9.8	9.6	7.5	7.9
	कुल	–	4.0	8.8	7.3	7.0	–	7.4	8.2	7.1	6.7
प्रति व्यक्ति आय (रू० में) (प्रचलित भावों पर)		32002	42267	47062	50942	55456	63462	86647	94731	103872	112835

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के वर्ष 2017–18 के अनन्तिम अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धन में प्रचलित भावों पर वर्ष 2011–12 में प्राथमिक तथा द्वितीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 21.7 प्रतिशत व 29.3 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2017–18 में 19.6 प्रतिशत व 26.6 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत तृतीयक खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 49.0 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2017–18 में 53.8 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2017–18 में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान 16.7 प्रतिशत विनिर्माण खण्ड का है। उक्त अवधि में प्रदेश में भी प्राथमिक खण्ड के योगदान में कमी आयी है जबकि तृतीयक खण्ड का योगदान 45.5 प्रतिशत से बढ़कर 48.0 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2017–18 में राज्य की अर्थ व्यवस्था में अभी भी कृषि खण्ड की प्रधानता है।

वर्ष 2017–18 में स्थायी (2011–12) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद में अखिल भारतीय स्तर पर 6.7 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

वर्ष 2011–12 से वर्ष 2017–18 की अवधि में प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रू० 32002 से बढ़कर रू० 55456 हो गयी जबकि अखिल भारतीय स्तर पर रू० 63462 से बढ़कर रू० 112835 हो गयी है। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2017–18 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग 50 प्रतिशत रही है।

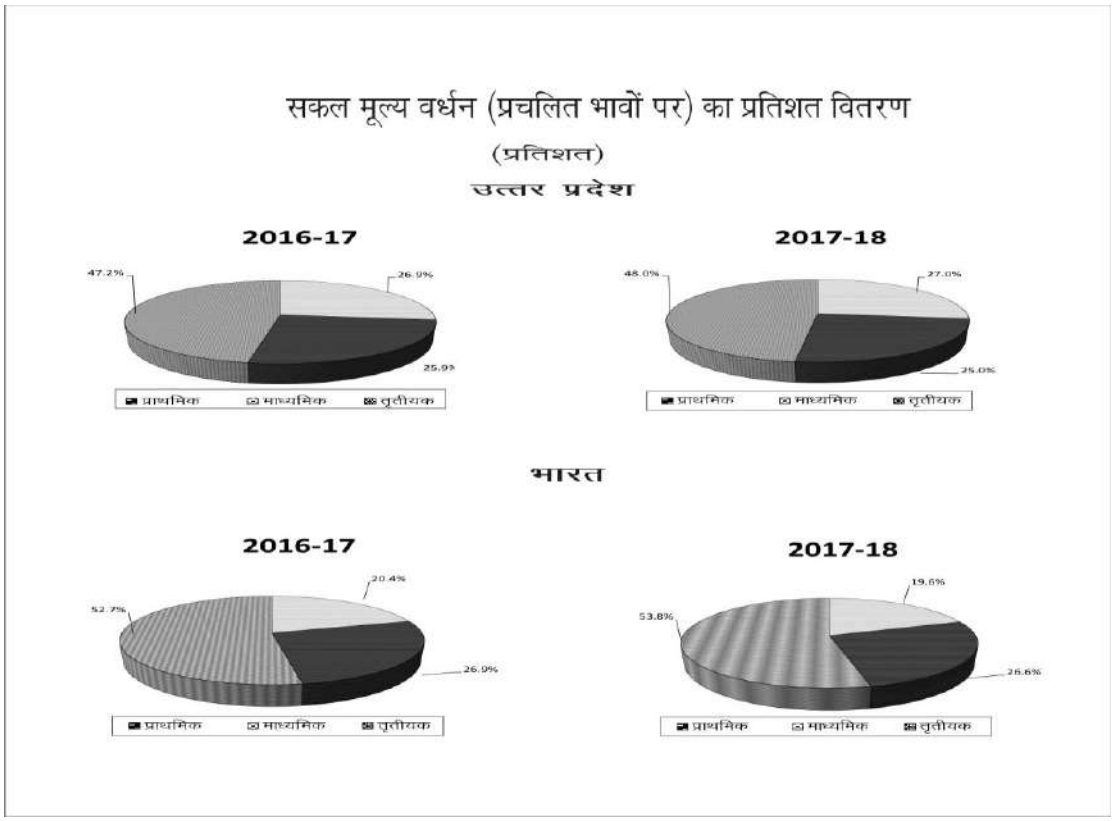

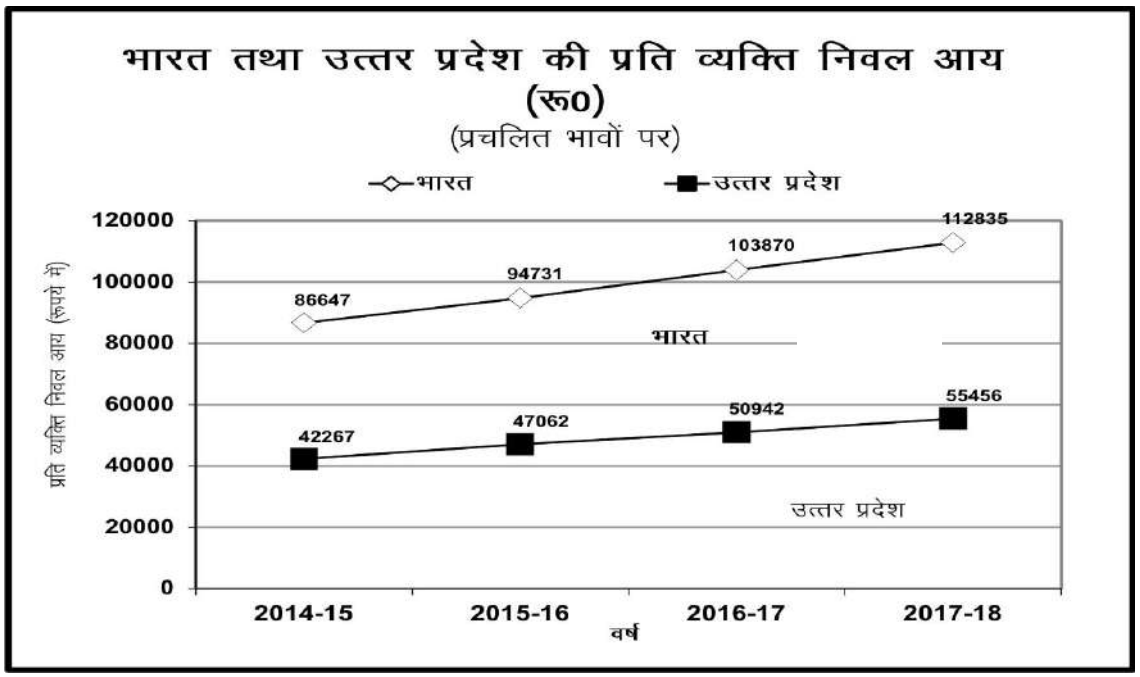

तालिका–1.04
निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की प्रति व्यक्ति आय

(प्रचलित भावों पर)

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आन्ध प्रदेश	69000	93903	107276	123664	142054
2	अरूणाचल प्रदेश	73068	110912	112312	119481	अप्राप्त
3	असम	41142	52895	60817	67303	अप्राप्त
4	बिहार	21750	28671	30213	34409	38860
5	छत्तीसगढ़	55177	72946	76025	84265	92035
6	गोवा	259444	289185	334576	375550	अप्राप्त
7	गुजरात	87481	127017	139254	156527	अप्राप्त
8	हरियाणा	106085	148485	162034	180174	अप्राप्त
9	हिमाचल प्रदेश	87721	123299	135512	150285	160719
10	जम्मू कश्मीर	53173	61213	73229	78163	अप्राप्त
11	झारखण्ड	41254	57301	52754	59799	63754
12	कर्नाटक	90263	130024	148110	161936	181788
13	केरल	97912	135537	148011	163475	अप्राप्त
14	मध्य प्रदेश	38551	56069	62817	74590	अप्राप्त
15	महाराष्ट्र	99564	132611	147610	165491	180596
16	मणिपुर	39762	52717	55447	58501	अप्राप्त
17	मेघालय	60013	64638	68836	73291	79807
18	मिजोरम	57654	103049	114055	128998	अप्राप्त
19	नागालैण्ड	53010	78367	82466	90168	अप्राप्त
20	ओडिशा	48370	63173	65650	74234	80991
21	पंजाब	85577	108970	118858	128890	अप्राप्त
22	राजस्थान	57192	76436	83977	92076	100551
23	सिक्किम	158667	214148	245987	270572	297765
24	तमिलनाडु	92984	128372	140441	150036	166934
25	तेलंगाना	91121	124104	140840	159856	181034
26	त्रिपुरा	47079	63969	80027	अप्राप्त	अप्राप्त
27	उत्तर प्रदेश	32002	42267	47062	50942	55456
28	उत्तराखण्ड	100305	135881	147592	157643	173820
29	पश्चिम बंगाल	51543	68876	75992	83126	95562
30	अन्डमान निकोबार	88177	119291	126445	136824	अप्राप्त
31	चंडीगढ़	159116	206760	222710	237599	अप्राप्त
32	दिल्ली	185361	249635	271305	300793	329093
33	पुडुचेरी	119649	146921	172913	185141	198046
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय(NNI)		63462	86647	94731	103870	112835

अन्य राज्यों से तुलना

नये आधार वर्ष 2011–12 पर उपलब्ध अन्य राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना से स्पष्ट होता है कि प्रचलित भावों पर वर्ष 2014–15 से वर्ष 2017–18 तक प्रदेश का राष्ट्र में तीसरा स्थान है। केवल महाराष्ट्र व तमिलनाडु का सकल घरेलू उत्पाद उत्तर प्रदेश से अधिक है। उपरोक्त अवधि में विभिन्न राज्यों की प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों की तुलना से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों के सापेक्ष उ0प्र0 की प्रति व्यक्ति आय कम रही है। केवल बिहार की प्रति व्यक्ति आय उ0प्र0 से कम रही है।

तालिका–1.05
प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी0एस0डी0पी0)

(करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आन्ध प्रदेश	379402	524976	600298	695491	803873
2	अरूणाचल प्रदेश	11063	17957	18549	20259	अप्राप्त
3	असम	143175	195723	227959	254341	अप्राप्त
4	बिहार	247144	342951	369469	425888	487628
5	छत्तीसगढ़	158074	221142	234212	262263	291681
6	गोवा	42367	47814	55054	62661	अप्राप्त
7	गुजरात	615606	921773	1029010	1162287	अप्राप्त
8	हरियाणा	297539	437462	485184	547396	अप्राप्त
9	हिमाचल प्रदेश	72720	103772	114239	126020	136198
10	जम्मू कश्मीर	78256	98370	117187	126847	अप्राप्त
11	झारखण्ड	150918	218525	206613	235560	255271
12	कर्नाटक	606010	913923	1045182	1156002	1311297
13	केरल	364048	512564	561546	621700	अप्राप्त
14	मध्य प्रदेश	315561	479939	542750	647304	अप्राप्त
15	महाराष्ट्र	1280369	1780721	1986721	2257032	2496505
16	मणिपुर	12915	18129	19531	21066	अप्राप्त
17	मेघालय	19918	23235	25117	27228	30218
18	मिजोरम	7259	13509	15339	17613	अप्राप्त
19	नागालैण्ड	12177	18401	19524	21488	अप्राप्त
20	ओडिशा	230987	314267	330874	377202	415982
21	पंजाब	266628	355102	390087	428340	अप्राप्त
22	राजस्थान	434837	615695	683758	759234	840263
23	सिक्किम	11165	15407	18034	20020	22248
24	तमिलनाडु	751486	1072678	1176500	1270490	1427074
25	तेलंगाना	359434	505849	577902	659074	752230
26	त्रिपुरा	19208	27422	34368	अप्राप्त	अप्राप्त
27	उत्तर प्रदेश	724050	1011790	1137210	1248374	1376324

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	उत्तराखण्ड	115328	161439	177163	191886	214033
29	पश्चिम बंगाल	520485	718082	797300	879167	1020858
30	अन्डमान निकोबार	3979	5477	6032	6649	अप्राप्त
31	चंडीगढ़	18768	26549	29301	31823	अप्राप्त
32	दिल्ली	343797	494885	548081	616826	686017
33	पुडुचेरी	16818	22574	26643	29279	32222
भारत का सकल घरेलू उत्पाद		8736329	12467959	13764037	15253714	16773145

****

अध्याय–2

प्रदेश के विकास की चुनौतियाँ तथा प्राथमिकतायें

उत्तर प्रदेश देश का असीम संभावनाओं वाला प्रदेश रहा है और विशाल भी इतना कि विकास का सफर तय करना प्रदेश के नेतृत्व के लिये हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। समाज के सभी वर्गों और राज्य के प्रत्येक नागरिक व क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है। प्रदेश के विकास में समस्त जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश वासियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी जन सेवाएं उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां किसानों की बेहतरी भी राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। उस दिशा में भी उ0प्र0 सरकार ने आते ही वादे के मुताबिक किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त किया और अब उनकी कोशिश है कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य कैसे मिले। इस हेतु वर्तमान सरकार किसान के उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये फसल की खुद खरीद के अभियान में जुटी है।

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के विचार सामने लाकर नयी संभावनाओं के द्वार सरकार ने खोले। दुनिया भर के निवेशकों को राजधानी लखनऊ में हुई 'इन्वेस्टर्स समिट' में जुटा कर सरकार ने सौभाग्य की नयी इबारत लिखने की कोशिश की है।समग्र विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत चिन्हित चुनौतियाँ तथा प्रदेश के विकास की रणनीति निम्नवत प्रस्तुत है :–

चुनौतियाँ

- **अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन**

1. समस्त ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ना।
2. नगरीय यातायात को सुविधाजनक एवं सरल बनाना।
3. नये विद्युत उत्पादन इकाईयों के निर्माण की बाधाओं को दूर करना।
4. क्रियाशील विद्युत उत्पादन इकाईयों की क्षमता में वृद्धि।
5. पारेषण लाईनों का विस्तार।
6. विद्युत आपूर्ति में सुधार।
7. लाईन हानियों में कमी लाना।
8. वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना।

- **कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
2. कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी किया जाना।
3. किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाना।
4. किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
5. मृदा स्वास्थ्य में गिरावट को रोकना।

6. कृषकों के खेतों की मिट्टी की नियमित जाँचोंपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करना।
8. कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादन लागत को कम करना।
9. लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक हितों के दृष्टिगत छोटी जोतों को लाभकारी बनाना।
10. उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ–साथ इनका ससमय वितरण।
11. कृषि पर निर्भरता कम करने हेतु रोजगार सृजन के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना।
12. कृषि उत्पादों विशेषकर औद्यानिक फसलों का समुचित विपणन तथा भण्डारण।
13. प्रदेश में वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना प्रमुख चुनौती है।
14. प्रदेश में वनों के अवैध कटान की रोकथाम चुनौती पूर्ण कार्य है।

- **पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. बीमारियों से बचाव हेतु प्रदेश के सभी पशुओं का शत–प्रतिशत टीकाकरण।
2. 240 लाख प्रजनन योग्य पशुधन में से केवल 70 से 80 लाख प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इस क्रिटिकल गैप को दूर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाया जाये।
3. अति हिमीकृत वीर्य का उत्पादन बढ़ाना।
4. पशु आहार/पशु चारा का उत्पादन बढ़ाना।
5. प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
6. कुक्कुट तथा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना।
7. स्थापित दुग्धशालाओं/अवशीतन केन्द्रों की क्षमता का कम उपयोग हो पा रहा है।
8. सहकारी क्षेत्र की डेयरियों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना।
9. दुग्ध उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

- **उद्योग**

1. औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।
2. निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करना।
3. निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
4. कुशल मानव संसाधन का विकास करना।
5. औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
6. हस्त शिल्प तथा दस्तकारी इकाईयों को जीवनक्षम बनाना।
7. सम्यक रूप से औद्योगिक वातावरण में सुधार।

- **सेवा क्षेत्र**

1. सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक क्रिया–कलापों में सन्लिप्त इकाईयों का आंकड़ा आधार तैयार करना।
2. सेवा क्षेत्र में संलग्न श्रम शक्ति का कौशल विकास।
3. विभिन्न सेवाओं के मूल्य वर्धन का आंकलन।

- **प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा**

1. 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना।

2. विभिन्न वर्गों में साक्षरता अन्तराल को कम करना।
3. ड्रॉप आऊट दर को कम करना।
4. विद्यालय के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करना।
5. शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक, शैक्षिक तथा लैंगिक भेद को समाप्त करना।
6. प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमता को दूर करना।
7. प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाई स्कूल स्तर का विद्यालय खोला जाना।
8. समग्र शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि।

- **उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा**

1. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार।
2. शिक्षा को रोजगार से जोड़ना।
3. ई–लर्निंग/स्मार्ट क्लासेस।
4. समग्र शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि।

- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**

1. प्रदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों की स्थापना।
2. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।
4. जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर तथा मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना।
5. सुरक्षित प्रसव।
6. लिंगानुपात को बढ़ाना।
7. टीकाकरण का विस्तार।

- **ग्राम्य विकास**

1. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।
2. ग्रामीण समाज के समस्त वर्गों की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु जागरूकता उत्पन्न करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना संसाधनों का निर्माण।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ लक्षित समूह/जन सामान्य को पहुँचाना।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।

- **सामाजिक कल्याण**

1. समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
2. छात्र वृत्ति तथा पेंशन सम्बन्धी लाभार्थी परक योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।

- **लोक निधि**

1. प्रदेश में निवेश हेतु बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाना।
2. प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करना।
3. सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों तथा 'लघु एवं सीमान्त किसानों को फसली ऋण माफी योजना' आदि के कारण राज्य सरकार पर बढ़े वित्तीय व्यय–भार के फलस्वरूप प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा आदि वित्तीय संकेतकों को नियन्त्रण में रखना कठिन चुनौती है।

प्राथमिकतायें एवं सुधारात्मक कदम

- **अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन –**

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'संकल्प सेवा'' नाम से 50 नयी बसों का एक्सक्लूसिव संचालन किया जा रहा है।
2. वाहन चालान की कार्यवाही को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से ई–चालान व्यवस्था लागू। इस व्यवस्था को लागू करने वाला उ0प्र0 देश का पहला राज्य है।
3. ''मिशन मोड प्रोजेक्ट'' के अन्तर्गत **वन नेशन एण्ड वन आर.टी.ओ** की संकल्पना पर एनआईसी द्वारा तैयार वेबसाइट **वाहन** 4.0 ट्रान्सपोर्ट एप्लीकेशन सिस्टम (**एचटीटीपीः//परिवहन.जीओवी.इन/वाहन सर्विस**) प्रदेश के सभी 76 परिवहन कार्यालयों में लागू।
4. **निर्भया फण्ड**–उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसे निर्भया फण्ड योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिए चयनित किया गया है। निर्भया फण्ड के माध्यम से निगम की सभी 12500 बसों में पैनिक बटन एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगेंगे, जिससे महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
5. प्रदेश की समस्त सडकों को 31 अक्टूबर, 2018 तक गड्ढा–मुक्त करने हेतु अभियान चलाकर 10217 किलोमीटर सड़कें गड्ढामुक्त की गयी।
6. जिला मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ना।
7. प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए हैलीकाप्टर सेवा शुरु करना।
8. प्रदेश के अन्य शहरों में एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाना।
9. लखनऊ में मेट्रो रेल का संचालन एवं कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, वाराणसी तथा गोरखपुर में भी मेट्रो रेल चलाने के लिए डी0पी0आर0 तैयार करने के निर्देश।
10. हर जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय में 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
11. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत 1.71 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत कुल 15781 विशेष शिविर आयोजित कर 32 लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं।
12. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड सोलर पैक की व्यवस्था किया जाना जिससे कुछ आवश्यक घरेलू उपकरण चल सकें।
13. ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था किया जाना।
14. जल संरक्षण के कार्यो को अभियान के रूप चलाया जाए।

- **कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**

1. प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट के निदान हेतु जनपद/तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके इसके माध्यम से कृषकों के खेतों की मिट्टी की जाँच करने के उपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2. उत्तर प्रदेश को फूड पार्क राज्य के रूप में विकसित किया जाना।
3. फसली ऋण माफी योजनान्तर्गत 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों के अधिकतम रू0 1 लाख तक के फसली ऋण माफ करने का फैसला लेते हुए 36 हजार करोड़ रू0 व्यय किये गये।
4. किसानों से शत–प्रतिशत गेहूं खरीद तथा गेहूं मूल्य के तत्काल भुगतान योजनान्तर्गत गेहूं खरीद लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन किया गया।
5. गत वर्ष की कुल खरीद से लगभग 4.5 गुना अधिक 36.99 लाख मी टन गेहूं खरीद की गयी।

6. मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रू0 1,625 प्रति कुन्तल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया।
7. आम उपभोक्ता के हित में खाद्यान्न व दलहन को जी0एस0टी0 से मुक्त रखा गया।
8. किसानों के कल्याण हेतु एग्रीकल्चर इक्विपमेन्ट को जी0एस0टी0 से मुक्त रखा गया एवं रासायनिक उर्वरकों पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की भारी कमी की गयी।
9. कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब एवं नवीन मण्डियों की स्थापना, किसान बाज़ार का विकास किया जाना आदि।
10. गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास।
11. भण्डार गृहों का निर्माण।
12. पारदर्शी किसान योजना का कार्यान्वयन।
13. कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
14. गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के प्रयोग को बढावा देना।

- **<u>पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र</u>**

1. पशुधन विकास हेतु बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा क्लीनिक का संचालन।
2. कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाना।
3. गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।
4. अवैध पशु वधशालाओं पर रोक।
5. वर्तमान में स्थापित पशुचिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण एवं अधिक से अधिक पशुचिकित्सालयों की स्थापना।
6. सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना।
7. मत्स्य विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
8. पशु मुत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु पशुपालकों को पशु बीमा कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।

- **<u>उद्योग एवं व्यापार</u>**

1. प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने, उद्यमियों की जिज्ञासाओं व समस्याओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों से निराकरण कराने एवं स्वीकृतियॉ प्रदान कराने हेतु एकल मेज व्यवस्था का कार्यान्वयन।
2. जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण।
3. प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पाद जैसे हस्तशिल्प अथवा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए **''एक जनपद–एक उत्पाद''** नाम से अभिनव योजना प्रारम्भ की गयी है।
4. मेक इन इण्डिया की सफलता का लाभ उठाने हेतु प्रदेश में एक समर्पित ''मेक इन यूपी'' विभाग की स्थापना।
5. व्यापारी हित में पंजीयन की सीमा रू0 5 लाख से बढ़ाकर रू0 20 लाख की गयी।
6. पंजीयन की पूर्णतः पारदर्शी ऑन–लाइन व्यवस्था जिसमें 3 दिन के अन्दर स्वत–पंजीयन का प्रावधान।
7. रू0 1 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए समाधान योजना।

8. कर आधार बढ़ाने हेतु रू0 5 लाख से अधिक नये व्यापारियों का पंजीकरण का रिकार्ड।
9. औद्योगिक इकाईयों हेतु भूमि आवंटन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
10. ठेकों और सरकारी कार्यो में होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ई–टेंडरिंग प्रणाली लागू की।
11. 21 एवं 22 फरवरी को सम्पन्न हुई इन्वेस्टर्स समिट में 4.68 लाख करोड़ रूपये के पूंजी निवेश के प्रस्ताव देश के चोटी के उद्योगपतियों से प्राप्त हुए ।
12. उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
13. राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
14. मेगा लेदर क्लस्टर योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
15. कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 39 असेवित तहसीलों में प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से एक–एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

- **<u>आवास</u>**

1. प्रधानमंत्री आवास योजना के कुल आवास 8.85 लाख के सापेक्ष 6.20 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण।
2. शहरी क्षेत्र के 3.25 लाख से अधिक आवासविहीन लोगों के आवास स्वीकृत हैं, जिसमें लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नवीन) हेतु 2,81,256, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (विस्तार) के 19,697 तथा भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत 24,266 आवास स्वीकृत।
3. वर्ष 2017–18 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं लोहिया आवास को मिलाकर कुल 9.10 लाख आवास स्वीकृत।
4. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत शहरी निराश्रितों के लिए 48 शेल्टर होम का संचालन। इसके अतिरिक्त 74 शेल्टर होम निर्माण की प्रक्रिया में है।

- **<u>शिक्षा</u>**

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाना।
2. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं नकलविहीन एवं शुचितापूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराना।
3. विद्यालयों की ऑनलाइन मान्यता की पारदर्शी व्यवस्था।
4. प्रथम बार वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था।
5. रू0 25.00 लाख की दर से पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना हेतु कुल रू0 3.50 करोड़ की धनराशि 14 राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित की गयी है।
6. उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए उन्हें रोजगारपरक बनाये जाना।
7. ई–लर्निंग को बढ़ावा दिया जाना।
8. समस्त प्राविधिक संस्थाओं में एकेडमिक मॉनीट्रिंग की एकीकृत व्यवस्था।

9. कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 39 असेवित तहसीलों में प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से एक–एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**

1. सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाली जेनेरिक दवाओं की 3 हजार दुकानें खोलने की व्यवस्था की जा रही है।
2. जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित 150 एम्बुलेंस की 'एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा' का शुभारंभ।
3. नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/नये जनपदों में जिला चिकित्सालयों का निर्माण।
4. निर्माणाधीन अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को पूर्ण कर क्रियाशील करना।
5. ट्रामा सेन्टरों के भवनों का निर्माण एवं उन्हें क्रियाशील किया जाना।
6. जिला चिकित्सालयों में प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट का निर्माण एवं उन्हें क्रियाशील किया जाना।
7. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश अर्जित करने हेतु नीति निर्धारित करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार।
8. एम्स के तर्ज पर उच्च चिकित्सा अनुसन्धान संस्थानों तथा चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना।

- **ग्राम्य विकास तथा सामाजिक कल्याण**

1. वित्तीय वर्ष 2017–18 में शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक प्रगति में प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
2. प्रदेश के कुल 98,498 ग्रामों में से 19,591 ग्राम खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित।
3. छात्रवृत्ति पेंशन आदि सम्बन्धी समस्त योजनाओं का इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन एवं अुनश्रवण।
4. वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त पात्र पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है ताकि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
5. डॉ० राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
6. जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
7. प्रदेश को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु हर घर में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
8. एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन।
9. आमजन की सुविधा के लिये यू0पी–100 सेवा के साथ 108 एम्बुलेंस सेवा तथा 101 अग्निशमन सेवा का एकीकरण।

- **लोक निधि**

1. प्रदेश में जी0एस0टी0 (वस्तु एवं सेवा कर) के रूप में कर संग्रहण की अत्यन्त सरल एवं पारदर्शी कर प्रणाली लागू की गयी।
2. जी0एस0टी0 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा लगाये जा रहे 8 करों को समाप्त कर केवल एक कर लागू किया गया।

3. आम उपभोक्ता के हित में खाद्यान्न व दलहन को जी0एस0टी0 से मुक्त रखा गया जिससे राज्य सरकार पर रू0 700 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त व्यय भार आया।
4. रू0 1 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए समाधान योजना।
5. कर आधार बढ़ाने हेतु रू0 5 लाख से अधिक नये व्यापारियों का पंजीकरण का रिकार्ड।
6. प्रदेश के विकास हेतु वाह्य सहायतित परियोजनाओं में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त कर प्रभावी कार्यान्वयन।
7. प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।

****

अध्याय–3

वित्त एवं बैंकिंग सेवायें

लोक निधि

उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बडा राज्य है जहॉ 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ की जनसख्या निवास करती है तथा यह देश की कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में व्यापक असमानता है। जहॉ एक तरफ बुन्देलखण्ड क्षेत्र प्रत्येक वर्ष सूखे एवं पानी की कमी से जूझता है वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका विकराल रूप लेती रहती है। प्रदेश का पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अथवा कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर करती है। यद्यपि प्रदेश में औद्योगीकरण की स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है तथा सेवा क्षेत्र भी विकसित हो रहा है, बावजूद इसके प्रदेश के स्वयं के संसाधनों की सृजन क्षमता सीमित है। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) व्यवस्था लागू होने के उपरान्त, कर के अभिनवीकरण से संसाधन सृजन की क्षमता और भी अधिक संकुचित हो गयी है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के विकासात्मक गतिविधियों हेतु सीमित संसाधनों के दृष्टिगत प्रदेश का विकास किया जाना एक बड़ी चुनौती है।

1 राजस्व प्राप्ति

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं– कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण। केन्द्रीय अन्तरण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से प्राप्त अनुदान। वर्ष 2017–18 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को 3,05,028.87 करोड़ रूपये की कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से 1,12,461.04 करोड़ रूपये तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में रू0 1,92,567.83 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ। राज्य के गत पांच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को तालिका–3.01 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.01– राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख स्रोत

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियां
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
1	2	3	4	5	6
2013–14	66582.11	16449.81	62776.66	22405.17	168213.75
2014–15	74172.98	19934.80	66622.35	32691.48	193421.61
2015–16	81106.29	23134.66	90973.66	31861.33	227075.94
2016–17	85966.25	28944.07	109427.96	32536.87	256875.15
2017–18 (पु0अ0)	94958.92	17502.12	121406.51	71161.32	305028.87

नोट : वर्ष 2014–15 से केन्द्रीय योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सीधे विभागों को उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान को राज्य सरकार के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है जिस कारण अप्रत्याशित वृद्धि केन्द्रीय अनुदान में परिलक्षित हो रही है।

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2016–17 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 44.7 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 45 प्रतिशत अंश राज्य अपने संसाधनों से ही एकत्रित करता है। संसाधनों में वृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति, 2018 में उल्लिखित संसाधन वृद्धि के राज्य सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों को बाक्स–1 में दर्शाया गया है।

बाक्स–1

वाणिज्यिक कर विभाग

- केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के समर्थन एवं सहयोग से दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 कर प्रणाली लागू की गयी। जी0एस0टी0 काउन्सिल की सिफारिश पर अब तक कुल 25 विज्ञप्तियां जारी की जा चुकीं हैं जिनमें अधिनियम, नियमावली तथा वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें निर्धारित करने से सम्बन्धित विज्ञप्तियां शामिल हैं। जी0एस0टी0 में कर की दर पूर्व प्रचलित वैट की दर से काफी कम हैं बावजूद इसके अधिक संख्या में व्यापारियों के जी0एस0टी0 व्यवस्था में भाग लेने तथा करापवंचन पर अंकुश से राज्य की आय में आने वाले वर्षों में वृद्धि सम्भावित है।

निबन्धन विभाग

- जनपदों के द्विवार्षिक मूल्यांकन के स्थान पर वार्षिक मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण दिनांक 01–08–2014 से प्रभावी किया गया जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी सर्किल रेट का पुनरीक्षण किया गया।

आबकारी विभाग

- देशी शराब की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रतिफल फीस आदि में वृद्धि की गयी।
- विदेशी शराब एव बीयर की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रतिफल फीस, लेबिल अनुमोदन फीस आदि में वृद्धि की गयी।
- सभी श्रेणियों के बार अनुज्ञापनों एवं माडल शाप्स की लाइसेंस फीस में वृद्धि।

मनोरंजन कर विभाग

- घाटे में चल रहे सिनेमा को रिमॉडल कर व्यवसायिक गतिविधियों से युक्त एकल/मल्टीप्लेक्स छविगृह बनाने पर प्रोत्साहन, नये एकल निर्माण हेतु छविगृह में अनुदान तथा बन्द सिनमा घरों को पुनः संचालित कराने हेतु योजना लागू की गयी।
- प्रदेश में आयोजित होने वाले अर्न्तराष्ट्रीय टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच, टी–20 मैच एवं आई.पी.एल. के टी–20 मैच पर मनोरंजन कर के उदग्रहण हेतु कर लगाया गया।
- 58 जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माता को प्रोत्साहित करने तथा संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना लागू की गयी।

भूतत्व एवं खनिकर्म

- खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु खनन पट्टों के विवरण एवं परिवहन प्रपत्रों का आनलाइन प्रबन्धन किया गया जिससे करापवंचन पर अंकुश लगाया जा सका।

राज्य के स्वयं का कर राजस्व में, वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम तिमाही तक मुख्य भागीदारी मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) की रहा करती थी जो सामान्यतया राज्य के कुल स्वयं के कर राजस्व का लगभग 60 प्रतिशत होता था। माह जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली लागू होने के उपरान्त वैट का लगभग 70 प्रतिशत अंश जी.एस.टी. में समाहित हो गया है तथा शेष 30 प्रतिशत वैट पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान में जी.एस.टी. जुलाई माह से ही प्रभावी हुआ है जिस कारण जी.एस.टी. एवं वैट का अंश लगभग बराबर 30.1 प्रतिशत परिलक्षित हो रहा है परन्तु आगामी वर्षों में जी.एस.टी. का अंश वैट से अधिक होगा साथ ही मनोरंजन कर एवं पर्यटन कर जी.एस.टी. में समाहित हो गये हैं। कर प्राप्ति की अन्य दो महत्वपूर्ण मद 'स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क' तथा 'राज्य उत्पाद शुल्क' का अंश क्रमशः 13.3 प्रतिशत व 16.5 प्रतिशत है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व इन्हीं मदों से प्राप्त होने वाले कर पर ही मुख्यतः निर्भर रहता है।

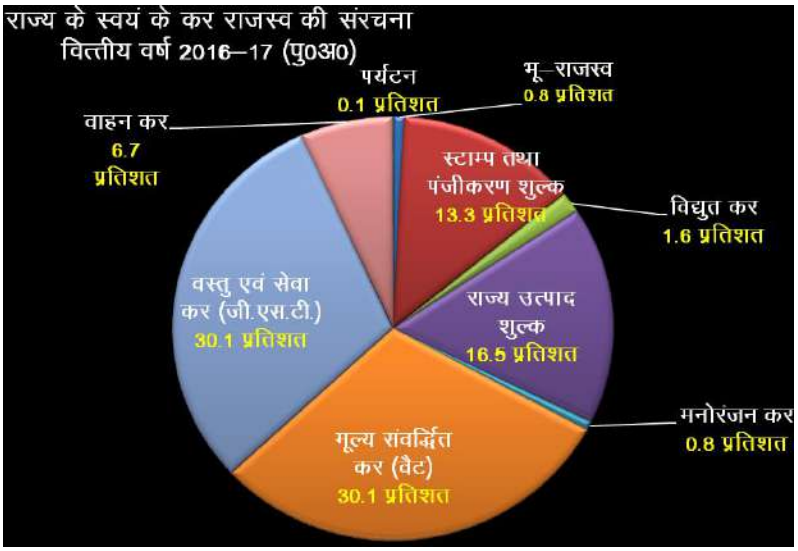

2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं– राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 की अवधि में राजस्व प्राप्ति तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को तालिका–3.02 में दिया गया है।

तालिका 3.02– राजस्व व्यय के मुख्य घटक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
1	2	3	4	5	6
2013–14	158146.87	61983.49	60756.28	25710.72	9696.38
2014–15	171027.33	64305.73	60905.78	34885.24	10930.58
2015–16	212735.95	72227.92	82486.46	47881.28	10140.29
2016–17	236592.26	88254.82	91861.12	45834.16	10642.16
2017–18 (पु0अ0)	286513.57	107367.01	95314.70	72253.71	11578.15

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला राजस्व व्यय विकासेत्तर व्यय की श्रेणी में आता है। ग्राफ को देखने से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 में राजस्व व्यय का विकासात्मक कार्यों में किया जाने वाला अंश 54.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 61.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया यद्यपि वर्ष 2017–18 में इसके घटकर 58.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

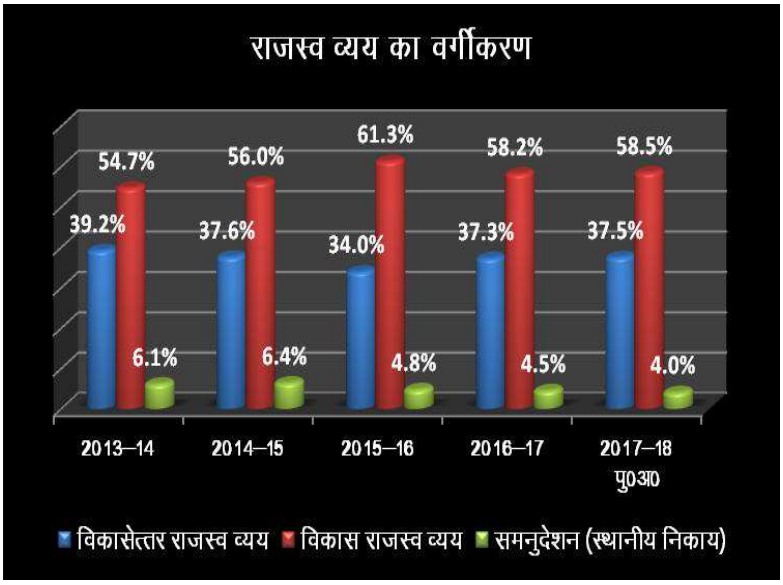

3 वेतन, पेंशन, ब्याज

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण तालिका–3.03 में दिया गया है।

तालिका–3.03– वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय

(रू0 करोड़ में)

	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+पेंशन+ब्याज
1	2	3	4	5
2013-14	54,363.41	19,521.21	17,412.44	91,297.06
2014-15	61,557.74	22,304.61	18,864.44	1,02,726.79
2015-16	73,795.79	24,149.57	21,447.87	1,19,393.23
2016-17	84,591.85	28,226.94	26,935.67	1,39,754.46
2017-18 (पु०अ०)	85,919.61	37,338.99	30,277.74	1,53,536.34

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर होने वाले कुल व्यय का राज्य की राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय के साथ प्रतिशत ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार इन वचनबद्ध व्ययों को नियन्त्रण में रखने के सार्थक प्रयास कर रही है। वर्ष 2013–14 में यह राजस्व व्यय का 57.7 प्रतिशत था जो घट कर 2017–18 में 53.3 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है जबकि प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में वेतन एवं पेंशन का जनवरी, 2016 की प्रभावी तिथि से पुनरीक्षित भी किया जा चुका है। यह दर्शाता है कि राज्य के राजस्व की वृद्धि दर, वचनबद्ध व्यय की तुलना में काफी अधिक रही है जिस कारण प्रश्नगत अनुपात में गिरावट हो रही है।

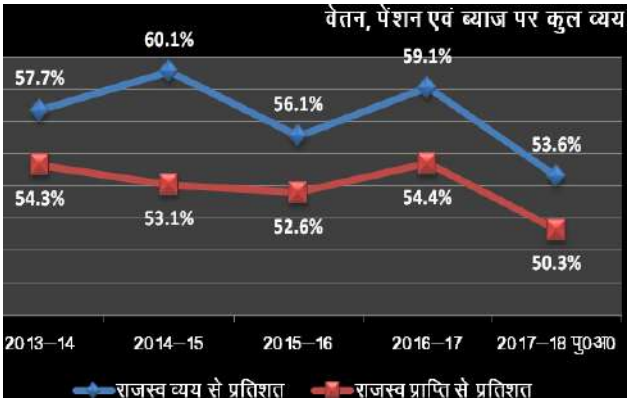

4 पूंजीगत परिव्यय

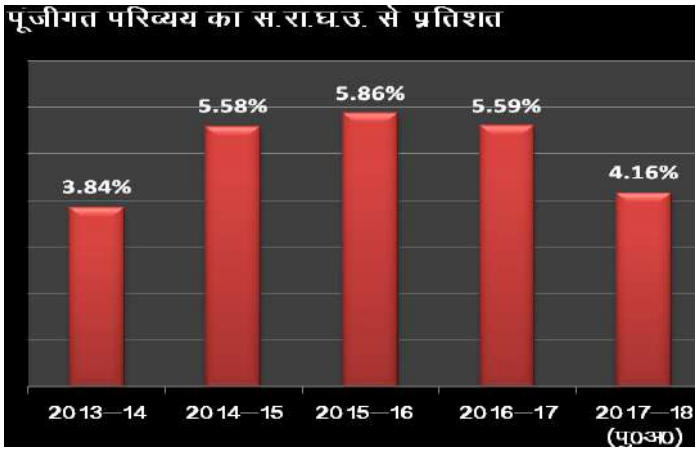

पूंजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है। यद्यपि पूंजीगत परिव्यय का कोई मानक निर्धारित नहीं है फिर भी यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा, राज्य के लिये बेहतर माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की वर्षों से चली आ रही ऋण की समस्या के दृष्टिगत व्यापक स्तर पर ऋण राहत के एक बड़े अंश का मोचन किया गया जिसके कारण पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2017–18 में 2016–17 की तुलना में कमी परिलक्षित हो रही है। राज्य सरकार का यह कदम वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है तथा इसका दीर्घकालीन अनुकूल प्रभाव प्रदेश की वृद्धि दर पर पड़ेगा।

5. ऋण का उपयोग

विकासशील व्यवस्था में ऋण का महत्वपूर्ण योगदान होता है परन्तु वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अर्थव्यवस्था को पंगु कर सकता है। प्रदेश की जनोपयोगी परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय माध्यमों से ऋण लिया जाता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिये ऋण लेना बुरा नहीं है बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये किया जाये। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2002–03 में लिये गये ऋण का मात्र 46 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय में उपयोग हुआ था जिसका अर्थ है कि ऋण के आधे से अधिक अंश का उपयोग पूंजीगत कार्यों में नहीं किया जा रहा था जो एक अव्यस्थित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है यद्यपि आगे के वर्षों में स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष 2013–14 से 2017–18 की अवधि में यह 100 प्रतिशत के स्तर से उपर है जिसका आशय है कि न सिर्फ शतप्रतिशत ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया गया बल्कि राजस्व बचत का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है।

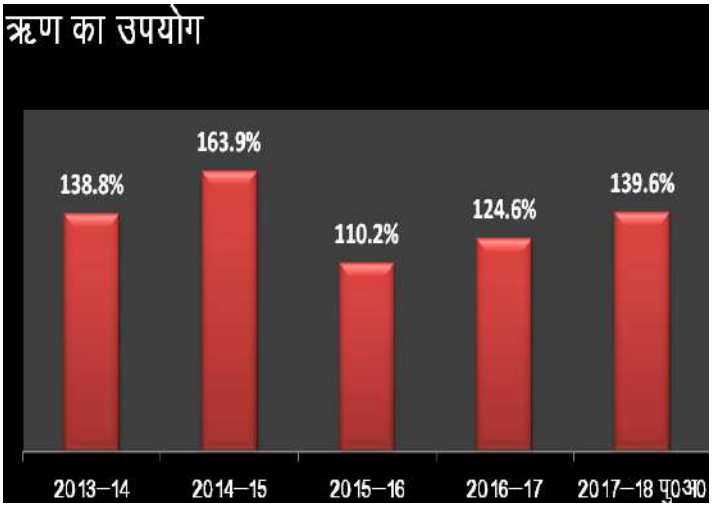

6. वित्तीय संकेतक

वर्ष 1998–99 में प्रदेश के विकास की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सभी संकेतक अत्यन्त विषम स्थिति को प्रदर्शित कर रहे थे परन्तु समय के साथ इन सभी संकेतको में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 1987–88 के पश्चात् लगातार 19 वर्ष तक राजस्व घाटा देखने के बाद वर्ष 2006–07 में राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति प्राप्त की जा सकी तथा तब से लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी हुयी है। इन वर्षों में राजकोषीय घाटे में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य के वित्तीय संकेतकों को तालिका–3.04 से समझा जा सकता है।

तालिका 3.04– राजकोषीय स्थिति के प्रमुख संकेतक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राजस्व अधिशेष	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा
2013-14	10,066.88	23,679.54	6,267.10
2014-15	22,394.28	32,513.17	13,648.72
2015-16	14,339.99	58475.01 *(28872.41)*	37027.14
2016-17	20282.89	*55988.53 (41187.24)*	29052.86
2017-18 (पु०अ०)	18515.30	41073.66	10795.92

कोष्ठक में दिये गये राजकोषीय घाटा में उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिये वर्ष 2015–16 में रू0 29602.60 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में रू0 14801.29 करोड़ के बाण्ड्स सम्मिलित हैं जिसे केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संगत वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।

7. राजस्व घाटा/अधिशेष

वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व अधिशेष की स्थिति को इसके बाद के वर्षों में भी लगातार बनाये रखा गया है, साथ ही यह प्रयास भी किया जाता रहा है कि राजस्व बचत के कुल आकार में भी वृद्धि की जाय।

8. राजकोषीय घाटा

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का स.रा.घ.उ. से प्रतिशत होता है। वर्ष 2013–14 में यह 2.77 प्रतिशत के स्तर पर था जिसके वर्ष 2017–18 में 2.98 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि 13वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 की अवधि के लिए 3.0 प्रतिशत की सीमा राज्य के लिए निर्धारित की गयी थी। आयोग की संस्तुति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्षों में राजकोषीय घाटे को निर्धारित 3 प्रतिशत के स्तर से नीचे बनाये रखे जाने का प्रयास किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुति लागू हो गयी तथा पुनः 3 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी परन्तु दो शर्तों यथा ऋण/स.रा. घ.उ. के 25 प्रतिशत से कम होने तथा ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से कम होने पर आगामी वर्ष में क्रमशः 0.25–0.25 प्रतिशत की लोचनीयता भी प्रदान की गयी अर्थात दोनों शर्त पूर्ण करने की स्थिति में राज्य अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की सीमा तक जा सकते हैं। यहॉ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 में राज्य की ब्याज अदायगी सम्बन्धी शर्त पूर्ण होने के कारण राज्य को वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3.25 प्रतिशत की सीमा अनुमन्य थी। ग्राफ में उल्लिखित राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उज्जवल डिस्काम एश्योरेन्स योजना 'उदय' के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के भार को शामिल न करते हुये राजकोषीय घाटे का आगणन किया गया है।

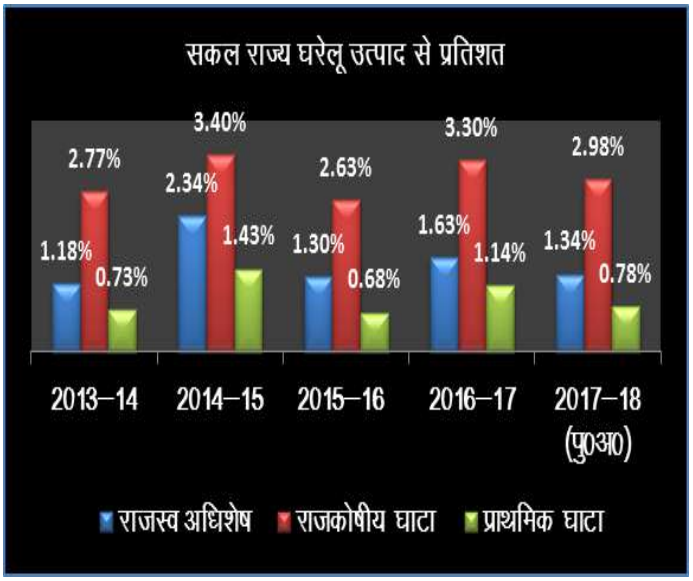

9. प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे की राशि में से ब्याज अदायगियों का कुल व्यय भार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा दर्शाती है। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2017–18 में लगभग 0. 78 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है।

10. राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेकों कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। जैसा पूर्व में भी कहा गया है कि लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत विकासात्मक एवं पूंजीगत निवेश जैसे कार्यों हेतु ऋण लिया जाना पूर्णतया उचित है। स्पष्ट है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास हेतु ऋण लिया जाना अपरिहार्य है परन्तु ऋण का उचित प्रबन्धन अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसके अभाव में पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है तथा राज्य ऋण जाल में फंस सकता है।

तालिका 3.05– राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियां	अन्य*	कुल ऋणग्रस्तता
2013-14	89,157.44	59,119.36	44,297.81	49,111.26	2,41,685.87
2014-15	1,02,666.91	65,444.26	45,480.38	53,229.14	2,66,820.69
2015-16	1,27,967.87	69,782.94	47,014.66	79,170.19	3,23,935.66
2016-17	1,64,872.26	65,251.36	48733.64	94,560.07	3,73,417.33
2017-18 (पु०अ०)	2,01,450.26	60,608.32	50962.89	93,452.84	4,06,474.31

*अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, पॉवर बाण्ड्स, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेकों स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को तालिका–6.01 से समझा जा सकता है जिसके अनुसार वर्ष 2016–17 तक कुल ऋणग्रस्तता रू0 3,73,417.33 करोड़ तक पहुंच गयी है तथा वर्ष 2017–18 के अन्त तक इसके रू0 4,06,474.31 करोड़ तक होने का अनुमान है।

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की कुल ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है परन्तु किसी भी राज्य की ऋणग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋणग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य के ऋणग्रस्तता का सही आंकलन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिये कुल ऋणग्रस्तता एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है। यदि राज्य अथवा संघ अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर हैं तो राज्य की ऋण स्थिति नियन्त्रित मानी जाती है। 13वें वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में 'उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004' में समय–समय पर संशोधन कर राज्य का ऋण प्रतिशत निर्धारित किया गया है तथा ग्राफ को देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का ऋण/स.

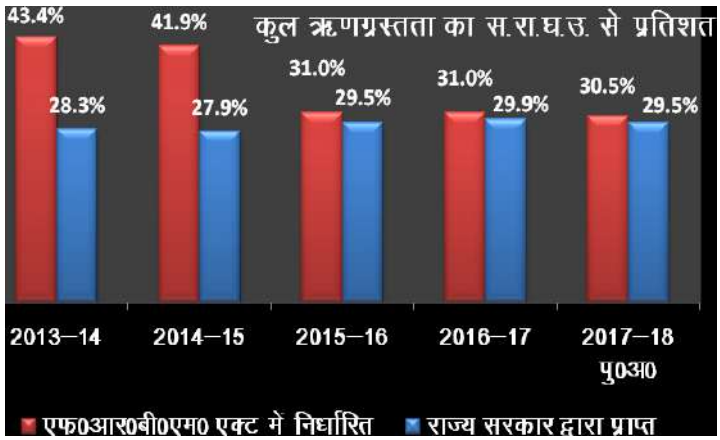

रा.घ.उ. अनुपात, अधिनियम में निर्धारित अनुपात से प्रत्येक वर्ष कम रहा है जो इस तथ्य का द्योतक है कि राज्य के सकल ऋण उत्तरदायित्व की स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है।

11.ऋण के स्रोत

राज्य की ऋण की संरचना में सर्वाधिक अंश बाजार ऋण का है। वर्ष 2017–18 तक के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल ऋणग्रस्तता का लगभग आधा हिस्सा अर्थात 50 प्रतिशत अंश बाजार ऋण से ही प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से लिया गया ऋण लगभग 15 प्रतिशत है जिसमें 14वें वित्त आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में एन.एस. एस.एफ. से राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रक्रिया समाप्त होने से इसमें लगातार कमी हो रही है। भविष्य एवं पेंशन निधियॉ भी राज्य के ऋण में समुचित योगदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 से 12वें वित्त आयोग की अवधि लागू होने पर आयोग द्वारा बाजार ऋण को अधिक महत्ता देते हुये केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण को हतोत्साहित किया गया जिसके उपरान्त यह लगातार घटते हुये अब मात्र 3 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। विदित है कि राज्यों को भिन्न–भिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले ऋण की अदायगी की अवधि एवं ब्याज दर, ऋण की शर्तों के अनुसार अलग–अलग होते हैं।

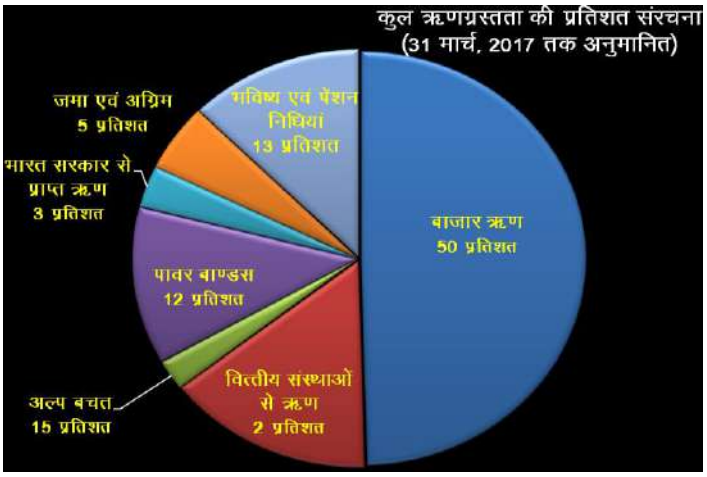

12. ऋण सीमा एवं ऋण सेवा

13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की ऋण सीमा अवार्ड अवधि 2010–15 हेतु निर्धारित की गयी थी जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्यों की मौद्रिक रूप में ऋण सीमा निर्धारित की जाती है तथा राज्यों का यह दायित्व है कि इस ऋण सीमा के अन्दर ही ऋण लिया जाये। 14वें वित्त आयोग द्वारा भी 3 प्रतिशत ऋण सीमा लागू की गयी है यद्यपि राज्यों में 0.25–0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त लोचनीयता प्रदान की गयी है यदि उनका ऋण–जीएसडीपी अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम है अथवा ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्ति का अनुपात 10 प्रतिशत से कम है। यह लोचनीयता अलग–अलग अथवा एक साथ राज्यों को प्राप्त हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विगत कई वर्षों से निर्धारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा है।

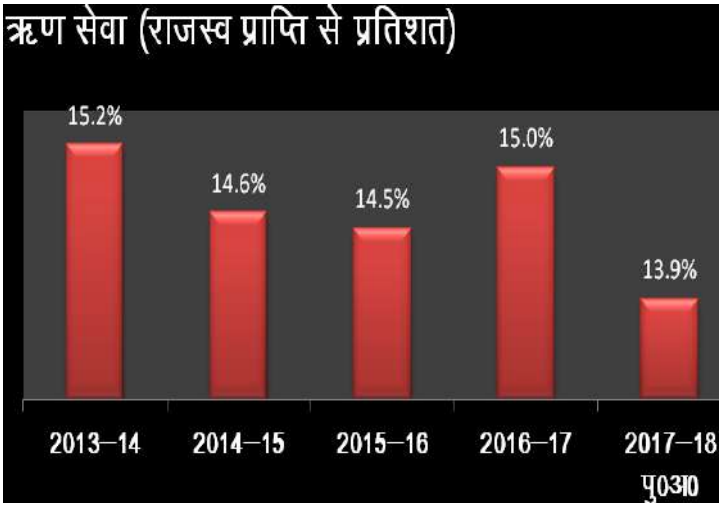

राज्य सरकार की ऋण सेवा के दो घटक हैं, ऋणों का प्रतिसंदाय एवं ब्याज अदायगी जिसमें विगत वर्षों में लगातार कमी हुयी है। एक दशक पूर्व ऋण सेवा का राजस्व प्राप्ति से अनुपात लगभग 27 प्रतिशत था जो वर्ष 2013–14 तक घटते हुये 15.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। इसके उपरान्त भी ऋण सेवा में लगातार कमी जारी रही है तथा वर्ष 2015–16 में यह

14.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गया एवं वर्ष 2017–18 तक इसके और भी घटकर 13.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यहॉ उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आंकड़ों में अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि सम्मिलित नहीं की गयी है।

13. विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में विकासोपयोगी योजनाओं एवं किसानों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों को वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु फसली ऋणों में एक लाख तक ऋण मुक्ति प्रदान की गयी। इसके व्यय भार के बावजूद विकासात्मक गतिविधियों से समझौता किये बिना वित्तीय अनुशासन से एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित राजकोषीय घाटा तथा कुल ऋणग्रस्तता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निर्धारित अनुपात को भी नियन्त्रण में बनाये रखा गया। राज्य में 'इन्वेस्टर समिट' जैसे सफल आयोजन किये गये जिससे प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बना है इससे रोजगार सृजन के भी व्यापक अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से राज्य वंचित वर्ग के उत्थान के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है।

प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं की स्थिति

1–प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

प्रदेश में मार्च, 2018 तक कुल 18320 बैंक शाखायें कार्यरत हैं जिनके माध्यम से बैंकिंग सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में मार्च, 2018 तक कुल कार्यरत बैंक शाखाओं का विवरण निम्नवत् हैं :–

तालिका 3.06

क्र0सं0	बैंक का प्रकार	बैंक शाखाओं की संख्या
1	सावर्जनिक बैंक	11183
2	निजी बैंक	1250
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4303
4	सहकारी बैंक	1584
	कुल	**18320**

2–बैंक शाखा प्रसार कार्यक्रम

प्रदेश को सुगम बैंकिंग सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मार्च, 2018 तक प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की 16736 शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 25000 गांवों में बैंक शाखायें खोले जाने के निर्णय के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिये बैंको के साथ निरन्तर फालोअप किया जा रहा है। संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0 से प्राप्त सूचनानुसार योजना के प्रथम चरण में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले चयनित 571 ग्रामों में बैक शाखा/बैंकिंग आउटलेट स्थापित किये जा चुके हैं।

योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 5000 से अधिक जनसंख्या वाले 1643 बैंक रहित केन्द्रों पर बैंक शाखा/बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने हेतु एस0एल0बी0सी0 द्वारा समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को जनपद स्तर पर अनन्तिम रोडमैप तैयार करने हेतु सूची प्रेषित की गयी है। जनपद स्तर से डी0सी0सी0 के माध्यम से संस्तुत रोडमैप प्राप्त होने पर संयोजक, एसएलबीसी, बैंक आफ बड़ौदा द्वारा राज्य स्तर पर संकलित कर अन्तिम रोडमैप क्रियान्वयन हेतु तैयार किया जायेगा।

3–बैंकों की वार्षिक जमा

प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) में मार्च, 2018 तक रू0 916098.94 करोड़ की धनराशि जमा है।

4–वार्षिक ऋण योजना

प्रदेश के एक समान विकास की अवधारणा से कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में ऋण वितरण करने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रति वर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार करायी जाती है। वर्ष 2017–18 के दौरान वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रू0 200958.26 करोड़ के ऋण वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2018 तक रू0 167611 करोड़ (83 प्रतिशत) का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया है।

वर्ष 2018–19 हेतु वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत रू0 229656.38 करोड़ का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की शत्–प्रतिशत पूर्ति हेतु बैंकों से सघन अनुसरण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

5–ऋण प्रवाह की स्थिति

प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) द्वारा मार्च, 2018 तक रू0 487610.36 करोड़ के ऋण बकाया थे। प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अवधि तक रू0 282558.20 करोड़ के ऋण बकाया थे जो वितरित कुल अग्रिम के साथ निर्धारित मानक 40 प्रतिशत से अधिक है।

6–प्रदेश में कम आय वर्ग के लिए सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं के वितरण हेतु कार्यान्वित योजनायें –

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाये गये वित्तीय समावेश कार्यक्रम/प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जून, 2018 तक लगभग 4.83 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसके सापेक्ष 3.82 करोड़ खातों को रूपे डेबिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं इनमें से 3.53 करोड़ खातों को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है।

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी0एम0एस0बी0वाई0) के अन्तर्गत समस्त बचत बैंक खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है, को वार्षिक प्रीमियम रू0 12 में रू0 2.00 लाख के दुर्घटना बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा जो विकलांगता की स्थिति में भी उपलब्ध होगा। योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2018 तक 1.22 करोड़ लोगों को पंजीकृत किया गया है।

(ग) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी0एम0जे0जे0बी0वाई0) के अन्तर्गत बैंक के बचत खाता धारकों जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में हैं, को रू0 2.00 लाख का जीवन बीमा वार्षिक प्रीमियम रू0 330/– पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2018 तक 48.68 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है।

(घ) अटल पेंशन योजना (ए0पी0वाई0) वृद्धावस्था में आय का स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है ताकि न्यूनतम 20 वर्ष का भुगतान करने पर 60 वर्ष की आयु से उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। योजनान्तर्गत 19 मई, 2018 तक 14.10 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है।

7.कृषि क्षेत्र में की गयी पहल

7.1–फसल ऋण मोचन योजना

- प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों का फसली ऋण मोचन किये जाने संबंधी शासनादेश दिनांक 24 जून, 2017 की व्यवस्था के अनुसार ''फसल ऋण मोचन योजना'' क्रियान्वित की जा रही है।

- योजनान्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 तक ऋण प्रदाता संस्थाओं से लिये गये फसल ऋण की धनराशि में से वर्ष 2016–17 में प्रति भुगतान की गयी धनराशि को घटाते हुए अवशेष धनराशि का रू0 1.00 लाख की सीमा तक ऋण मोचन का प्राविधान किया गया।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु एन0आई0सी0 द्वारा वेब पोर्टल (**एचटीटीपीः//यूपीकिसानकज राहत.यूपीएसडीसी.जीओवी.इन**) विकसित किया गया।
- फसल ऋण मोचन योजना में विभाग द्वारा जिला सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित प्रदेश के 74 बैंकों से उक्त पोर्टल पर कुल 66,06,980 कृषकों एवं एनपीए समाधान योजनान्तर्गत 13.37 लाख कृषकों का डिजिटली हस्ताक्षरित डाटा प्राप्त करते हुए कृषि विभाग को उपलब्ध कराया गया।
- योजनान्तर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु फसल ऋण खातों की भूलेख पोर्टल से शत–प्रतिशत मैपिंग करायी गयी तथा 48,07,645 फसल ऋण खातों को आधार से जोड़ा गया।
- योजनान्तर्गत पोर्टल पर शिकायत पंजीकरण का प्राविधान है, जिसके माध्यम से कृषकों द्वारा सीधे ऑन लाइन शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

7.2–मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

प्रदेश सरकार द्वारा समस्त कृषकों (राजस्व अभिलेखों/खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार) तथा किसी भी व्यवसाय/कार्य में लगे प्रदेश के ऐसे निवासी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू0 75,000/– से कम है तथा योजना की अवधि में आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य है को सामाजिक सुरक्षा का आवरण देने हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 2016 से ''मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना'' लागू की गयी है। योजनान्तर्गत परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक व्यक्ति को व्यक्तिगत दुर्घटना लाभ के अतिरिक्त उन्हें तथा उनके परिवार के समस्त सदस्यों को दुर्घटना के उपरान्त कैशलेस चिकित्सा का लाभ (सभी सरकारी एवं एम्पैनल्ड निजी चिकित्सालयों में) भी मिलेगा जिसके लिए बीमित व्यक्तियों को बीमा प्रीमियम भुगतान नही करना होगा। आच्छादित परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक (बीमा धारक) को दुर्घटना होने पर मृत्यु/स्थायी विकलांगता की दशा में अधिकतम रू0 5.00 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं मुखिया/रोटी अर्जक एवं परिवार के सदस्य की दुर्घटना के उपरान्त रू0 25,000/– तक प्राथमिक चिकित्सा सहित कुल रू0 2.50 लाख तक चिकित्सा लाभ तथा आवश्यकतानुसार रू0 1. 00 लाख तक के कृत्रिम अंग प्राप्त कर सकेगें। मुखिया/रोटी अर्जक की प्रदेश की सीमा के बाहर दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांग होने की दशा में भी लाभ मिलेगा। समस्त सरकारी चिकित्सालय, सरकारी मेडिकल कालेज तथा 30 बेड से अधिक के निजी चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज की सुविधा होगी। दुर्घटना होने पर फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय में रू0 25000 तक का प्राथमिक इलाज कराने की भी सुविधा होगी, चाहे वह चिकित्सालय योजना में पंजीकृत न हो।

योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 के दावों के सापेक्ष दिनांक 03 जुलाई, 2018 तक 16192 लाभार्थियों को कुल धनराशि रूपये 644 करोड़ उपलब्ध करायी गयी।

वर्ष 2017–18 के दावों के सापेक्ष दिनांक 03 जुलाई, 2018 तक 7877 लाभार्थियों को कुल धनराशि रूपये 256.92 करोड़ उपलब्ध करायी गयी ।

शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 2018 के अनुसार मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को राजस्व विभाग को स्थानान्तरित करते हुए राजस्व विभाग द्वारा संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7.3–किसान क्रेडिट कार्ड वितरण

किसानों को समय से कृषि कार्यों हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1999–2000 से उक्त योजना का संचालन बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के शेष पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा बैंकों के सहयोग से विशेष प्रयास किये गये। फलस्वरूप वर्ष 2017–18 में प्रदेश में 47 लाख किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य के सापेक्ष कुल 40 लाख (86:) किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश में कुल 3900141 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें 3600141 कार्ड का नवीनीकरण तथा 300000 नये कार्ड बनाया जाना सम्मिलित है। उक्त लक्ष्यों की समय से शत–प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु बैंकों से अनुश्रवण किया जा रहा है।

7.4–फसली ऋण योजना

- बैंकों की सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से आयोजित मेगा क्रेडिट कैम्पों के फलस्वरूप प्रदेश में फसली ऋण वितरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
- कृषि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार खरीफ 2017 में बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य रू0 41610.88 करोड़ के सापेक्ष रू0 23116 करोड़ का फसली ऋण वितरित किया गया जोकि निर्धारित लक्ष्य का लगभग 56% है तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रबी में रू0 62416.32 करोड़ के ऋण वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 31 मार्च, 2018 तक रू0 52716 करोड़ का फसली ऋण वितरित किया गया जोकि निर्धारित लक्ष्य का लगभग 84% है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में खरीफ हेतु रू0 47065.57 करोड़ तथा रबी हेतु रू0 70598. 36 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य बैंकों के माध्यम से प्रस्तावित है।

8–ग्राम स्वराज अभियान

- **प्रथम चरण (14 अप्रैल, 2018 से 05 मई, 2018 तक) –**भारत सरकार के निर्देशन में दिनांक 14.04.2018 से 05.05.2018 तक चलाये गये ''ग्राम स्वराज अभियान'' में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में पात्र सभी व्यक्तियों को आवृत्त किये जाने के निमित्त प्रदेश के 74 जनपदों में तीनों योजनाओं के अन्तर्गत संतृप्तीकरण का कार्य पूरा किया गया।
- **द्वितीय चरण (01 जून, 2018 से 15 अगस्त, 2018 तक) –** ग्राम स्वराज अभियान के द्वितीय चरण में पूर्व चयनित सम्भावनाशील 115 जनपदों में भारत सरकार द्वारा उक्त अभियान 01 जून, 2018 से 15 अगस्त, 2018 तक लागू किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 08 जनपद– चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, चन्दौली, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर के 5130 गांवों को संतृप्त किया जाना है।

****

अध्याय–4

कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा

कृषि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। सरकार का उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ–साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर लिए क्षेत्र विशेष हेतु उपर्युक्त विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कृषकों को रोजगार के नये अवसर सृजित करना है जिससे प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके जीवन–स्तर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से ऊपर उठाया जा सके।

कृषि विकास हेतु नवीन संकल्प–

- वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दो गुना करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करना, जिसमें ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, विपणन एवं कृषि विविधीकरण पर फोकस करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुँचाना।
- आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त तक सभी कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना।
- 50 लाख किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से लाभान्वित कराना।
- प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में गठित राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकृत कृषकों को मानक के अनुसार उनके उत्पादों का प्रमाणन कराना।
- वर्मी कम्पोस्ट तथा गोबर गैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विशेष अनुदान उपलब्ध कराना।
- कृषि उत्पादन की विकास दर प्रति वर्ष 5.1 प्रतिशत बनाये रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृषि की नवीन तकनीकी का प्रचार–प्रसार तथा कृषकों की कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी राज्य आय के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017–18 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल घरेलू मूल्य वर्धन 1271858.41 करोड़ रू० में कुल कृषीय फसलों का अंश 212354.04 करोड़ रू० था। वर्ष 2017–18 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन में कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन क्षेत्र का योगदान 25.7 प्रतिशत रहा जिसमें कृषीय फसलों का योगदान 16.7 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2016–17 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2017–18 में 6.5 प्रतिशत हो गयी है। इसी प्रकार फसलों की वृद्धि दर जो कि वर्ष 2016–17 में 7.2 प्रतिशत थी, वर्ष 2017–18 में 9.1 प्रतिशत हो गयी।

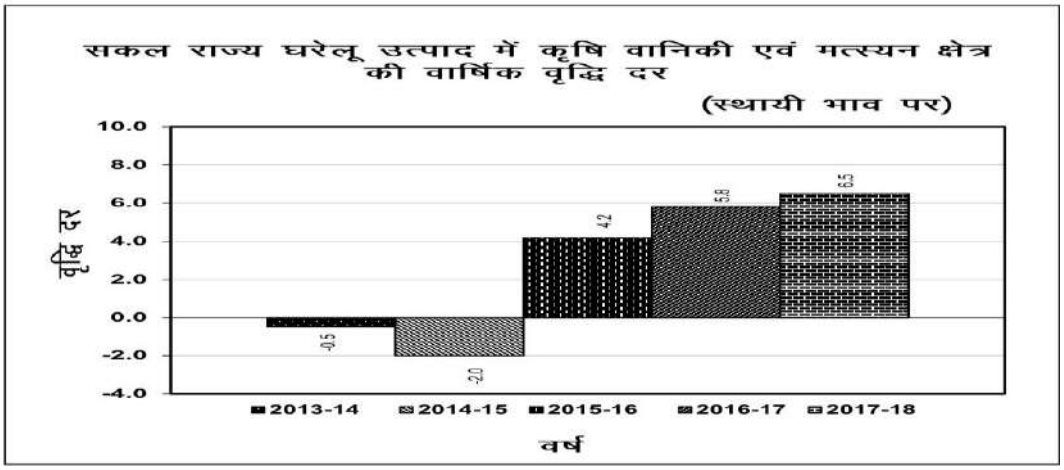

जोतों का आकार

कृषि गणना 2005–06 के आंकड़ों से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 78.0 था जोकि वर्ष 2010–11 में बढ़कर 79.5 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है। वर्ष 2010–11 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या 233.25 लाख है जिसमें से 215.68 लाख (92.5 प्रतिशत) कृषक लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं उनके पास प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्रफल का 64.8 प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल है अर्थात् प्रदेश के कृषि विकास का भविष्य प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है किन्तु इन कृषकों की जोतों का आकार छोटा है अतः गहन खेती को बढ़ावा देकर कृषि को लाभप्रद बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2005–06 एवं 2010–11 में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल तालिका–4.01 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.01

उत्तर प्रदेश में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल

आकार वर्ग (हेक्टे0में)	2005–06		2010–11	
	क्रियात्मक जोतों की सं0 (हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0 में)	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0में)
1	2	3	4	5
1.0से कम	17507.1 (78.0)	6971.6 (38.9)	18532.3 (79.5)	7170.8 (40.7)
1.0–2.0	3103.1 (13.8)	4340.9 (24.2)	3035.3 (13.0)	4243.3 (24.1)
2.0–4.0	1391.6 (6.2)	3795.6 (21.2)	1334.3 (5.7)	3628.9 (20.6)
4.0–10.0	427.9 (1.9)	2374.2 (13.3)	398.3 (1.7)	2198.8 (12.5)
10.0 और अधिक	27.9 (0.1)	423.6 (2.4)	25.3 (0.1)	379.8 (2.1)
योग	**22457.6 (100.0)**	**17905.9 (100.0)**	**23325.5 (100.0)**	**17621.6 (100.0)**

स्रोतः राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

नोटः–कोष्ठक में दी गयी सूचनायें प्रतिशत वितरण से सम्बंधित हैं।

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। वर्ष 2001 एवं 2011 की भारतीय जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण तालिका–4.02 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.02

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत वितरण

मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
		2001	2011	2001	2011
1	2	3	4	5	6
1– कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2– कृषि श्रमिक	,,	134.01	199.39	24.8	30.3
3– पारिवारिक उद्योग	,,	30.31	38.99	5.6	5.9
4– अन्य	,,	153.84	229.19	28.5	34.8
योग		539.84	658.15	100.0	100.0

तालिका में दो जनगणना वर्षों के आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि कृषकों की संख्या घट रही है तथा कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

प्रदेश में वर्ष 2013–14 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165.46 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2014–15 में 0.31 प्रतिशत बढ़कर 165.98 लाख हेक्टेयर हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षो में भूमि उपयोग के आंकड़े तालिका–4.03 में दर्शाये गये हैं:–

तालिका–4.03

उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग के आंकड़े

(हजार हेक्टेयर में)

मद	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1	2	3	4	5
1.कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	24170	24170	24170	24170
2. वन	1656	1658	1658	1659
3.ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	457	479	464	462
4. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	2893	2893	3027	3046
5. कृष्य बेकार भूमि	420	423	410	405
6. स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	66	66	65	65
7.अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि	350	350	325	305
8. वर्तमान परती	1173	1201	1135	1122
9. अन्य परती	533	537	539	509
10. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	**16623**	**16564**	**16546**	**16598**
11. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	9105	9257	9350	9549
12.कुल बोया गया क्षेत्रफल	**25728**	**25821**	**25896**	**26147**

उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग वर्ष 2014–15

(हजार हेक्टेयर में)

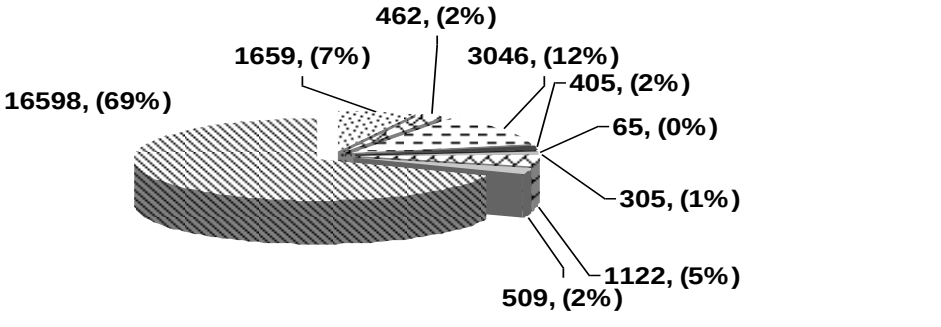

प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों का क्षेत्रफल की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है :–

तालिका–4.04

प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों का क्षेत्रफल

क्र0 सं0	वर्गीकरण	कृषक परिवार (लाख)	क्षेत्रफल (लाख हे0 में)	क्षेत्रफल प्रति परिवार (हे0)
01	सीमान्त कृषक	185.32	71.71	0.39
क– ख–	सीमान्त कृषक(0.5 हे0 से कम) सीमान्त कृषक(0.5 हे0–0.1 हे0 से कम)	135.70 49.62	36.99 34.72	
02	लघु कृषक (01 हे0 से 02 हे0 तक) लघु एवं सीमान्त कृषक (02 हे0 तक)	30.35 215.68	42.43 114.13	0.27
03	अन्य कृषक (02 हे0 व उससे अधिक)	17.58	62.08	3.53
कुल योग		**233.25**	**176.22**	**0.76**

गत अट्ठारह वर्षो (2000–01 से 2017–18 तक) में फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् रही है–

तालिका–4.05

प्रदेश में फसलों के अन्तर्गत आच्छादन,उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति

फसल	आच्छादन (लाख हे0 में)					
	2000–01	अधिकतम		न्यूनतम		2017–18
		वर्ष	आच्छादन	वर्ष	आच्छादन	
चावल	59.04	2014–15	61.09	2002–03	52.09	58.98
गेहूँ	92.39	2014–15	100.47	2002–03	91.64	97.53
धान्य फसलें	176.16	2014–15	181.74	2002–03	165.23	176.49
दलहन फसलें	26.92	2004–05	28.17	2015–16	18.81	22.62
खाद्यान्न फसलें	203.08	2016–17	204.61	2002–03	191.66	199.11
तिलहन	8.92	2015–16	12.91	2003–04	7.70	10.87
फसल	उत्पादन (लाख मी0टन में)					
	2000–01	**अधिकतम**		**न्यूनतम**		**2017–18**
		वर्ष	**उत्पादन**	**वर्ष**	**उत्पादन**	
चावल	**116.72**	**2017–18**	**154.42**	**2002–03**	**95.87**	**154.42**
गेहूँ	**251.68**	**2017–18**	**356.47**	**2014–15**	**203.65**	**356.47**
धान्य	**405.76**	**2017–18**	**551.87**	**2014–15**	**360.97**	**551.83**
दलहन	**21.61**	**2003–04**	**24.48**	**2015–16**	**11.12**	**22.01**
खाद्यान्न	**427.37**	**2017–18**	**573.84**	**2014–15**	**382.79**	**573.84**
तिलहन	**7.10**	**2010–11**	**13.91**	**2000–01**	**7.10**	**13.62**
फसल	उत्पादकता (कु0/हे0)					
	2000–01	**अधिकतम**		**न्यूनतम**		**2017–18**
			वर्ष	**उत्पादकता**	**वर्ष**	**उत्पादकता**
धान	**19.77**	**2017–18**	**26.18**	**2004–05**	**18.11**	**26.18**
गेहूँ	**27.24**	**2017–18**	**36.42**	**2014–15**	**20.27**	**36.55**
धान्य	**23.03**	**2017–18**	**31.27**	**2014–15**	**20.77**	**31.27**
दलहन	**8.03**	**2012–13**	**9.97**	**2014–15**	**5.25**	**9.73**
खाद्यान्न	**21.04**	**2017–18**	**28.82**	**2014–15**	**19.05**	**28.82**
तिलहन	**8.25**	**2017–18**	**10.54**	**2014–15**	**5.83**	**10.54**

तालिका 4.05 से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का कुल आच्छादन वर्ष 2000–2001 में 176.16 लाख हे0 था जो वर्ष 2017–18 में बढ़ कर 176.49 लाख हे0 हो गया। दलहनी फसलों का आच्छादन वर्ष 2000–2001 के 26.92 लाख हे0 से घटकर वर्ष 2017–18 में 22.62 लाख हे0 हो गया जबकि तिलहन के अन्तर्गत आच्छादन 8.92 से बढ़कर 10.87 लाख हे0 हो गया।

इन फसलों के उत्पादन की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का उत्पादन वर्ष 2000–01 के 405.76 लाख मी0 टन से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 551.83 लाख मी0 टन हो गया। दलहन के औसत उत्पादन में वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2000–01 के 21.61 लाख मी0 टन से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 22.01 लाख मी0 टन हो गया। तिलहन के अन्तर्गत उत्पादन विगत अट्ठारह वर्षो में बढ़ा है। उत्पादकता की दृष्टि से धान्य फसलों, दलहन एवं तिलहन की प्रति हे0 उत्पादकता मे ंविगत अट्ठारह वर्षो में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। इस स्थिति को प्रमुख फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की रेखीय वृद्धि दर से भी समझा जा सकता है।

2000–01 से 2017–18 के बीच प्रमुख फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की रेखीय वृद्धि दर निम्नवत् रही है–

तालिका–4.06

प्रमुख फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की रेखीय वृद्धि दर

फसल	रेखीय वृद्धि दर (%)		
	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
धान	0.117	2.146	0.324
गेहूँ	0.425	4.657	0.361
धान्य फसलें	0.316	7.251	0.370
दलहन	–0.321	–0.31	–0.025
खाद्यान्न	0.006	6.941	0.347
तिलहन	0.236	0.110	0.005

वर्ष 2015–16 के उत्पादन के ऑकड़ों के आधार पर प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में भारत सरकार स्तर पर योगदान एवं इनके उत्पादन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आवण्टित राज्य निम्नानुसार है–

तालिका–4.07

उत्पादन (लाख मी0 टन में)

फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	योगदान प्रतिशत	श्रेणी	प्रथम तीन स्थान पर आवण्टित राज्य
चावल	124.34	1043.20	11.92	प्रथम	1.पश्चिम बंगाल 2.उत्तर प्रदेश 3.आन्ध्र प्रदेश
गेहूँ	268.74	935.00	28.74	प्रथम	1..उत्तर प्रदेश 2.मध्य प्रदेश 3. पंजाब
दलहन	11.12	164.70	6.75	छठवां	1.मध्य प्रदेश 2. राजस्थान 3. महाराष्ट्र
खाद्यान्न	439.47	2522.20	17.42	प्रथम	1.उत्तर प्रदेश 2.मध्य प्रदेश 3. पंजाब
तिलहन	8.47	253.00	3.35	आठवां	1.मध्य प्रदेश 2.राजस्थान 3. गुजरात

तालिका–4.08

उत्पादकता (कु0/हे0)

फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	श्रेणी	प्रथम तीन स्थान पर आवण्टित राज्य
चावल	21.30	24.04	10वॉ	1. पंजाब 2. तमिलनाडु 3. आन्ध्र प्रदेश
गेहूँ	27.78	30.93	6ठॉ	1. पंजाब 2. हरियाणा 3. राजस्थान
दलहन	5.91	6.52	8वॉ	1. झारखण्ड 2. गुजरात 3. मध्य प्रदेश
खाद्यान्न	22.71	20.56	6ठॉ	1. पंजाब 2. हरियाणा 3. तमिलनाडु
तिलहन	6.56	9.68	11वॉ	1.तमिलनाडु 2. हरियाणा 3. गुजरात

तालिका 4.07 एवं 4.08 से स्पष्ट है कि प्रदेश का गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है किन्तु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से पीछे है। वर्ष 2017–18 में उत्पादन, खपत व अधिशेष निम्नवत् रहा –

तालिका–4.09

उत्पादन, खपत व अधिशेष की स्थिति

फसल	उत्पादन (लाख मी0टन)	खपत (लाख मी0टन)	अधिक/कमी (लाख मी0टन)	आवश्यक (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	उपलब्धता (ग्राम/व्यक्ति/दिन)
चावल	**155.19**	**108.89**	**40.30**	**127.08**	**193.74**
गेहूँ	**356.47**	**250.11**	**106.36**	**293.27**	**445.03**
धान्य	**551.83**	**387.18**	**164.65**	**454.00**	**688.92**
दाल	**22.01**	**62.33**	**–40.32**	**85.00**	**27.48**
खाद्यान्न	**573.84**	**449.51**	**124.33**	**539.00**	**716.40**
तिलहन	**13.62**	**41.45**	**–27.83**	**19.18**	**5.75**

तालिका 4.09 से स्पष्ट है कि प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है किन्तु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से क्रमशः 67.7 प्रतिशत एवं 70.0 प्रतिशत कम है।

वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 में प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता निम्नवत् रही –

तालिका–4.10

प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता

(इकाई–आच्छादन–लाख हे0, उत्पादन– लाख मी0 टन एवं उत्पादकता– कु0/हे0)

क्र0सं0	फसल	2016–17			2017–18		
		आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
01	चावल	59.66	143.96	24.13	58.98	154.42	26.18
02	गेहूँ	98.85	349.71	35.38	97.53	356.47	36.55
03	धान्य फसलें	179.52	533.52	29.72	176.49	551.83	31.27
04	दलहन	25.09	23.94	9.54	22.62	22.01	9.73
05	खाद्यान्न फसलें	204.61	557.46	27.25	199.11	573.84	28.82
06	तिलहन	11.00	12.40	9.35	10.87	13.62	10.54

तालिका–4.11

गत वर्ष (2016–17) के सापेक्ष वर्तमान वर्ष (2017–18) में वृद्धि/कमी प्रतिशत में

क्र0सं0	फसल	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
01	धान	–1.14	+7.26	+8.49
02	गेहूँ	–1.34	+1.93	+3.30
03	धान्य फसलें	–1.69	+3.43	+5.21
04	दलहन	–9.84	-8.06	+1.99
05	खाद्यान्न फसलें	–2.69	+2.94	+5.76
06	तिलहन	–1.18	+9.83	+12.72

वर्षा की स्थिति

मौसम की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता का प्रभाव सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में पड़ता है। इससे फसलों का आच्छादन एवं उत्पादकता सबसे अधिक प्रभावित होती है और उत्पादन अपेक्षानुसार नहीं होता है। धान्य, दलहनी एवं तिलहनी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में लक्ष्य के अनुरूप न प्राप्त होने का कारण मुख्यतया इन वर्षो में प्राकृतिक आपदायें खरीफ में सूखा, रबी में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि तथा शीतलहर रही है।

वर्ष 2014–15 व 2015–16 में मानसून अवधि में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण रबी 2015–16 में भूमि में आवश्यक नमी की कमी रही, साथ ही जाड़े की वर्षा भी नगण्य रही। यद्यपि प्रदेश का 84 प्रतिशत शुद्ध कृषित क्षेत्रफल सिंचित है जिसके कारण रबी की फसलों की बुवाई लगभग लक्ष्य के अनुरूप की जा सकी किन्तु उनकी उत्पादकता एवं उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहा।

वर्ष 2016–17 में वर्षा की स्थिति सामान्य रही, परिणामतः खाद्यान्न के उत्पादन में रिकार्ड वार्षिक वृद्धि 26.8 % दर्ज की गयी। इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 557.46 लाख मी0टन रहा जो गत वर्ष से 117.99 लाख मी0 टन अधिक है।

वर्ष 2017–18 में भी वर्षा की स्थिति सामान्य रही, परिणामतः खाद्यान्न का उत्पादन पुनः अपने रिकार्ड स्थिति में रहा। इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 573.84 लाख मी0टन रहा जो वर्ष 2016–17 की तुलना में 16.38 लाख मी0टन अधिक है।

तालिका–4.12

खरीफ (मानसून अवधि, जून, से सितम्बर तक)

(वर्षा – मिमी0 में)

	खरीफ 2016		खरीफ 2017		खरीफ 2018	
सामान्य वर्षा	वास्तविक वर्षा	सामान्य से प्रतिशत	वास्तविक वर्षा	सामान्य से प्रतिशत	वास्तविक वर्षा	सामान्य से प्रतिशत
95.6	69.2	72.8	61.2	64.5	35.8	37.6
280.9	322.2	114.7	252.4	89.9	292.8	104.2
275.6	195.9	71.1	161.4	58.6	275.3	99.9
178.3	105.2	59.0	110.5	62.0	138.3	77.6
829.8	692.4	83.4	585.6	70.6	742.2	88.4

खरीफ 2018 में कृषि की स्थिति :–

खरीफ 2018 में मानसून अवधि में वर्षा सामान्य रही। मानसून अवधि में सामान्य वर्षा का 83. 4 प्रतिशत वर्षा प्राप्त हुई। फसलों का आच्छादन लक्ष्य के अनुरूप रहा। फसलों की स्थिति अच्छी है। उत्पादन एवं उत्पादकता गत वर्ष के सापेक्ष अच्छी रहने की सम्भावना है। खरीफ 2018 का आच्छादन, लक्ष्य एवं पूर्ति की स्थिति निम्नवत् है :–

तालिका–4.13

खरीफ 2018 का आच्छादन, लक्ष्य एवं पूर्ति

फसल	लक्ष्य	पूर्ति (*)	आच्छादन – लाख हे0 में पूर्ति %
धान	59.89	59.78	99.9
ज्वार	1.99	1.96	98.7
बाजरा	9.40	9.37	99.7
मक्का	7.35	7.35	100.0
उर्द	6.90	6.88	99.7
अरहर	3.54	3.46	97.9
तिल	3.24	3.32	102.4
मूँगफली	1.03	1.09	105.8

*पूर्ति के ऑकड़ें tentative हैं, ऑकड़ें परिवर्तनीय हैं।

उर्वरक

कृषि उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 में 42.61 लाख मी0 टन रासायनिक उर्वरकों का उपभोग किया गया जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर 46.55 लाख मी0 टन हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों की खपत का विवरण तालिका–4.14 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.14

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की खपत

(हजार मी0 टन में)

मद	नाइट्रोजन(एन0)	फास्फेट(पी0)	पोटाश(के0)	योग
1	2	3	4	5
2011–12	3067	1024	167	4258
2012–13	3352	1166	133	4651
2013–14	2972	765	105	3842
2014–15	3169	915	187	4272
2015–16	2930	1098	202	4230
2016–17	2890	1134	238	4261
2017–18	3224	1192	239	4655

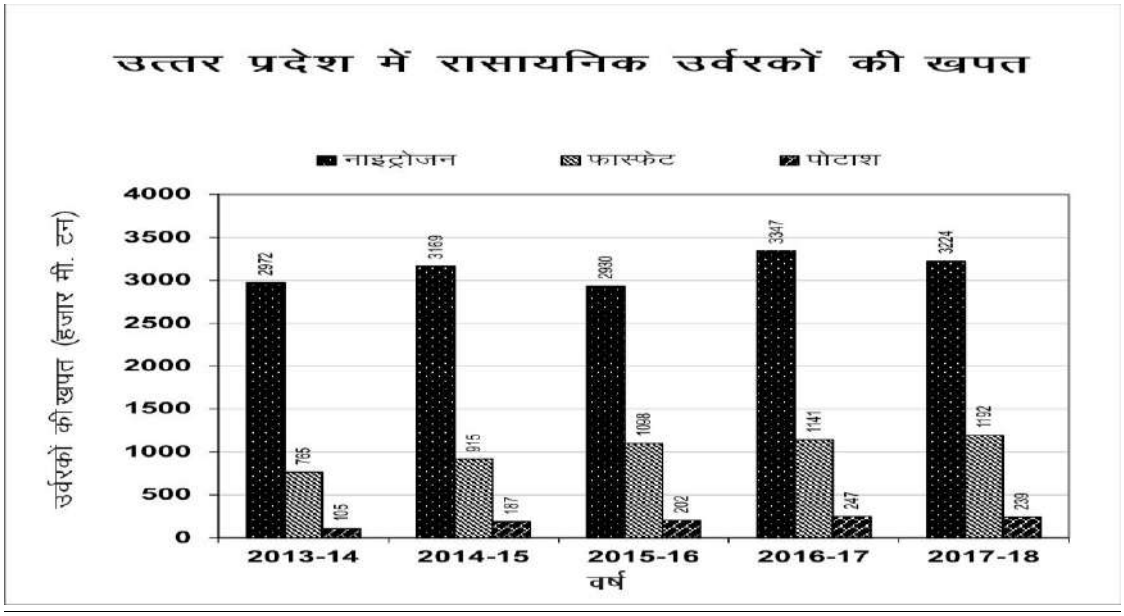

बीज वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ–साथ इनका ससमय वितरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में 6310.0 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 4812.80 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया वहीं वर्ष 2016–17 में 5553.00 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5093.59 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। वर्ष 2017–18 में 5614.08 हजार कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य के सापेक्ष 5468.17 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। वर्ष 2018–19 में 5622.17 हजार कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है।

प्रदेश में कृषि विकास हेतु संचालित योजना एवं उनकी प्रगति

प्रदेश में कृषि के विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, नेशनल मिशन ऑन आयलसीड एवं नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी, नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स, सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही है।

गत वर्ष में किये गये प्रमुख कार्यो का संक्षिप्त विवरण–

- वर्ष 2017–18 में कुल 54.68 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है। जिसमें खरीफ 2017 में 7.97 लाख कुन्तल एवं रबी में 46.71 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया।
- वर्ष 2017–18 में कुल 88.82 लाख मी0टन उर्वरकों के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष खरीफ 2017 में 42.29 लाख मी0टन एवं रबी 2017–18 में 43.04 लाख मी0टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2018–19 में उर्वरक वितरण का 70.25 लाख मी0टन का लक्ष्य रखा गया है। वॉछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए नत्रजन के साथ–साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया गया। इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है।
- वर्ष 2017–18 में कुल 104027.19 करोड़ रु0 फसली ऋण वितरण का लक्ष्य है जिसमें खरीफ में रु0 25420.43 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया एवं रबी के अन्तर्गत रु0 52716. 24 करोड़ एवं कुल रु0 78136.67 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया, जो लक्ष्य का

75.11 प्रतिशत है। वर्ष 2018–19 में कुल रु0 117663.94 करोड़ का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

- वर्ष 2017–18 में 47.02 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष तक 40.22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। वर्ष 2018–19 में कुल 39.00 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित हैं।

- **<u>लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान–</u>**
प्रदेश के लगभग 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक लिये गये फसली ऋण के सापेक्ष दिनांक 31.03.2017 तक की अवशेष राशि में से रू0 एक लाख तक की अदायगी राज्य सरकार द्वारा किये जाने की व्यवस्था हेतु कुल रू0 36000.00 करोड़ का बजट प्राविधान कराया गया। योजना का उद्देश्य कृषकों के कन्धे के ऊपर बकाया बोझ को उतारने के साथ–साथ उनकी साख को बढ़ाकर उन्हे भविष्य में बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद करते हुए साहूकारों के दुश्चक्र से भी बचाना है। जनवरी, 2018 तक कुल 3394162 अर्ह कृषकों के बैंक खातों में कुल रू0 20585.70 करोड़ की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।

- कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट होती जा रही है। इस समस्या के स्थायी निदान के उपाय स्वरूप जनपद/तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके इसके माध्यम से कृषकों के खेतों की मिट्टी की जाँच करने के उपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की निरन्तर व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। वर्ष 2015–16 से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन0एम0एस0ए0) के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 1889021 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराये गये।

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनायें तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन क्षमता एवं उसके वास्तविक उपज के अन्तर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजनान्तर्गत पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, गन्ना, डास्प, रेशम, कृषि शोध इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रदेश की आवश्यकतानुसार संचालित किया जा रहा है।

- **पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति** के विस्तार की उप योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोषित) वर्ष 2010–11 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाना है।

- **<u>नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपाम–</u>** इस योजना के संचालन का मुख्य उद्देश्य तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा प्रदेश को खाद्यान्न तेलों में आत्मनिर्भर बनाने का सतत् प्रयास करना है।

- **<u>नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन–</u>** प्रदेश में गेहूँ, चावल एवं दलहन के उत्पादन की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलायी जा रही है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से जूट, कपास एवं गन्ना जैसी व्यवसायिक फसलों को भी सम्मिलित किया गया है।

- **<u>नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी–</u>** इस योजनान्तर्गत चार सब मिशन यथा– **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल एवं स्ट्रेन्थनिंग एण्ड**

मार्डनाइजेशन आफ पेस्ट मैनेजमेन्ट एप्रोच, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर भी इस मिशन से संचालित किये जा रहे है। ।

- **नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर–**नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य घटक है :

अ– रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (आर0ए0डी0)

ब– मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एस0एच0एम0)

1– स्वायल हेल्थ

2– स्वायल हेल्थ कार्ड

स– परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई0)

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–** भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2016–17 से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना खरीफ एवं रबी की अधिसूचित फसलों को दैवीय आपदा के विरूद्ध बीमा प्रदान करने, कृषि में नयी तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देना, फसली ऋण के प्रभाव को बनाये रखने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना– प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसलों के नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों में चयनित औधानिक फसलों–केला एवं मिर्च फसल को अधिसूचित करते हुए योजना संचालित की जा रही है।

तालिका–4.15

फसल बीमा योजना की प्रगति

क्र0सं0	विवरण	इकाई	वर्ष		
			2017-18		
			PMFBY+WBCIS		
			खरीफ	रबी	कुल
1	बीमित कृषक	लाख में	25.71	28.09	53.80
2	आच्छादित क्षेत्र	लाख हे0 में	23.79	23.04	46.83
3	बीमित धनराशि	करोड़ रू0 में	9250.78	11458.96	20709.74
4	**प्रीमियम**	करोड़ रू0 में			
	कृषक		186.48	196.16	382.64
	राज्य		259.66	240.17	499.83
	केन्द्र		259.66	240.17	499.83
	कुल		**705.80**	**676.50**	**1382.30**
5	लाभान्वित कृषक		**3.90**	**1.74**	**5.64**
6	क्षतिपूर्ति का दावा	करोड़ रू0 में	**236.46**	**116.58**	**353.04**

- **इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स–** भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूर्व में संचालित इम्प्रूवमेन्ट आफ एग्रीकल्चर स्टेटिसटिक्स स्कीम के अन्तर्गत टी0आर0एस0 एवं आई0सी0एस0 योजना का संचालन किया जा रहा था। उक्त दोनों योजनाओं को इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स में संविलीन कर संचालित किया जा रहा है।

- **प्रमाणित बीजों पर अनुदान सम्बन्धी योजना**– इस योजना के माध्यम से कृषकों को खरीफ एवं रबी फसलों की गुणवत्ता युक्त बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वहन किया जाता है।

- **संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना–** देश एवं प्रदेश की खाद्य सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन को प्राप्त करने के साथ–साथ प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषकों के आय में वृद्धि को लक्षित करते हुए प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से अधिक उपज देने वाली हाईब्रिड बीजों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करा रही है।

- **सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना–** वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ–साथ पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

- **कृषि प्रशिक्षित उद्यमी स्वावलम्बन (एग्री जंक्शन) योजना–** कृषि स्नातकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए किसानों को उनके फसल उत्पादों एवं कृषि निवेशों के लिए कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधाएं ''वन स्टाप शॉप'' के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करायी जा रही है।

- **विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना–** रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से हो रहे दुष्प्रभावों को कम करने हेतु चलायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत बायो एजेन्ट्स, बायो पेस्टीसाइड्स एवं एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन जैसी तकनीकों के प्रयोग से कीट/रोग नियंत्रण किये जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- **कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अन्तर्गत पारदर्शी किसान सेवा योजना/डी0बी0टी0 योजना–** किसान पारदर्शी योजना के अन्तर्गत कृषि निवेश प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकृत कृषकों को ही विभाग द्वारा अनुदान एवं अन्य सुविधा देय है। डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे अनुदान की धनराशि नकद स्थानान्तरित करने के पश्चात लाभ प्राप्त करने वाले कृषक के खाते में तीन दिन के अन्दर धनराशि कोषागार/बैंक से अन्तरित किया जा रहा है।

- **भूमि संरक्षण मद के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं संचालित की जा रही है जो मुख्यतः इस प्रकार है–**

- **नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना** को भविष्य की चुनौतियों एवं घटते जल स्रोत को दृष्टिगत रखते हुए भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है।

- **प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण योजना–** मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम के वितरण की योजना एवं जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

- भूमि एवं जल संरक्षण में आर0ए0डी0 योजना तथा नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 8300 हे0 समस्याग्रस्त भूमि का उपचार किया गया।

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना–** राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के प्रति जागरूक करने के लिए, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ की गयी।

- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना–**प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपद एवं विन्ध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली जनपद को छोड़कर शेष 65 जनपदों में समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्है। आजीविका उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ की गयी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 का लक्ष्य एवं कार्यक्रम

वर्ष 2018–19 में 581.60 लाख मी0 टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत खरीफ में 201.05 लाख मी0 टन एवं रबी में 380.62 लाख मी0 टन का लक्ष्य निर्धारण के साथ 11.28 लाख मी0 टन तिलहन (शुद्ध) उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

वर्ष 2018–19 के लक्ष्य एवं वर्ष 2017–18 के अनुमानित उत्पादन का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका–4.16

(लाख मी0टन)

क्र0 सं0	फसल का नाम	2017–18 में उत्पादन*	2018–19 का लक्ष्य
1	चावल	154.42	156.72
2	ज्वार	2.15	1.66
3	बाजरा	17.95	21.43
4	मक्का	14.56	15.90
5	खरीफ दालें	3.01	4.83
6	अन्य	0.06	0.07
कुल खरीफ खाद्यान्न		**192.15**	**201.05**
7	गेहूँ	356.47	357.63
8	जौ	4.03	4.12
9	रबी मक्का	0.41	0.44
10	चना	5.79	6.05
11	मटर	4.32	5.05
12	अरहर	3.32	3.31
13	मसूर	4.98	4.39
कुल रबी खाद्यान्न		**379.32**	**380.55**
कुल खाद्यान्न		**573.84**	**581.60**
1	कुल तिलहन (शुद्ध)	**11.46**	**11.28**

**आँकड़े परिवर्तनीय है। ।*

तालिका–4.17

12वीं पंचवर्षीय योजना के वर्षो में कृषि का आय व्यय अनुमान एवं व्यय विवरण –

रु0 करोड़ में

वर्ष	बजट प्राविधान			व्यय			व्यय प्रतिशत		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
2012–13	1666.37	1237.78	2904.15	992.03	1090.01	2082.04	59.5	88.06	71.69
2013–14	1838.84	1299.76	3138.60	965.96	1157.67	2122.82	52.5	89.07	67.64
2014–15	2142.24	1347.10	3489.34	1522.78	1254.22	2474.00	57.08	93.11	70.90
2015–16	2321.63	1365.35	3686.98	1464.26	1104.75	2569.01	63.07	80.91	69.68
2016–17	2579.15	1439.68	4018.83	1517.08	1206.36	2723.44	58.82	83.79	67.77
2017–18	–	–	40296.89		1553.41 + 20942.22 (ऋणमाफी)= **22495.63**	–	55.82	–	55.62
2018–19 (30.11.2018)			10378.92		5713.68				

नोट–चालू वित्तीय वर्ष से सरकार द्वारा बजट में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

कृषि उत्पाद का विपणन

कृषि के विकास के लिए यह आवश्यक है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य, व्यापारियों को उनकी सेवाओं का उचित प्रतिफल एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध करायी जायें। इसी उद्देश्य से वर्ष 1964 में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम पारित किया गया। कृषि उपज मण्डियों के कार्य संचालन हेतु सम्पूर्ण प्रदेश को मण्डी क्षेत्रों में बॉटा गया है। प्रत्येक मण्डी क्षेत्र हेतु एक मण्डी समिति का गठन किया गया है। मण्डी समितियों द्वारा मण्डियों के विनियमन के साथ–साथ किसानों एवं व्यापारियों हेतु सुख–सुविधा युक्त मुख्य मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है।

कृषि उत्पाद के विपणन हेतु संचालित योजनायें–

कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0) का निर्माण, किसान बाजार का निर्माण, मण्डी स्थलों का निर्माण, इलेक्टानिक वे–ब्रिज की स्थापना, भण्डारण सुविधा का विकास आदि योजनायें संचालित की जा रही हैं।
कृषि उत्पाद के विपणन सम्बन्धी कुछ प्रमुख योजनाये निम्नवत् हैः–

1. मण्डी स्थलों का निर्माण –

मण्डी समितियों की पहली प्राथमिकता एवं आवश्यकता सुख–सुविधायुक्त आधुनिक मण्डी स्थलों के निर्माण की है, जिससे कृषि जिन्सों को एक परिसर में लाकर उनका क्रय–विक्रय करवाया जा सके। नवनिर्मित मण्डी परिसर में लाईसेन्सियों को दुकानें एवं नीलामी चबूतरे उपलब्ध कराये जाते हैं। आवश्यकतानुसार खाद्यान्न, फल एवं सब्जी, मत्स्य, पुष्प एवं दूध के क्रय–विक्रय हेतु अलग–अलग मण्डी स्थल निर्मित कराये गए हैं तथा कराये जा रहे हैं।

वर्तमान में प्रदेश में विनियमित 251 मण्डी समितियों में से 219 मुख्य मण्डी स्थल, विनियमित 374 उपमण्डी स्थलों मे से 93 उपमण्डी स्थल, 225 हाट पैठ तथा 1643 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0), बुन्देलखण्ड पैकैज के अन्तर्गत 06 विशिष्ट मण्डी स्थलों, 132 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रो का निर्माण कराया जा चुका है। मण्डी समितियो के क्षेत्रान्तर्गत 72 फल एवं सब्जी मण्डी, 05 मत्स्य बाजार, 05 दुग्ध मण्डियों एवं 87 नग किसान सेवा केन्द्र का निर्माण भी पूर्ण कराया गया है। माह मार्च, 2018 तक जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 6840 ग्रामों में विकास कार्य कराया जा चुका है।

तालिका–4.18

उत्तर प्रदेश में विनियमित मण्डियों की संख्या

क्र0सं0	*मद/वर्ष*	2016-17	2017-18
	1	3	4
1	मुख्य मण्डी संख्या	251	251
2	उप मण्डी संख्या	373	374
3	**योग**	624	625

वित्तीय वर्ष 2017–18 में गड्ढामुक्ति योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्मित 7200.00 किमी0 के सम्पर्क मार्गों की मरम्मत का कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक रू0 278.89 करोड़ की धनराशि की मण्डी स्थलों के विस्तार/मरम्मत कार्य की परियोजनाएं तथा रू0 816.00 करोड़ की गड्ढामुक्ति योजनान्तर्गत पूर्व निर्मित सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कार्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

2. मण्डी स्थलों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य –

मण्डी स्थलों के भवनों, आन्तरिक सड़कों एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जायेगें :–

- **ई–नैम भवन निर्माण –** प्रदेश के 100 मण्डी स्थलों में भारत सरकार की प्रेरणा से चलाई जा रही ई–नैम योजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इस सुविधा के विकास हेतु प्रदेश के 20 मण्डी स्थलों में ई–नैम के समस्त कार्यकलापों को एक छत के नीचे लाने के लिए ई–नैम भवन का निर्माण कराया जायेगा।

- **डबल्य.डी.आर.ए. के अंतर्गत भण्डारण क्षमता का विकास –** कृषकों के शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों का सही मूल्य बाजार में उपलब्ध न होने की दशा में उन्हें अपनी उपज की शीघ्र बिक्री मजबूरी में करना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए डबल्य.डी.आर.ए.योजना के अन्तर्गत किसानों के उत्पाद को सुरक्षित भण्डारण एवं रख–रखाव हेतु **नेगोशियेबिल वेयर हाउस रिसिप्ट** की व्यवस्था डबल्य.डी.आर.ए. एक्ट में उपलब्ध है।

- **कोल्ड रूम/राइपनिंग चैम्बर्स –** प्रदेश में किसानों के फल एवं सब्जी के उत्पाद के अल्प कालीन भण्डारण एवं केला, आम, टमाटर आदि की राईपनिंग हेतु आवश्यकतानुसार कोल्ड रूम एवं राइपनिंग चैम्बर बनाये जायेगें।

- **बाजार दरों को उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटराइज्ड टिकर बोर्ड–** मण्डी स्थलों में किसानों को आस–पास की अन्य मण्डियों के बाजार भाव उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटराइज्ड डिस्प्ले बोर्ड (टिकर बोर्ड) स्थापित किये जायेगें।

- **बायो मास रिसाइक्लिंग –** फल–सब्जी मण्डी स्थलों से निकलने वाले कूड़े–कचरे के प्रबन्धन हेतु **सोलिड वेस्ट** योजना लागू की जायेगी।

- **निर्यात को बढ़ावा देने हेतु वी0एच0टी0, आई0क्यू0एफ0 एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना–** किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने एवं विभिन्न प्रदेशों एवं विदेश में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मण्डी स्थलों में वी0एच0टी0, आई0क्यू0एफ0 एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जायेगी।

- **तौलाई व्यवस्था हेतु वे ब्रिजेज की स्थापना–** तौलाई हेतु वे–ब्रिजेज की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाते हुए सी0सी0टी0वी0, सेन्सर एवं बूम बैरियर के माध्यम से वर्तमान व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिकीकृत किया जायेगा।

3. मण्डी आवक–किसान उपहार योजना–

किसानों को स्वयं अपनी उपज सीधे मण्डी में लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मण्डी आवक किसान उपहार योजना लागू की गयी है, जिसमें मुख्य रूप से कुकर, साईकिल, पावर ट्रिलर एवं ट्रैक्टर उपहार लकी ड्रा के माध्यम से दिये जाते हैं।

अक्सर छोटे किसान अपनी उपज सीधे मण्डी में न लाकर ग्राम व्यापारियों के हाथ सस्ते दामों पर बेच देते हैं जो तौल में गड़बड़ी करके तथा अन्य तरीको से किसान को उचित मूल्य नहीं देते हैं। मण्डी परिसर में उचित तौल, अवैध कटौतियों से मुक्ति, प्रतिस्पर्धात्मक भाव किसान को प्राप्त होता है तथा मण्डी में आकर किसान अपनी उपज व्यापारी को बेचकर प्रपत्र–6 प्राप्त करता है। प्रपत्र–6 में लिखे हुए मूल्य के प्रत्येक रू0 5000 पर एक कूपन मण्डी समिति कार्यालय से प्राप्त होता है। कूपन के आधार पर मासिक, त्रैमासिक और छमाही बम्पर ड्रा मण्डलायुक्त द्वारा निकाला जाता है।

4.गड्ढा मुक्तिकरण योजना का क्रियान्वयनः–

प्रदेश के कृषकों को अपनी उपज मण्डी में ले जाने के लिए अपेक्षित सुगम सम्पर्क मार्गो के लिए गड्ढा मुक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में पूर्व निर्मित 7200 किमी0 सम्पर्क मार्गो को गड्ढामुक्त किये जाने की कार्यवाही की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2018–2019 में रू0 280 करोड़ की लागत से मण्डी परिषद द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों को गड्ढ़ामुक्त कराया जाना प्रस्तावित है।

5. उन्नत किसान मण्डी हेतु कार्य एवं अन्य नवीन कार्य –

उन्नत किसान मण्डी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में 25 मण्डी स्थलों में रू0 6.00 करोड़ प्रति मण्डी की लागत से कुल रू0 150.00 करोड़ का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त मण्डी स्थलों में 01 नग दो मंजिला भवन में स्वागत कक्ष, हेल्प बूथ, शौचालय, आर0ओ0 सिस्टम के साथ वाटर कूलर की व्यवस्था आदि का कार्य कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मण्डी परिसर में हरित ऊर्जा का प्रयोग/सोलर पॉवर प्लाण्ट की स्थापना एवं संचालन तथा 10 सीटर आधुनिक शौचालय, फायर हाईड्रेन्ट की स्थापना, मण्डी परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे आदि की स्थापना का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

6. गेहूँ उत्पादकों के लिए सहायता :–

वर्ष 2018–2019 में गेहूँ कृषकों को छनाई उतराई के मद में पूर्व से दिये जा रहे रू0 3.00 प्रति कुन्तल के स्थान पर रू0 10.00 प्रति कुन्तल की सहायता प्रदान की जा रही है तथा आगामी धान खरीद योजना में भी सहायता राशि उपरोक्तानुसार प्राविधानित की जा रही है।

7. आलू उत्पादकों की सहायता के लिएः–

निकटतम बन्दरगाह तक आलू के सड़क परिवहन भाड़ा अनुदान रू0 50.00 प्रति कुन्तल की दर से अथवा परिवहन भाड़े का 25 प्र0श0 जो भी कम हो, की दर से दिये जाने की योजना को लागू किया गया।

8. नवाब ब्राण्ड आम के उत्पादकों/निर्यातकों के लिएः–

नवाब ब्राण्ड आम के निर्यात पर उत्पादकों को रू0 6.00 प्रति कि0ग्रा0 एवं निर्यातकों को रू0 10.00 प्रति कि0ग्रा0 ब्राण्ड प्रमोशन दिये जाने की योजना लागू है। इसी प्रकार निर्यात पर हवाई/समुद्री मार्ग से रू0 15.00 प्रति कि0ग्रा0 एवं सड़क परिवहन से रू0 7.50 प्रति कि0ग्रा0 परिवहन भाड़ा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।

9. मण्डी परिषद/मण्डी समितियों का आटोमेशनः–

मण्डी परिषद के कार्यक्षेत्र में हुए विस्तार के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सिस्टम को आटोमेट किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। आटोमेशन की इस प्रक्रिया में प्रबन्धन को सुगम, तीव्र एवं नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से मण्डी परिषद के विभिन्न कार्यालयों, यथा–प्रशासनिक

कार्यालय, निर्माण खण्ड आदि के साथ ही मण्डी समितियों के कार्यालयों को आफिस आटोमेशन सिस्टम के द्वारा विभागीय नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से एकीकृत सूचना प्रणाली विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। इस प्रणाली के पूर्णतः विकसित हो जाने पर सूचनाओं के आदान–प्रदान में होने वाली समय की हानि को न्यूनतम किया जा सकेगा।

वन एवं वन्य जीव संरक्षण

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वन दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,121 वर्ग कि0मी0 है जो कि कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि0मी0 के सापेक्ष मात्र 9.18 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है।
उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, वनावरण तथा वृक्षावरण निम्न प्रकार हैः–

तालिका–4.19
उत्तर प्रदेश के वन–एक दृष्टि

(क्षेत्रफल वर्ग किमी0 में)

अः वन क्षेत्र	
1–उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	2,40,928
2–अभिलिखित वन क्षेत्र	16,582
क–आरक्षित वन क्षेत्र	12,071
ख–संरक्षित वन क्षेत्र	1,157
ग–अवर्गीकृत वन क्षेत्र	3,354
3–वनावरण	14,679
क–अति घना वन क्षेत्र	2,617
ख–घना वन क्षेत्र	4,069
ग–खुला वन क्षेत्र	7,993
4–वृक्षावरण	7,442
5–वनावरण एवं वृक्षावरण	22,121
6–भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत	9.18
बःवन्य जीव परिरक्षण	
1–प्रदेश में वन्य जीव विहारों की संख्या	26
2–प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क	1
3–प्रदेश में प्राणि उद्यान *	3

स्रोतः– स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हेक्टेयर था, जिसमें वनों का क्षेत्रफल 16.59 लाख हेक्टेयर था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.9 प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2017–18 (त्वरित अनुमान के अनुसार) में वनों का अंश प्रचलित भावों पर रु0 15414.54 करोड़ है, जो कि सकल राज्य आय का 1.2 प्रतिशत है। वर्ष 2017–18 में वन क्षेत्र की विकास दर 0.8 प्रतिशत है।

जैव विविधता

जैव विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के दृष्टिकोण से जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन किया गया है। इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्ध समिति का गठन कर जैवविविधता रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार जैवविविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए सतत् प्रयासरत है।

प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाये जाने वाले वन्य जीवों एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रदेश में स्थापित 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव विहारों, 1 आरक्षित संरक्षण क्षेत्र तथा 3 प्राणि उद्यानों का प्रबन्धन भी किया जा रहा है एवं वन्य जीवों के प्रति जनमानस

में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद **गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान** का निर्माण किया जा रहा है। इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास किया जा रहा है।

गौरैया व अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन सामान्य को वनों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(क) वानिकी एवं वन्य जीव योजनाएं

प्रदेश में कार्यान्वित हो रही वृक्षारोपण की मुख्य योजनाओं का विवरण निम्न हैः–

1.सामाजिक वानिकी

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाष्ठ, ईधन एवं चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भूमि यथा अवनत वन क्षेत्र सामुदायिक भूमि, नहर, रेल तथा सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है। वर्ष 2017–18 में रू0 20.80 करोड़ व्यय कर 2633 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराये जाने का लक्ष्य है।

1.1 सामाजिक वानिकी–स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में उनके कल्याणार्थ स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भूमि यथा सामुदायिक भूमि, पटरी के किनारे की भूमि आदि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है।

1.2 सामाजिक वानिकी–ट्राइबल सब प्लान

प्रदेश की अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों जैसे–श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद, रेनुकूट तथा ओबरा वन प्रभागों में ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की सामुदायिक भूमि आदि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है।

2.शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सौन्दर्य को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि एवं पार्कों की भूमि पर इस योजना के अन्तर्गत पर्यावरण दृष्टिकोण से उपयोगी तथा शोभाकार वृक्षों का रोपण किया जाता है। वर्ष 2017–18 में रू0 100.00 करोड़ व्यय कर 6 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराये जाने का लक्ष्य है।

3.हरित पट्टी विकास योजना

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु क्रियान्वित की जा रही है। पर्यावरण सुधार से समस्त प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं स्वस्थ पर्यावरण का लाभ प्राप्त होगा।

वर्ष 2017–18 में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 25527 हेक्टेयर, हरित पटटी विकास योजना के अन्तर्गत 3 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराये जाने का लक्ष्य है।

4–टोटल फारेस्ट कवर योजना

यह योजना जनपद मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूँ, रामपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, आजमगढ़, ललितपुर तथा चित्रकूट को पूर्ण रूप से हरा–भरा किये जाने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2017–18 में रू0 20.80 करोड़ व्यय कर 2633 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराये जाने का लक्ष्य है।

5–वनावरण सम्बर्द्धन परियोजना

अवनत वन एवं खुले वन क्षेत्रों में वनावरण संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जनपदों में नाबार्ड के वित्त पोषण से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2017–18 में इस योजना में रू0 1019.61 लाख व्यय कर 117 हेक्टेयर में पौध रोपण किया गया है।

6–राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम–

भारत सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देश के अनुसार जन सहयोग से वनों की सुरक्षा एवं सम्बर्द्धन के कार्य हेतु प्रदेश के प्रत्येक वन प्रभाग में वन विकास अभिकरण(एफ0डी0ए0) का गठन किया गया है। यह योजना वर्ष 2000–01 से कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जन मानस को वनों की सुरक्षा एवं संवर्द्धन के कार्य से जोड़ने हेतु प्रदेश के प्रत्येक प्रभाग में भारत सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देश के अनुसार जनपद स्तर पर गठित वन विकास अभिकरण (एफ0डी0ए0) के द्वारा अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर जनसहभागिता के माध्यम से वानिकी कार्य सम्पादित किया जाता रहा है।

योजनान्नतर्गत वर्ष 2016–17 में रू0 576.04 लाख व्यय किया गया है जिससे 1763 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 191.35 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2018–19 में रू0 96.46 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

7–वन बन्दोबस्त योजना

प्रदेश के वनों को अतिक्रमण से बचाने हेतु वनों का सर्वे एवं सीमांकन कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना आगरा, फिरोजबाद, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हरदोई, खीरी, उन्नाव तथा चन्दौली जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है।

इस योजना में वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक रू0 120.00 लाख एवं वर्ष 2016–17 में रू0 40.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 23.00 लाख के व्यय का अनुमान है।

8–वन महोत्सव का आयोजन

प्रदेश में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रचार–प्रसार हेतु यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक रू0 60.00 लाख एवं वर्ष 2016–17 में रू0 20.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 22.00 लाख के व्यय का अनुमान है।

9–गौरा हरदो आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास

जनपद आजमगढ़ में बूढ़नपुर तहसील के गौरा हरदो में वन विहार (पार्क) के निर्माण हेतु ''गौरा हरदो आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास'' योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में वर्ष 2017–18 में रू0 100.93 लाख के व्यय का अनुमान है । वर्ष 2018–19 में रू0 100.93 लाख का आय–व्यय प्राविधान किया गया है।

10–जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्वार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य की योजना

मऊ जनपद के एक मात्र वन मनोरंजन पार्क का जीर्णोद्वार करके यहां की जनता को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने, जनपद के स्कूली बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गयी।

इस योजना हेतु वर्ष 2017–18 में रू0 100.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2018–19 में रू0 100.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

11–नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम

यह योजना पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल वेटलैण्ड कन्जरवेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाई जा रही है। योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य संरक्षित तथा गैर संरक्षित वेटलैण्ड की सुरक्षा, प्राकृत वास सुधार, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, शोध, स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी प्रबंध एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुँचाना है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 181.27 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2018–19 में रू0 184.97 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

12–वेटलैण्डस का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास

प्रदेश के विभिन्न वेटलैण्ड्स के पारिस्थितिकीय विकास हेतु वेटलैण्ड्स की सफाई, हानिकारक खर–पतवार निकालना, पौधा रोपण एवं बीज बुआन, बन्धों का निर्माण तथा अवस्थापना का विकास सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं। इस योजना में वर्ष 2016–17 में रू0 85.14

लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 50.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2018–19 में रू0 50.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

(ख) वन्य जीव परिरक्षण योजनाएं

1.प्रोजेक्ट टाइगर–

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1987 में आच्छादित किया गया। कालान्तर में किशनपुर वन्यजीव विहार, कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी संयुक्त रूप से ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजनान्तर्गत लाया गया।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1552.08 लाख एवं वर्ष 2017–18 में रू0 1404.07 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में रू0 784.32 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

2.इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स–

यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्यजीव विहारों के विकास हेतु कियान्वित की जा रही है। इस योजना में वर्ष 2016–17 में रू0 472.39 लाख एवं वर्ष 2017–18 में रू0 365.17 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में रू0 202.00 लाख आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

3.प्रोजेक्ट एलीफैन्ट–

यह योजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से ''उत्तर प्रदेश एलीफैन्ट रिजर्व'' हेतु चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत हाथी के प्राकृतवास की सुरक्षा व संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों, मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों के अल्पीकरण, स्थानीय समुदायों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यो के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में रू0 32.63 लाख एवं वर्ष 2017–18 में रू0 52.32 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में रू0 43.46 लाख आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

4–जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क की विकास योजना

वर्तमान में एशियन बब्बर शेर का अस्तित्व खतरे में है तथा इनके प्राकृतवास मात्र गिर फारेस्ट, गुजरात तक सीमित रह गये हैं। अतः इन्हें उपयुक्त वासस्थल का विकास करके संरक्षण प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इटावा जनपद में लायन सफारी की स्थापना से बब्बर शेरों के लिए वैकल्पिक वास स्थल विकसित होगा। क्षेत्र की स्थानीय जलवायु के अनुसार वनस्पतियों का संरक्षण एवं सम्वर्द्धन कर क्षेत्र को बब्बर शेरों के प्राकृतिक वासस्थल के रूप में विकसित करना है। इस योजना में वर्ष 2016–17 में रू0 12837.34 लाख एवं वर्ष 2017–18 में रू0 342.12 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में रू0 348.62 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

5.मयूर संरक्षण केन्द्र का विकास

वृन्दावन जनपद मथुरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए एक मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में रू0 59.54 लाख एवं वर्ष 2017–18 में रू0 19.54 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में रू0 19.54 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

6.ईको पर्यटन का विकास–

इस योजना के माध्यम से प्रदेश में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहां प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा हो, वन एवं वन्य जीवों की बहुतायत हो और पर्यटकों के लिए क्षेत्र आकर्षक हो।

इस योजना में वर्ष 2016–17 में रू0 204.13 लाख तथा वर्ष 2017–18 में रू0 10.29 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में रू0 10.29 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

7.गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना–

इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान का निर्माण किया जा रहा है।

इस येाजना में वर्ष 2016–17 में रू0 1823.11 लाख तथा वर्ष 2017–18 में रू0 5000.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में रू0 2498.82 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

8.बर्ड फेस्टिवल का आयोजन–

पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने एवं विद्यार्थियों को इन जीवों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में प्रतिवर्ष माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2016–17 में रू0 50.00 लाख तथा वर्ष 2017–18 में रू0 100.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में रू0 100.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

9.नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ एवं कानपुर प्राणी उद्यान में तितली पार्क का निर्माण –

तितलियों का पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। यह फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ एवं कानपुर प्राणी उद्यान में इस तितली पार्क के माध्यम से जन–मानस में तितलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जायेगी। इस योजना में लखनऊ प्राणि उद्यान में वर्ष 2017–18 में रू0 24.76 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में रू0 19.87 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

इस योजना हेतु कानपुर प्राणि उद्यान में वर्ष 2017–18 में रू0 40.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में रू0 40.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017–18 में 188 हजार घनमीटर इमारती लकड़ी, 3 हजार घन मी0 चट्टा जलाने की लकड़ी, 53 हजार कौड़ी बांस, 183 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता तथा 1 हजार कुन्तल भाभड़ घास का उत्पादन हुआ। इमारती लकड़ियों में साल, सागौन, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख है। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण तालिका–4.20 में दर्शाया गया है–

तालिका–4.20

उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	2011–12	2015–16	2016–17	2017–18#
1	2	3	4	5
1–**इमारती लकड़ी (हजार घन मी0)**	193	228	174	188
(क) साल	27	32	18	19
(ख) सागौन	8	8	7	9
(ग) शीशम	12	14	16	16
(घ) खैर	3	3	3	3
(च) असना	–	1	1	1
(छ) यूकेलिप्टस	111	112	71	78
(ज) विविध	32	58	58	62
2–**जलाने की लकड़ी (हजार घनमी0 चट्टा)**	3	4	1	3
3–**बांस (हजार कौड़ी)**	40	25	52	53
4–**तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)**	175	186	180	183
5–**भाभड़ घास (हजार कुन्तल)**	2	1	1	1

अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 की अपेक्षा वर्ष 2017–18 में सभी इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में गत वर्ष 2016–17 की अपेक्षा बांस तथा तेंदू पत्ता का उत्पादन भी बढ़ा है।

प्रदेश में नगरीकरण के तीव्र विकास के साथ वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है।

प्रदेश में वनीकरण सम्बंधी चुनौतियां –

1. प्रदेश में नगरीकरण के तीव्र विकास के साथ वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है।

2. **अवैध कटान–**

प्रदेश में वनों के अवैध कटान की रोकथाम चुनौती पूर्ण कार्य है। अधिक जनसंख्या एवं अल्प प्राकृतिक संसाधन (वन) होने के कारण वनों पर जैविक दबाव अधिक रहता है। आरक्षित/संरक्षित वनों के अवैध कटान पर नियंत्रण करने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927, उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 व वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2017–18 में माह मार्च, 2018 तक सम्पूर्ण प्रदेश में 1381 अवैध कटान के मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें 3113 वृक्ष अवैध रूप से काटे गये जिनका कुल अनुमानित मूल्य लगभग रू0 110.47 लाख आंकलित है।

****

अध्याय–5
पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास

पशु सम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत पशु सम्पदा उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचल में निवास करती है जिसके जीवकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2017–18 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन में पशुपालन खण्ड की वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत रही है जबकि वर्ष 2016–17 मे यह 2.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2011–12 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन में पशुधन क्षेत्र का योगदान 6.4 प्रतिशत था जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गया। आर्थिक क्रिया कलापों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा क्षेत्र के योगदान को तालिका–5.01 में दर्शाया गया है।

तालिका–5.01
सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र के खण्डवार प्रतिशत वितरण के आंकड़े

क्रम सं०	मद	वर्ष					
		2011–12	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
(प्रचलित भावों पर)							
1	फसलें	18.2	18.3	16.5	16.7	16.8	16.7
2	पशुधन	6.4	6.7	7.5	7.5	7.2	7.4
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	1.8	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2
4	मत्स्यन और जलीय कृषि	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
(स्थायी भावों पर)							
1	फसलें	18.2	16.9	15.4	14.9	14.9	15.2
2	पशुधन	6.4	6.4	6.5	6.2	5.9	5.6
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	1.8	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3
4	मत्स्यन और जलीय कृषि	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

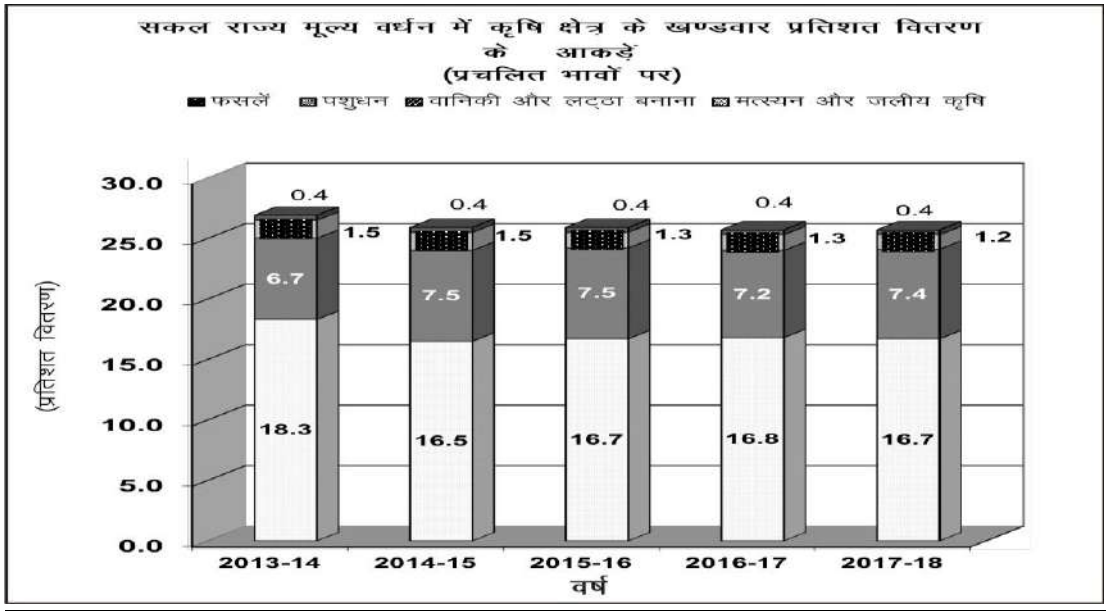

पशुधन

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 की पशुगणनानुसार कुल पशुओं की संख्या 687.16 लाख थी। इसमें गायों की संख्या 90.69 लाख तथा भैसों की संख्या 154.32 लाख थी, जो कुल पशुधन का क्रमशः 13.2 प्रतिशत व 22.5 प्रतिशत है। कुल गायों एवं भैसों की संख्या में दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या क्रमशः 64.9 प्रतिशत तथा 68.3 प्रतिशत रही। 2007 एवं 2012 की पशुगणनानुसार उत्तर प्रदेश में पशुधन तालिका–5.02 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–5.02

उत्तर प्रदेश में पशुधन संख्या

(हजार में)

मद	2007	2012	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	**2**	**3**	**4**
1–**कुल गोजातीय**	**19097**	**19557**	2.41
(क) गाय*	**6558**	**9069**	38.29
(1) दूध दे रही	4546	5883	29.41
(2) दूध न दे रही	1404	2372	68.95
2–**कुल महिष जातीय**	**26440**	**30625**	15.83
(ख) भैंस*	**12869**	**15432**	19.92
(1) दूध दे रही	9186	10538	14.72
(2) दूध न दे रही	2575	3412	32.50
3– भेड़	1400	1354	(–)3.29
4– बकरी	14829	15586	5.10
5– सूकर	1987	1334	(–)32.86
6– अन्य पशुधन	212	260	22.64
कुल पशुधन	**63966**	**68716**	7.43
कुल कुक्कुट	**17880**	**18668**	4.41

*****इसमें दुधारू, एक बार न ब्यायी तथा अन्य मादाएं सम्मिलित हैं।*

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवायें

वर्तमान में प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु 2202 पशुचिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 268 द श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय, 05 पालीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 5043 कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र, 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पाद केन्द्र एवं 01 पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान मुख्य रूप से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन केन्द्रों द्वारा विभिन्न वर्षों में कराये गये कार्यों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है–

तालिका–5.03
उ0प्र0 में पशुपालन सेवाओं की प्रगति

(लाख में)

कार्यक्रम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (नवम्बर, 2018 तक)
1	2	3	4	5	6
कृत्रिम गर्भाधान	77.87	83.95	128.49	124.51	28.50
टीकाकरण	965.83	1115.91	1595.52	1485.46	494.80
चिकित्सा	329.60	343.30	354.73	370.88	110.30
बधियाकरण	14.40	15.27	16.09	13.80	1.40

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में 128.49 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया जो वर्ष 2017–18 में 3.1 प्रतिशत बढ़कर 124.51 लाख हो गया। वर्ष 2016–17 में 1595.52 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया जो वर्ष 2017–18 में 6.9 प्रतिशत घटकर 1485. 46 लाख हो गया। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 के 354.73 लाख के सापेक्ष वर्ष 2017–18 में चिकित्सित पशुओं की संख्या 4.5 प्रतिशत बढ़कर 370.88 लाख हो गयी है।

पशुधन उत्पाद एवं उत्पादकता

प्रदेश में वर्ष 2015–16 में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 335 ग्राम थी, जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 355 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन हो गयी है एवं वर्ष 2017–18 में दुग्ध उपलब्धता घटकर 350 ग्राम प्रतिव्यक्ति/प्रतिदिन हो गयी है। उ0प्र0 देश के दूध उत्पादन के लगभग 5वें हिस्से के बराबर दूध उत्पादित करता है। उ0प्र0 भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है परन्तु औसत दुग्ध उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। उ0प्र0 माँस उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है जिसके द्वारा लगभग देश का 60 प्रतिशत माँस का निर्यात किया जाता है। विभिन्न वर्षों मे पशु उत्पादों की प्रगति तालिका 5.04 मे दी जा रही है। वर्ष 2017–18 में दूध, अण्डा एवं ऊन का उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 3032.2 लाख कुन्तल, 25327.4 लाख एवं 1404 हजार किग्रा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष दूध, अण्डे एवं ऊन की पूर्ति क्रमशः 2905.2 लाख कुन्तल, 24398.05 लाख एवं 1299 हजार किग्रा प्राप्त हुआ है। उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की जा रही है जिनका विवरण आगे दिया गया है।

तालिका–5.04
तुलनात्मक उत्पादकता स्थिति

उत्पाद	उत्पादकता स्थिति			
	2015–16	2016–17	2017-18	2018-19 लक्ष्य
दूध (लाख कुन्तल)	2638.7 (4.7)	2759.2 (4.6)	2905.2 (4.6)	3512.0
अण्डा (लाख)	21928.5 (5.6)	22889.4 (4.4)	24398.05 (6.6)	29186.8
ऊन (हजार किग्रा)	1264.0 (-15.4)	1286.1 (1.7)	1299 (1.0)	1430
माँस (लाख किग्रा)	14178.8 (1.5)	13461.1 (-5.1)	11511.24 -(14.5)	–

नोट–कोष्ठक में वृद्वि–दर दर्शाया गया हैं।

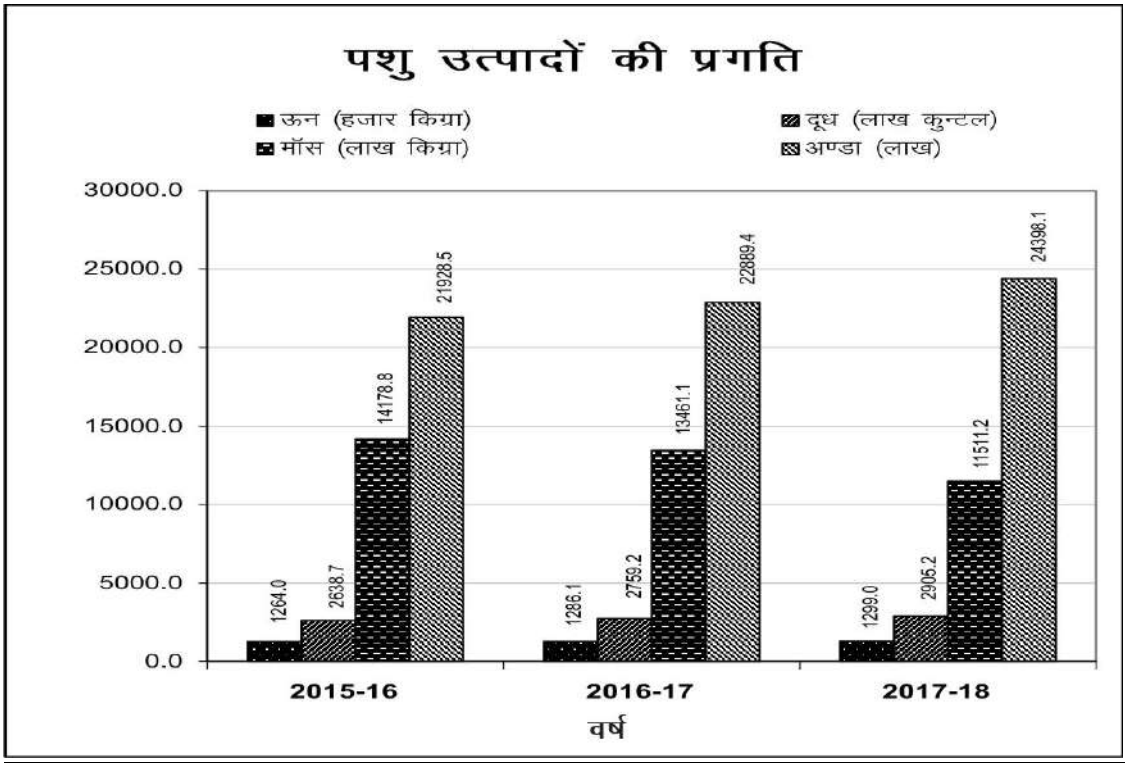

तालिका–5.05

पशुपालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आयोजनागत योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था

(रू0 लाख में)

वर्ष	बजट	स्वीकृति	व्यय
2013–14	17006.560	13957.063	13733.011
2014–15	21990.86	17728.42	16425.75
2015–16	28592.79	23892.71	22012.99
2016–17	62958.66	45075.61	43889.45
2017–18	151623.22	137423.53	122148.16
2018–19 (31 अगस्त तक)	180869.84	121956.44	34744.15

पशुपालन सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं

1. उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 का क्रियान्वयन

प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कामर्शियल लेयर पालन तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 लागू की गयी है, 31 मार्च, 2018 को समाप्त हो रही उक्त नीति को वर्तमान सरकार द्वारा 2022 तक बढ़ाया गया है जिसमें उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करने तथा इनवेस्टर फ्रेन्डली वातावरण सृजित करने हेतु नीतिगत व्यवस्था की गयी है।

उक्त दोनो योजनाओं से प्रदेश में कुक्कुट विकास कार्यक्रम सुदृढ़ होगा तथा भारी संख्या में स्वरोजगार उपलब्ध हो सकेगा। उक्त के अतिरिक्त योजना से भारी मात्रा में प्रदेश के बाहर निजी क्षेत्र में जा रहा राजस्व का प्रवाह भी रूकेगा। योजनान्तर्गत कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग (30,000 पक्षी की एक इकाई), 238 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष 198 इकाईयां क्रियाशील है।

जनवरी, 2016 से प्रारम्भ कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग अन्तर्गत (10,000 पक्षी की एक इकाई) मार्च, 2017 तक के 510 इकाईयो के लक्ष्य के सापेक्ष 156 इकाईयां कियाशील है। ब्रायलर पैरेन्ट फार्म (10000 पक्षी इकाई) के लक्ष्य 60 के सापेक्ष 05 इकाईयां कियाशील है। प्रदेश में 66.00 लाख अतिरिक्त अण्डा प्रतिदिन उत्पादित हो रहा है। 53120 व्यक्तियों को स्वरोजगार मिला है एवं प्रदेश में रू0 760.20 करोड का निवेश हुआ है।

2.पारिश्रमिक आधारित वृहद टीकाकरण योजना

विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में सभी पशुओं का शत–प्रतिशत टीकाकरण पशु स्वामी के द्वार पर मूर्त रूप में करने की योजना है। प्रदेश में उपलब्ध पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाव हेतु शत–प्रतिशत टीकाकरण का कार्य 3126 पशुधन प्रसार अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है।

पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में यथा ले–मैन इन्सीमिनेटर/पैरावेट/पशुमित्र को प्राथमिक पशु उपचार, कृत्रिम गर्भाधान एवं टीकाकरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है किन्तु उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त न होने के कारण समयबद्ध प्रतिभागिता करने में असमर्थ होते हैं।

अतः इस योजना द्वारा शत–प्रतिशत टीकाकरण अभियान के समय इन कर्मियों को रू 2/– प्रति टीकाकरण की दर से पारिश्रमिक प्रदान किया जाये तो उक्त अभियान समयबद्ध रूप में संचालित हो सकेगा।

3. सचल पशु चिकित्सा क्लीनिक का संचालन

प्रदेश के सीमित आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में 15000 बड़े पशुओं के आधार पर एक पशुचिकित्सालय स्थापित किये जा रहे हैं। चिकित्सालयों पर पदस्थ पशुचिकित्सा अधिकारियों को मोबिलिटी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान एवं अशक्त अवस्था के पशुधन की किसी बीमारी में त्वरित आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रायः कठिनाई होती है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुये विभाग द्वारा, 774–विकास खण्डों (बुन्देलखण्ड को छोड़कर जहाँ बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत पूर्व से स्थापित है।) में विकासखण्ड स्तर के पशुचिकित्सालय पर बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें अन्तर्गत आवश्यक निवेशों यथा–तरल नत्रजन लघु पात्र (बी.ए.-3), पशुचिकित्सा उपकरण किट्/इन्स्टूमेण्ट छोटा किट्, वैक्सीन कैरियर, मेडिसिन किट्, कोल्डचेन की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सामग्री से युक्त एक–एक मोबाइल वैन/वाहन के प्रस्ताव के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) अन्तर्गत राजस्व मद में रू0 70000.00 हजार (रू0 सात करोड़ मात्र) एवं पूँजीगत मद में रू0 330000.00 हजार (रू0 तैंतीस करोड़ मात्र) की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। उक्त उपलब्ध बजट के समक्ष 616 बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा वाहन उपलब्ध हो चुके है। अद्यतन योजनान्तर्गत कुल 774 वाहन क्रय किये गये है।

बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें अन्तर्गत पशुपालकों को निम्न सुविधायें उपलब्ध कराया जाना लक्षित हैः–

- पशुधन विकास हेतु बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के द्वार पर चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, टीकारण, बाँझपन निवारण आदि सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

- साथ ही ऐसे पशुओं को भी पशुचिकित्सा सुलभ कराना जिन्हें पशुचिकित्सालय तक लाने में कठिनाई हो।
- किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम।

- पशुओं में शत–प्रतिशत टीकाकरण, मेडिको लीगल केसेज, कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष फालोअप, सीरम सैम्पुल एकत्र करने की कार्यवाही निष्पादित करना।
- प्रदेश में 8000 पशुचिकित्सा शिविर आयोजित करने का लक्ष्य है।

इस हेतु सरकार द्वारा प्रदेश के 612 विकास खण्डों में बहुद्देशीय पशुचिकित्सा एवं पशुपालन सेवाओं हेतु वाहन संचालित किये जा रहे है। इन वाहनों द्वारा उन्नत पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सेवाएं गाँवों में शिविर लगाकर दी जा रही है। अभी ''ऑन कॉल'' ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रत्येक पशुचिकित्सालय स्तर पर बहुद्देशीय पशुचिकित्सा एवं पशुपालन सेवाएं उपलब्ध कराये जाने से पशुपालकों को आन काल सेवाएं आकस्मिकता में उनके द्वार पर उपलब्ध हो सकेगी। इन वाहनों के संचालन से कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की स्मार्ट टैगिंग एवं टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। प्रदेश के 774 विकास खण्डों मे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री से युक्त एक एक मोबाइल वैन/वाहन के प्रस्ताव के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें हेतु कुल रू0 40 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

4.पेस्टडिस् पेट्टिस रूमिनेन्ट्स कण्ट्रोल प्रोग्राम–

भूमिहीन कृषक/पशुपालकों द्वारा जीवकोपार्जन/लघु व्यवसाय हेतु बकरियों एवं भेड़ों का पालन किया जाता है। इन पशुओं में प्रायः विषाणु जनित पी0पी0आर0 बीमारी की महामारी के रूप में होने की प्रबल सम्भावना होती है जिसके कारण 90–95 प्रतिशत पशु प्रभावित होते हैं जिसके सापेक्ष 75 प्रतिशत पशुओं की मृत्यु होने की प्रबल सम्भावना होती है। ऐसी परिस्थिति में वर्णित बीमारी के प्रकोप से पशुपालकों को आर्थिक रूप से नुकसान होता है। इन पशुओं में विषाणु जनित पी0पी0आर0 बीमारी की रोकथाम हेतु पी0पी0आर0सी0पी0 कार्यक्रम चलाया जाना अपरिहार्य है।

प्रदेश के लक्षित पशुओं (भेड एवं बकरियों) में उक्त रोग के कारण होने वाली उच्च मृत्यु दर का संज्ञान लेते हुए उन्हें रोग मुक्त रखने के उद्देश्य से भारत सरकार के वित्त पोषण से वर्ष 2017–18 में उक्त योजना 60 प्रतिशत के0पो0 के रूप में चलाई जा रही है। वर्ष 2018–19 में आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत योजना का संचालन किया जाना है।

5. पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना–

पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु इस केन्द्र की स्थापना लखनऊ में 28 अगस्त, 2012 को की गयी। किसानों से जो शिकायते प्राप्त हुई उन्हें 3 श्रेणियों ए,बी,सी, में वर्गीकृत कर क्रमशः 24 घंटे, 72 घंटे, 1 सप्ताह में निस्तारित किया जाता है। पशुपालक पशुधन से सम्बन्धित नई तकनीकी सूचनाएं भी इस केन्द्र से जान सकता है। इसके लिए पशुपालन विभाग ने टोल फ्री नं0–1800–1805–141, फोन नं0–0522– 2741991 एवं फैक्स नं0– 0522–2740832 की व्यवस्था की है।

2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु रणनीति

प्रदेश सरकार की वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है। इस हेतु सरकार द्वारा पशुओं की उन्नत प्रजनन क्षमता को बढ़ाना, समय से कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराना, चारा एवं चरागाह विकास, कुक्कुट पालन को बढ़ावा एवं पशुधन बीमा आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

1. उन्नत प्रजनन आच्छादन को बढ़ावा देना

1.1 कृत्रिम गर्भाधन आच्छादन में वृद्धि

प्रदेश में उच्च प्रजनन क्षमता के वीर्य स्ट्राज के प्रयोग से प्राप्त संतति की दुग्ध उत्पादन क्षमता में प्रति ब्यांत औसतन 1000 ली0 की अतिरिक्त वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश में

वर्तमान में 160.00 लाख कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक 180.00 लाख प्रजनन योग्य पशुओं को कृ0ग0 से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। देसी गायों का साहीवाल, थारपारकर, हरियाना, गंगातीरी प्रजातियों से शत प्रतिशत उन्नत प्रजनन आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।

1.2 गोवंशीय पशुओं में सार्टेड सीमेन का उपयोग

वर्तमान में यह योजना पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद लखीमपुर खीरी, बाराबंकी एवं इटावा में संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को संसाधन से युक्त किये जाने हेतु कन्टेनर्स, ए0आई0 किट, ईयर टैग, एप्लीकेटर एवं सेक्स्ड सीमेन व तरल नत्रजन आदि सामग्रियों का वितरण किया जा चुका है। क्रासब्रीड गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सीमन के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 7.5 लाख पशुओं को आच्छादित किया जायेगा। सामान्य वीर्य स्ट्राज के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करने पर 50 प्रतिशत उच्च आनुवांशिक गुणवत्तायुक्त गोवंशीय मादा संतति उत्पन्न होती हैं, जबकि सार्टेड सीमेन के प्रयोग से 90–95 प्रतिशत मादा संतति उत्पन्न होंगी जिससे सामान्य से 40 प्रतिशत अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकता बढ़ने से पशुपालकों की आय में बढ़ोत्तरी होगी।

1.3 भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को बढ़ावा (पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र)

भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी को बढ़ावा देते हुये स्वदेशी प्रजाति के उच्च उत्पादक गोवंशीय पशुओं की संख्या में त्वरित वृद्धि हेतु सांड़ो का उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद बरेली में स्थापित किये जा रहे पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र के माध्यम से उच्च प्रजनन क्षमता के स्वदेशी मादा पशुओं में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रयोग करते हुए 1000 भ्रूण उत्पादन किया जाना है, जिससे वर्ष 2022 तक लगभग 400 संतति प्राप्त होगी, जिनकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 4000 ली0 प्रति ब्यांत होगी। पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र पर स्वदेशी प्रजाति के 200 उच्च जनन क्षमता के सांड़ों का उत्पादन सम्भव होगा, जिनको अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र पर उपयोग करते हुए प्रत्येक सांड़ से प्रतिवर्ष औसतन 20 हजार वीर्य स्ट्राज का उत्पादन सम्भव होगा, जिसके प्रयोग से स्वदेशी प्रजाति के गोवंशीय संतति के पशुओं के दुग्ध उत्पादन में औसतन 1000 ली प्रति ब्यांत की अतिरिक्त वृद्धि अर्थात् रू0 25000.00 प्रति ब्यांत की आय पशुपालक को सीधे तौर पर मिलेगी।

1.4 देशी गोवंशीय पशु प्रजातियों के पालन, संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु पशुपालकों को सहायता

प्रदेश में देशी गोवंशीय प्रजातियों यथा साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर एवं गंगातीरी गायों का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जाना अति आवश्यक है। ग्लोबल क्लाईमेट चेन्ज की स्थिति में भी देशी गोवंशीय प्रजातियों का उत्पादन बहुत प्रभावित नहीं होता है। देशी गोवंशीय प्रजातियों को सवंर्द्धित एवं संरक्षित करने तथा उत्पादकता में वृद्धि के दृष्टिगत पशुपालकों को इन प्रजातियों को पालने हेतु ''देशी गोवंश संरक्षण एवं संवर्द्धन पैकेज'' के रूप में सहायता दिये जाने के कार्यक्रम किये जायेंगें। देशी गायों की इन्हीं प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता सीमेन से शत–प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।

1.5 गौ–संरक्षण की योजना– स्वदेशी पशुओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से 68 जनपदों में वृहद् गो–संरक्षण केन्द्रो की स्थापना की जा रही है। योजनान्तर्गत 68 जनपदों हेतु एक–एक केन्द्र के लिये रू0 120.00 लाख की दर से कुल रू0 8160.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि व्यवस्था की गयी है। उक्त संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कर जनपदों के जिलाधिकारियों की देख–रेख में कराया जा रहा है।

2.पशुओं को कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराना

पशुओं को समय से कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराने से दुग्ध उत्पादकता में तात्कालिक रूप से लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि सम्भावित होती है। दुग्ध उत्पादन

में वृद्धि, नर एवं मादा संतति की मृत्यु दर में कमी तथा बकरियों में शरीर भार में त्वरित बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने हेतु कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट अति महत्वपूर्ण होता है। योजना अन्तर्गत कृमिनाशक की 2 खुराक एवं 3 कि0ग्रा0 मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराया जायेगा। वर्ष 2022 तक चरणबद्ध रूप से 250 लाख पशुओं को आच्छादित किया जायेगा।

3. चारा एवं चरागाह विकास

प्रदेश में वर्ष 2013–14 में गोचर/स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई की भूमि का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	जोनवार क्षेत्र	क्षेत्रफल (हे0 में)
1	पश्चिमी क्षेत्र	17985.00
2	केन्द्रीय क्षेत्र	24521.00
3	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	5105.00
4	पूर्वी क्षेत्र	17838.00
	योग	65449.00

पश्चिमी क्षेत्र (30 जनपद) एवं पूर्वी क्षेत्र (28 जनपद) में गोचर भूमि लगभग बराबर है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र (7 जनपद) में मात्र 5105 हेक्टूयर भूमि है। सबसे अधिक गोचर भूमि केन्द्रीय क्षेत्र (10 जनपद) में उपलब्ध है। प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 65449 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गोचर भूमि अभिलेखों में अंकित है।

प्रदेश में एक वर्ष में कुल 774375.00 हे0 क्षेत्रफल में लगभग 359.46 लाख मी0 टन हरा चारा ही उत्पादित किया जाता है। प्रदेश में बोयी जा रही चारा फसलों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों जैसे गन्ने का अगोला, वन आच्छादित क्षेत्र, कृषि बेकार भूमि, स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई की भूमियों आदि से लगभग 538.24 लाख मी0 टन हरा चारा प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी स्रोतों से प्राप्त हरे चारे, सूखे चारे एवं दाने की आपूर्ति के बाद भी प्रदेश में पशुओं को खिलाने हेतु लगभग 740.37 लाख मी0 टन हरा चारा (46.64 प्रतिशत), 141 लाख मी0 टन सूखा चारा (17.26 प्रतिशत) एवं 348.82 लाख मी0 टन दाने (82.78 प्रतिशत) की कमी रह जाती है। उक्त हरे एवं सूखे चारे की कमी को पूरा करने हेतु लगभग 13.76 लाख हे0 अतिरिक्त क्षेत्रफल बोये जाने की आवश्यकता होगी जिस हेतु लगभग 4.60 लाख कु0 चारा बीज की आवश्यकता होगी।

ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षित स्थायी चरागाह/गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाकर उक्त चरागाह हेतु आरक्षित भूमि पर ग्राम पंचायतों के सहयोग से चरागाह विकास का कार्यक्रम संचालित कराया जा सकता है जिससे सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध होगा।

3.1 चारा आच्छादन क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु पशुपालको को चारा उत्पादन पैकेज दिया जाना

चारा आच्छादन क्षेत्रफल बढ़ाने में प्रमुख समस्या कृषि योग्य भूमि पर खाद्यान्न उत्पादन एवं चारा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा का होना है। चारा उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुपालकों को''चारा उत्पादन पैकेज'' अनुदान सहायता के रूप में दिये जाने की कार्य योजना ली जायेगी जिससे प्रत्येक वर्ष 8000 हे0 अतिरिक्त भूमि पर चारा आच्छादन बढ़ाया जायेगा।

3.2 पशुधन प्रक्षेत्रों पर चारा बीज उत्पादन को बढ़ाना

प्रदेश में 10 पशुधन प्रक्षेत्रों पर एक वर्ष में कुल 2576.00 हे0 भूमि पर लगभग 227282.00 कु0 हरा चारा, 20944 कु0 सूखा चारा तथा 9046.00 कु0 चारा बीज का उत्पादन होता हे। पशुधन प्रक्षेत्रों में चारा बीज उत्पादन हेतु आच्छादित भूमि 1718 हे0 को अगले 5 वर्षो में बढ़ाकर 2056 हे0 करने का लक्ष्य है जिससे 23310 कु0 चारा बीज का उत्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।

4.कामधेनु योजना को व्यापक बनाया जाना

प्रदेश में 100 दुधारू पशुओं की कामधेनु योजना तथा 50 दुधारू पशुओं की मिनी कामधेनु योजना क्रियान्वित की जा रही है। कामधेनु योजना में 300 इकाईयों का ऋण स्वीकृत कराकर 288 इकाईयां तथा मिनी कामधेनु योजना में 1500 इकाईयों का ऋण स्वीकृत कराकर 1460 इकाईयां क्रियाशील की जा चुकी हैं। 25 दुधारू पशुओं की माईक्रो कामधेनु योजना वर्ष 2015 से प्रारम्भ की गयी है। 2500 इकाईयां स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष फरवरी, 2017 तक 2241 इकाईयों का ऋण स्वीकृत कराकर 1761 इकाईया क्रियाशील की जा चुकी है।

यह योजना विशेष रूप से पश्चिमी उ0प्र0 में चलायी जायेगी। आगामी वर्षों में कामधेनु योजना के स्थान पर वर्तमान सरकार द्वारा प0 दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना लागू की जा रही है।

5.कुक्कुट पालन को बढ़ावा देकर गरीब पशुपालकों की आजीविका में वृद्धि

पशुपालन के क्षेत्र में कुक्कुट विकास को प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है। कुक्कट उत्पादन के क्रिटिकल गैप को देखते हुए प्रदेश में कुक्कुट विकास के उद्देश्य से अन्य प्रदेशों से आयात होने वाले 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष के समतुल्य अण्डें प्रदेश में ही उत्पादित करने तथा अन्य प्रदेशों से आयातित 972 लाख ब्रायलर चूजे प्रदेश में ही उत्पादित करने हेतु उद्यमिता विकसित करने के लिए उद्यमियों को सुविधायें उपलब्ध कराने तथा इनवेस्टर फ्रेन्डली वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 123 लाख पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर्स पक्षियों के फार्म की स्थापना तथा प्रदेश को ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 972 लाख लाख ब्रायलर चूजों के उत्पादन हेतु 6.00 लाख पक्षी क्षमता के ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना हेतु कुक्कुट उद्यमियों को वित्तीय संसाधनों में राहत एवं लाभकारी नीतिगत व्यवस्था की गयी। कुक्कुट पालन योजनान्तर्गत प्रदेश में 30,000 कामर्शियल लेयर्स पक्षी की 238 इकाइयों के लक्ष्य सापेक्ष 697 इकाइयों की एल0ओ0सी0 जारी की गयी हैं एवं वर्तमान में 198 इकाइयाँ स्थापित हो गयी हैं। प्रदेश में 10,000 पक्षी की कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना माह जनवरी, 2016 में शुरू की गयी एवं वर्तमान में 156 इकाइयाँ स्थापित हो गयी हैं।

प्रदेश में बैकयार्ड कुक्कुट पालन को बढावा देने हेतु वर्ष 2022 तक भारत सरकार सहायतित रूरल बैकयार्ड योजनान्तर्गत 2500 मदर युनिट स्थापित की जायेगी। बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों की स्थापना को बढावा दिया जायेगा।

6. जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा के माध्यम से पशुपालकों/किसानों को पशु बीमा कराने के फलस्वरूप पशु मुत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरूद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है। पशु मृत्यु की दशा में बीमा कम्पनी से प्राप्त होने वाले भुगतान से पशुपालक/किसान पुनः पशु क्रय कर अपनी आजीविका चलाने में समर्थ बना रहता है। योजनान्तर्गत पशु के बीमा प्रीमियम का बड़ा अंश, औसतन 75 प्रतिशत तक केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि अवशेष हिस्सा पशुपालक द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार प्रीमियम अंशदान की छोटी सी राशि का भुगतान कर पशुपालक पशु मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरूद्ध सुरक्षित हो जाता है।

पशुधन बीमा आच्छादन अन्तर्गत वर्तमान में 1.00 लाख पशुओं के आच्छादन का लक्ष्य है। बीमा आच्छादन को 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाया जाएगा।

7. क्षेत्र विशेष हेतु कार्यक्रम–बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना प्रथा उन्मूलन की योजना

बुन्देलखण्ड में पशुपालकों द्वारा गोवंशीय पशुओं को छुट्टा छोड़ने की प्रथा (अन्ना प्रथा) प्रचलित है, जो फसलों के लिए हानिकारक है। अन्ना प्रथा का मुख्य कारण क्षेत्र के गोवंशीय पशुओं का निम्न आनुवंशिक गुणवत्तायुक्त होना एवं कम दुग्ध उत्पादन है। पशुपालकों के द्वार/

गौशालाओं में उपलब्ध निम्नकोटि के पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान तथा क्षेत्र में उपलब्ध कराये गये उन्नतिशील सांड़ों द्वारा नैसर्गिक अभिजन्न के माध्यम से नस्ल सुधार किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों यथा झांसी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर एवं जालौन में अन्ना प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत निम्न कोटि के बछड़ों का बधियाकरण, उच्चगुणवत्तायुक्त सांड़ों की उपलब्धता व उच्चगुणवत्तायुक्त वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है।

मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता

उत्तर प्रदेश का कुल अर्न्तस्थलीय मत्स्य उत्पादन 4.94 लाख मिट्रिक टन रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद भारत में तीसरा स्थान है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है। मत्स्य विकास कार्यों को कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 116.98 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया।

सरकार के संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, मछुआ समुदाय के व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान किये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018–19 में मत्स्य पालक कल्याण फंड की स्थापना हेतु रू0 25.00 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है जिसके गठन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में समस्त स्रोतों से आंकलित मत्स्य उत्पादन 4.50 लाख मी0 टन था जो 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल के तृतीय वर्ष में 2015–16 में 5. 05 लाख मी0 टन, वर्ष 2016–17 मे 6.18 लाख मी0 टन तथा वर्ष 2017–18 में 6.29 लाख मी0 टन के स्तर तक पहुॅच गया। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की त्रैमासिक गणना की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में समस्त स्रोतों से प्रदेश का मत्स्य उत्पादन 6.50 लाख मि0 टन लक्षित है।

वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता की सूचना निम्नवत है–

तालिका–5.06

अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी0टन0)	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा0/हे0/वर्ष)
	उपलब्धि	उपलब्धि
2011–12	4.30	3335
2012–13	4.50	3402
2013–14	4.64	3600
2014–15	4.94	4140
2015–16	5.04	4140
2016–17	6.18	4155
2017–18	6.29	4400

विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु सरकार द्वारा विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013 को अवधारण करते हुए दस

वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया गया है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुए उसके प्राविधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है–

तालिका–5.07

प्रदेश में जल संसाधनों की उपलब्धता

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
वृहद एवं मध्यमाकार जलाशय	2.28	2.26	99.12
प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
योग	**5.34**	**3.66**	**68.53**

संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रम

1.तालाबों का पट्टा

उत्तर प्रदेश में उपलब्ध जलसंसाधनों में मुख्यतः ग्रामसभा के अन्तर्गत आने वाले तालाब एवं झीलें हैं। ग्रामसभा में निहित तालाबों का पट्टा मछुआ समुदाय एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को ही दिया जाता है, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं। वर्ष 2016–17 में 8403 परिवारों को ग्राम सभा के तालाबों के 7398.61 हे0 जलक्षेत्र का पट्टा मत्स्य पालन हेतु दिया गया तथा वर्ष 2017–18 में 8475.34 हे0 जलक्षेत्र के ग्राम सभा के तालाबों का पट्टा आवंटित करते हुए 9033 परिवारों द्वारा मत्स्य पालन का कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2017–18 में 19.661 हे0 नये तालाबों का निर्माण एवं 293.09 हे0 तालाबों का सुधार कराया गया। वर्ष 2018–19 में 1831.84 हे0 जलक्षेत्र के ग्रामसभा तालाबों का पट्टा आवंटन कराते हुए 1871 परिवारों द्वारा मत्स्य पालन प्रारम्भ किया गया।

2.मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 37 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 226 हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में एक 10 मिलियन क्षमता की हैचरी की स्थापना हेतु रू0 25.00 लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान राशि अधिकतम रू0 10.00 लाख तथा अनुसूचित जाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 15.00 लाख अनुदान धनराशि देय है। शेष 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं के संसाधन या बैंक ऋण के रूप में लाभार्थी अंश है। विभाग द्वारा हैचरी निर्माण की तकनीक उपलब्ध करायी जाती है। मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उनकी माँग पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागीय जलाशयों में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है। वर्ष 2016–17 में व्यवसायिक मत्स्य के 26272.46 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराते हुए मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने में

सहायता दी गयी। वर्ष 2017–18 में 26333.92 लाख एवं वर्ष 2018-19 में 9229.00 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया गया।

विगत तीन वर्षो में मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण से सम्बन्धित उपलब्धियों का विवरण निम्नांकित है :–

तालिका–5.08

मत्स्य बीज का उत्पादन एवं वितरण

वर्ष	अंगुलिका/मत्स्यबीज वितरण संख्या (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज संचय संख्या (लाख में)	मत्स्य बीज उत्पादन संख्या (लाख में)
	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
2011–12	14136.42	627.57	14763.99
2012–13	15322.02	629.10	15951.12
2013–14	15652.87	724.76	16377.63
2014–15	15964.75	650.66	16615.41
2015–16	17653.23	646.03	18299.26
2016–17	26272.46	762.67	27035.13
2017–18	26333.92	786.95	27120.87

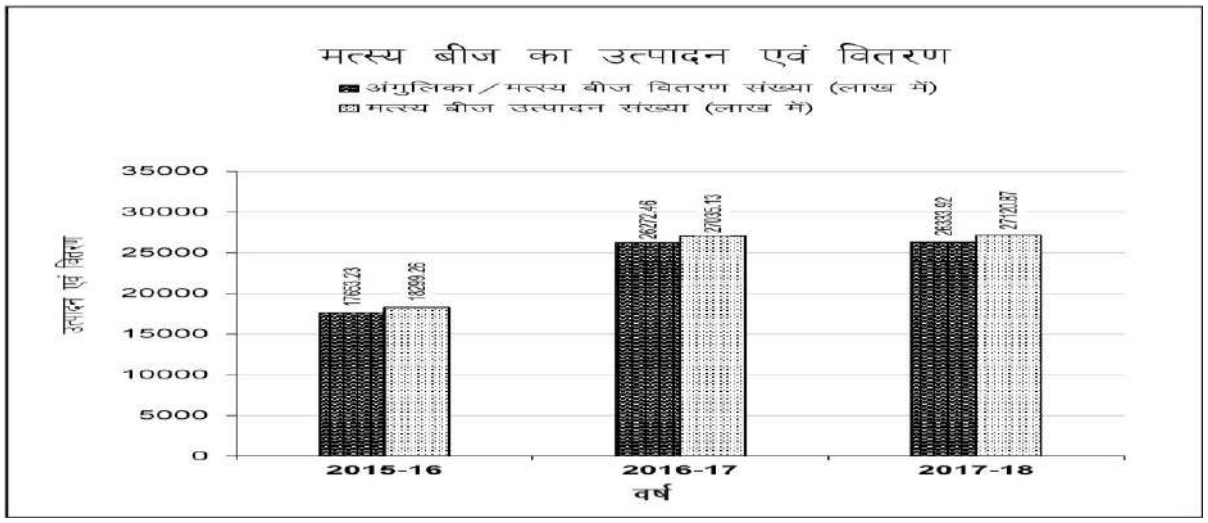

3. मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा एवं आवास विहीन मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में 1081 प्राथमिक समितियां, 22 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रदेशीय संघ संचालित है।

क– मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालको की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता होने की दशा में रू0 2,00,000 व स्थाई

आंशिक अपंग होने की दशा में रू0 1,00,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। बीमा धनराशि का प्रीमियम रू0 12.00 (रू0 6.00 भारत सरकार व रू0 6.00 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान किया जाता है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि स्वयं वहन नहीं करनी पड़ती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में प्रत्येक वर्ष 1,93,000 व्यक्तियों को आच्छादित किया गया है। योजना के प्रारम्भ से अब तक **135 मृत सदस्यों के आश्रितों को रू0 79.67 लाख एवं 7 अपंग सदस्यों को रू0 2.675 लाख का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है।** वर्ष 2017–18 में आच्छादित 07 परिवारों को रू0 दो–दो लाख आर्थिक सहायता प्रदान की गई है तथा 03 आच्छादित परिवारों को रू0 एक–एक लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। **वर्ष 2018–19 में 2,00,000 मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।**

ख– मछुआ आवासों का निर्माण

मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को वर्ष 2017–18 से प्रति आवास रू0 1.20 लाख जिसमें रू0 0.60 लाख केन्द्रांश तथा रू0 0.60 लाख राज्यांश के रूप में निहित है। भारत सरकार के सहयोग से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा प्रदेश में वर्ष 2017–18 तक कुल 24251 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके हैं। वर्ष 2017–18 में 33 जनपदों में 666 मछुआ आवासों का निर्माण कराया गया।

भारत सरकार की नई केन्द्र पुरोनिधानित ''ब्लू रिवोलुशनः इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना में कल्याणार्थ मद हेतु मछुआ आवास योजनान्तर्गत प्रति आवास इकाई लागत रू0 1.20 लाख जिसमें 50 प्रतिशत रू0 0.60 लाख प्रति आवास केन्द्रांश के रूप में निहित है का पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। ब्लू रिवोल्यूशन की गाइडलाइन्स के अनुसार निर्मित किये जाने वाले आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा। वर्ष 2016–17 के 666 मछुआ आवासों को वर्ष 2017–18 में निर्मित कराये गये। वर्ष 2018–19 में 313 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है।

4. नई केन्द्र पुरोनिधानित'' ब्लू रिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में केन्द्र पोषित एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं भिन्न–भिन्न वित्त पोषण पर वर्ष 2015–2016 तक संचालित थी। केन्द्र सरकार द्वारा नील क्रान्ति मिशन के माध्यम से मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने की सामर्थ्य होने के साथ–साथ जैव सुरक्षा तथा पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए धारणीय तरीके से संपूर्ण मात्स्यिकीय विकास के लिए मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता को बढाने हेतु पूर्व संचालित समस्त केन्द्र पोषित एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को एक अम्ब्रैला के अंतर्गत लाते हुए नई केन्द्र पुरोनिधानित ''ब्लू रिवोलुशनः इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना को प्रदेश में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2016–17 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मद जो लाभार्थी परक हैं में परियोजना लागत (इकाई लागत व अधिकतम सीमा) के आधार पर में कुल का 50 प्रतिशत पोषण केन्द्रीय सहायता अंश तथा शेष 50 प्रतिशत राज्यांश सहायता/लाभार्थी अंश निर्धारित है। वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा अनुदान धनराशि/फन्डिंग पैटर्न में संशोधन करते हुए सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान दिये जाने को निर्णय लिया गया है।

''ब्लू रिवोलुशनः इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना में प्रशिक्षण, स्ट्रेंथनिंग आफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम आफ द फिशरीज सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि मदों हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से वित्त पोषण अधिकतम सीमान्तर्गत वित्तीय सहायता निर्धारित है।

5. जल प्लावित क्षेत्रों में मत्स्य पालन विविधीकरण की योजना

इस योजना के अन्तर्गत कृषि हेतु अनुपयुक्त जल प्लावित भूमि को तालाब के रूप में विकसित कर मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित किया जाता है। योजना की इकाई लागत रू0

1.25 लाख प्रति हे0 निर्धारित है, जिसमें सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 80 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों को 90 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। माह मार्च, 2016 तक 199.77 हैक्टेयर जल प्लावित भूमि को मत्स्य पालन योग्य बनाया गया है। वर्ष 2017–18 में 200 हे0 जलप्लावित भूमि को विकसित करने का लक्ष्य तथा वर्ष 2018–19 में 200 हे0 जल प्लावित भूमि को विकसित करने का लक्ष्य है। संदर्भित योजना के दिशा निर्देश मा0 मंत्रिपरिषद से अनुमोदन हेतु विचाराधीन है जिसे दिशा निर्देश निर्गत होने के उपरान्त पूर्ण कर लिया जायेगा।

6. तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकासः–

वर्ष 2016–17 में नवीन योजना के रूप में स्वीकृत तालाबों की मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास के अन्तर्गत 1.0 हे0 के तालाबों पर 0.1 हे0 की 10 नर्सरियों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश के समस्त जनपदों पर तालाबों में 75 हे0 पर 750 नर्सरियों के निर्माण के सापेक्ष 713, 0.1 हे0 की नर्सरियों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2017–18 में प्रदेश के तालाबों पर 702 नर्सरियों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2018–19 में भी संदर्भित योजनान्तर्गत 750 नर्सरियों के निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है।

दुग्ध विकास

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन एवं उसके विक्रय को संगठित करने के उद्देश्य से प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन(पी.सी.डी.एफ.) का गठन किया गया है। पी.सी.डी.एफ. द्वारा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नाकिंत योजनाएं संचालित की जा रही हैं–

1. प्रदेश के 10 जनपदों में नवीन पूर्णतया आटोमेटिक ग्रीन फील्ड डेरी प्लाण्ट की स्थापना एवं 04 डेरी प्लाण्ट्स का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाना–

प्रदेश के 10 जनपदों यथा कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद एवं मुरादाबाद में नवीन पूर्णतयाः आटोमेटिक ग्रीन फील्ड डेरी प्लाण्ट की स्थापना तथा 04 डेरी प्लाण्टों यथा इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी एवं नोएडा का उच्चीकरण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सब्सिडियरी कम्पनी आई0डी0एम0सी0 संस्था द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य राज्य की ''अवस्थापना विकास निधि'' एवं नाबार्ड की ''ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि'' (आर0आई0डी0एफ0) की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। परियोजनावार विवरण निम्नवत् हैः–

इस योजना के अन्तर्गत जनपद कानपुर में राज्य बजट से रू0 160.84 करोड़ की लागत से **नवीन डेरी एवं पाउडर प्लाण्ट** की स्थापना की जा रही है। परियोजना हेतु अब तक "अवस्थापना विकास निधि" से 160.84 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपद कन्नौज में अवस्थाना विकास विभाग की ''अवस्थापना विकास निधि'' की वित्तीय सहायता से रू0 151.82 करोड़ की लागत से **काऊ मिल्क प्लाण्ट** की स्थापना की जा रही है।

08 जनपदों लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद एवं मुरादाबाद में नवीन पूर्णतया **आटोमेटिक ग्रीन फील्ड डेरी प्लाण्ट** की स्थापना क्रमशः रू0 124.17 करोड, रू0 158.26 करोड़, रू0 182.21 करोड़, रू0 80.30 करोड़, रू0 61.80 करोड़, रू0 65.26 करोड़, रू0 69.60 करोड़ रू0 63.70 करोड़ की लागत से की जा रही है।

2. डेरी प्लान्टों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण

प्रदेश के 04 डेरी प्लान्टों यथा इलाहाबाद, अलीगढ़, नोएडा एवं झांसी का उच्चीकरण तथा आधुनिकीकरण का कार्य नाबार्ड की ''ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि'' (आर0आई0डी0एफ0) की

वित्तीय सहायता से किया जा रहा है जिसमें आर0आई0डी0एफ0 द्वारा रू0 103.10 करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके समक्ष रू0 51.55 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई।

3. गुणवत्ता लैब सुद्ढ़ीकरण परियोजना

गुणवत्ता लैब सुद्ढ़ीकरण से सम्बन्धित परियोजना (लागत रू0 34.36 करोड़) के क्रियान्वयन हेतु एनडीडीबी (राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद) आनन्द, गुजरात को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

4. ट्रांजिट हानि नियंत्रण एवं आनलाइन मानीटरिंग सिस्टम सहित दुग्ध जांच नेटवर्क परियोजना

ट्रांजिट हानि नियंत्रण एवं आनलाइन मानीटरिंग सिस्टम सहित दुग्ध जांच नेटवर्क (लागत रू0 182.47 करोड़) जिसके समक्ष रू0 173.74 करोड़ धनराशि की स्वीकृति ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि द्वारा प्रदान की गई है। परियोजना का क्रियान्वयन पी0सी0डी0एफ0 के माध्यम से किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में डेरी विकास को प्रोत्साहित करने हेतु गोकुल पुरस्कार योजना, इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी एण्ड कम्प्यूटराइजेशन एवं कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इन योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशःरू० 53.00 लाख, 99.27 लाख एवं 260.88 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू० 5725.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। प्रदेश में दुग्ध संघों के विकास की स्थिति निम्नवत है–

तालिका–5.09
प्रदेश में दुग्ध विकास की स्थिति

भौतिक लक्ष्य एवं पूर्ति									
		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (जुलाई तक)	
क्र0 सं0	विवरण	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	दुग्ध संघों की संख्या	59	59	18	18	18	18	19	19
2	जनपद	73	75	75	75	75	75	75	75
3	कार्यरत समितियों की संख्या	16703	7288	10211	6768	16748	6710	7522	6209
4	सदस्यता (000)	702.05	309.20	434.31	306.04	699.21	301.48	333.99	286.64
5	औसत दुग्ध उपार्जन(000कि0ग्रा0)	850.00	401.90	445.00	349.55	763.17	362.41	605.25	249.31
6	औसत तरल दुग्ध विक्रय (000ली0)	550.00	216.82	391.59	191.10	430.63	169.05	348.07	160.80

प्रदेश के सम्मुख पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास सम्बंधी चुनौतियां

1. 240 लाख प्रजनन योग्य पशुधन संख्या है, तथा वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन प्रतिशत 32.5 है जिसे 2022 तक 75 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस क्रिटीकल गैप को दूर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. प्रदेश में राजकीय पशुचिकित्सालयों की संख्या अपर्याप्त है, मानक के अनुसार 15000 पशु संख्या पर एक पशुचिकित्सालय होना चाहिए। कुल पशुधन संख्या को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 3400 पशुचिकित्सालयों की आवश्यकता होगी जबकि वर्तमान में 2202 पशुचिकित्सालय ही कार्यरत है। अतः 1200 पशुचिकित्सालयों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी जिसे स्थापित कराना नितान्त आवश्यक है।
3. प्रदेश में 38 प्रतिशत हरा चारा, 47 प्रतिशत पशु आहार तथा 0.66 प्रतिशत शुष्क चारा की कमी है जिसे बढ़ाया जाना चुनौती पूर्ण कार्य है।
4. प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
5. अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। अतः अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन बढ़ाया जाना चुनौती पूर्ण कार्य है।
6. कृषकों की आय दोगुनी किया जाना।
7. पशु एवं कुक्कुट बाजार असंगठित रूप से व्यवस्थित है, उनमें सुविधाओ की कमी को दूर किया जाये।
8. स्थापित दुग्धशालाओं/अवशीतन केन्द्रों की क्षमता का कम उपयोग हो पा रहा है।
9. आपरेशन लागत में वृद्धि दुग्ध व्यवसाय में संकुचन का एक प्रमुख कारण है।
10. अधिक सेल्फ लाईफ के दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण सुविधा का अभाव है।
11. लीन (ग्रीष्म) सीजन में ताजा दूध की अनुपलब्धता।

प्राथमिकतायें एवं सुधारात्मक कदम

1. पशु प्रजनन के क्षेत्र में अधिक से अधिक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये जायें।
2. प्राईवेट पशु प्रजनन कार्यकर्ता द्वारा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों को स्थापित किये जायें एवं पशुधन प्रजनन प्रक्षेत्र पर गुणवत्ता युक्त पशुधन प्रजाति का उत्पादन सुनिश्चित किया जायें।
3. कृत्रिम गर्भाधान के आच्छादन को बढ़ाने तथा पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु विकास खण्ड स्तर पर सचल पशु चिकित्सा क्लीनिक की स्थापना की जाये।
4. कृषकों की आय 2022 तक दोगुनी किया जाना।
5. वर्तमान में स्थापित चिकित्सालयों का सुदृढीकरण एवं अधिक से अधिक पशुचिकित्सालयों की स्थापना की जाये।
6. उत्तर प्रदेश बीडिंग एक्ट 2017 लागू करना।
7. उत्तर प्रदेश चारा सुरक्षा नीति बनाया जाना।
8. कुक्कुट उत्पादों का विपणन बिचौलियों के माध्यम से होने के कारण कुक्कुट पालकों को लाभ कम मिलता है। अतः बिचौलियो को दूर करने हेतु विपणन व्यवस्था को सुदृढ किया जाये।
9. 70 प्रतिशत दूध की बिक्री बिचौलियो के माध्यम से होती है जो दूध की गुणवत्ता को संरक्षित नही रख पाते है। अतः बिचौलियो को दूर करने हेतु विपणन व्यवस्था को ठीक किया जाये।
10. समस्त दुग्ध संघों की री–स्ट्रक्चरिंग करते हुए 59 दुग्ध संघों की क्लस्टर बनाते हुए मुख्य 19 यूनियन बनाये गये हैं, जिसके फलस्वरूप प्रशासिनक व्ययों में कमी होने की सम्भावना है।

****

अध्याय–6
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

बागवानी क्षेत्र कृषि के विविधीकरण के लिए आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से एक सक्षम विकल्प है। उत्तर प्रदेश की विविधतापूर्ण जलवायु सभी प्रकार की बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। औद्यानिकी के क्षेत्र में देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में उपयुक्त एवं अनुकूल फसल चक्र अपनाकर छोटी जोत के किसानों द्वारा अधिक आय, रोजगार एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषक हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरान्त होने वाले क्रियाकलापों यथा–विपणन, प्रसंस्करण, भण्डारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। प्रदेश में फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सगन्ध फसलों के साथ–साथ सहायक उद्यम के रूप में मौन पालन, मशरूम उत्पादन, पान की खेती एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर सतत विकास हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

बागवानी फसलों का कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी फसलों का व्यवसायीकरण एवं कृषि का विविधीकरण, महत्वपूर्ण बागवानी फसलों के क्षेत्रफल में विस्तार, पुराने आम, अमरूद एवं आंवला के अनुत्पादक बागों के जीर्णोद्धार, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन, फसल तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन एवं अन्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराकर प्रदेश में बागवानी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रदेश में एकीकृत बागवनी विकास मिशन, ड्राप/स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना औषधीय पौध मिशन अनुसूचित जाति/जनजाती बाहुल्य क्षेत्रों में बागवानी विकास, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन, पान विकास, मशरूम उत्पादन आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हैं। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सुनियोजित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017** प्राख्यापित की गई है जिसके द्वारा पूँजीगत अनुदान, ब्याज उत्पादन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण बाजार विकास अनुसंधान एवं विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन के साथ–साथ प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक रियायतें एवं छूट प्रदान की गई है। इन नीतियों के प्राख्यापन एवं क्रियान्वयन से प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से मूल्य संवर्धन सुनिश्चित हो सकेगा जिससे उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को लाभ होगा तथा प्रदेश का चहुमुँखी विकास हो सकेगा।

प्रमुख योजनाएँ –

प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, औषधीय पौध मिशन, पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन), अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु औद्यानिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, लोहिया पर्यावर्णीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना, बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास, लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों हेतु संकर शाकभाजी उत्पादन एवं प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम बागवानी विकास हेतु संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, ढाबा/फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण/हाईजीन प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण/विधायन आदि योजनाएँ लागू की गयीं हैं, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके और उपभोक्ता को गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री सुलभ हो सके। प्रदेश में संचालित उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम निम्नवत् है :–

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राज्य औद्यानिक मिशन) –

बागवानी विकास के दृष्टि से एकीकृत बागवानी विकास मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके सफल कार्यान्वयन से व्यवसायिक औद्यानिक विकास को नयी दिशा प्राप्त हुयी है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है। यह योजना प्रदेश के 45 जनपदों में संचालित की जा रही है, जिसके लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य राज सहायता (अनुदान) देय है।

योजनान्तर्गत पेरीनियल एवं नॉन पेरीनियल फलों के नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी बीज उत्पादन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, आई0पी0एम0 प्रोत्साहन, कृषकों को नवीन तकनीकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजन सम्बन्धी कार्यक्रम यथा मॉडल एवं लघु पौधशालाओं की स्थापना, सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, संरक्षित खेती के अन्तर्गत ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना, एच0डी0पी0ई0 वर्मी बेड, बागवानी में मशीनीकरण, समेकित मशरूम इकाई की स्थापना तथा पोस्ट हार्वेस्ट के अन्तर्गत पैक हाउस का निर्माण, प्री–कूलिंग यूनिट, मोबाइल प्री–कूलिंग यूनिट/रिफर वैन, कोल्ड स्टोरेज एवं राइपेनिंग चैम्बर की स्थापना, प्रसंस्करण इकाईयों एवं प्याज भण्डार गृह की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित हैं। वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में योजनान्तर्गत अर्जित प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं –

तालिका–6.01

विभिन्न औद्यानिक कार्यक्रमों की प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2017–18		2018–19
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	नवीन उद्यान रोपण	हे0	2200	2154	2300
2	मसाला क्षेत्र विस्तार	हे0	1400	1400	1900
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हे0	200	194	200
4	मौनपालन	हे0	9090	9025	18180
5	द्वितीय व तृतीय वर्ष के बागों का अनुरक्षण	वर्ग मी0	1724	1432	2460
6	संरक्षित खेती	सं0	353600	317600	312200
7	पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (पैक हाउस, कोल्ड रूम, शीतगृह, रिफर वैन, प्रोसेसिंग यूनिट, प्याज भण्डारगृह, राइपेनिंग चैम्बर)	सं0	85	49	79
8	राज्य/जिला स्तरीय किसान मेला/गोष्ठियाँ	सं0	60	57	60
9	मानव संसाधन विकास	सं0	900	450	1125
10	बागवानी में मशीनीकरण	सं0	115	101	110

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ किया गया। योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए कृषि क्षेत्र में अपेक्षित वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को पृथक–पृथक परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित कराया जा रहा है।

योजनान्तर्गत नर्सरी सीडलिंग रेजिंग इन लोटनल पॉलीनेट एण्ड प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू वेजीटेबल्स परियोजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में 5438 हेक्टेयर के सापेक्ष 5375 हेक्टेयर की पूर्ति करायी गयी।

प्रदेश के 30–नॉन एन.एच.एम. जनपदों में उक्त योजनान्तर्गत नवीन उद्यान रोपण, पुष्प विकास, मसाला विकास, मौनपालन तथा 7200 कृषकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित हैं। वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नवत् है –

तालिका–6.02

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2017–18		2018–19
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	नवीन उद्यान रोपण	हे0	1503	1349	2300
2	मसाला क्षेत्र विस्तार	हे0	3950	4643	4822
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हे0	756	615	925
4	आई.पी.एम.	हे0	3599	2392	–
5	मधुमक्खी पालन	सं0	100	93	100
6	प्रशिक्षण	सं0	6000	6000	6000

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन)–

प्रदेश में माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू है जिसके उपघटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरीगेशन'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम के उपघटक में ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई एवं प्रशिक्षण सम्मिलित है। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य अधिक लागत जन्य होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टॉप–अप) की व्यवस्था करते हुए लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

तालिका–6.03

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2017–18		2018–19
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	ड्रिप सिंचाई	हे0	9914	1841	11198
2	स्प्रिंकलर सिंचाई	हे0	30238	26396	44320
3	दो दिवसीय प्रशिक्षण	बैच	75	72	75

4. आलू बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम–

भारत सरकार के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला (हिमाचल प्रदेश) से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त करके उसका संवर्धन करके उत्पादित आलू बीज का वितरण आलू उत्पादकों में जनपदीय उद्यान अधिकारियों के माध्यम से कराया जाता है। वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में आलू बीज उत्पादन एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रगतिशील आलू उत्पादक कृषकों के मध्य वितरित आलू बीज का विवरण निम्नवत् है :

तालिका–6.04

आलू बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2017–18		2018–19
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	भारत सरकार द्वारा प्राप्त ब्रीडर आलू बीज	कुन्तल	11500	9567.80	11600
2	उत्पादित आलू बीज	कुन्तल	40000	39508	40000
3	आलू बीज उत्पादकों के मध्य वितरित आलू बीज	कुन्तल	35000	34526.40	35000

5. नवीन योजनायें–

(अ) लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन, प्रबन्धन की योजना–

प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक कृषक लघु एवं सीमान्त कोटि के हैं। इन कृषकों के लिए खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में शाकभाजी की फसल सघनता में वृद्धि कर, अधिक उत्पादन प्राप्त कर प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने में लाभकारी है। अतः लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु योजना प्रस्तावित की गई है। योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवीन मांग के माध्यम से धनराशि रू 25.0 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों को न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर से अधिकतम 2.0 हेक्टेयर सीमा के अन्तर्गत अनुदान अनुमन्य है। मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ हार्टीकल्चर की ऑपरेशनल गाइड–लाइन में संकर शाकभाजी उत्पादन की इकाई लागत प्रति हेक्टेयर धनराशि रू 50000.00 निर्धारित है। इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू 20000.00 प्रति हेक्टेयर संकर टमाटर, संकर पातगोभी, संकर कुकरबिट्स, संकर भिन्डी, संकर फूल गोभी एवं संकर बैगन पर अनुमन्य है।

(ब) फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की योजना–

प्रदेश में तीन फलों आम, अमरूद एवं आंवला के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी विकसित की गयी हैं। आम फल पट्टी के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड आच्छादित है। अमरूद फल पट्टी हेतु जनपद कौशाम्बी एवं बदायूं के 6 विकास खण्ड लिये गये है तथा आंवला फल पट्टी के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के दो विकास खण्ड अंगीकृत किये गये है। फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार हेतु फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में नवीन मांग के माध्यम से टोकन प्राविधान किया गया है। कार्यक्रम कार्यान्वयन के माध्यम से क्षेत्र विस्तार, पुराने अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार, प्लास्टिक क्रेट्स, मैंगों हार्वेस्टर, आई.पी.एम./आई.एन.एम., कृषक प्रशिक्षण एवं गोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है।

(स) शीतगृह रहित विकास खण्डों में शीतगृहों की स्थापना किये जाने पर अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था–

प्रदेश के 27 जनपदों में आलू एवं शाकभाजी का उत्पादन अधिक होता है जबकि शीतगृहों की भण्डारण क्षमता कम है। ऐसे चिन्हित जनपदों के 58 विकास खण्डों में प्रथम शीतगृह की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत पूर्व से अनुमन्य 5000 मी. टन क्षमता हेतु इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.4 करोड़ के अतिरिक्त 15

प्रतिशत अधिकतम रू0 60 लाख का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार ऐसे विकास खण्डों में स्थापित होने वाले प्रथम शीतगृह को 5000 मी. टन क्षमता हेतु रू0 1. 4 करोड. के स्थान पर अधिकतम रू0 2.0 करोड. का अनुदान अनुमन्य होगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित योजनायें–

(अ) राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ द्वारा निरन्तर शोध कार्य किया जा रहा है तथा नवीनतम स्थापित हो रहे उद्योगों तथा स्थापित उद्योगों हेतु तकनीकी रूप से दक्ष कर्मी उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठयक्रम संचाालित है।

(ब)राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना–

- प्रदेश के 10 मण्डलों में राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश में वर्ष भर कृषि एवं औद्यानिक उत्पाद की उपलब्धता एवं जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा पर्यटन उद्योग के विकास की पृष्ठभूमि में जहाँ एक ओर बड़े–बड़े होटलों तथा कैटरिंग संस्थानों का विस्तार हो रहा है वहीं दूसरी ओर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित हो रहे हैं, कैटरिंग संस्थानों में एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खाद्य विज्ञान सम्बन्धी विधाओं में प्रशिक्षण देकर वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इसके लिए प्रदेश के 10 बड़े नगरों (वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर, फैजाबाद, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद) में एक–एक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। इन केन्द्रों पर एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा खाद्य प्रसंस्करण, एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा बेकरी एवं कन्फैक्शनरी, एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा पाक कला, एक मासीय अंशकालीन बेकरी एवं कन्फैक्शनरी, एक मासीय अंशकालीन पाक कला, एक मासीय सम्मिलित पाठ्यक्रम कुकरी, बेकरी एवं कन्फैक्शनरी तथा खाद्य संरक्षण संचालित किये जाते हैं।

- **राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र–**

  प्रदेश के 75 जनपदों में घरेलू क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं के लिए राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा विभिन्न जनपदों/ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

- **खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम–**

  खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास की असीम सम्भावनाएँ हैं। अतः इस कार्यक्रम में बेरोजगार नवयुवक–युवतियों का खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित करना है ताकि उन्हें आय का स्त्रोत सुलभ हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जन सामान्य को रोजगार उपलब्ध कराना, पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों को कम करना तथा किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाना, कृषि औद्यानिक उत्पादों को नष्ट होने से बचाना है।

- **ढ़ाबा/फास्ट फूड/रेस्टोरेंट प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन की योजना–**

  वर्तमान समय में बढ़ती हुई आबादी की मांग के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खान–पान में कम समय में पौष्टिकतायुक्त अल्पाहार/भोजन की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में अल्पकालीन साप्ताहिक प्रशिक्षण देकर छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों एवं ढाबा, फास्टफूड केन्द्र आदि की स्थापना की जा सकती है। अतः पोषणयुक्त

विभिन्न व्यंजनों की व्यवहारिक एवं प्रशिक्षण जानकारी युवाओं एवं महिलाओं को उपलब्ध कराना नितान्त आवश्यक है।

- **गुणवत्ता नियंत्रण एवं हाईजीन सम्बन्धी जागरूकता प्रशिक्षण की योजना :**

इस योजना का उद्देश्य खाद्य पदार्थों के निर्माण में लगे व्यक्तियों जैसे ढाबा रेस्टोरेंट, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में कार्यरत कुशल, अकुशल श्रमिकों को गुड हैण्डलिंग प्रैक्टिसेज (जी0एच0पी0), गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी0एम0पी0) हेजर्ड एनालिसिस एण्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइंट (एच0ए0सी0सी0पी0), पर्सनल हाईजीन, सेनीटेशन तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित प्रशिक्षण, चिकित्सकों एवं खाद्य प्रसंस्करण के विशेषज्ञों द्वारा दिलाकर उन्हें स्वच्छ एवं गुणवक्तायुक्त खाद्य पदार्थों को तैयार किये जाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 के अन्तर्गत 42 प्रस्तावों को प्राविधानित धनराशि रू 1927. 12 लाख के सापेक्ष धनराशि रू 1855.50 लाख का ब्याज उपादान का भुगतान किया गया।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अन्तर्गत किसान सम्पदा योजनान्तर्गत मेगा फूड पार्क के 3 प्रस्तावों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तालिका–6.05
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित योजनाओं की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2017–18		2018–19
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
(अ)	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान	संख्या	40	36	40
(ब)	**राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजनाएं**				
1	एक वर्षीय खाद्य प्रसंस्करण ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	150	159	150
2	एक वर्षीय बेकरी एवं कन्फेक्शनरी ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	150	151	150
3	एक वर्षीय कुकरी ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	150	153	150
4	अंश कालीन बेकरी एवं कन्फेक्शनरी	संख्या	310	313	310
5	अंश कालीन कुकरी (पाक कला)	संख्या	250	240	250
6	एक माह सम्मिलित प्रशिक्षण	संख्या	500	497	500
7	15 दिवसीय अंश कालीन खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण	संख्या	25450	25664	25450
8	ग्रामीण शिविर	संख्या	154	151	154
9	सामुदायिक कार्य	कुन्तल	201	188	201
10	खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	संख्या	48	48	48
11	ढाबा फास्ट फूड / रेस्टोरेंट प्रशिक्षण	संख्या	50	50	60
12	गुणवत्ता नियंत्रण एवं हाईजीन सम्बन्धी जागरूकता प्रशिक्षण	संख्या	96	96	120

बजट व्यवस्था : प्रदेश के समन्वित बागवानी विकास हेतु संचालित औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2017–18			वर्ष 2018–19 (जून, 2018 तक)		
		आय व्ययक प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय	आय व्ययक प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय
1.	उद्यान सेक्टर	40283.84	34103.00	32762.66	56379.91	19177.53	3201.65
2.	खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर	6082.99	4988.13	4805.51	8537.16	2398.85	492.20
	योग (उद्यान+खाद्य प्रसंस्करण)	46366.83	39091.13	37568.17	64917.07	21576.38	3693.85

चुनौतियाँ एवं भावी रणनीति :

फल सब्जियाँ अति संवेदनशील उत्पाद हैं, जिनके तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन, उचित एवं त्वरित विपणन हेतु सुविधाओं का विकास एवं मार्केट फेसिलिटी आवश्यक पहलू है। प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य उत्पादन मण्डी परिषद एवं कृषि विपणन विभाग के माध्यम से बागवानों की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने तथा औद्यानिक फसलों के विपणन को संगठित कर बागवानों एवं कृषकों को उनका उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास करना अति आवश्यक है। इसके लिए कृषकों तथा बागवानों को क्षेत्र स्तर पर नवीनतम् विकसित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे औद्यानिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो तथा कृषकों को उनका उचित मूल्य मिल सके। औद्यानिक फसलों के विपणन हेतु प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों को भी क्रियाशील बनाना एक आवश्यक कदम है।

रणनीतिः–

1. फल, शाकभाजी तथा आलू की खेती में प्रति इकाई क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि।
2. अधिक मूल्यवान फलों (आम, अमरूद, केला, आंवला, लीची, नींबू प्रजाति आदि) तथा शाकभाजी एवं अन्य प्रमुख सब्जियों के उत्पादन पर समयबद्ध कार्यक्रमों द्वारा विशेष बल।
3. निर्यात योग्य फलों, पुष्पों, मसाले तथा शाकभाजी का संहत क्षेत्रों में विकास।
4. उन्नत, शुद्ध तथा रोगमुक्त फलदार पौधे, उन्नतशील एवं प्रमाणित शाकभाजी बीज, आधारीय एवं प्रमाणित आलू बीज के उत्पादन में वृद्धि तथा इसमें कृषकों एवं बागवानों को भागीदार बनाना।
5. प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुलय क्षेत्रों में इस कोटि के कृषकों एवं लघु–सीमान्त कृषकों के खेतों में फल, शाकभाजी एवं पुष्प विकास को बढ़ावा देकर उनकी आय में वृद्धि करना।
6. जल संचयन एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन की दृष्टि से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अधिक ग्राहय बनाना।
7. औद्यानिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषकों तथा बागवानों को क्षेत्र स्तर पर नवीनतम विकसित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।
8. फल एवं सब्जी का संरक्षण, मशरूम एवं पान उत्पादन, मौनपालन, कुकरी व बेकरी में प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों की स्थापना में वृद्धि करना।
9. कृषि का अधिक आय देने वाली औद्यानिक फसलों में विविधीकरण कर आय एवं रोजगार में वृद्धि कराना।
10. पुराने, अल्पोत्पादक तथा अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार कराना।
11. संरक्षित खेती, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन प्रणाली के व्यापक रूप से ग्राहयता बढ़ाने के कार्यक्रम नियेाजित कराना ताकि पर्यावरण, मृदा एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
12. औद्यानिक फसलों के विपणन हेतु सहकारिता के सिद्धान्त पर प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों का गठन कर उन्हें क्रियाशील बनाना।

****

अध्याय–7

ग्राम्य विकास के कार्यक्रम

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का विचार था कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का मूलाधार ग्राम स्वराज है। ग्राम स्वराज, ग्राम विकास तथा पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के बिना सम्भव नहीं। ग्राम स्वराज की दिशा में प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग सतत प्रयत्नशील है। प्रदेश के सीमावर्ती (अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय) क्षेत्र पर स्थित ऐसे दूरस्थ गांव जिनका आजादी के बाद से अभी तक सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है तथा वनटांगिया, मुसहर एवं थारू जनजाति बाहुल्य ग्रामों में जहाँ अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्णतः नहीं मिल पाया है। इन पिछड़े राजस्व ग्रामों में विकास योजनाओं को प्राथमिकता पर लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी, 2018 को प्रथम बार आयोजित किये गए 'यू.पी. दिवस' के अवसर पर ''**मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना**'' का शुभारम्भ किया गया। देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिकों के ग्रामों एवं भौगोलिक संरचना की दृष्टि से अत्यंत विषम परिस्थितियों से घिरे अति पिछड़े ग्रामों को भी इस योजना से आच्छादित किया जाएगा।

सबके लिए रोजगार, आवास, सड़क एवं पेयजल वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है। इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में अलग–अलग योजनायें यथा–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि संचालित किये जा रहे हैं।

1–मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, कालाजार से प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित परिवार एवं पी0एम0ए0वाई0जी0 की पात्रता से आच्छादित परन्तु एस.ई.सी.सी.–2011 के आधार पर आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गई पात्रता सूची में सम्मिलित न होने वाले छतविहीन एवं आश्रयविहीन कच्चे/जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों के लिए पूर्णतः राज्य सहायतित मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) फरवरी, 2018 में प्रारम्भ लागू की गई है।

- प्रथम चरण में केवल आपदा, कालाजार से प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार, जे0ई0/ए0ई0एस से प्रभावित परिवारों को योजनान्तर्गत आच्छादित करने हेतु चिन्हांकित किया जा रहा है।
- दिनांक 31 जुलाई, 2018 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 27,617 लाभार्थी तथा अन्य वर्ग के 13,364 लाभार्थी इस प्रकार कुल 40,981 लाभार्थी चिन्हित किये गए हैं।
- प्राकृतिक आपदा के कुल 56 जनपद में 11412 लाभार्थी तथा कालाजार प्रभावित 04 जनपदों में कुल 46 लाभार्थी चिन्हित किये गये हैं।

- प्रदेश के 20 जनपदों में 23795 मुसहर वर्ग के तथा 04 जनपदों में 4685 वनटांगिया वर्ग के पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति हेतु रु0 50.00 करोड़ तथा अन्य वर्ग के लिये रु0 150.00 करोड़ इस प्रकार कुल रु0 200.00 करोड़ का बजट प्राविधान वर्ष 2018–19 में किया गया है।

2–मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चिन्हित पिछड़े राजस्व ग्रामों को प्राथमिकता पर लाभार्थीपरक, अवस्थापना एवं विकास योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। योजनान्तर्गत चिन्हित पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पूर्वे, टोले–बसावट सहित) को 17 कार्यदायी विभागों द्वारा 24 कार्यक्रमों के माध्यम से संतृप्त किया जाना है।

प्रथम चरण में 1265 राजस्व ग्रामों को संतृप्त करने का लक्ष्य है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित कुल 04 कार्यक्रमों आवासहीन को आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, तालाबों का जीर्णोद्धार के माध्यम से पिछड़े राजस्व ग्रामों को संतृप्त किया जाना है। आवासहीन को आवास कार्यक्रम के अंतर्गत 189 ग्राम, तालाबों का जीर्णोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत 447 ग्राम, मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत 179 ग्राम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 236 ग्राम संतृप्त हो चुके हैं।

3–मिशन अंत्योदय

मिशन अन्त्योदय योजना का उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों के ग्रामीण परिवारों विशेष रूप से एस0ई0सी0सी0 सर्वे में विभिन्न वंचित (डिप्रीवेशन) श्रेणियों के परिवारों की सर्वे के पश्चात् 1000 दिनों में गरीबी दूर करते हुए उनकी जीवन दशा में सही मायने में सुधार लाना है। भारत सरकार द्वारा मिशन अन्त्योदय में उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जनपदों में 10783 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। चयनित ग्राम पंचायतों में अवसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता, सामाजिक विकास और संरक्षण तथा आर्थिक विकास एवं आजीविका में विविधता हेतु 48 बिन्दुओं पर अक्टूबर, 2017 में सर्वे कराया गया।

योजनान्तर्गत कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु 16 फरवरी, 2018 में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ''मिशन अन्त्योदय स्टेयरिंग कमेटी'' का गठन किया गया है।

प्रगति

अवसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता, सामाजिक विकास और संरक्षण तथा आर्थिक विकास एवं आजीविका में विविधता से सम्बन्धित 27 विभागों के 48 बिन्दुओं पर प्रगति हेतु निर्धारित प्रारूप पर 42 जनपदों से सूचना प्राप्त हुई है जिसका संकलन किया जा रहा है।

4. उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(यू0पी0एन0आर0एल0एम0)

उत्तर प्रदेश में इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 2013 में किया गया। प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गयी जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत किया गया है। दीन दयाल अन्त्योदय योजना–एन0आर0एल0 एम0 भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब ग्रामीण परिवारों की कम से कम एक महिला सदस्य को समूह एवं अन्य सामुदायिक संस्था के माध्यम से संगठित कर स्वावलम्बी बनाना है। विविध आजीविका कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुये मिशन 03 आधारों पर कार्य करता हैः– गरीबों के लिये विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना, बाहरी क्षेत्रों में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना और स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता (लघु उद्यमों के लिये) को प्रोत्साहित करना। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के एक करोड़ दस लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को दस लाख स्वयं सहायता समूह, एक लाख ग्राम संगठन एवं तीन हजार संकुल स्तरीय सगठनों में संगठित करना है। मिशन अन्तर्गत बजट व्यवस्था केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60 : 40 के अनुपात में की जाती है।

मिशन का उद्देश्यः–

ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह एवं समूहों को ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ के रुप में संगठित करना, गठित स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संगठनों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन करना, समूहों हेतु रिवाल्विंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करना, गठित स्वयं सहायता समूहों को बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना।

क्रियान्वयन रणनीतिः–

- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला व विकास खण्ड स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाती है, जिसमें योग्य एवं अनुभवी प्रोफेशनल्स की तैनाती की जाती है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में मिशन द्वारा प्रदेश के 39 जनपदों के 250 विकास खण्डों में इन्टेन्सिव रूप से कार्य किया जा रहा है।

प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में 61700 समूह गठन के लक्ष्य के सापेक्ष 61700 समूह गठित किये गए, 50225 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 50225 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया तथा 29210 समूहों को ऋण उपलब्ध कराने के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 29210 समूहों का बैंकों से लिंकेज कराया गया एवं कुल उपलब्ध धनराशि रु0 657.02 करोड़ के सापेक्ष रु0 405.08 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में जुलाई, 2018 तक 71214 समूह गठन के लक्ष्य के सापेक्ष 15275 समूह गठित किये गए, 56302 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 9395 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया तथा 36998 समूहों को ऋण उपलब्ध कराने के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 9374 समूहों का बैंकों से लिंकेज कराया गया एवं कुल उपलब्ध धनराशि रु0 585.84 करोड़ के सापेक्ष रु0 99.77 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

5.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)–

यह देश में लागू एक रोजगार गारन्टी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

योजना के मुख्य बिन्दु–

- यह एक माँग आधारित योजना है। परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है। ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करने के लिए उत्तरदायी है।
- प्रदेश में प्रति मानव दिवस औसत मजदूरी 01–04–2017 से रू0 175/– निर्धारित है।

प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में 18.00 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 18.18 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं कुल उपलब्ध धनराशि रु0 4016.86 करोड़ के सापेक्ष रु0 4642.2 करोड़ धनराशि व्यय की गयी।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में 31 जुलाई, 2018 तक 20.00 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 8.38 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं कुल उपलब्ध धनराशि रु0 2219.13 करोड़ के सापेक्ष रु0 2233.07 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

- **आधार एण्ड एपीबीएस (आधार पेमेन्ट ब्रिज सिस्टम):-**

  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत कार्यों की पारदर्शिता को बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए 100.78 लाख क्रियाशील श्रमिकों के सापेक्ष 94.68 लाख क्रियाशील श्रमिकों का आधार विवरण नरेगा सॉफ्ट पर अंकित करा लिया गया है। वर्तमान में 65.33 लाख श्रमिकों को आधार बेस पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
- **जियो मनरेगा:-** मनरेगा योजना में कार्य की पारदर्शिता को बढ़ाते हुए 31 जुलाई, 2018 तक कुल 48.91 लाख सृजित परिसम्पतियों के सापेक्ष 43.85 लाख परिसम्पतियों की जियो टैगिंग कर ली गयी है।
- **आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण की प्रगतिः–** मनरेगा, आई.सी.डी.एस. एवं पंचायती राज के मध्य निर्मित कराये जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों में आई.सी.डी.एस. द्वारा प्रथम किस्त के रूप में 9168 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु अवमुक्त धनराशि द्वारा 9026 केन्द्रों को पूर्ण कर लिया गया है।
- **तालाबों के निर्माण/जीर्णोद्धार की प्रगति–** मनरेगा योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल 20827 तालाबों का चयन किया गया है जिसके सापेक्ष 8737 तालाबों का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 646 तालाबों के जीर्णोद्धार के सापेक्ष 172 तालाबों का जीर्णोद्धार पूर्ण हो चुका है।

6. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शुभारम्भ प्रदेश में 20 नवम्बर, 2016 से किया गया जिसका लक्ष्य 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध करना है। प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुख्य उददेश्य बेघर और जीर्णशीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है।

आवास की लागत सामान्य क्षेत्रों के लिये रू0 1,20,000/– तथा नक्सल प्रभावित जनपदों के लिये रू0 1,30,000/– निर्धारित है। वर्ष 2018–19 में निम्न ग्रामों को वरीयता के आधार पर संतृप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैः–

- ❖ मुख्यमंत्री समग्र ग्राम।
- ❖ सांसद आदर्श ग्राम।
- ❖ ओ0डी0एफ0 के अन्तर्गत चिन्हित 10 ग्राम।
- ❖ रुर्बन मिशन में चिन्हित क्लस्टर के ग्राम।
- ❖ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 05 ग्राम।
- ❖ कालाजार रोग से प्रभावित ग्राम।

प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में 8.85 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 7.71 लाख आवास पूर्ण कर आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश ने सम्पूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया जो एक मिसाल है। वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लक्ष्य के सापेक्ष 6.04 लाख लाभार्थियों को शौचालय की सुविधा दी गयी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुल रु0 10362.11 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 3.14 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2017–18 के 1.14 लाख आवास हैं। 31 जुलाई, 2018 तक 2017–18 के अवशेष 0.65 लाख अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह जुलाई, 2018 तक कुल उपलब्ध धनराशि रु0 908.85 करोड़ के सापेक्ष कुल रु0 352.45 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

7. प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

25 दिसम्बर, 2000 से शत् प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 या उससे अधिक आबादी की बसावटों को व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की 250 व उससे अधिक आबादी की बसावटों को सर्वऋतु पक्के मार्गो से जोड़ना था।

योजना के मानकों के अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश की समस्त अर्ह बसावटों का आच्छादन कर लिया गया है। तत्पश्चात वर्ष 2013–14 से पीएमजीएसवाई–2 का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत केवल पूर्व निर्मित मार्गों के उच्चीकरण/सुधार के कार्य ही अनुमन्य है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60:40 कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति

- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 01 अप्रैल, 2018 को गत वर्षो में स्वीकृत कुल 473 सड़कें, लम्बाई 1995.95 किमी0 अवशेष थी।
- कुल उपलब्ध 473 मार्गो के सापेक्ष 472 मार्ग वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण किए जाने तथा लम्बाई 1953.61 किमी0 निर्मित की जानी लक्षित है। शेष 01 मार्ग (जनपद सोनभद्र जिसकी कुल लम्बाई 61.50 किमी0 तथा अगले वर्ष हेतु अवशेष लम्बाई 42. 34 किमी) को अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- माह जुलाई, 2018 तक 246 मार्गो को पूर्ण किया जा चुका है तथा लम्बाई 916.70 किमी0 निर्मित की जा चुकी है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु रू0 2872.81 करोड का बजट प्राविधान है।
- योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रथम बार नई तकनीकों का प्रयोग कर 1741.58 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित किया गया जिसमें वेस्ट प्लास्टिक–666.52 किमी0, कोल्ड मिक्स–561.82 किमी0, नैनो टेक्नोलोजी–457.40 किमी0, फ्लाई ऐश–21.85 किमी0, सीसी ब्लाक–25.59 किमी0, आरसीसीपी–6.90, लाईम स्टैब्लाईजेशन 1.50 किमी0 सम्मिलित है। योजनान्तर्गत प्रदेश में नई तकनीकों का प्रयोग कर अब तक 1118.85 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में सड़क निर्माण पर रू0 1224.72 करोड़ व्यय किया जाना लक्षित है।

अनुरक्षण व्यवस्था

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों का निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक सुनिश्चित रख–रखाव भी है। मार्ग पूर्ण होने की तिथि से 6 माह पश्चात् उसके 5 वर्षीय अनुरक्षण की व्यवस्था प्रभावी हो जाती है। निर्मित मार्गो के अनुरक्षण का दायित्व उसी ठेकेदार का है जिसके द्वारा मार्ग का निर्माण किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रथम बार 05 वर्षीय अनुरक्षणाधीन सड़कों को गड्ढामुक्त रखने हेतु अभियान चलाकर 10219.30 किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्ति किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में 11386.42 किमी0 सड़कें 05 वर्षीय अनुरक्षण में है।

8–प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना

वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ हुई यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित है। इसका उद्देश्य 50 प्रतिशत अथवा अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले चयनित ग्रामों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है जिससे पर्याप्त भौतिक व सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु उपलब्ध हो सकें।

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 04 जनपदों के 210 ग्राम योजनान्तर्गत चयनित किये गये हैं, जिसमें जनपद पीलीभीत में 05 ग्राम, सुल्तानपुर में 05 ग्राम, लखनऊ में 60 ग्राम तथा सीतापुर में 140 ग्रामों का चयन किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक इस कार्य हेतु रू0 44.10 करोड़ अवमुक्त किये गये हैं।

भारत सरकार व प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों यथा– ग्राम्य विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला एवं बाल कल्याण तथा पंचायतीराज विभाग आदि द्वारा चलायी जा रही विभिन्न चिन्हित योजनाओं से कन्वर्जेंस व गैप फिलिंग कम्पोनेंट द्वारा चयनित ग्रामों का तीन वर्षों की तय सीमा में निर्धारित मानकों पर विकास किया जाना है।

क्रियान्वयन एवं परिणाम :–

1–प्रदेश के 4 जनपदों के 210 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम योजना में चयनित हैं। योजनान्तर्गत भारत सरकार से रु0 44.10 करोड़ प्राप्त हुए थे। चयनित ग्रामों में प्रति ग्राम 20.00 लाख रुपये की दर से गैप फिलिंग मद में धनराशि माह अगस्त, 2017 में जनपदों को उपलब्ध करा दी गयी है, जिसके द्वारा ग्राम विकास योजना के कार्यों को कराते हुए रु0 2842.08 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

2– इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक अनु0 जाति बाहुल्य वाले 50 ग्रामों का चयन 20 जनपदों में भारत सरकार द्वारा करते हुये उन्हें योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डों पर आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए गैप फिलिंग के लिए रू0 8.65 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3– 04 जनपदों के 210 अनु0 जाति बाहुल्य ग्राम में से 140 आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर दिये गये हैं।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत वर्षवार विवरण

इकाई – (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	चयनित जनपद संख्या	चयनित ग्रामों की संख्या	लक्ष्य		उपलब्धि	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2015–16	04	210	–	42.55	–	–
2.	2016–17	04	210	1052	44.10	1052	–
3.	2017–18	24	259	1052	52.75	356	28.42

9– श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं प्रदान करने, शहर की तरफ पलायन रोकने, चयनित क्लस्टर्स में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करने, जीवन स्तर में सुधार तथा मानव संसाधन की क्षमता में वृद्धि करने हेतु 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन'' योजना वर्ष 2015–16 से कुल 03 चरणों में 19 क्लस्टर्स में संचालित की जा रही है।

चरणवार विवरण एवं प्रगति –

- प्रथम चरण के 08 क्लस्टर्स (2015–16 से 2018–19) हेतु प्रथम किश्त की धनराशि कुल रू0 89.8622 करोड़ (केन्द्रांश रू0 53.9172 करोड़ एवं राज्यांश रू0 35.945 करोड़) प्राप्त हुई है जिसमें से रू0 66.9060 करोड़ जनपदों को अन्तरित की जा चुकी है एवं जनपदों द्वारा रु0 61.358 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।
- द्वितीय चरण के 08 क्लस्टर्स (2016–17 से 2019–20) हेतु प्रथम किश्त की धनराशि कुल रू0 67.50 करोड़ (केन्द्रांश रू0 40.50 करोड़ एवं राज्यांश रू0 27.00 करोड़) प्राप्त हुई है जिसमें से रू0 66.30 करोड़ जनपदों को अन्तरित की जा चुकी है एवं जनपदों द्वारा रु0 38.60 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।
- तृतीय चरण के 03 क्लस्टर्स (2017–18 से 2020–21) हेतु प्रथम किश्त की धनराशि कुल रू0 27.00 करोड (केन्द्रांश रू0 16.20 करोड़ एवं राज्यांश रू0 10.80 करोड़) प्राप्त हुई है।

10–सामुदायिक विकास कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्त पोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिला मुख्यालय पर विकास भवन तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्डों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना के क्रियान्वयन हेतु रु0 30.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

11–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) योजना

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का आरम्भ वर्ष 1999–2000 में किया गया प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने विधान सभा/निर्वाचन क्षेत्रों में सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं में कक्ष निर्माण, पुस्तकालय आदि विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु प्रति वर्ष रु0 150.00 लाख की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

विधायक निधि से अग्निकांड, दुर्घटना एवं असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार वित्तीय वर्ष में रु0 25.00 लाख की सीमा तक सहायता किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2018–19 में रु0 756.00 करोड़ के बजट के सापेक्ष रु0 366.75 की धनराशि अवमुक्त की गयी।

पंचायती राज

प्रदेश में पंचायती राज का विकास

73वें संविधान संशोधन के पश्चात जनगणना वर्ष 1991 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनगर्ठन की कार्यवाही की गयी थी। लगभग 20 वर्ष बाद जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में व्यापक स्तर पर पंचायतों के पुनगर्ठन की कार्यवाही की गयी जिसके फलस्वरूप 7,315 नई ग्राम पंचायतें गठित की गयी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को और अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक कदम उठाया गया, इसके फलस्वरूप

पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणजन को अधिक सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ। 31 मार्च, 2018 को प्रदेश में 59073 ग्राम पंचायतें थी।

प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता विकास हेतु सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए लखनऊ में डा0 राममनोहर लोहिया राज्य स्तरीय पंचायत भवन का निर्माण कराया गया और इस भवन में ही पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है।

पंचायती राज द्वारा संचालित योजनाएं–

1.निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदल कर वर्ष 2012 में निर्मल भारत अभियान कर दिया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना था।

पुनः भारत सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 2014 से निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन करते हुए ''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)'' प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रत्येक पात्र परिवार को शौचालय निर्माण पर रू0 10,000 के स्थान पर रू0 12000/– की सहायता धनराशि इस योजनान्तर्गत दी जा रही है, जिसमें केन्द्रांश रू0–7,200 (60 प्रतिशत) तथा राज्यांश रू0–4,800 (40 प्रतिशत) है। योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत के समस्त बी0पी0एल0 परिवार, गरीबी रेखा के ऊपर निम्न श्रेणी के परिवार, समस्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवार, समस्त लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार, समस्त भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवार, विकलांग सदस्य वाला परिवार, महिला मुखिया वाला परिवार पात्र हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 505090.54 लाख़ का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश मद में कुल रू0 296527.31 लाख़ तथा राज्यांश मद में कुल रू0 200276.74 लाख़ अर्थात् 496804.05 लाख़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। अवमुक्त धनराशि से कुल 4410903 शौचालयों का निर्माण कराया गया।

वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0–1200000.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष अवमुक्त की गयी कुल रू0 1164486.74 लाख़ की धनराशि से कुल 9740628 शौचालयों का निर्माण कराया गया।

2.बहुउद्देशीय पंचायत भवन (जिला योजना)

ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त योजनान्तर्गत कुल 80 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु आय–व्ययक धनराशि रू0 14.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था। सरकार द्वारा प्रति पंचायत भवन रू0 17.46 लाख की दर से धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके द्वारा 80 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया है।

वर्ष 2018–19 में उक्त योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु आय–व्ययक धनराशि रू0 14.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसमें से 79 पंचायत भवनों के लिए प्रति पंचायत भवन रू0 17.46 लाख की दर से शत् प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3.ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल (जिला योजना)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अंत्येष्टि स्थलों का विकास कराये जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त योजनान्तर्गत कुल 41 ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु आय–व्ययक धनराशि रू0 1000.00 लाख का प्राविधान किया गया था, जिसमें प्रति ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल हेतु रू0 24.36 लाख की दर से रू0 998.73 लाख की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत मद में कुल 410 ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु आय–व्ययक धनराशि रू0 10000.00 लाख का प्राविधान किया गया था, जिसमें प्रति ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल हेतु रू0 24.36 लाख की दर से रू0 9987.60 लाख की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

4.राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक परियोजना है, जो भारत के विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पंचायत स्तर पर सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यान्वित है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रयोजित है। योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में चुनी गए ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करना और उनकी सहायता करना है ताकि वे बुनियादी स्तर पर कुशलतापूर्वक अपना काम कर सकें।

ग्रामीण विकास के लिए कई जिम्मेदारियां ग्राम पंचायत के नेताओं को दी जाती हैं जो राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए रखने का काम करते हैं। ग्राम पंचायत को आरजीएसए योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद स्तर जैसे कई स्तरों पर ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण के लिए कई क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण केन्द्र बनाए जाएंगे। संस्थागत क्षमता वाले प्रशिक्षण केन्द्रों में न केवल नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे बल्कि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम भी होंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 162.77 करोड़ का प्रस्ताव पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषण अन्तर्गत धनराशि रू. 125.84 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू. 84. 02 करोड़ अवमुक्त की गई।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की प्रगति

- ग्राम पंचायत स्तर तक नियोजन की प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने हेतु 2450 डिस्ट्रिक रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों, 129 स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया है।
- क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण की गतिविधियों हेतु 25 जनपदों में विभागीय जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टरों का संचालन किया जा रहा है।
- समस्त जनपदों के सी.डी.ओ./डी.एम. का ग्राम पंचायत विकास योजना एवं ई–गवर्नेंस पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।
- आई.ई.सी. हेतु जी.पी.डी.पी. पर ब्राशर, रेडियो जिंगल, प्लिप्स्, एंथेम, कम्यूनिटी माइकिंग, टी.वी. स्पाट, कर्टन रेजर, फ्लिप बुक एवं मोबाइल एप का निर्माण यूनिसेफ एव सेव द चिल्ड्रन संस्थाओं के सहयोग से विकसित किया गया है।
- ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2017–18 के लगभग शतप्रतिशत वार्षिक कार्ययोजनाओं को भारत सरकार के साफ्टवेयर–प्लान–प्लस पर अपलोड किया जाना।
- एन0आई0सी0 हेल्प डेस्क की स्थापना ग्राम पंचायतों की तकनीकी समस्याओं के निवारण हेतु की गई है।
- परिवार रजिस्टरों के डिजिटलाइजेशन कार्य के प्रथम चरण में 5 जनपदों– मेरठ, गाजीपुर, इटावा, बांदा, बहराइच को पायलट के रूप में चिन्हित करते हुए कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) तथा ग्राम पंचायत विकास योजना के (जी0पी0डी0 पी0) के गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व जवाबदेही तय करने, ग्राम पंचायतों में प्रथाओं, प्रणालियों तथा परिणामों का अनुमान लगाने हेतु वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सामाजिक अंकेक्षण किट तैयार करते हुए 97 मास्टर ट्रेनरों का 2 बैचों में सामाजिक अंकेक्षण पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है।

****

अध्याय–8

औद्योगिक प्रगति

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी राज्य आय के वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 4.1 प्रतिशत, 13.7 प्रतिशत, (–)10.0 प्रतिशत, 26.4 प्रतिशत, 16.9 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत रही है। वर्ष 2017–18 में संगठित एवं असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 2.5 प्रतिशत तथा 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्ष 2017–18 में कुल विनिर्माण में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का योगदान क्रमशः 64.4 प्रतिशत एवं 35.6 प्रतिशत आंकलित किया गया है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में क्रमशः 12.9 प्रतिशत, 12.3 प्रतिशत, 12.8 प्रतिशत, 11.1 प्रतिशत, 12.4 प्रतिशत, 13.4 प्रतिशत तथा 12.9 प्रतिशत रहा है जबकि खनन क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2017–18 में योगदान क्रमशः 1.4 प्रतिशत तथा 9.9 प्रतिशत दृष्टिगोचर हुआ है। स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में क्रमशः (–)0.6, 10.1, 28.2, 32.4, 21.2 तथा 25.5 प्रतिशत रही है, वहीं निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में क्रमशः 1.0 प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत, 1.0 प्रतिशत तथा 4.6 प्रतिशत रही है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति का आंकलन करने के लिए तालिका 8.01 दी जा रही है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का व्यापक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004–05=100) वर्ष 2016–17 में 130.43 था जो 5.7 प्रतिशत अधिक होकर वर्ष 2017–18 में 137.9 हो गया। सबसे अधिक वृद्धि (33.7 प्रतिशत) पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद वर्ग में हुई। गत वर्ष 2016–17 की अपेक्षा वर्ष 2017–18 में यातायात उपकरण एवं पुर्जे वर्ग के उत्पादन सूचकांकों में कमी परिलक्षित हुई।

तालिका–8.01

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004–05 = 100)

क्रमांक	उद्योग वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2016–17	2017–18	
1	2	3	4	5
1	खाद्य विनिर्माण	212.98	243.23	14.2
2	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	140.39	187.66	33.7
3	सूती कपड़ा	124.43	124.54	0.1
4	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	111.34	113.84	2.2
5	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	102.48	106.08	3.5
6	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	207.53	176.49	(–)15.0
7	अन्य	94.15	96.64	2.6
	विनिर्माण सूचकांक	**130.43**	**137.89**	5.7

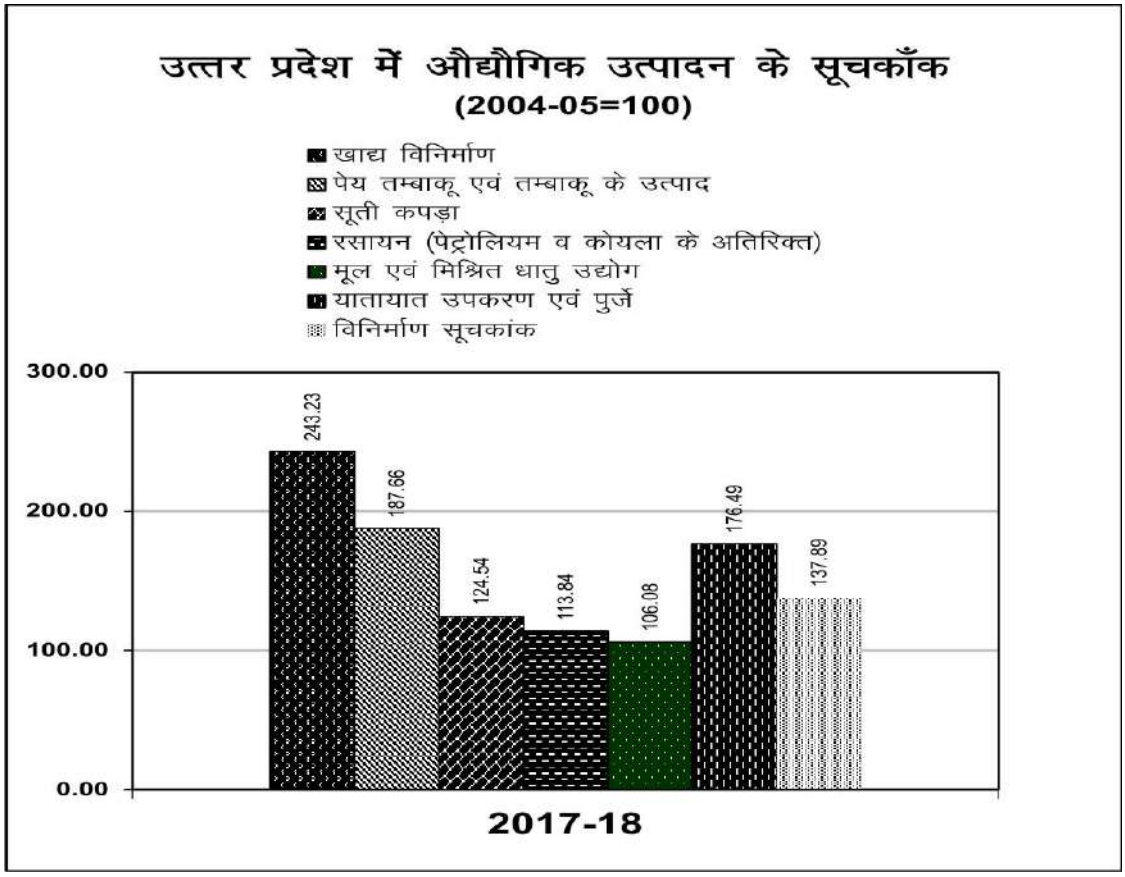

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

सीमेन्ट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योगों आदि की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं साथ ही इनके उत्पाद से दैनिक जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना उस प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊंचा करता है। इन मदों से सम्बंधित आंकड़े तालिका–8.02 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–8.02
उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी (हजार मी.टन)#	सीमेन्ट (हजार मी.टन)	वनस्पति तेल** (हजार मी.टन)	सूती कपड़ा (लाख वर्ग मी)	सूत (हजार मी.टन)
1	2	3	4	5	6
2004–05	5037	4228	301	263	83
2005–06	5784	4881	283	268	51
2006–07	8475	5141	258	252	51
2007–08	7320	5298	261	122	46
2008–09	4064	6033	302	43	38
2009–10	5179	5875	200	6	41
2010–11	5887	7052	145	–	–
2011–12	6974	7021	113	–	–
2012–13	7485	–	–	51	40
2013–14	6495	–	–	49	40

वर्ष	चीनी	सीमेन्ट	वनस्पति तेल**	सूती कपड़ा	सूत
	(हजार मी.टन)#	(हजार मी.टन)	(हजार मी.टन)	(लाख वर्ग मी)	(हजार मी.टन)
1	2	3	4	5	6
2014–15	7100	–	–	30	39
2015–16	6855R	–	–	43	42
2016–17	8773	–	68	102	35

+केवल मिल क्षेत्र। R *संशोधित*

#अक्टूबर से सितम्बर तक।

***नवम्बर से अक्टूबर तक।*

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। चीनी के उत्पादन में वर्ष 2016–17 (8773 हजार मी० टन) में 2015–16 (6855 हजार मी० टन) की तुलना में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सीमेंट का उत्पादन वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक निरन्तर वृद्धि को प्रदर्शित करता है। सीमेन्ट के उत्पादन में वर्ष 2009–10 (5875 हजार मी० टन) में 2008–09 (6033 हजार मी० टन) की तुलना में तथा वर्ष 2011–12 (7021 हजार मी० टन) मे वर्ष 2010–11 (7052 हजार मी० टन) की तुलना में कमी आयी है। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 को छोड़कर वनस्पति तेल का उत्पादन विगत वर्षों की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2016–17 में वनस्पति तेल का उत्पादन 68 हजार मी० टन हो गया। प्रदेश में सूती कपड़े एवं सूत के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है।

औद्योगिक विकास सम्बन्धी उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के संकेतक

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास की प्रगति का बोध कराने के लिए वर्ष 2015–16 में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या एवं उनमें कार्यरत दैनिक श्रमिकों की संख्या तथा प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य के आंकड़े तालिका–8.03 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–8.03

औद्योगिक विकास सम्बन्धी उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के संकेतक

(वर्ष 2015–16)

राज्य	कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	शुद्ध आवर्धित मूल्य (लाख रु0)	प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य (हजार रु0)
1	2	3	4	5	6	7
1–आन्ध्र प्रदेश	12864	520056	3119878	26	1031	600
2–असम	3712	208520	994758	11	630	477
3–बिहार	2918	119496	523963	3	107	438
4–झारखण्ड	2462	179639	1353950	7	505	754
5–गुजरात	18545	1563868	18000465	29	2436	1151
6–हरियाणा	6523	717193	5087135	24	2652	709
7–हिमांचल प्रदेश	2259	187568	3093347	32	2624	1649
8–कर्नाटक	10289	1005074	6426541	16	1566	639

राज्य	कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	शुद्ध आवर्धित मूल्य (लाख रु0)	प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	प्रतिलाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य (हजार रु0)
1	2	3	4	5	6	7
9–केरल	6890	338920	1597014	20	992	471
10–मध्य प्रदेश	3878	358323	2740594	5	462	765
11–छत्तीसगढ	2641	171906	939603	10	625	547
12–महाराष्ट्र	22165	1970456	21725857	19	1661	1103
13–ओडिशा	2634	257842	1444942	6	586	560
14–पंजाब	10308	609675	2189438	35	2070	359
15–राजस्थान	8176	508574	3599480	11	695	708
16–तमिलनाडु	29925	2326458	10900073	40	3091	469
17–उत्तर प्रदेश	12585	941293	5485378	6	439	583
18–उत्तराखण्ड	2605	388389	5552657	24	3622	1430
19–प.बंगाल	8215	634835	2253636	9	665	355
20–गोवा	632	71193	1518226	42	4730	2133
भारत	**191062**	**14299710**	**107248509**	**15**	**1127**	**750**

स्रोत– उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2015–16 खण्ड–1, भारत सरकार।

प्रदेश में औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनेक औद्योगिक संस्थायें कार्यरत् हैं जिनमें से पिकअप, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया जैसी अखिल भारतीय संस्थायें भी उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं।

प्रदेश में औद्योगिक प्रगति तथा अवस्थापना विकास के दृष्टिगत **उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2017**, प्रख्यापित की गयी है। नीति का **विजन** उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, जिससे रोजगार सृजित हो सके एवं प्रदेश के स्थायी, समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास को बल मिले। वर्तमान उद्योगों को स्थिरता प्रदान करने एवं अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही साथ औद्योगिक विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करना होगा जो लोगों को सशक्त बनाए एवं रोजगार उत्पन्न करे, जिसके फलस्वरुप अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो।

नीति का लक्ष्य प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़ाना, उद्योगों के बढ़ने के लिए गुणवत्तायुक्त अवस्थापना उपलब्ध कराना, व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने के लिए व्यवसाय करने की सहजता को बढ़ावा देना, कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए अधिकतम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार तथा स्व–रोजगार के अवसर सृजित करना, रोजगार योग्यता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के कार्यबल को कुशल बनाना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करना,

युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ाना एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, संतुलित, स्थायी एवं समेकित आर्थिक विकास सुनिश्चित करना एवं नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

नीति का **विजन प्राप्त करने की रणनीतियाँ**

प्रदेश सरकार निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से नीति के विजन को प्राप्त करने का प्रयास करेगी –

♣ अवस्थापना को सक्षम बनाना – नवीन अवस्थापकीय सुविधाओं का विकास तथा विद्यमान अवस्थापकीय सुविधाओं का उन्नयन करना।

♣ रोजगार सृजन – नए अवसरों की रचना।

♣ वित्तीय प्रोत्साहन – निवेश आकर्षण।

♣ **व्यापार करने में सहजता** – एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाना।

इस नीति का उद्देश्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण, सर्वोत्तम समयबद्ध मानदण्डों के अनुरुप स्वीकृति एवं अनुक्रियाशील सुविधा सेवाएं सुनिश्चित करके राज्य में अनुकूल व्यापार सहायक वातावरण बनाना है।

♣**एकल खिड़की स्वीकृतियां (सिंगल विंडो क्लीयरेंस)** प्रदेश सरकार सभी औद्योगिक सेवाओं/स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेंस को ऑनलाइन तथा एक छत के नीचे प्रदान करने की क्रिया विधि को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता को अनुभव करती है। इस हेतु सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंर्तगत एक समर्पित सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग बनाया जाएगा। यह विभाग समस्त औद्योगिक सेवाओं/स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेंसों को प्रदान करने के लिए सरकार का एकमात्र इंटरफेस होगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक सिंगल विंडो टेक्नोलॉजी पोर्टल विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से समस्त आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कर औद्योगिक सेवाएँ/स्वीकृतयाँ/अनुमोदन/अनुमतियाँ/लाइसेंस ऑनलाइन प्रदान किये जाएँगे।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा।

♣ मेक इन यूपी – मेक इन इंडिया की सफलता का लाभ उठाना

"मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के अनुरुप, "मेक इन यूपी" कार्यक्रम ऐसी रणनीति अपनाएगा जो यूपी को भारत का एक विनिर्माण केंद्र बनाने में सशक्त तथा सक्षम बनाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निम्न कार्य करेगी –

- एक समर्पित "मेक इन यूपी" विभाग की स्थापना।
- मेक इन यूपी विभाग, विनिर्माण को बढ़ावा देने, रोजगार उत्पन्न करने, जीवन मानकों को बढ़ाने एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप निरन्तर विकास करने के उद्देश्य से उद्योग एवं सेक्टर विशिष्ट राज्य निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (एसआईएमज़ेड) को चिन्हित तथा सृजित करेगा।
- प्रदेश सरकार चिन्हित क्षेत्रों में संपूर्ण विनिर्माण वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में उल्लिखित वित्तीय एवं गैर–वित्तीय उपायों के साथ–साथ सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके आवश्यक समयबद्ध हस्तक्षेप सुनिश्चित करेगी।

♣ कुशल कार्यबल – जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना

यह नीति **5 E's–एजुकेशन, इम्प्लॉयबिलिटी, इम्प्लॉयमेण्ट, इकोनॉमी एवं इन्वायरमेण्ट** के सिद्धांत के आधार पर कार्यबल की क्षेत्र–विशिष्ट उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान करेगी जिसके लिए–

- उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग विशिष्ट स्किल–गैप एवं कौशल आवश्यकताओं को चिन्हित करेगी एवं सक्रिय उपयोगकर्ता–उद्योग की भागीदारी से पाठ्यक्रम सामग्री एवं प्रशिक्षण को तैयार करके आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में उद्योग–आधारित लघु अवधि/दीर्घकालिक/मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पूंजी का दोहन करने हेतु प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों/समूहों/पार्कों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- हस्तशिल्प एवं घरेलू व्यापार करने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं महिला उद्यमियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

♣ **नवाचार– स्टार्ट–अप** को बढ़ावा

♣ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) द्वारा चहुंमुखी औद्योगिक विकास का सुनिश्चयन।

♣ **स्थायी तथा समावेशी विकास**– स्वच्छ विकास एवं आर्थिक प्रगति का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना।

♣ निवेश को प्रोत्साहन एवं '**ब्रांड उत्तर प्रदेश**' का विपणन।

उ0प्र0 द्वारा औद्योगिक विकास से संबधित संचालित योजनायें–

प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन से संबधित अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनका प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो रहा है।

भारत सरकार के सहयोग से संचालित योजनाएं

1– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार की यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के कम से कम आठवीं पास बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत रू0 25.00 लाख तक की परियोजना लागत की इकाइयों को बैंकों से वित्त पोषण प्रदान कराकर सरकारी सहायता के रूप में 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग केन्द्र, खादी बोर्ड व खादी आयोग द्वारा 40: 30 : 30 के अनुपात में किया जाता है। व्यक्ति द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार की किसी अन्य अनुदानपरक योजना के अन्तर्गत लाभ न प्राप्त किया गया हो, किसी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। संबंधित एजेन्सी द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों के परीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा चयनोपरान्त आवेदन–पत्र बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु भौतिक लक्ष्य 2,631 के सापेक्ष 3001 लाभार्थियों को ऋण वितरण कराया गया, जिसमें 23997 का रोजगार सृजन हुआ है।

2– लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना–

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित क्लस्टर विकास योजना के माध्यम से क्षेत्र विशेष/क्लस्टर विशेष को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उस

क्षेत्र में कॉमन फैसिलिटी सेन्टर स्थापित कराने हेतु (कम से कम 20 सदस्य) एस0पी0वी0 के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित डी.पी.आर. भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। सामान्यतः वित्तपोषण परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य है।

योजनान्तर्गत अब तक भारत सरकार द्वारा 7 कॉमन फैसिलिटी सेन्टर (सीएफसी) के प्रस्ताव (कुल लागत धनराशि रू0 4965.40 लाख) स्वीकृत हुए हैं। सीएफसी पाटरी क्लस्टर खुर्जा, सीजर्स क्लस्टर, मेरठ संचालित है। औद्योगिक अवस्थापना से संबंधित आगरा एवं मेरठ के क्रमशः दो एवं एक औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित तीन प्रस्ताव (कुल लागत धनराशि रू0 1755.51 लाख) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुए हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में धनराशि की कमी के कारण कार्य पूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है। इस विषय में क्लस्टर की राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग समिति में प्रकरण पर विचार होना है।

3– एस्पायर योजना–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एस्पायर योजनान्तर्गत संस्थाओं को एल.बी.आई.(लिवलीहुड बिजनेस एक्यूबेशन सेन्टर) एवं टी.यू.आई.(टेक्नौलॉजी एक्यूबेशन सेन्टर) स्थापित करने हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। यह अनुदान मात्र मशीनरी के मद में अधिकतम रू0 एक करोड़ तक अनुमन्य है। सरकारी संस्था को रू0 एक करोड़ की सीमा तक शत–प्रतिशत अनुदान देय है। प्राइवेट संस्था को मशीन की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 50.00 लाख का अनुदान अनुमन्य है। शेष 50 प्रतिशत प्राइवेट संस्था को मैचिंग ग्रान्ट उपलब्ध कराना होगा।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार को एल0बी0आई0 के प्रेषित कुल 6 प्रस्ताव (लागत रू0 381.65 लाख) स्वीकृत हुए हैं। उक्त स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष भारत सरकार से धनराशि रू0 1,57,48,500.00 प्राप्त हो गयी है, जिसे सम्बन्धित एल0बी0आई0 के खातों में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु महत्वपूर्ण नई योजनाओं में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की योजना लागू की जा रही है। प्रदेश में संचालित कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नवत हैं–

1– औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण

प्रदेश के वृहद् औद्योगिक आस्थानों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न अवस्थापना सुविधाएं (जैसे–सड़क, नाली, ड्रैनेज आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं की उच्चीकरण योजना संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल स्वीकृत बजट धनराशि रु0 700.00 लाख से प्रदेश के 16 औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु रू0 700.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

2–उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन) योजना

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना जनवरी, 2007 में प्रारम्भ की गई है।

योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को तकनीकी उन्नयन हेतु तकनीक की खरीद और आयात में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.50 लाख, उत्पादन में वृद्धि एवं

गुणवत्ता में सुधार हेतु मशीन/संयंत्रों के क्रय में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख, मशीनों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (अधिकतम रू0 50,000.00), आई0एस0ओ0/ आई0एस0आई0 पर व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख एवं परामर्श प्राप्त किये जाने पर व्यय की गई धनराशि का 90 प्रतिशत अधिकतम रू0 50,000.00 की सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 73 इकाईयों को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराते हुए 154.00 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

3– एक जनपद एक उत्पाद

प्रदेश के जनपदों के विभिन्न विशिष्ट हस्तशिल्पियों, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा विनिर्मित उत्पादों की उत्पादन तकनीकी व गुणवत्ता में सुधार, कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के कौशल विकास एवं उत्पादों की ब्रांडिंग के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने व प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा **''एक जनपद एक उत्पाद''** नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान में अवध शिल्प ग्राम, लखनऊ में प्रदेश के प्रत्येक जनपद द्वारा अपने उत्पाद का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना हेतु वर्ष 2018–19 के लिए रू0 250.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

4–उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य पुरस्कार योजनाः–

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना 17 अगस्त, 2009 में प्रारम्भ की गई।

उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को उनके हाई टर्न ओवर सफल एवं उत्कृष्ट उत्पाद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास हेतु पुरस्कार दिया जायेगा। ये पुरस्कार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग क्षेत्र एवं सर्विस क्षेत्र के उद्यमियों को विभिन्न उत्पादों एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमियों को प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजनान्तर्गत 20 इकाईयों को पुरस्कृत किया गया।

5– विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना–

राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार व राज्य हस्तशिल्प/दक्षता पुरस्कार प्राप्त उद्यमियों को प्रति माह रू0 2,000/– पेंशन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह पेंशन हस्तशिल्पी को चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक उपलब्ध करायी जाती है।

हस्तशिल्पी द्वारा राष्ट्रीय/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार अथवा दक्षता पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए तथा न्यूनतम आयु 50 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र कार्यालय में आवेदन किया जाना होगा।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 196 हस्तशिल्पियों को पेंशन के रूप में रू0 30.00 लाख की सहायता उपलब्ध करायी गयी।

6– सामग्री क्रय योजना–

सरकारी विभागों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय किये जाने में प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को वरीयता प्रदान करने हेतु मात्रा अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध के आदेश निर्गत किये गये हैं। केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध की व्यवस्था उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन स्तर पर लागू की गयी है तथा उद्योग निदेशालय तथा उद्यम प्रोत्साहन को राज्य क्रय संगठन (एस0पी0ओ0) नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रिक्योरमेन्ट मैनुवल (प्रिक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) का प्राख्यापन भी किया गया है। सरकारी विभागों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय किये जाने में प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को वरीयता प्रदान करने हेतु मात्रा अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध के आदेश निर्गत किये गये हैं। केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध की व्यवस्था उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन

स्तर पर लागू की गयी है। उत्तर प्रदेश प्रिक्योरमेन्ट मैनुवल (प्रिक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) का प्रख्यापन भी किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 34 निविदायें आमंत्रित तथा 13 दर अनुबन्ध निर्गत किये गये।

7– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना–

उद्यमियों द्वारा अपनी उद्यम स्थापना के क्रम में एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट–2006 की व्यवस्था के अनुसार उद्यम ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 जिला उद्योग केन्द्रों में दाख़िल किये जाते थे। अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर भारत सरकार द्वारा नई **''उद्योग आधार मेमोरेण्डम''** (यूएएम) व्यवस्था सितम्बर, .2015 से लागू की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा भी इस व्यवस्था को नवम्बर, 2015 को नोटीफाइड कर दिया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यमी **उद्योगआधार.जीओवी.इन** वेबसाइट पर जाकर एक पेज के प्रोफार्मे पर अपने उद्योग की जानकारियों को भरकर अपना उद्योग आधार मेमोरेण्डम ऑन–लाइन रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 1,15,785 उद्योग आधार मेमोरेण्डम जारी हुए, जिसमें 7,06,775 का रोजगार सृजन एवं रू0 14627.92 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है।

8– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत ब्याज उपादान–

देश तथा प्रदेश की अर्थ व्यवस्था तथा रोजगार सृजन में एम.एस.एम.ई. की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि के पश्चात् एम.एस.एम.ई. ही सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। एम. एस.एम.ई. क्षेत्र को और प्रतिस्पर्धी बनाने सुदृढ़ करने एवं नव उद्यमियों को इस क्षेत्र की ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति के अन्तर्गत प्रदेश के पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड व मध्यान्चल क्षेत्र के जनपदों में ब्याज उपादान योजना'' वर्ष 2016–17 से प्रस्तावित की गयी है।

उक्त क्षेत्र के जनपदों में स्थापित होने वाली नई लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज पर पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 7 प्रतिशत की दर से एवं मध्यांचल क्षेत्र में 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष की दर से पॉच वर्षों तक ब्याज उपादान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में किसी भी इकाई के पात्रता की श्रेणी में न आने के कारण योजनान्तर्गत किसी भी इकाई को लाभान्वित नहीं कराया जा सका।

9–जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें आधुनिक रूप में विकसित कर उन्हें कार्पोरेट लुक देते हुए उद्यमियों को कॉन्सेप्ट से मार्केट तक हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान किये जाने हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण की योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में आधुनिकीकृत एवं उच्चीकृत किये जाने वाले मेरठ, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर जनपदों के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के लिए रु0 400.00 लाख बजट का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु रू0 400.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

10–हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों में संचालित की जाती है। योजनान्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें नवीनतम तकनीक एवं उन्नत किस्म के औजारों/उपकरणों का उपयोग सिखाया जाता है। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त (ह0शि0) द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों द्वारा प्रदान किया जाता है।

हस्तशिल्प क्षेत्र का निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश से कुल निर्यात में हस्तशिल्प का 60 प्रतिशत से अधिक योगदान है। निर्यात को बढ़ावा देने तथा विश्व की मांग के अनुरूप नई–नई डिज़ाइनों की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रमुख हस्तशिल्प ट्रेडों में डिजाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है।

योजनान्तर्गत 18 से 35 वर्ष के व्यक्ति पात्र होते हैं, किन्तु अनुजा0/जन जाति के व्यक्तियों को 5 वर्ष शिथिलता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण अवधि छः माह की होती है। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों यथा–वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, लखनऊ, मिर्जापुर, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मुरादाबाद व रामपुर में लागू है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत 1730 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें रू0 119.40 लाख की धनराशि व्यय हुई।

11– हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना–

प्रदेश के हस्तशिल्पियों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करने के उददेश्य से इस योजनान्तर्गत उनके द्वारा शिल्प मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु माल–भाड़े पर आने वाला व्यय तथा स्टॉल किराये पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 10,000/– की सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह सुविधा वर्ष में एक शिल्पकार को दो बार ही प्राप्त होती है। योजनान्तर्गत वे हस्तशिल्पी पात्र होंगे, जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा उसके पास हस्तशिल्पी पहचान–पत्र हो।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत 2066 हस्तशिल्पियों को रू0 199.00 लाख की सहायता उपलब्ध करायी गयी।

12– एकल मेज व्यवस्था एवं उद्योग बन्धु की बैठकें–

उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापना के क्रम में आने वाली समस्याओं के निराकरण व सहयोग हेतु जिला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु बैठकों की व्यवस्था की गयी है। जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार किये जाने की व्यवस्था है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति का गठन किया गया है। मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति का भी गठन किया गया है, जो प्रदेश में औद्योगिक वातावरण के सृजन व निवेश बढ़ाने हेतु आवश्यक नीतिगत फैसले लेती है। कोई भी उद्यमी जिले, मण्डल अथवा राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु में अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर उनका निराकरण करा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की 739 बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें प्राप्त 1,27,520 आवेदन–पत्रों में से 1,27,256 आवेदन–पत्रों का निस्तारण किया गया। 77 मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों का भी आयोजन किया गया।

13–उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद का गठन

निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2015 के प्राविधानान्तर्गत प्रदेश में निर्यात एवं हस्तशिल्प क्षेत्र की इकाईयों को बढ़ावा देने, उन्हें संरक्षण प्रदान करने, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में उत्तर प्रदेश के ब्राण्ड प्रमोशन के उद्देश्य से नवम्बर, 2015 द्वारा प्रदेश स्तर पर ''उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल'' का गठन किया गया।

उक्त परिषद द्वारा नई निर्यातक इकाईयों के लिए हितकारी परिवेश, बेहतर विपणन सुविधायें, नये बाजारों से सम्बन्धित अवसरों की पहचान, गुणवत्ता एवं पैकिंग के अर्न्तराष्ट्रीय मानको का अंगीकरण आदि कार्यो हेतु आई.सी.डी.सी.एफ.एस. के उच्चीकरण एवं रेल/रोड़ नेटवर्क से

कनेक्टीविटी, विदेशाी बाजारों मे वेयर हाउस एवं शो रूम्स की स्थापना, डिजाइन सेन्टर, डिजाइन लैब, डिजाइन बैंक, टूल रूम आदि की स्थापना, निर्यातकों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, निर्यात हेतु नवाचार को प्रोत्साहन एवं रॉ–मैटेरियल बैंकों की स्थापना के महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं।

खनिज अन्वेषण

आर्थिक विकास में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा के यथासम्भव अधिकतम एवं लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय भूगर्भ में छिपे खनिजों के अन्वेषण एवं मानचित्रण से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन कर खनन स्थलों का चयन एवं खनन कार्यो द्वारा अधिकतम खनिज राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व निभाता है। उत्तर प्रदेश में ज्ञात खनिजों का खनन, विपणन तथा खनिजों पर आधारित इकाइयों की संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

प्रदेश में अब तक किये गये खनिज अन्वेषण के अन्तर्गत प्रदेश में स्वर्ण, लौह अयस्क, ग्लूकोनाईट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर व रॉक फास्फेट, पोटाश, सिलिका सैण्ड व चीनी मिट्टी के खनिज भण्डारो की पुष्टि हुई है। खनिज राजस्व एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के 12 जनपदों को खनिज बाहुल्य जनपदों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रदेश में मुख्य खनिजों की खोज में निजी कम्पनियों द्वारा भी रूचि ली जा रही है।

प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उपखनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहें हैं।

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थो के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट, सिलिका सैण्ड, गन्धक, स्टीटाइट तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उपखनिज पदार्थो के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े तालिका 8.04 में दिये जा रहे हैंः–

तालिका–8.04

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र0सं0	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु. में)		गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	परिमाण ('000) मी.टन.		गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
		2016–17	2017–18*		2016–17	2017–18*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्टीटाइट	–	–	–	–	–	–
2	गन्धक	–	–	–	42013	43016	2.39
3	कोयला	–	–	–	14401	16659	15.68
4	चूने का पत्थर	3776	5268	39.5	2443	2139	(–)12.44

*अनन्तिम

उप खनिज पदार्थों की भी अपनी महत्ता है। इन पदार्थों की उपलब्धता भी देश/प्रदेश के आर्थिक स्तर के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उप खनिज पदार्थो में साधारण बालू, इमारती पत्थर, मौरंग, बजरी तथा संगमरमर प्रमुख हैं। इनके उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े तालिका 8.05 में दिये जा रहें हैं–

तालिका–8.05

उत्तर प्रदेश में उप खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्रम सं0	उप खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य(लाख रू. में)			परिमाण(लाख घनमीटर)		
		2016–17	2017–18*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	2016–17	2017–18*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साधारण बालू	13061.70	39311.79	200.97	36.28	59.94	65.21
2	स्लैब स्टोन	3204.00	7253.80	126.40	0.71	2.23	214.08
3	गिट्टी	578653.22	6009.25	(–)98.96	526.05	11.79	(–)97.76
4	ग्रेनाइट	4961.25	5746.20	15.82	0.18	0.25	38.89
5	ईट बनाने की मिट्टी	395622.50	112548.80	71.55	791.25	–	–
6	मौरंग	23169.65	503374.20	2072.56	23.17	26.21	13.12
7	बजरी	286.36	204.70	(–)28.52	0.38	0.05	(–)86.84

*अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 की अपेक्षा वर्ष 2017–18 में गिट्टी तथा बजरी को छोड़कर शेष उप खनिज पदार्थो के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक वृद्धि (2072.56 प्रतिशत) मौरंग के मूल्य में हुई है। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2017–18 में गिट्टी तथा बजरी को छोड़कर शेष खनिज पदार्थो के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

****

अध्याय–9

सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाए खण्ड सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक क्रियाकलाप आते हैं जिनकी कई विशेषताएं तथा आयाम हैं। कुछ सेवाएं उच्च प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की हैं तो कुछ सामान्य सेवाएं यथा बाल कटिंग तथा वस्त्र धुलाई आदि भी हैं। इसी प्रकार से कुछ सेवाएं संगठित तथा कुछ असंगठित हैं। इस कारण इस क्षेत्र के योगदान को आंकने हेतु प्रदेश स्तर पर आंकड़ों की उपलब्धता मुख्य चुनौती है।

सेवा खण्ड का निष्पादन

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वर्गीकरण में तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, का प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में स्थायी भावों पर लगभग 48.9 प्रतिशत का अंशदान है जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 24.4 प्रतिशत तथा 26.7 प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्व स्वयं सिद्ध है। वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 5.5 प्रतिशत तथा 8.3 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2017–18 में 48.0 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–9.01

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर तथा प्रतिशत वितरण

(स्थायी भावों पर)

मद	वर्ष					
	2011–12	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17*	2017–18#
1	2	3	4	5	6	7
वृद्धि दर	–	7.1	9.2	7.5	5.5	8.3
प्रतिशत वितरण	45.5	47.0	49.6	48.9	48.3	48.9

*अनन्तिम अनुमान #त्वरित अनुमान

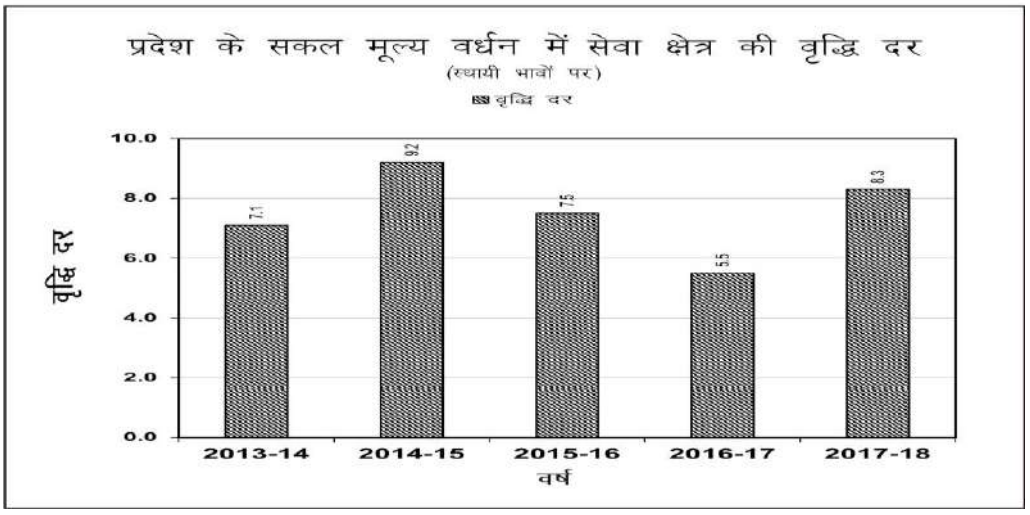

उप–खण्डवार सेवा क्षेत्र का विश्लेषण

(1) परिवहन संग्रहण तथा संचार

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वर्गीकरण के अनुसार परिवहन संग्रहण तथा संचार के अन्तर्गत अधिसंरचनात्मक क्षेत्र यथा रेलवे, वायुयान परिवहन तथा वित्तीय सेवाएं आदि भण्डारण, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाएं रेलवे के अतिरिक्त अन्य परिवहन सेवाएं शामिल की जाती हैं। इस खण्ड में वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन रू० 40475 करोड़ था जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर रू० 80804 करोड़ हो गया है। वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 में इस खण्ड में क्रमशः 5.6 तथा 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन में इस खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 5.9 प्रतिशत था जो बढ़कर 2017–18 में 7.7 प्रतिशत हो गया है।

भण्डारण का वर्ष 2017–18 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 1283 करोड़, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाओं का मूल्य वर्धन रू० 21185 करोड़ था जो विगत वर्ष 2016–17 से क्रमशः 4.2 प्रतिशत तथा 3.5 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। प्रदेश में यह क्षेत्र एक विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आया है।

तालिका–9.02

परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	40474.68	40474.68	–
2012–13	49183.57	46397.68	14.6
2013–14	61010.10	52325.24	12.8
2014–15	72438.56	63878.80	22.1
2015–16	81182.76	71162.13	11.4
2016–17	88870.91	75130.00	5.6
2017–18	98016.28	80803.57	7.6

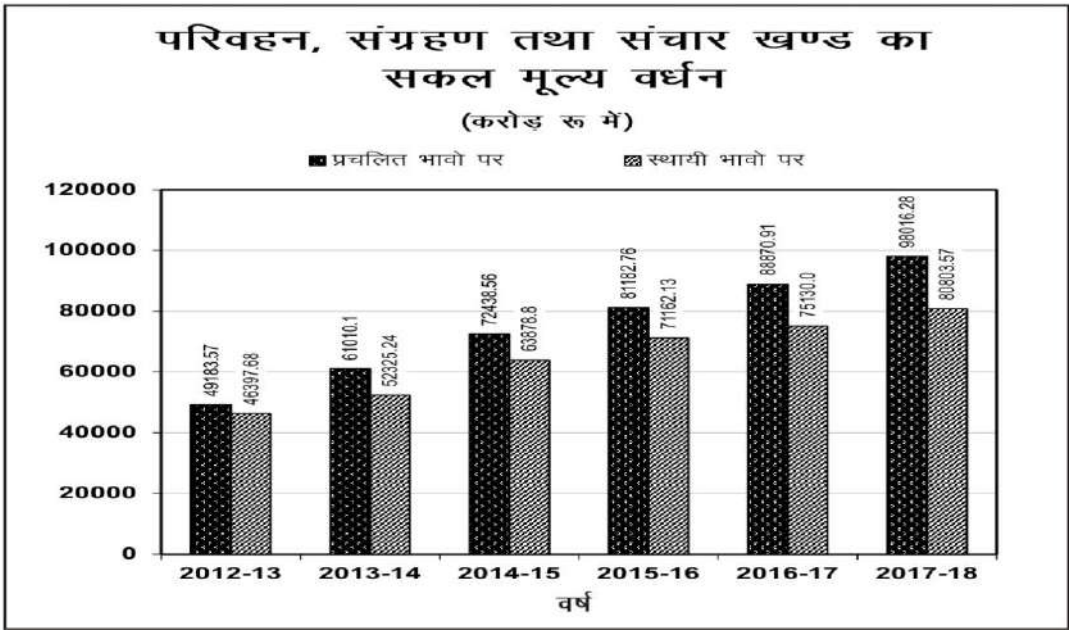

(2) व्यापार होटल एवं जलपान गृह

इस खण्ड में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह के साथ पर्यटन उद्योग भी शामिल है। वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार इस खण्ड का सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 मे रू० 69466 करोड़ था जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर रू० 103377 करोड़ हो गया है। वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 में इस खण्ड में क्रमशः 7.1 व 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 10.2 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2017–18 में 9.5 प्रतिशत रह गया है।

प्रदेश अपने पर्यटन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर इस खण्ड की वृद्धि दर तथा योगदान को बढ़ा सकता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा दर्शाये गये आंकड़ों के आधार पर भारत वर्ष में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान तथा भारतीय पर्यटकों में द्वितीय स्थान दर्शाया गया है। प्रदेश में वर्ष 2018 में कुल पर्यटक 2612.85 लाख में भारतीय पर्यटकों की संख्या 2573.74 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 39.11 लाख सम्मिलित हैं। पर्यटन उद्योग का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अग्रगामी तथा पश्चगामी प्रभाव होता है तथा यह क्षेत्र विकास के उत्प्रेरक के रुप में कार्य कर सकता है। प्रदेश में पर्यटन में विकास एवं रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र की महत्ता के दृष्टिगत पर्यटन नीति 2016 का निर्माण किया गया है जिसमें प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध चुनौतियों को चिन्हित करते हुए पर्यटन नीति 1998 में चिन्हित प्रदेश के 7 पर्यटन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य नवीन क्षेत्रों की पहचान कर समस्त पर्यटन क्षेत्रों मे आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया गया है।

तालिका–9.03

व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	69465.88	69465.88	–
2012–13	74725.00	69760.21	0.4
2013–14	86690.15	76796.66	10.1
2014–15	93256.22	81625.72	6.3
2015–16	105070.09	89447.99	9.6
2016–17	109451.13	95788.56	7.1
2017–18	121419.54	103377.10	7.9

(3) वित्तीय सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत समस्त वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं। इस खण्ड में वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमानों के साथ सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 25182 करोड़ था जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर रू० 39936 करोड़ हो गया है। इस खण्ड में वर्ष 2016–17 में (–)0.4 प्रतिशत तथा वर्ष 2017–18 में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 3.7 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2017–18 में 3.4 प्रतिशत हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस खण्ड के अनुमान हेतु प्रदेश स्तर पर आंकड़ों की उपलब्धता नहीं है, ये आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त होते हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

तालिका–9.04

वित्तीय सेवायें खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	25181.98	25181.98	–
2012–13	28120.02	27751.93	10.2
2013–14	31396.89	30274.42	9.1
2014–15	35209.22	33662.47	11.2
2015–16	39419.46	36534.12	8.5
2016–17	39594.96	36376.83	(–)0.4
2017–18	43468.96	39935.97	9.8

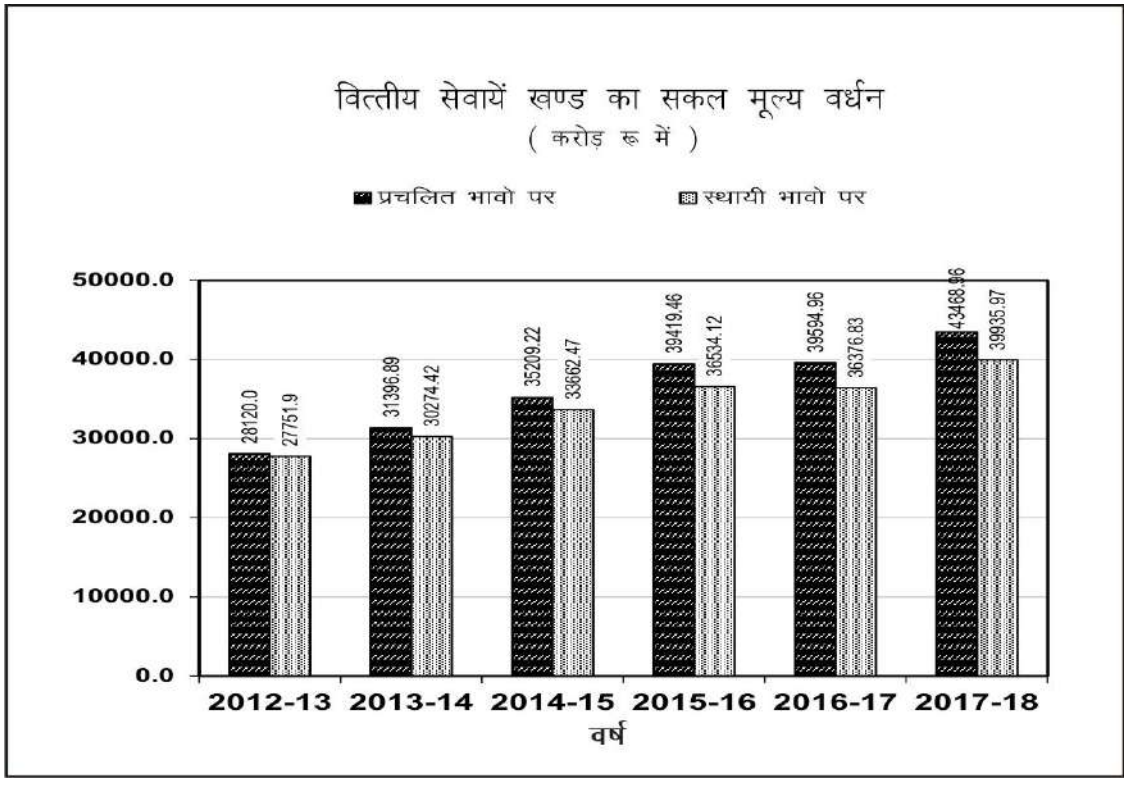

(4) स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत स्थावर संपदा, कम्प्यूटर तथा सूचना सम्बन्धी सेवाएं, व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां, शोध एवं विकास गतिविधि सहित, प्रशासनिक तथा सहायक सेवाओं सम्बन्धी गतिविधियां, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस खण्ड में वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 97454 करोड़ था जो बढ़कर वर्ष 2017–18 में रू० 132787 करोड़ हो गया है। इस खण्ड में वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 में क्रमशः 3.8 प्रतिशत व 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर

परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर वर्ष 2017–18 में 14.7 प्रतिशत रहा है। सेवा खण्ड के अन्तर्गत इस उपखण्ड का योगदान सर्वाधिक है।

तालिका–9.05

स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	97454.17	97454.17	–
2012–13	115278.19	104556.86	7.3
2013–14	130184.73	109552.19	4.8
2014–15	145156.38	116096.88	6.0
2015–16	151674.96	121739.11	4.9
2016–17	172099.87	126352.83	3.8
2017–18	187140.26	132786.86	5.1

(5) सार्वजनिक प्रशासन

सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के अन्तर्गत प्रदेश सरकार, प्रदेश की समस्त ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएं तथा छावनी परिषद को सम्मिलित किया जाता है। इस खण्ड में वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 42348 करोड़ था जो कि वर्ष 2017–18 में बढ़कर रू० 66482 करोड़ हो गया है। वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 में इस खण्ड में क्रमशः 9.0 प्रतिशत तथा 16.4 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में इस खण्ड का योगदान 6.8 प्रतिशत रहा है।

तालिका–9.06

सार्वजनिक प्रशासन खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	42348.30	42348.30	–
2012–13	50586.74	47261.08	11.6
2013–14	54834.64	48467.72	2.6
2014–15	59737.24	50806.04	4.8
2015–16	63177.00	52421.76	3.2
2016–17	71437.39	57129.90	9.0
2017–18	86207.56	66482.08	16.4

(6) अन्य सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी सेवाओं के साथ ही मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, खेल–कूद गतिविधियां, संघों की सदस्यता सम्बन्धी गतिविधियां,

व्यक्तिगत सेवाएं यथा वस्त्र उत्पाद की साफ–सफाई, बालों की कटिंग तथा अन्य ब्यूटी सैलून, दर्जी आदि की सेवाएं भी सम्मिलित है। इस प्रकार इस खण्ड में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनकी कई विशेषताएं और आयाम हैं। इस खण्ड में वर्ष 2017–18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 35401 करोड़ था जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर रू० 52679 करोड़ हो गया है। वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–18 में इस खण्ड में क्रमशः 7.8 प्रतिशत तथा 8.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान 5.2 प्रतिशत था जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–9.07

अन्य सेवाएं खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	35401.00	35401.00	–
2012–13	38629.00	35684.38	0.8
2013–14	43180.00	37429.02	4.9
2014–15	50350.71	41349.88	10.5
2015–16	57526.31	45092.82	9.1
2016–17	65351.70	48605.18	7.8
2017–18	73973.33	52678.76	8.4

सेवा क्षेत्र एवं रोज़गार

प्रदेश में सेवा क्षेत्र प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार मार्च, 2017 को सेवा क्षेत्र में 12.67 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं।

तालिका–9.08

प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	233463
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	394
"जे"	सूचना एवं संचार	22839
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	104278
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	20277
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	513
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	542848
"पी"	शिक्षा	234769
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	102435
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	2153
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3294
योग		**1267263**

****

अध्याय–10
अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार

अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत परिवहन, संचार, ऊर्जा तथा पेयजल विकास सम्बन्धी भौतिक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इन सुविधाओं की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। अवस्थापना सुविधाओं पर किया जा रहा निवेश, कृषि, उद्योग तथा व्यापार के विकास हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। राज्य में परिवहन एवं संचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने की दृष्टि से प्रदेश में सड़क मार्गों, रेल मार्गों, वायु मार्गों, जल मार्गों एवं मेट्रो रेल के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है।

परिवहन

परिवहन एवं व्यापार सम्बंधी क्रिया–कलापों का विकास एवं विस्तार सड़कों के विकास पर भी निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में सड़क एवं संचार जैसी अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

सड़क

सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्री की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका के वजह से महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्री और माल की आवाजाही तेज़ी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हुआ है।

प्रदेश के विकास के लिये अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्गों एवं सेतुओं की भी विशेष भूमिका है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत मार्गों की कुल लम्बाई सम्बन्धी आंकड़ें तालिका–10.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.01

रोड नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	मार्ग का वर्गीकरण	31.3.2012 तक	31.3.2013 तक	31.3.2014 तक	31.3.2015 तक	31.3.2016 तक	31.3.2017 तक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राष्ट्रीय मार्ग (कि0मी0)	6685	7550	7550	7572	7572	7633	7896
2	राज्य मार्ग (कि0मी0)	7957	7703	7543	7597	7147	7202	6892
3	प्रमुख जिला मार्ग (कि0मी0)	7549	7549	7338	7338	7637	7486	7377
4	अन्य जिला मार्ग (कि0मी0)	37373	39245	42434	43512	46006	47576	49405
5	ग्रामीण मार्ग (कि0मी0)	134539	139047	141593	149193	163035	169051	168692
	योग–	**194103**	**201094**	**206458**	**215212**	**231397**	**238948**	**240268**

स्रोतः– लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.।

सड़क निर्माण को अवस्थापना घटक मानते हुए प्रदेश में विभिन्न सड़क निर्माण/मरम्मत सम्बन्धी योजनायें संचालित की जा रही हैं जिसका विवरण निम्नवत है–

1.जिला मुख्यालयों को चार लेन मार्गों से जोड़ना

प्रदेश को सुगम यातायात उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन चौड़े मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2012–13 में प्रारम्भ की गयी थी। प्रदेश के 30 जिला मुख्यालय 4 लेन/2 लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग से पूर्व से ही जुड़े हुए हैं, 10

जिला मुख्यालय भारत सरकार की स्वीकृत योजना (एनएचडीपी) के अन्तर्गत प्रस्तावित 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गो से जुड़ जायेंगे तथा 9 जिला मुख्यालय 2–लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं। भारत सरकार की स्वीकृत योजना (एनएचडीपी) के अन्तर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन हैं जिनमें से अब तक 07 जनपद मुख्यालयों के कार्य पूर्ण है तथा 12 जनपद मुख्यालयों के कार्य प्रगति में है।

04 जिला मुख्यालय (सहारनपुर, बागपत, बहराइच एवं सिद्धार्थनगर) एन0एच0 के अन्तर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन है।

03 जिला मुख्यालय (चित्रकूट, महोबा एवं कुशीनगर) जो राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित हैं, एन0एच0 द्वारा 2 लेन मार्ग (विद पेव्ड शोल्डर) से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। 18 जिला मुख्यालयों (मैनपुरी, अमरोहा, सम्भल, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बंदायूँ, फर्रूखाबाद, बलिया, कासगंज, देवरिया, संतरविदासनगर (भदोही), बिजनौर, बलरामपुर, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, हरदोई, महराजगंज एवं शामली) को 4 लेन मार्ग से इस प्रकार कुल 21 जिला मुख्यालयों को जोड़ने का कार्य प्रस्तावित/निर्माणाधीन है जिनमें से अब तक 14 जिला मुख्यालयों के कार्य पूर्ण है।

2.ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना

प्रदेश सरकार की सम्पर्क मार्गो से असंतृप्त समस्त बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़े जाने की प्राथमिकता है।

तालिका–10.02

2017–18 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन/व्यय/प्रगति

(धनराशि रू0 करोड़ में)

योजना का नाम	वर्ष 2017–18			वर्ष 2018–19				
	आवंटन	व्यय	उपलब्धि किमी0 में	बजट प्राविधान	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	प्रगति
ग्रामीण मार्गो का नविनिर्माण/पुर्ननिर्माण	290.75	290.75	952.00	1570.00	962.62	303.75	3213 कि0मी0	431 किमी0
ग्राम/बसावटों को जोड़ा जाना			566 नं0				1836 नं0	306 नं0
विभिन्न श्रेणी के मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	3759.80	3759.80	2691.00	6870.21	5027.12	2573.59	6593 कि0मी0	1724 किमी0
जिला मुख्यालयों को 04 लेन मार्ग से जोड़ा जाना	171.17	171.17	153.00	1600.00	776.49	386.81	364 किमी0	102 किमी0
नदी सेतुओं का निर्माण कार्य	144.00	144.00	38.00	1477.22	1252.62	939.40	146 नं0	81 नं0
रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य	22.02	22.02	11.00	360.00	325.00	275.00	43 नं0	3 नं0
कोर नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	76.25	76.25	132.00	150.00	13.04	10.06	80	48
इन्डो नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना	99.38	99.38	0.00	248.65	169.05	75.23	66	9

इन बसावटों को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है–

(i) 250 से अधिक आबादी के राजस्व ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ना

वर्ष 2017–18 में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी की 1557 असंतृप्त राजस्व ग्रामों (लं0 1762 किमी0, लागत रू0 1114 करोड़) को जोड़ने की योजना आरम्भ की गई है। इनको वर्ष 2018–19 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) मुख्य मंत्री ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों को संतृप्त करने की योजना–

वर्ष 2018–19 में प्रथम चरण में 914 राजस्व ग्रामों का चयन किया गया है जिसमें 35 असंतृप्त ग्रामों (लं0 32 किमी0, लागत रू0 16 करोड़) एवं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक आबादी के 126 बसावटों (लं0 137 किमी0, लागत रू0 74 करोड़) को जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

(iii) **दो लेन या उससे अधिक चौड़े मार्गो के दोनों ओर 5 किमी0 की परिधि तक वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी की असंतृप्त बसावटों को जोड़ने की योजना–**

वर्ष 2018–19 में दो लेन चौड़े मार्गो के दोनों ओर 5 किमी0 की परिधि तक वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी की 2049 असंतृप्त बसावटों (लं0 2389 किमी0, लागत रू0 1275 करोड़) को जोड़े जाने की योजना प्रस्तावित है।

(iv)**अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईबल सब प्लान–**

अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईबल प्लान के अन्तर्गत ऐसी बसावटों जिनकी आबादी 250 अथवा उससे अधिक है एवं जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ा जा रहा है तथा एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व से निर्मित परन्तु ध्वस्त हो चुके सम्पर्क मार्गो का भी पुर्ननिर्माण किया गया है। वर्ष 2017–18 में रू0 210 करोड़ की लागत से बसावटों के सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण किया गया हैं। वर्ष 2018–19 में चालू कार्यो हेतु रू0 140 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।

तालिका–10.03

बसावटों की सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की वर्तमान स्थिति

	1000+	500-999	250-499	<250	योग
कुल बसावटों की संख्या	41170	49319	55301	69307	215097
पूर्व से जुड़ी हुई बसावटों की संख्या	28232	20440	15060	13401	77133
अनजुड़ी बसावटों की संख्या	12938	28879	40241	55906	137964
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत जोड़ी गई बसावटों की संख्या	6815	4700	709	478	12702
अन्य योजनाओं अन्तर्गत जोड़ी गई बसावटों की संख्या	6123	24174	27678	30225	88205
अवशेष अनजुड़ी बसावटों की संख्या	0	0	11854	25203	37057

3.मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

समस्त एक लेन चौड़े राज्य मार्ग तथा महत्वपूर्ण मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों को यातायात की मॉग के अनुसार 02 लेन किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त भारी यातायात के कारण क्षतिग्रस्त ऐसे प्रमुख/अन्य जिला मार्ग जो नवीनीकरण/विशेष मरम्मत योग्य नहीं हैं, उनका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के अन्तर्गत राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के कुल 6864.81 किमी0 मार्गो का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाना लक्षित था। जिसके सापेक्ष 2976 कि0मी0 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया गया है।

4.कोर रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में महत्वपूर्ण मार्गो का एक कोर रोड नेटवर्क के अन्तर्गत 16545 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 7530 किमी0 राज्य मार्ग, 5761 किमी0 प्रमुख जिला मार्ग

तथा 3254 किमी0 अन्य जिला मार्ग सम्मिलित हैं। वर्ष 2017–18 हेतु 132 कि0मी0 लम्बाई में कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2018–19 में 80 किमी0 का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 48 किमी0 में कार्य किया जा चुका है।

5.सेतु व रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा तथा 60 मीटर से कम लम्बाई के लघु सेतुओं का निर्माण लो0नि0वि0 द्वारा किया जाता है। रेल उपरिगामी सेतुओं के अतिरिक्त सभी पहुॅच मार्ग लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 14 लघु सेतु 24 दीर्घ सेतु तथा 11 रेल उपरिगामी सेतुओ को पहुॅच मार्ग सहित पूर्ण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में 42 दीर्घ सेतु, 104 लघु सेतु व 43 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष 33 दीर्घ सेतु, 48 लघु सेतु तथा 03 रेल उपरिगामी सेतु का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

6.इण्डो नेपाल बार्डर मार्ग

उत्तर प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा पर मार्ग निर्माण की परियोजना का सैद्धान्तिक अनुमोदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। प्रस्तावित मार्ग उत्तर प्रदेश के सात जनपदों क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर तथा महराजगंज से होकर गुजरता है।

इस परियोजना की मूल अनुमोदित लम्बाई 640.00 कि0मी0 तथा लागत रू0 1621.00 करोड़ है। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को कुल 28 डी0पी0आर0, लम्बाई 574.59 कि0मी0 एवं आंकलित लागत रू0 2805.56 करोड़ गठित कर प्रेषित की गयी। इसके विरूद्ध कुल 12 डी0पी0आर0 लम्बाई 257.01 कि0मी0 एवं लागत रू0 759.34 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा निर्गत कर दी गयी है।

स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मात्र मार्ग निर्माण पर आने वाले व्यय का ही वहन किया जायेगा, जबकि संरेखण पर आवश्यक भूमि अध्याप्ति, वन एवं वन्य जीव पूर्वानुमति के फलस्वरूप एन0पी0वी0 का भुगतान एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग पर आने वाला व्यय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत 12 कार्यों का अनुबंध गठित किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत कुल लंबाई 252 कि0मी0 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। स्वीकृत/अनुबंधित कार्यो पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित इण्डों–नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के स्वीकृत कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2013–14 में दो चरणों में क्रमशः रू0 350.00 करोड़, वर्ष 2016–17 में रू0 31.57 करोड़ एवं वर्ष 2017–18 में रू0 200.92 करोड़ अर्थात कुल रू0 582.49 करोड़ की धनराशि उ0प्र0 शासन के पक्ष में अवमुक्त की जा चुकी है एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा रू0 50.00 करोड़ की धनराशि सीधे विभाग को अवमुक्त की गई है। मार्च, 2018 तक निर्माण कार्यो पर रू0 424.37 करोड़ का व्यय करते हुए रू0 84.79 किमी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत 12 कार्यो का अनुबन्ध गठित किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत कुल 252 किमी0 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। स्वीकृत/अनुबन्धित कार्यो पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में निर्माण कार्यो हेतु रू0 48.65 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई है। अब तक रू0 41.12 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुए 7.00 किमी0 अतिरिक्त लम्बाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में भूमि अध्याप्ति हेतु रू0 120.40 करोड़ का आवंटन प्राप्त है। जिसके सापेक्ष रू0 20.00 करोड़ का व्यय करते हुए 27.76 किमी0 लम्बाई में भूमि क्रय किया जा चुका है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उददे्श्य से उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी हैं। इन सेवाओं से सम्बंधित आंकड़े तालिका–10.04 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.04

उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

मद	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2016–17 की अपेक्षा 2017–18 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1–औसत परिचालित बसे **(सं0)**	9128	9269	10526	11862	12.7
2–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग **(संख्या)**	2384	2357	2711	2933	8.2
3–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की औसत लम्बाई **(कि0मी0)**	236	224	251	258	2.8
4–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई **(हजार कि.मी.)**	562	529	681	757	11.2
5–दैनिक कुल परिचालित दूरी **(हजार कि0 मी0)**	3169	3238	3703	4092	10.5
6–प्रतिदिन ले जाये गये यात्री **(लाख)**	14.90	15.19	15.47	17.15	10.9
7–दुर्घटनायें **(प्रति लाख कि0मी0)**	0.08	0.07	0.06	0.06	0.0
8–कुल दुर्घटनायें **(संख्या)**	726	630	648	741	14.4

***अनन्तिम**

स्रोतः– उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों के गाड़ियों से सम्बंधित आंकड़े तालिका 10.05 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.05

उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां

मद	मोटर गाड़ियों की संख्या (31 मार्च को)				2016–17 की अपेक्षा 2017–18 में प्रतिशत वृद्धि	गाड़ियों का प्रतिशत अंश	
	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18*		2016–17	2017–18
1	2	3	4	5	6	7	8
1–मोटर साईकिल	17398458	19258791	21127282	23911791	13.2	80.4	81.3
2–कार	2063230	2330459	2594197	2777553	7.1	9.9	9.4
3–बस	51866	57939	75309	77752	3.2	0.3	0.3

4–टैक्सी	350855	380024	429245	524345	22.2	1.6	1.8
5–ट्रक	445675	494714	549526	609143	10.8	2.1	2.1
6–ट्रैक्टर	1197985	1276927	1338243	1339980	0.1	5.1	4.6
7–अन्य	127461	137512	151444	154252	1.9	0.6	0.5
कुल	**21635530**	**23936366**	**26265246**	**29394816**	11.9	100.0	100.0

अनन्तिम

***स्रोतः**–परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम।*

मेट्रो रेल

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना (एल0एम0आर0सी0)

प्रदेश की राजधानी में तीव्र, सुखद, सुरक्षित तथा मितव्ययी मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया।

इस हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2013 में हुआ है, जोकि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विशेष प्रयोजन साधन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई है।

अवस्थिति

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण (फेज–1ए)– नार्थ–साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया) की लम्बाई 22.878 किमी. है।

शहर के व्यस्त व्यवसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों हेतु चिन्हित इस कॉरिडोर में भूमिगत मेट्रो की दूरी 3.440 किमी. है जो कि चारबाग से लेकर के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम तक होगा तथा शेष 19.438 किमी. मेट्रो भूमि से ऊपर एलिवेटेड के रूप में होगी। इसमें स्टेशनों की संख्या 21 (17 एलिवेटेड, 4 भूमिगत) होगी। नार्थ–साउथ कॉरिडोर के प्राथमिकता सेक्शन (8.5 किमी) का व्यवसायिक संचालन 5 सितम्बर, 2017 से आरम्भ हो चुका है।

लागत एवं वित्त पोषण–

तालिका–10.06

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना लागत

परियोजना लागत	
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	रू0 5590 करोड़
अनुमोदित समापन लागत	रू0 6928 करोड़
परियोजना की अनुमानित समापन लागत	रू0 6928 करोड़

तालिका–10.07

केन्द्र तथा उ0प्र0 सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशियों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	उ0प्र0 सरकार	भारत सरकार
2015–16	825	140.92
2016–17	814	1140.0
2017–18(आवन्टित धनराशि)	233	1692.0

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की वर्तमान अवस्थिति

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज–1ए के अन्तर्गत 22.878 किमी लम्बे नार्थ–साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया) के प्राथमिक सेक्शन (ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, कुल लम्बाई 8.5 किमी) पर दिनांक 27.09.2014 को निर्माण कार्यों का शुभारम्भ किया गया। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक निर्मित प्राथमिक सेक्शन (8.5 किमी) पर मेट्रो सेवा का संचालन दिनांक 05.09.2017 से प्रारम्भ किया जा चुका है। सम्पूर्ण नार्थ–साउथ कॉरिडोर में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 01 अप्रैल, 2019 है।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज–1बी (ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर)

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर फेज–1बी (लम्बाई– 11.165 किमी) के डी.पी.आर. को वर्ष 2013 में डी.एम.आर.सी. द्वारा तैयार किया गया था। इस डी.पी.आर. को माह अप्रैल, 2018 में संशोधित करके लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबन्धक मण्डल की बैठक में माह जून, 2018 में अनुमोदित कर दिया गया है। तद्नुसार लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज–1बी के डी.पी.आर. को राज्य सरकार को माह जुलाई, 2018 में स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। परियोजना में शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने हेतु परियोजना के डी.पी.आर. को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुए इस पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर तथा इलाहाबाद मे भी मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एल0एम0आर0सी0) को ही इन शहरों में भी मेट्रो की डीपीआर तैयार करने हेतु समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत 2 कॉरिडोर्स (लम्बाई–32.385 किमी) का डी.पी.आर. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.03.2016 को केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था। इस परियोजना के अन्तर्गत अन्तरिम परामर्शदाता के रूप में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा रू0 2.45 करोड़ व्यय किये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2017 में जारी नयी मेट्रो पॉलिसी के अन्तर्गत परीक्षण करने हेतु राज्य सरकार को डी.पी.आर. को वापस प्रेषित किया गया था। तद्नुसार डी.पी.आर. के पुनर्परीक्षण व ऑल्टरनेटिव ऐनालिसिस रिपोर्ट तैयार कराकर अपडेटेड कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान, ऑल्टरनेटिव ऐनालिसिस रिपोर्ट तथा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का संशोधित डी.पी.आर. राज्य सरकार के स्तर से अनुमोदित करते हुए केन्द्र सरकार को दिनांक 24.01.2018 को अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। संशोधित डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना की कम्प्लीशन लागत रू0 18176 करोड़ है तथा परियोजना को वर्ष 2024 तक पूर्ण किया जाना है। परियोजना का कियान्वयन 'इक्विटी शेयरिंग मॉडल' के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार की 50:50 भागीदारी से किया जाना है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान परियोजना लागत का 20% होगा।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत 2 कॉरिडोर्स (लम्बाई–30 किमी) का डी.पी.आर. भारत सरकार द्वारा माह मई, 2016 में तैयार किया गया था, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ माह जून, 2016 को प्रेषित किया गया था।

भारत सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2017 में जारी नयी मेट्रो पॉलिसी के अन्तर्गत इस डी.पी.आर. का पुनर्परीक्षण करके ऑल्टरनेटिव ऐनालिसिस रिपोर्ट, अपडेटेड कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तथा आगरा मेट्रो रेल परियोजना का संशोधित डी.पी.आर. तैयार कर राज्य सरकार के स्तर से अनुमोदित करते हुए केन्द्र सरकार को माह जनवरी, 2018 को अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

संशोधित डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना की कम्प्लीशन लागत रू0 13806 करोड़ (भूमि एवं राज्य करों सहित) है तथा परियोजना को वर्ष 2024 तक पूर्ण किया जाना है। परियोजना का क्रियान्वयन 'इक्विटी शेयरिंग मॉडल' के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार की 50:50 भागीदारी से किया जाना है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान परियोजना लागत (भूमि एवं राज्य करों को छोड़ते हुए) का 20% होगा।

मेरठ मेट्रो रेल परियोजना

मेरठ मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत 2 कॉरिडोर्स (लम्बाई–35 किमी) का डी.पी.आर. भारत सरकार के उपक्रम द्वारा माह मई, 2016 में तैयार किया गया था, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ माह जून, 2016 को प्रेषित किया गया।

भारत सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2017 में जारी नयी मेट्रो पॉलिसी के अन्तर्गत इस डी.पी. आर. का पुनर्परीक्षण करके ऑल्टरनेटिव ऐनालिसिस रिपोर्ट, अपडेटेड कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तथा आगरा मेट्रो रेल परियोजना का संशोधित डी.पी.आर. तैयार कर राज्य सरकार के स्तर से अनुमोदित करते हुए केन्द्र सरकार को माह जनवरी, 2018 को अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। प्रथम चरण में मेरठ मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत श्रृद्धापुरी फेज़–2 से जागृति विहार एक्सटेन्शन तक कोरिडोर–2 का निर्माण किया जायेगा।

संशोधित डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना की कम्प्लीशन लागत रू0 6403 करोड़ (भूमि एवं राज्य करों सहित) है तथा परियोजना को वर्ष 2024 तक पूर्ण किया जाना है। परियोजना का क्रियान्वयन 'इक्विटी शेयरिंग मॉडल' के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार की 50:50 भागीदारी से किया जाना है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान परियोजना लागत (भूमि एवं राज्य करों को छोड़ते हुए) का 20% होगा।

वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना

वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत 2 कॉरिडोर्स (लम्बाई–29.235 किमी) का डी.पी. आर. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.06.2016 को केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2017 में जारी नयी मेट्रो पॉलिसी के अन्तर्गत परीक्षण करने हेतु राज्य सरकार को डी.पी.आर. को वापस प्रेषित किया गया है। पूर्व में तैयार किये गये डी.पी. आर. में अधिकांशतः मेट्रो का संरेखण भूमिगत था।

वाराणसी नगर की विशेष प्रकृति एवं महत्ता के दृष्टिगत इस संरेखण को ऐलिवेटेड रखे जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश पर 'रोपवे' को पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में 'टेक्नोफिजिबिलिटी स्टडी' लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा करायी जा रही है।

गोरखपुर मेट्रो रेल परियोजना

गोरखपुर मेट्रो रेल परियोजना के डी.पी.आर. एवं गोरखपुर नगर के कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान को तैयार किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के उपक्रम राइट्स को नामित किया गया है। इस कार्य हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा समन्वयक की भूमिका निभायी जा रही है, जबकि गोरखपुर विकास प्राधिकरण नोडल एजेन्सी है। राइट्स द्वारा माह मई, 2017 से नयी मेट्रो रेल नीति, 2017 के अनुरूप कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान, ऑल्टरनेटिव ऐनालिसिस रिपोर्ट व डी.पी.आर. तैयार किये जाने का कार्य कराया जा रहा है। गोरखपुर में यातायात की आवश्यकताओं के दृष्टिगत अत्याधुनिक 'लीनियर इन्डक्शन मोटर' युक्त 'लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम' प्रस्तावित किया गया है। मेसर्स राइट्स द्वारा कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तथा ऑल्टरनेटिव ऐनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दिया गया है।

इलाहाबाद मेट्रो रेल परियोजना

इलाहाबाद मेट्रो रेल परियोजना के डी.पी.आर. को तैयार किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के उपक्रम राइट्स को नामित किया गया है। इस कार्य हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा समन्वयक की भूमिका निभायी जा रही है, जबकि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण नोडल एजेन्सी है।

विद्युत

राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

तालिका–10.08

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2016–17	2017–18	
1	2	3	4	5
1	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	7159.0	7159.0	0.0
2	उपभोग(मिलियन यूनिट)	78308	88110	12.5
3	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	30171	33049	9.5
4	उपभोक्ताओं की संख्या(हजार में)	18013.5	19922.2	10.6

स्रोत– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ।

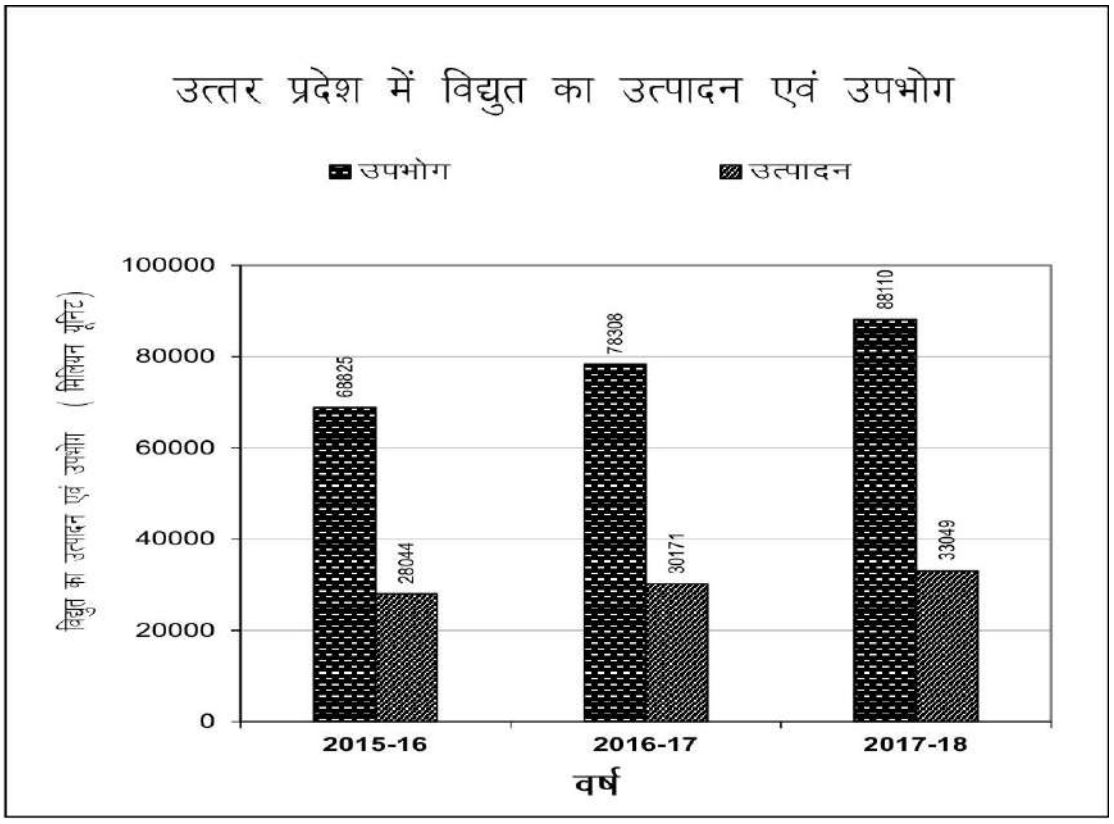

तालिका–10.09

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े–2016–17

क्र.सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादऩ (कि.वा.घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग़ (कि.वा.घंटा)
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	642	538
2	बिहार	4	163
3	झारखण्ड	211	588
4	गुजरात	1404	1358
5	हरियाणा	842	1032
6	कर्नाटक	751	936
7	केरल	128	551
8	मध्य प्रदेश	634	552
9	छत्तीसगढ़	2214	714
10	महाराष्ट्र	983	1006
11	ओडिशा	664	394
12	पंजाब	1431	1523
13	राजस्थान	79	70
14	तमिलनाडु	781	1189
15	पश्चिम बंगाल	404	459
16	उत्तर प्रदेश	296	365
17	उत्तराखण्ड	963	1050
18	हिमांचलप्रदेश	1533	1191
19	असम	49	194
20	गोवा	0	1648
भारत		96	709

स्रोत–केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

विद्युतीकृत ग्राम–

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्ष 2016–17 में 97804 है जो कि उत्तर प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों का 99.9 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा एवं गोवा ऐसे राज्य हैं जहाँ शत–प्रतिशत ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों और अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है। प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों में से वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 87086 ही रही। वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या बढ़कर क्रमशः 87207, 87489, 97804 एवं 97814 हो गयी।

अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण

प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिये उनमें विद्युतीकरण हेतु यथोचित प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के अन्त तक प्रत्येक वर्ष 99461 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 से 2017–18 के अन्त तक प्रत्येक वर्ष उक्त संख्या 99462 रही।

नलकूल/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण

सिंचाई के सुनिश्चित साधनों के प्रसार हेतु प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक नलकूल/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्त तक उत्तर प्रदेश में ऊर्जीकृत नलकूपों/पम्पसटों की संख्या 11.08 लाख करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के अन्त तक ऊर्जीकृत नलकूपो/पम्पसेटों की संख्या बढ़कर क्रमशः 10.36, 10.57, 10.86 एवं 11.20 लाख एवं वर्ष 2017–18 के अन्त तक 11.63 लाख हो गई है।

पारेषण लाइनों का विस्तार

प्रदेश में विद्युत उपभोग की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पारेषण लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्त तक पारेषण लाइनों का विस्तार 36845 सर्किट/कि.मी. तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उक्त लम्बाई वर्ष 2012–13 में 26058 सर्किट/कि0मी0 थी। वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में पारेषण लाईनों की लम्बाई क्रमशः 27627 सर्किट कि0मी0, 29105 सर्किट कि0मी0, 35381 सर्किट कि0मी0, 38309 सर्किट कि0मी0 एवं 39797 सर्किट कि0मी0 हो गयी है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं आपूर्ति मे सुधार हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण

1. प्रदेश में समुचित एवं सुचारू विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2017–18 में पारेषण तंत्र के 765 के0वी0 के एक, 400 के0वी0 के सात, 220 के0वी0 के आठ एवं 132 केवी के 23 उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य किया गया हैं।
2. विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 260 नग नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों एवं 1853.4 कि0मी0 संबंधित 33 केवी लाईनों का निर्माण किया जा चुका है।
3. उ0प्र0 सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 24X7 पावर फार आल योजना का क्रियान्वयन किया गया है जिसके अन्तर्गत मार्च 2019 तक सभी को 24 घण्टे बिजली दिये जाने हेतु दीन दयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
4. नगरों/शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति देने, लाईन हानियों में कमी लाने, उपभोक्ताओं की संतुष्टि तथा नगरों के सौन्दर्यीकरण हेतु 36 नगरों में अण्डरग्राउन्ड केबिलंग का कार्य लक्षित था जिसमें अधिकतर स्थानों पर कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
5. प्रदेश की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाना लक्षित है। इसके लिए कई बड़े विद्युत गृहों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की कुल वाणिज्यिक उत्पादन क्षमता 6000 मेगावाट है। केन्द्रीय सेक्टर में राज्य का अशं लगभग 6000 मे0वा0 तथा निजी विद्युत परियोजनाओं में राज्य का अशं लगभग 12000 मे0वा0 है। वर्ष 2022 तक हरदुआगंज विस्तार ताप विद्युत गृह से 660 मे0वा0, ओबरा सी तापीय विद्युत गृह से 1320 मे0वा0, जवाहरपुर तापीय विद्युत गृह से 1320

मे0वा0, मेजा तापीय विद्युत गृह से 1320 मे0वा0 एवं घाटमपुर तापीय विद्युत गृह से 1920 मे0वा0 विद्युत का उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है।

वैकल्पिक ऊर्जा

प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों में निरंतर कमी होने एवं उनके अधिकाधिक उपयोग से बढ़ती पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतो के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1983 में प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यू0पी0नेडा) का गठन किया गया।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एवं ऊर्जा सरंक्षण जैसे अनेकों ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में रू 1500 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें से वर्ष 2012–13 में रू0 33.82 करोड. 2013–14 में रू 41.35 करोड., 2014–15 में रू0 99.30 करोड. एवं 2015–16 में 452.67 करोड. रूपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों में व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु रू 259.60 करोड. की धनराशि का प्राविधान है।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन(ग्रिड संयोजित)

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2013 प्राख्यापित की गयी है, यह नीति मार्च, 2017 तक प्रभावी है। इस नीति के अन्तर्गत मार्च, 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिस्थापना लक्षित है जिसके सापेक्ष प्रदेश में कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है।

वर्ष 2017–18 में कुल 25 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

1. मिनी–ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट परियोजना कार्यक्रम

विद्युत ऊर्जा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। विद्युत की पर्याप्त एवं विश्वसनीय उपलब्धता के बिना कोई भी क्रियाकलाप संभव नही हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र विद्युतीकरण से वंचित है तथा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड अत्यंत सीमित मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है जिसके समाधान हेतु मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से स्थानीय एवं विकेन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा स्रोतो से विद्युत ऊर्जा उत्पादित कर उस क्षेत्र को विद्युतीकृत कर ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में मिनीग्रिड परियोजना की स्थापना के लिए निजी विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदेश में प्रथम बार उत्तर प्रदेश मिनी ग्रिड नीति–2016 18 फरवरी, 2016 को प्रख्यापित की गयी।

वर्ष 2017–18 में 2 मिनी ग्रिड सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

2. रूफटाप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लाण्ट का क्रियान्वयन

प्रदेश सरकार द्वारा कैपटिव उपयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट नीति 2014 प्राख्यापित की गयी। इस नीति के अन्तर्गत मार्च, 2017 तक 20 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की जानी थी। जिसके सापेक्ष प्रदेश में विभिन्न निजी आवासों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्थानों व अन्य भवनों के रूफटाप पर वर्ष 2017–18 में कुल 1675 किलोवाट क्षमता की ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की गयी।

3. सोलर स्ट्रीट लाइट योजना

सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था एक मूलभूत आवश्यकता है जिसकी पूर्ति हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र एक उपयोगी संयंत्र है। इन संयंत्रों की स्थापना ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर करायी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2017–18 में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 8295 एवं वर्ष 2018–19 में 30 जून, 2018 तक 2707 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करायी गयी।

4. प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आर.ओ.वाटर संयंत्र कार्यक्रम

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु अभिकरण द्वारा सोलर आर.ओ.वाटर संयंत्रों की परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवाट के सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराकर उससे पंखे, सबमर्सिबल पम्प तथा आर0ओ0 वाटर संयंत्र संचालित कराया जाता है।

वर्ष 2017–18 में प्रदेश के जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में 250 सोलर आर0ओ0 वाटर संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया गया।

5. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा इनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट–2001 के प्राविधान को प्रदेश में क्रियान्वित कराये जाने हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यूपीनेडा) को स्टेट डेजिगनेटेड एजेन्सी (एसडीए) नामित किया गया है जिसके अन्तर्गत अभिकरण द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। अभिकरण द्वारा ईट भट्ठों में ऊर्जा संरक्षण के उपाय, डिमान्ड साइड मैनेजमेंट, ऊर्जा संरक्षण हेतु स्टीम कुकिंग, इनर्जी एफीशिएन्सी टेक्नालाजी फार कोल्ड स्टोरेज जैसे विषयों पर कार्यशला आयोजित की गयी है।

प्रदेश में जनसामान्य के मानस पटल पर ऊर्जा संरक्षण की महत्ता को प्रभावी रूप से अंकित करने हेतु जागरूकता अभियान के रूप में वेबसाइट– **डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. यूपीएसएवीईएसएनर्जी.कॉम** प्रारम्भ की गयी जिसमें ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपाय दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त छात्र–छात्राओं में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ब्यूरो आफ इनर्जी एफीशिन्सी (बी0बी0ई0) द्वारा अभिकरण के सहयोग से चित्रकला प्रतियोगिता करायी जाती है।

संचार

डाकघर

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्व है, क्योकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्पबचत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014–15 में कुल डाकघरों की संख्या 17655 थी जिनमें 1925 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15730 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् थे। वर्ष 2017–18 में इनकी संख्या बढ़कर 17671 हो गयी, जिनमें 1924 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15747 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति तालिका–10.10 में दर्शायी गयी है–

तालिका–10.10

उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या

(31 मार्च को)

मद	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	4	5
डाकघरों की संख्या	17655	17662	17670	17671
(क) नगरीय	1925	1933	1935	1924
(ख) ग्रामीण	15730	15729	15735	15747

दूरभाष

दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रिया–कलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्व है। वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश में कुल 619110 बेसिक टेलीफोन तथा 3087 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत् थे। वर्ष 2017–18 में बेसिक टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या घटकर क्रमशः 568962 एवं 3068 हो गयी। मोबाइल सेवा के वृहद् विस्तार के परिणामस्वरूप ही बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में कमी होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में उत्तर प्रदेश में इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की संख्या क्रमशः 192569 तथा 15311 हजार थी जो वर्ष 2017–18 में क्रमशः 57096 एवं 11845 हजार हो गयी। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति तालिका–10.11 में दर्शायी गयी है–

तालिका–10.11

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइवर की संख्या	मोबाईल कनेकशन की संख्या (हजार)
1	2	3	4	5
2016–17	619110	3087	192569	15311
2017–18	568962	3068	57096	11845

स्रोत :–चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य महाप्रबन्धक दूर संचार, भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पूर्वी एवं पश्चिमी परिमण्डल।

प्रदेश में पर्यटन–विकास हेतु किये गए प्रयास

पर्यटन के बहु आयामी आकर्षणों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है, जहॉ पर्यटन–विकास के साथ–साथ निजी क्षेत्र के लिए भी पूॅजी–निवेश हेतु विपुल सम्भावनाएं विद्यमान हैं। ऐसी विशेषताओं के कारण ही इस प्रदेश में हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं। प्रदेश में **वर्ष 2017 में कुल 2375.33 लाख पर्यटक** आये जिनमें **भारतीय पर्यटकों** की संख्या **2339.77 लाख** एवं **विदेशी पर्यटकों** की संख्या **35.56 लाख** थी तथा **वर्ष 2018 में** कुल पर्यटक 2612.85 लाख में भारतीय पर्यटकों की संख्या 2573.74 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 39.11 लाख रही।

- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी उद्यमियों को निवेश की सुगमता हेतु एवं पर्यटन उद्योग को नई ऊॅचाईयों तक पहुॅचाने हेतु **उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति– 2018** लागू की गयी है।

- **वन स्टाप ट्रैवल सोल्यूशन पोर्टल** पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा एवं मार्ग दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टाप ट्रैवल सोल्यूशन पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को सूचना एवं मार्गदर्शन, होटल बुकिंग, टैक्सी एवं रेलवे बुकिंग, आकस्मिक (एम्बुलेन्स सेवा), पुलिस सहायता इत्यादि समस्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को **24X7 ट्रैवल असिस्टेंस** प्राप्त हो सकेगा।
- **उ.प्र. पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन पुलिस बल** का गठन किया गया है, जिसमें 130 पर्यटन पुलिस कर्मी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पर्यटकों को सुरक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। पर्यटन पुलिस बल के गठन हेतु सेना के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन पुलिस बल की आवश्यकताओं एवं पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए 130 से बढ़ाकर 500 पर्यटन पुलिस बल की नियुक्ति हेतु शासन से अनुरोध किया गया है, जिसमें 200 महिला सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति का भी प्राविधान है।
- **कुम्भ मेला–2019** के सफल आयोजन हेतु इलाहाबाद में 50 कि0मी0 की परिधि में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास कराया जा रहा है तथा इसकी मार्केटिंग एवं प्रचार–प्रसार हेतु साइनेज की व्यवस्था, महत्वपूर्ण मार्गो एवं स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में पर्यटन साहित्य का प्रकाशन, सुरक्षा सहायता, टूरिस्ट गाइड आदि किया जाना प्रस्तावित है, जिससे देश एवं विदेश से पर्यटक अधिकाधिक संख्या में प्रदेश में भ्रमण करें।
- **कुम्भ मेले–2019 की सम्पूर्ण ब्राण्डिंग–** कुम्भ मेले–2019 की सम्पूर्ण ब्राण्डिंग हेतु विज्ञापन श्रृंखला (प्रिंट मीडिया कैम्पेन) का क्रियान्वयन, आउटडोर मीडिया कैम्पन का क्रियान्वयन (होर्डिंग/एयरपोर्ट/रेलवेस्टेशन/बस स्टेशन), सोशल मीडिया कैम्पन का क्रियान्वयन, पोस्टर, ब्रोशर, बुकलेट आदि का प्रकाशन, लघु फिल्मों/टी0वी0सी0 का निर्माण एवं पर्यटन प्रदर्शनी आदि कार्य किये जा रहे हैं।
- **उत्तर प्रदेश के पर्यटन–आकर्षणों का वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार**–प्रचार–प्रसार हेतु राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्र–पत्रिकाओं में विज्ञापनों का प्रकाशन, पर्यटन–साहित्य व पोस्टरों का प्रकाशन, फिल्म–सी0डी0 का निर्माण व वितरण तथा स्थान–स्थान पर होर्डिंगों एव साइनेज की स्थापना व समय–समय पर प्रदर्शनियों, मेले/महोत्सवों के आयोजन एवं गणतन्त्र दिवस के अवसर पर विभागीय झॉकी का प्रदर्शन करवाया जाता है।
- **मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विन्ध्यांचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी** आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास करते हुए वृहद् स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।
- **वेबसाइट का निर्माण–** प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों क्रमशः वाराणसी, विन्ध्यांचल, चित्रकूट, नैमिषारण्य, इलाहाबाद, मथुरा–वृन्दावन, अयोध्या एवं लखनऊ की वेबसाइट को लॉन्च किया जा चुका है।
- **पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन–** प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने हेतु कार्यक्रम पर्यटन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों यथा– वाराणसी दर्शन, प्रयाग(इलाहाबाद) दर्शन, लखनऊ दर्शन, मथुरा के पवित्र तीर्थ स्थल,

गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन तीर्थ दर्शन एवं आगरा दर्शन का कार्यक्रम प्रारम्भ कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त अयोध्या में भी पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करायी जायेगी।

वर्ष 2017–18 में पर्यटन विकास की पूर्ण/क्रियान्वित योजनाएँ –

1. केन्द्रीय सेक्टरः–

- **भारत सरकार की प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत जनपद वाराणसी की पूर्ण परियोजनायें :–**
  1. वाराणसी के सारनाथ में स्थित बुद्धा थीम पार्क का पर्यटन विकास।
  2. वाराणसी के सारनाथ में स्थित सारंग नाथ तालाब का सौन्दर्यीकरण।
  3. वाराणसी के कैथी में स्थित मारकण्डेय महादेव घाट का पर्यटन विकास।
  4. वाराणसी के कैथी में स्थित मारकण्डेय महादेव मंदिर कैम्पस का समेकित पर्यटन विकास।
  5. वाराणसी में गुरूधाम मंदिर का पर्यटन विकास।
- **स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट एवं बौद्ध सर्किट के विभिन्न परिपथों एवं सर्किट हेतु क्रियान्वित योजनाएँ :–**
  1. इलाहाबाद में श्रृंग्वेरपुर,चित्रकूट,श्रावस्ती,कपिलवस्त,कुशीनगर का पर्यटन विकास।
  2. उत्तर प्रदेश के विभिन्न दर्शनीय पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास
  3. जनपद फैजाबाद में अयोध्या का समेकित पर्यटन विकास
- **प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी, एवं मथुरा हेतु क्रियान्वित योजनाएँः–**
  1. मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन फेज–2 के अन्तर्गत मथुरा–वृन्दावन का विकास
  2. मथुरा स्थित वृन्दावन में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर का निर्माण।
  3. वाराणसी में अस्सी घाट से राजघाट तक क्रूज बोट संचालन।

2. राज्य सेक्टरः–

- **राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पूर्ण/क्रियान्वित योजनाएँः–**
  1. गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट धार्मिक स्थल का विकास
  2. मथुरा में नगला चन्द्रभान का पर्यटन विकास
  3. गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस का विकास
  4. ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर का निर्माण कराया जा रहा है ताकि देशी–विदेशी पर्यटकों को एक छत के नीचे समस्त सूचना उपलब्ध करायी जा सके।
- **वर्ष 2018–19 हेतु पर्यटन विकास की प्रमुख योजनाएँ :–**

1. केन्द्रीय सेक्टर :–

- **स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट एवं बौद्ध सर्किट के विभिन्न परिपथों एवं स्पिरीचुअल सर्किट हेतु प्रस्तावित योजनाएँः–**
  1. गोरखपुर, डुमरियागंज (जनपद सिद्धार्थनगर), देवीपाटन, नैमिषारण्य–मिश्रिख–धोबियाघाट एवं बुंदेलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास।
  2. चित्रकूट, कुम्भ सर्किट का पर्यटन विकास।
- **प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी, एवं मथुरा हेतु क्रियान्वित योजनाएँः–**
  1. वाराणसी एवं मथुरा के गोवर्धन का समेकित पर्यटन विकास।

2. राज्य सेक्टर :–

1. वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना।
2. प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर हेलीकाप्टर सेवा का संचालन।
3. उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास।

4. अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण।
5. जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास।
6. जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास।

- प्रदेश के तीन स्थानों –**विन्ध्याचल, बरसाना (मथुरा), चित्रकूट में रोप–वे का निर्माण** पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत किया जा रहा है।

प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट

विश्व बैंक सहायतित प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 150 मिलियन यू0एस0 डालर की एक महत्वाकॉक्षी परियोजना है।

परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत विश्व बैंक द्वारा तथा 30 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों आगरा–ब्रज कॉरीडोर तथा बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत पर्यटन विकास संबंधी गतिविधियों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन करने की योजना है।

इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्मारकों/ स्थलों पर मूलभूत पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन तथा वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं का उच्चीकरण एवं रोजगार–परक दक्षता/कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

बजट व्यवस्था

- **पर्यटन विकास हेतु वार्षिक योजना वर्ष 2017–18** के अन्तर्गत **कुल रू0 247762.62 लाख बजट** की व्यवस्था हुई।
- **वित्तीय वर्ष 2017–18** में 31 मार्च 2018 तक राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 4357.13 लाख तथा पूँजीगत मद के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 34716.24 लाख, जिला योजना में रू0 498.02 लाख एवं केन्द्रीय योजना में रू0 4702.22 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी। कुल बजट के सापेक्ष **रूपया 44273.61 लाख की स्वीकृतियाँ** निर्गत की गई है तथा जारी स्वीकृतियों के सापेक्ष कुल रूपया 44023.23 लाख व्यय किया गया है।
- **वार्षिक योजना वर्ष 2018–19** के अन्तर्गत **कुल रू0 68702.09 लाख बजट** व्यवस्था हुई है।

****

अध्याय–11
शिक्षा

शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, स्वच्छता सेवा, पेय जल सुविधा इत्यादि सामाजिक सेवा के प्रमुख अंग है। इनके विकास के बिना प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं।

वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अपेक्षित है, जो छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द, आपस में सामंजस्य तथा सहयोग के गुणों के साथ–साथ उनको भविष्य में विशेषकर व्यवसाय के प्रति निश्चिन्त और आशावादी बनाये रख सके। अतएव राज्य की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को शिक्षण सुविधाएं प्रदान करे। उ0प्र0 सरकार इस दिशा में कृत संकल्प है।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय–

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर सरकार द्वारा किये जा रहे राजस्व व्यय तालिका–11.01 में दर्शाये गये है–

तालिका–11.01

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	मद	2016–17 (वास्तविक अनुमान)	2017–18 (पुनरीक्षित अनुमान)	वर्ष 2018–19 (आय–व्ययक अनुमान)
1	2	3	4	5
1	प्राथमिक शिक्षा	3872959 (80.41%)	2983356 (74.23%)	3851228 (76.60%)
2	माध्यमिक शिक्षा	738870 (15.33%)	794023 (19.76%)	902982 (17.96%)
3	उच्च शिक्षा	184073 (3.82%)	216078 (5.38%)	245618 (4.89%)
4	अन्य	20596 (0.43%)	25248 (0.63%)	27670 (0.55%)
	योग	4816498 (100.00)	4018705 (100.00)	5027498 (100.00)

स्रोत– उत्तर प्रदेश आय–व्ययक की रुपरेखा 2018–2019

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का सर्वाधिक अंश प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है।

प्रदेश में साक्षरता की स्थिति–

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ो के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है। इस प्रकार से महिला एवं पुरूष के साक्षरता प्रतिशत में भी 20.10 प्वॉइन्ट का अन्तराल है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0 प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0 प्रतिशत) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (82.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (80.1

प्रतिशत) एवं उत्तराखण्ड (78.8 प्रतिशत) आदि की तुलना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (67.7) कम है।

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के स्तर को प्राप्त करना प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के वर्ष 2001 एवं 2011 के आँकड़े तालिका–11.02 में दर्शाये गये हैं।

तालिका–11.02

कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े–2001 एवं 2011

क्रमांक	राज्य	2001			2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हिमांचल प्रदेश	76.5	85.3	67.4	82.8	89.5	75.9
2	पंजाब	69.7	75.2	63.4	75.8	80.4	70.7
3	उत्तराखण्ड	71.6	83.3	59.6	78.8	87.4	70.0
4	हरियाणा	67.9	78.5	55.7	75.6	84.1	65.9
5	राजस्थान	60.4	75.7	43.9	66.1	79.2	52.1
6	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
7	बिहार	47.0	59.7	33.1	61.8	71.2	51.5
8	अरुणाचल प्रदेश	54.3	63.8	43.5	65.4	72.8	57.7
9	मेघालय	62.6	65.4	59.6	74.4	76.0	72.9
10	असम	63.3	71.3	54.6	72.2	77.8	66.3
11	पश्चिम बंगाल	68.6	77.0	59.6	76.3	81.7	70.5
12	झारखण्ड	53.6	67.3	38.9	66.4	76.8	55.4
13	ओडिशा	63.1	75.3	50.5	72.9	81.6	64.0
14	छत्तीसगढ़	64.7	77.4	51.9	70.3	80.3	60.2
15	मध्य प्रदेश	63.7	76.1	50.3	69.3	78.7	59.2
16	गुजरात	69.1	79.7	57.8	78.0	85.8	69.7
17	महाराष्ट्र	76.9	86.0	67.0	82.3	88.4	75.9
18	आन्ध्र प्रदेश	60.5	70.3	50.4	67.0	74.9	59.1
19	कर्नाटक	66.6	76.1	56.9	75.4	82.5	68.1
20	केरल	90.9	94.2	87.7	94.0	96.1	92.1
21	तमिलनाडु	73.5	82.4	64.4	80.1	86.8	73.4
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**

उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है– जहां वर्ष 1991 में उ0प्र0 में साक्षरता 40. 07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्वॉइन्ट बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गई किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत प्वॉइन्ट का अन्तर है।

प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न जनपदों के मध्य साक्षरता की स्थिति एक समान नहीं है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जहां गौतमबुद्ध नगर की कुल साक्षरता 80.1 प्रतिशत है वहीं श्रावस्ती की मात्र 46.7 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की विशालता एवं अन्तर्जनपदीय विषमताओं को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना अपने आप में एक चुनौती है। प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (69.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (67.4) है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत के आँकडे तालिका–11.03 में दर्शाये गये हैं।

तालिका–11.03

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्रम संख्या	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत 2001			साक्षरता प्रतिशत 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	पूर्वी	54.3	68.6	39.1	67.4	78.1	56.2
2	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0	67.5	76.5	57.2
3	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5	68.3	76.3	59.3
4	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1	69.3	79.9	57.1
	उत्तर प्रदेश	**56.3**	**68.8**	**42.2**	**67.7**	**77.3**	**57.2**
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**

नोट– आर्थिक क्षेत्रवार आंकड़े जनपद स्तर पर दिये गये साक्षरता प्रतिशत के आंकड़ों पर आधारित हैं।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2018–19 के अनुसार वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में सरकार का शिक्षा पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–11.04

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2016-17	4346066 (21.5%)	388698 (4.0%)	4734764 (15.8%)
2017-18	5108715 (19.8%)	329968 (3.6%)	5438683 (15.6%)
2018-19	6256717 (22.5%)	388860 (3.3%)	6645577 (16.9%)

नोट–कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर वर्ष 2018–19 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 22.5 प्रतिशत तथा 3. 3 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017–18 (पुनरीक्षित अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 19.8 प्रतिशत तथा 3.6 प्रतिशत रहा। वर्ष 2016–17 (वास्तविक अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 21.5 प्रतिशत तथा 4.0 प्रतिशत रहा। तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है। शिक्षा के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

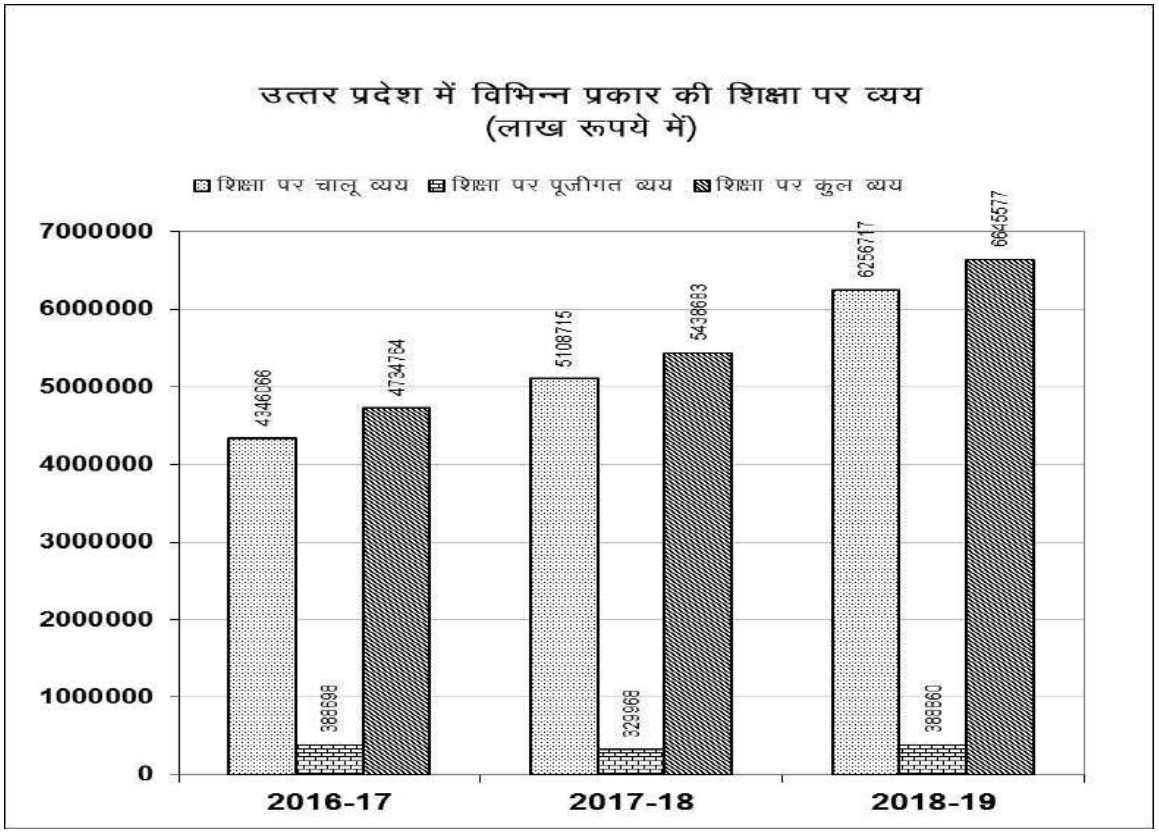

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 में जू. बे. विद्यालयों की संख्या 167049 थी जो वर्ष 2017–18 में घटकर 164319 हो गयी। इसी प्रकार सी. बे. विद्यालयों की संख्या वर्ष 2016–17 में 77284 थी जो वर्ष 2017–18 में बढ़कर 80583 हो गयी। वर्ष 2016–17 में हा. से. विद्यालयों की संख्या 25896 थी जो वर्ष 2017–18 में यथावत 25896 ही रही।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 में जू.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 672 हजार थी जो वर्ष 2017–18 में 66.5 प्रतिशत घटकर 225 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 में सी.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 323 हजार थी जो वर्ष 2017–18 में 60.4 प्रतिशत घटकर 128 हजार हो गयी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 में हा. से. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 286 हजार थी जो वर्ष 2017–18 में 3.5 प्रतिशत बढ़कर 296 हजार हो गयी।

प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या–

वर्ष 2017–18 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे.वि. की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 70 थी, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यह सबसे कम 45 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे. विद्यालयों की संख्या 51 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में प्रति लाख जनसंख्या पर सी.बे. विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 39 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 19 पश्चिमी क्षेत्र में रही जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 21 रही। वर्ष 2017–18 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्र में 12 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 10 रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12 थी।

वर्ष 2017–18 में जू.बे. विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (58) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (51) पूर्वी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 52 रही। सी.बे विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या वर्ष 2017–18 में सर्वाधिक (33) बुन्देलखण्ड में तथा सबसे कम (26) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 29 रही। वर्ष 2017–18 में हा.से. विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (50) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (42) केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 46 रही।

तालिका–11.05

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या

(2017–18)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वी	53	21	12	51	30	50
बुन्देलखण्ड	70	39	10	58	33	44
पश्चिमी	45	19	12	52	26	45
केन्द्रीय	55	21	11	53	32	42
उत्तर प्रदेश	51	21	12	52	29	46

प्राथमिक शिक्षा

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सुसंस्कृत एवं कुशल मानव संसाधन पर निर्भर हैं। सुसंस्कृत एवं कुशल नागरिकों के निर्माण एवं उनके उचित चौमुखी विकास एवं परिवर्द्धन हेतु बुनियादी शिक्षा अहम है।

तालिका–11.06

प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालय (1 से 8) एवं उनमें नामांकन की स्थिति

वर्ष	कुल विद्यालय	कुल नामांकन
2013–14	240332	36726500
2014–15	243014	36838720
2015–16	246013	36425964
2016–17	237766	34707745
2017–18	244901	29737966

गत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार परिलक्षित हुए हैं किन्तु जिस प्रकार उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त अन्तरजनपदीय विषमतायें है। उसी प्रकार से शैक्षिक संकेतांकों में भी विभिन्न जनपदों में पर्याप्त अन्तराल है। उ0प्र0 जैसे क्षेत्रीय विशालता एवं अधिक जनसंख्या वाले तथा सीमित संसाधन वाले प्रदेश में सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना कड़ी चुनौती है।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.सर्व शिक्षा अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1–8) के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करने के लिये उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 से सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है।

व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के स्थायी विकास के लिये प्रदेश, जनपद और उप जनपद स्तर पर प्रबन्धकीय और व्यवसायिक क्षमता का निर्माण करना, 6 से 14 आयु वर्ग (कक्षा 1 से 8) के सभी बालक एवं बालिकाओं को सार्थक व लाभदायक शिक्षा प्रदान करना, ड्रॉप आउट दर को कम करने के साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा की पहुंच में सुधार करना तथा विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर गैप को समाप्त करना है।

भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 द्वारा 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। तत्क्रम में उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 27–7–2011 को राज्य नियमावली प्रख्यापित की गयी। उपरोक्त अधिनियम लागू हो जाने के पश्चात अब 6–14 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1–8 तक की गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की संवैधानिक प्रतिबद्धता हो गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि रू0 6768.78 करोड़ के सापेक्ष रू0 6228.61 करोड़ व्यय किये गये।

2. शिक्षा की पहुंच में सुधार

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने 'उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011' के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 01 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 03 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाता है। नगर क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों के निकट स्कूलों की पहुँच के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिश्रित स्कूल स्वीकृत किये गये थे। यह बहुमंजिलें स्कूल भवन कक्षा 1 से 8 तक के लिये है।

विगत 15 वर्षो में 26299 नवीन प्राथमिक, 29231 उच्च प्राथमिक एवं 104 नगरीय क्षेत्रों में विद्यालयों के भवन निर्माण हुए।

3.विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान के लिए प्रतिवर्ष परिवार सर्वेक्षण कराया जाता है। बच्चों को आयु संगत कक्षा में समायोजित करने हेतु वर्ष 2017–18 में 27695 बच्चे चिहिन्त किये गये जिनमें से 27251 बच्चों को आयु संगत कक्षा में नामांकित कराते हुए आवश्यकतानुसार वर्ष

2017–18 में संचालित किये गये विशेष प्रशिक्षण से कुल 13658 बच्चे लाभान्वित हुए। गत पांच वर्ष में आऊट आफ स्कूल बच्चों की संख्या में कमी आयी है।

वर्ष 2010–11 में 194146, वर्ष 2011–12 में 109677, वर्ष 2012–13 में 64442, वर्ष 2013–14 में 78099, वर्ष 2014–15 में 40505, वर्ष 2015–16 में 28899, वर्ष 2016–17 में 16789 तथा वर्ष 2017–18 में 9649 आऊट आफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये।

4. ठहराव में सुधार

ठहराव में सुधार सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है जिसको सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्य कराये गये। ठहराव में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 312486 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 29224 शौचालयों का निर्माण कराया गया।

वर्ष 2017–18 में बालिका नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 11417 इंसीनरेटर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये थें जिसके सापेक्ष 11216 का निर्माण पूर्ण कर लिया गया तथा शेष अन्य स्रोतो से पूर्ण हो जाने के कारण 201 इंसीनरेटर समर्पित कर दिया गया।

5. विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु समेकित शिक्षा

- **दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन** –वार्षिक परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से विद्यालयों में नामांकित एवं विद्यालय से बाहर (आउट आफ स्कूल) दिव्यांग बच्चों को चिन्हित करके उन्हें समीप के विद्यालयों में नामांकित कराया जाता है। वर्ष 2017–18 में परिवार सर्वेक्षण के दौरान कुल 2,39,740 दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया गया जिनमें से कुल 1,76,329 दिव्यांग बच्चों को परिषदीय, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकायों के विद्यालयों में नामांकित किया गया।
- **मेडिकल एसेसमेंट कैम्प**–विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु विकासखण्ड स्तर पर 444 मेडिकल एसेसमेंट कैम्प आयोजित किये गये जिसमें 32461 बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण चिकित्सकों के दल द्वारा किया गया और 17384 दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए और 537 बच्चों को करेक्टिव सर्जरी के लिए चिन्हित किया गया। वर्ष 2017–18 में 95 विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जिला चिकित्सालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग व डॉ श्राफ चैरेटेबिल हास्पिटल, नई दिल्ली आदि के द्वारा करेक्टिव सर्जरी कराई गई।
- **इटीनरेंट/रिसोर्स टीचर्स**– विद्यालयों में पंजीकृत दिव्यांग बच्चों को स्पेशल सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपदों में संविदा के आधार पर कुल 2321 इटीनरेंट/रिसोर्स टीचर्स कार्यरत हैं। इटीनरेंट टीचर्स एच0आई0, वी0आई0 एवं एम0आर0 के द्वारा क्रमशः वाक् श्रवण दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांग व बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को समेकित कक्षा कक्ष में शिक्षित/प्रशिक्षित किया जाता है तथा बच्चों को साइन लैंग्वेज, ब्रेल पठन लेखन व विशेष कौशल सिखाये जाते हैं।
- **फिजियोथेरेपिस्ट**– फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को आवश्यकतानुसार फिजियोथेरेपी सेवा विद्यालय व रिसोर्स सेण्टर स्तर पर प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 में 51 फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा 1860 दिव्यांग बच्चों को फिजियोथेरेपी सेवा दी गयी।
- **एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प**– वाक् श्रवण दिव्यांग व दृष्टि दिव्यांग 60 बच्चों हेतु एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प का संचालन जनपदों में किया गया है। वाक् श्रवण व दृष्टि दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षणिक योजना तैयार की गयी। कैम्प के समापन के उपरान्त विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है जहां इन्हें इटीनरेंट/रिसोर्स टीचर्स द्वारा स्पेशल सपोर्ट प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017–18 में 8 माह

अवधि के कुल 94 आवासीय एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प संचालित किये गये जिनमें 3459 वाक् श्रवण दिव्यांग व 1865 दृष्टि दिव्यांग कुल 5324 बच्चों को नामांकित कराया गया। इन कैम्प्स में बच्चों के आवास, भोजन, पठन–पाठन, यूनीफार्म एवं सहायक उपस्कर/उपकरण आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई।

- ❖ विशिष्ट आवश्यकता वाले 15511 दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक विकास में सपोर्ट प्रदान करने हेतु 27613 सहायक उपस्कर एवं उपकरण यथा– ब्रेल किट्स, मोबिलिटी केन, स्मार्ट केन, डेजीप्लेयर, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, क्रचेज, कैलीपर्स, रोलेटर्स वाकिंग स्टिक, सी0पी0 चेयर, मल्टी सेन्सरी किट एवं हियरिंग एड आदि वितरित किये गये। वर्ष 2017–18 में विद्यालयों व एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प में अध्ययनरत 4637 दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं।

6. स्कूल चलो अभियान

शैक्षणिक सत्र 2017–18 में प्रदेश में '' स्कूल चलो अभियान'' एवं ''उपस्थिति अभियान'' वर्ष में दो बार आयोजित किया गया। इसके तहत 6–14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकन करने हेतु समुदाय को जागरूक किया गया।

7. निःशुल्क यूनिफार्म

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली 2011 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायतित माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षा 1–8 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को दो सेट यूनिफार्म प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बालकों को उक्त दो सेट यूनिफार्म की उपलब्धता करायी जाती है।

प्रदेश में संचालित बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत नान बी0पी0एल0 (गरीबी रेखा से ऊपर) छात्रों (बालकों) को जिन्हें सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क यूनीफार्म का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा था निःशुल्क यूनीफार्म उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार वित्तीय वर्ष 2012–13 में लागू की गई है। वर्ष 2017–18 में लगभग 159.74 लाख छात्र–छात्राओं को यूनीफार्म वितरित की गयी।

8. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बालिकाओं को तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों तथा शेष बालकों के लिए राज्य सरकार के बजट से व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2017–18 में शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही कक्षा 1–8 तक सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैं–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण	लक्ष्य	उपलब्धि
छात्र/छात्रा प्राथमिक स्तर के	8445551	8408295
छात्र/छात्रा उच्च प्राथमिक स्तर	3759949	3757090
योग	12205500	12165385

9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

बालिका शिक्षा के महत्व को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारम्भ वर्ष 2004–05 में किया गया। यह योजना शैक्षिणिक रूप से पिछड़े उन विकास खण्डों में संचालित है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.12 प्रतिशत) से कम तथा जैण्डर गैप राष्ट्रीय औसत (21.59 प्रतिशत) से अधिक है।

पुनरीक्षित गाइड लाइन दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के अनुसार 30 प्रतिशत से कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर वाले 79 विकासखण्ड तथा राष्ट्रीय औसत 53.67 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता दर वाले अल्पसंख्यक बाहुल्य 52 कस्बे/शहर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए पात्र हैं।

इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय की 75 प्रतिशत तथा बी0पी0एल0 परिवारों की 25 प्रतिशत ड्राप आउट गैर नामांकित बालिकाओं को कक्षा 6–8 की शिक्षा देने हेतु आवासीय व्यवस्था सहित विद्यालय संचालित है। कुल संचालित 746 के0जी0बी0वी0 में से 734 मॉडल–। तथा 12 मॉडल–।। के हैं। वर्ष 2017–18 में इन विद्यालयों में कुल 72769 बालिकायें नामांकित की गयी, जिनमें से 31269 अनुसूचित जाति, 1024 अनुसूचित जनजाति, 26133 अन्य पिछड़ा वर्ग, 4426 बी0 पी0 एल0, 11036 अल्पसंख्यक की छात्राएं रहीं।

10. अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को असहायिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने की योजना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के द्वारा आस–पास के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2013–14 से लागू की गई है।

अलाभित समूह में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अलाभित समूह की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा निःशक्त बच्चा एवं एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता–पिता अथवा अभिभावक का बच्चा एवं निराश्रित बेघर बच्चा रखा गया है। दुर्बल वर्ग में दुर्बल वर्ग की श्रेणी में जिसके माता–पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, विकलांग/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रु0 1 लाख तक है, को रखा गया है।

शैक्षिक सत्र 2017–18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नगर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में 311 असेवित वार्ड चिन्हित किये गये जिनमें रहने वाले पात्र बच्चे को आस–पास के गैर सहायतित विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया गया। उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार 46188 बच्चों को प्रवेश दिलाया जा चुका है।

शैक्षिक सुधार की प्रास्थिति

शैक्षिक सुधार के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का संज्ञान गत वर्षों के प्रदेश के मुख्य शैक्षिक संकेतांकों के अवलोकन से किया जा सकता है जो तालिका–11.07 में दर्शाये गये है–

तालिका–11.07

प्रदेश में शैक्षिक सुधार के मुख्य संकेतांक

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0आर0) प्राथमिक	शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0आर0) प्राथमिक	सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0आर0) उच्च प्राथमिक	शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0आर0) उच्च प्राथमिक	ड्राप आउट	ट्रांजिक्शन दर	रिटेन्शन दर
2013–14	108.46	97.92	69.46	52.87	6.96	80.49	88.27
2014–15	108.79	98.35	76.50	67.23	6.0	80.96	88.22
2015–16	107.66	86.95	77.54	61.28	6.74	80.94	79.27
2016–17	94.12	91.62	87.48	80.07	9.48	79.76	76.29
2017–18	104.15	90.22	74.40	62.89	4.92	83.46	77.47

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है, जो देश के समृद्ध भविष्य का निर्माण करती है। प्रदेश सरकार ने बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्वर्द्धन हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं, जिससे माध्यमिक शिक्षा उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा (आधारिक शिक्षा) एवं उच्च शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों हेतु सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अपेक्षित है, जो छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द, आपस में सामंजस्य विकास के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द, आपस में सामंजस्य तथा सहयोग के गुणों के साथ–साथ उनको प्रदेश में भविष्य में विशेषकर व्यवसाय के प्रति निश्चिन्त और आशावादी बनाये रख सके।

वर्तमान में 2152 राजकीय, 4535 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 19209 वित्तविहीन कुल 25896 माध्यमिक विद्यालय संचालित है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने एवं शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि कर सृजनात्मक विकास करने के उद्देश्य से अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। कुछ प्रमुख योजनायें निम्नवत् हैं–

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

भारत सरकार की सहायता से 14–18 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक योग्य शिक्षा उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं की शिक्षा के विशेष उपाय किये जाने हेतु वर्ष

2009–10 से संचालित है। निर्धारित गाइड्लाइन के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाईस्कूल के छात्र/छात्राओं के लिये 5 किमी0 की परिधि में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता विकास के साथ पूर्व से चयनित विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि के भुगतान, शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन तथा निर्माणधीन विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 55193.25 लाख का बजट प्राविधान था। उक्त बजट के सापेक्ष रू0 45653.71 लाख व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2018–19 में वेतन मद में रू0 37377.91 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष रू0 185.32 लाख का व्यय मई, 2018 तक किया गया है।

2. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना (आई0सी0टी0)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (**आई0सी0टी0**) योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश है। वर्ष 2009–10 से प्रदेश में 2500 राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बूट माडल के आधार पर संचालित की जा रही है। चयनित 2500 माध्यमिक विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन, संचालन एवं निस्पादन अनुबन्ध के अनुसार चयनित संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक चयनित विद्यालय में अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत 10–10 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों जैसे फर्नीचर, जर्नेटर, इण्टरनेट एवं स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराते हुए एक कम्प्यूटर अनुदेशक को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। वर्ष 2017–18 में योजनान्र्तगत रू0 5000.00 लाख का बजट प्राविधान था।

3. बालिका विद्यालयों के छात्रावास भवन निर्माण

बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खण्ड़ों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण का प्रावधान है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 191 छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश है। वर्ष 2017–18 में योजना हेतु रू0 21693.82 लाख के प्रावधान के सापेक्ष रू0 5480.97 लाख स्वीकृति जारी की गई।

4. रिवाडज्ड केन्द्र पुरोनिधानित व्यवसायिक शिक्षा योजना (नवीन योजना):–

यह 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। योजना को रिवाइज्ड करने हेतु एक प्रस्ताव शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इस योजना में 200 राजकीय विद्यालयों में योजना संचालित है। इस योजना हेतु 05 नवीन ट्रेड (रिटेल, आटोमोबाइल, सिक्योरिटी, आई0टी0, हेल्थ) का प्रस्ताव किया गया है। इन ट्रेडों का पाठ्यक्रम एवं इन ट्रेडों में आमंत्रित अतिथि विषय विशेषज्ञों की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 1500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रू0 578.05 लाख की स्वीकृति जारी हुई।

5. असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदानः–

वर्ष 1994–95 में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाईस्कूल स्तर का विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। 1998 के बाद इस योजना के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख की धनराशि (10–10 लाख की दो समान किस्तों में)

अनावर्तक अनुदान के रूप में निजी प्रबन्ध तन्त्रों को निर्धारित मानक के पूर्ण होने के पश्चात् कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 तक 297 विद्यालयों को प्रथम एवं द्वितीय किश्त दी जा चुकी है एवं 79 विद्यालयों को प्रथम किश्त दी जा चुकी है। वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में योजनान्तर्गत रू0 10.00 लाख की व्यवस्था है।

6. एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान

वर्ष 2000–01 में आरम्भ इस योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड को रू0 20.00 लाख की दर से (दो समान किस्तों में निर्धारित मानक को पूर्ण करने पर) अनुदान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2016–17 तक 396 विद्यालयों को आच्छादित किया गया है। 256 विद्यालयों को प्रथम एवं द्वितीय किश्त दी जा चुकी है एवं 140 विद्यालयों को प्रथम किश्त दी चुकी है। वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में योजनान्तर्गत 5 विद्यालयों को संतृप्त करने हेतु रू0 50.00 लाख की व्यवस्था थी।

7. नये सैनिक स्कूलों की स्थापनाः– बच्चों में राष्ट्रीय भावना, शारीरिक विकास एवं दक्षता को बढ़ावा देते हुए उन्हे सैन्य सेवाओं हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जनपद अमेठी, मैनपुरी एवं झांसी में सैनिक स्कूलों की स्थापना किया जाना है। इस हेतु रू0 3000.00 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया गया है जिसके सापेक्ष रू0 300.00 लाख व्यय किये गये हैं।

8. **विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना (आई0ई0डी0एस0एस0):–**यह 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य विकंलाग बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समुचित वातावरण एवं सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 1600.00 लाख का बजट प्रावधान किया है, जिसके सापेक्ष रू0 579.80 लाख की स्वीकृति जारी की गयी है।

उच्च शिक्षा

सरकार का प्रयास है कि बदलते हुये वैश्विक परिवेश के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं के गुणात्मक विकास पर बल दिया जाये, ताकि राष्ट्र निर्माण के उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इन आदर्शों को साकार करने की दिशा में सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा के संस्थानों में आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो, साथ ही छात्र/छात्राओं को व्यवसाय–परक शिक्षा प्रदान की जाये जिससे प्रदेश का उच्च शिक्षित युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके एवं शिक्षित युवाओं की सरकारी सेवाओं पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी आ सके और देश की समृद्धि एवं उन्नति में वह अपना अमूल्य योगदान दे सके। वर्तमान समय में सरकार एक ओर महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सुयोग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति, भवन निर्माण/विस्तार, समृद्ध पुस्तकालय, सुसज्जित प्रयोगशाला तथा महाविद्यालयो के कम्प्यूटरीकरण जैसे कार्यों पर ध्यान दे रही है तो दूसरी ओर प्राथमिकता के आधार पर उच्च शिक्षा में निजी पूँजी निवेश एवं सहभागिता को आकृष्ट करते हुए असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना जैसे कार्यों पर विशेष बल दे रही है प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 16 राज्य विश्वविद्यालय, 158 राजकीय महाविद्यालय, 331 अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालय 6192 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर की शिक्षण संस्थाएं एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नवत् है–

तालिका–11.08

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्र0सं0	संस्था	वर्ष		
		2015–16	2016–17	2017–18
1	**विश्वविद्यालयों की संख्या**	**38**	**45**	**45**
	(क) राज्य विश्वविद्यालय	14	16	16
	(ख) मुक्त विश्वविद्यालय	01	01	01
	(ग) डीम्ड विश्वविद्यालय	01	01	01
	(घ) निजी विश्वविद्यालय	22	27	27
2	**महाविद्यालयों की संख्या**	**5158**	**5866**	**6681**
	(क) राजकीय महाविद्यालय	158	158	158
	(ख) अशासकीय महाविद्यालय	331	331	331
	(ग) स्ववित्त पोषित महाविद्यालय	4689	5377	6192
3	महाविद्यालयों में छात्र संख्या (हजार में)	**5188**	**5520**	**5575**
	(क) छात्र	2462	2726	2798
	(ख) छात्राएं	2726	2794	2777

उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाएं

1. **प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सेमिनार तथा सिम्पोजियम–** सेमिनार तथा सिम्पोजियम ज्ञान के संवर्धन एवं परिवर्धन हेतु वे मंच हैं जहाँ विभिन्न विषयों एवं विचारों के आदान–प्रदान से ज्ञान को नई दिशा एवं विचार प्राप्त होते हैं। इनके माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं संबंधित महाविद्यालयों में छात्र अकादमिक रूप से ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की नवीन धाराओं एवं विचारों से अवगत होते हैं तथा संस्था के प्राध्यापक एवं छात्र वैश्विक स्तर पर हो रहे नवीन शोधों से लाभान्वित होते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2017–18 में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सेमिनार एवं सिम्पोजियम हेतु 30.00 लाख रूपये एवं प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में सेमिनार एवं सिम्पोजियम हेतु 25.00 लाख रूपये तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 20.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 12.50 लाख, रू0 25.00 लाख एव रू0 15.40 लाख व्यय किया गया।

2. **इन्टरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल एवं उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद में मानीटरिंग सेल की स्थापना–**उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारण एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर **नैक** संस्था का गठन किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ गठित है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अपनी अकादमिक एवं आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन कर **नैक** संस्था से उच्च ग्रेड प्राप्त कर सकें। इस हेतु उ0प्र0 उच्च शिक्षा परिषद में मानीटरिंग सेल की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी है कि संस्था के समक्ष आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का निराकरण कर संस्था को **नैक** द्वारा मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करना है। वर्ष 2017–18 में इस योजना हेतु 50.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत व्यय कर लिया गया है।

3. **लखनऊ विश्वविद्यालय में भाऊराव देवरस शोधपीठ एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों में पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना** –भावराऊ देवरस एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों एवं सोपानों का विस्तृत वैचारिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु वर्ष 2017–18 में भाऊराव देवरस शोधपीठ की स्थापना हेतु 200.00 लाख रूपये एवं विश्वविद्यालयों में पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना हेतु 900.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 200.00 लाख एवं रू0 850.00 लाख व्यय कर लिया गया है।

4. **प्रदेश में निजी प्रबन्धतंत्रों/संस्थाओं द्वारा असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान–** प्रदेश के उन विकास खण्डों में जहाँ वर्तमान में कोई भी महाविद्यालय नहीं है उनमें उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा निजी प्रबन्धतंत्रों को अनुदान प्रदान कर महाविद्यालय खोलने को प्रोत्साहित किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2017–18 में 1000.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष रू0 930.00 लाख व्यय कर लिया गया है। वर्ष 2018–19 में इस हेतु रू0 1000.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

इण्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल–भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत एवं संस्कृति से छात्र छात्राओं को युवा महोत्सवों द्वारा अवगत कराना तथा उनके भीतर छिपी हुई विभिन्न प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु **इण्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल** का आयोजन किया जाता है। इस योजना हेतु 20.00 लाख का बजट प्राविधान वर्ष 2017–18 में किया गया है जिसके सापेक्ष रू0 6.00 लाख व्यय कर लिया गया है।

विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं को खेल के प्रति जागरूक करने एवं उनकी प्रतिभा को तराशने के लिए अन्तर्विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु वर्ष 2017–18 में 20.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(रूशा)–

1. **मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना–**राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े न्यून सकल नामांकन वाले 26 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में नामांकन दर को बढ़ाना एवं लिंग आधारित भेदभाव को कम करना तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को प्रदान करना है। इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60 एवं 40 है। इस हेतु वर्ष 2017–18 में 3899.53 लाख रूपयें का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 3899.53 लाख व्यय कर लिया गया है।
2. **राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था–**प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को अपनी आधारभूत सुविधाओं–नवनिर्माण, अनुरक्षण एवं उन्नयन तथा नये उपकरणों एवं लाईब्रेरी हेतु पुस्तकों एवं जनरलों का क्रय इस योजना का उद्देश्य है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में विश्वविद्यालयों को अपनी आधारभूत सुविधाओं के स्थापना हेतु रू0 7107.87 लाख एवं राजकीय महाविद्यालयों को रू0 7417.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 5004.41 लाख एवं रू0 2732.00 लाख व्यय किया गया।
3. **समस्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में वाई–फाई सुविधा–**सूचना प्रोद्योगिकी के इस युग में समस्त छात्र/छात्राओं को विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं वैश्विक संस्थाओं द्वारा किये जा रहे शोध एवं नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों से अवगत कराने हेतु समस्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में वाई–फाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिससे छात्र/छात्राएं आधुनिक तकनीकी द्वारा लाभान्वित हो सकें। इस हेतु वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 दोनो ही वर्षों में रू0 5000.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
4. **विश्वविद्यालयों/संस्थानों को चांसलर एवार्ड–**राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शिक्षा शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनानें के लिए माननीय कुलाधिपति

द्वारा चांसलर एवार्ड दिया जायेगा। इस हेतु हेतु वर्ष 2017–18 में 16.90 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 3899.53 लाख व्यय कर लिया गया है।

5. **विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम एवं अन्य व्यय**–राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य छात्र/छात्राओं को समाजिक विकास हेतु प्रेरित करना एवं उनमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करना जिससे वे राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकें। इस हेतु वर्ष 2017–18 में 1435.01 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 1155.75 लाख व्यय कर लिया गया है।
6. **राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना**–इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना किया जाना है जिससे समाज के सभी वर्गों को समानता एवं उत्कृष्टता के साथ उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके। वर्ष 2017–18 में इस हेतु रू0 300.00 लाख का बजट प्राविधान पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया है।
7. **प्रदेश में नये विश्वविद्यालय की स्थापना–**

जनपद लखनऊ में अरबी–फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वर्ष 2017–18 में 700.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 700.00 लाख व्यय कर लिया गया है। **सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना** हेतु वर्ष 2017–18 में 366.50 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 366.50 लाख व्यय कर लिया गया है। **बलिया में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना** हेतु वर्ष 2017–18 में 500.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 244.91 लाख व्यय कर लिया गया है।

जनपद सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वर्ष 2017–18 में 2494.75 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 2494.75 लाख व्यय कर लिया गया है। **जनपद इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना** हेतु वर्ष 2017–18 में 1900.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 1800.00 लाख व्यय कर लिया गया है।

प्रावैधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्रविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता प्रदेश में प्रावैधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान (एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पालीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है। ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए संस्थाओं में इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्टाफ, इक्विपमेन्ट एवं भवन) उपलब्ध कराये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

तालिका–11.09
उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओं की प्रगति

संस्थायें	2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	4
1– इंजीनियरिंग कालेज की संख्या	13	12	12
(अ) प्रवेश क्षमता	2949	3518	2777
(ब) वास्तविक प्रवेश	2507	3021	2758
2– डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की संख्या	120	145	155
(अ) प्रवेश क्षमता	37170	37170	37170
(ब) वास्तविक प्रवेश	29672	34890	33157

प्रदेश में केन्द्र पुरोनिधानित योजना **"सब–मिशन ऑन पालीटेक्निक अन्डर दि को–आर्डिनेटेड एक्शन फॉर स्किल डेवलपमेन्ट"** संचालित की जा रही है जिसके निम्नलिखित घटक हैं :–

I– नवीन पालीटेक्निकों की स्थापना।

II– पालीटेक्निकों में महिला छात्रावासों की स्थापना।

III–राजकीय पालीटेक्निकों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण।

IV–राजकीय पालीटेक्निकों में अवस्थापना विकास।

V–कम्युनिटी डेवलपमेन्ट थ्रू पालीटेक्निक (सी0डी0टी0पी0)।

मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान (एम0एस0डी0पी0) योजनान्तर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ केन्द्र सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 23 पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 41 एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत 19 नवीन पालीटेक्निक स्थापित किये गये हैं।

प्रदेश में डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं की संख्या में अभिवृद्धि हुई है। वर्तमान में जनपद मैनपुरी, कन्नौज, सोनभद्र, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ. में एक–एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की गई है, साथ ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं एच0बी0टी0 आई0 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत जनपद गोण्डा एवं बस्ती में एक–एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जा रही है। उच्च स्तरीय आई0आई0आई0टी0 तकनीकी संस्थान की स्थापना लखनऊ के चकगंजरिया क्षेत्र में की जा रही है।

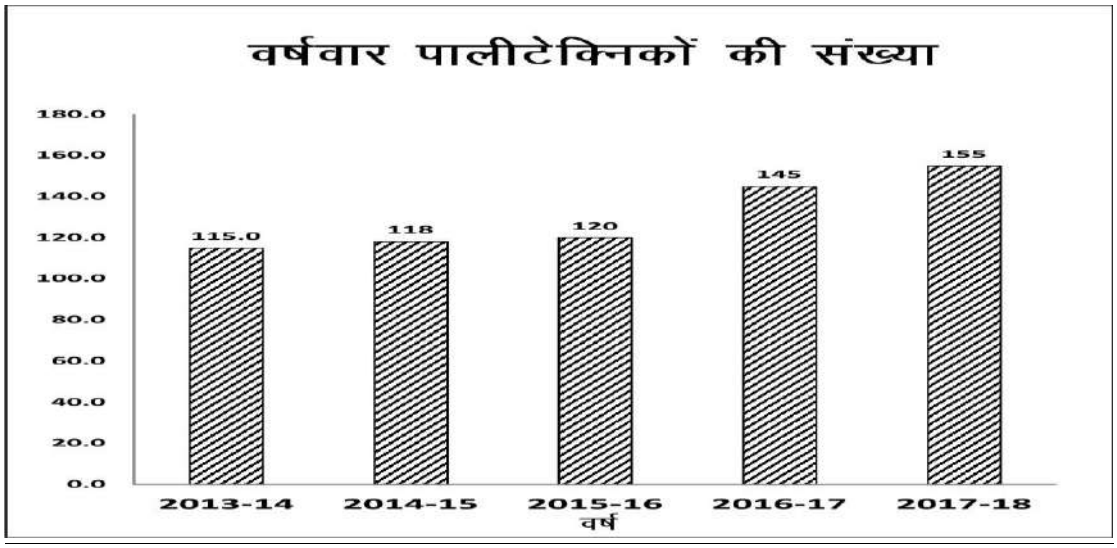

नीति आयोग से निर्दिष्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर प्राविधिक शिक्षा की प्रगति एवं विकास की कमियों को पूर्ण करने का प्रयास

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये प्रदेश सरकार का यह सतत् प्रयास है कि बुन्देलखण्ड के विभिन्न जनपदों में विकास की कमियों **(डेवलपमेन्ट डेफीसिट)** का आंकलन कर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाये। इस संदर्भ में नीति आयोग के अन्तर्गत गठित मानव विकास रिपोर्ट के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में प्राविधिक शिक्षा के समरस

विकास **(होमोजीनियस डेवलपमेन्ट)** हेतु डिप्लोमा सेक्टर तथा डिग्री सेक्टर में निम्नवत् तकनीकी संस्थान स्थापित किये गये हैं–

डिप्लोमा सेक्टर में स्थापित संस्थान

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु डिप्लोमा स्तरीय संस्थान भी स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल 14 राजकीय पालीटेक्निक/महिला पालीटेक्निक संचालित हैं जो तकनीकी शिक्षा की अभिवृद्धि हेतु पर्याप्त है।

सरकार का यह सतत् प्रयास है कि प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु नवीन तकनीकी संस्थाओं की स्थापना कर **एच0डी0आई0** की वृद्धि में अहम् भूमिका निभा सके।

तालिका–11.10

प्रदेश में संचालित राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं एवं डिग्री स्तरीय संस्थाओ के प्रवेश लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक प्रवेश की स्थिति

राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्था			डिग्री स्तरीय संस्था		
वर्ष	स्वीकृत प्रवेश क्षमता	वास्तविक प्रवेश	वर्ष	स्वीकृत प्रवेश क्षमता	वास्तविक प्रवेश
2013–14	37320	25710	2013–14	4055	3372
2014–15	37770	27412	2014–15	4172	3683
2015–16	37170	29672	2015–16	4744	4046
2016–17	37170	34890	2016–17	3518	3021
2017–18	37170	33157	2017–18	4133	3595

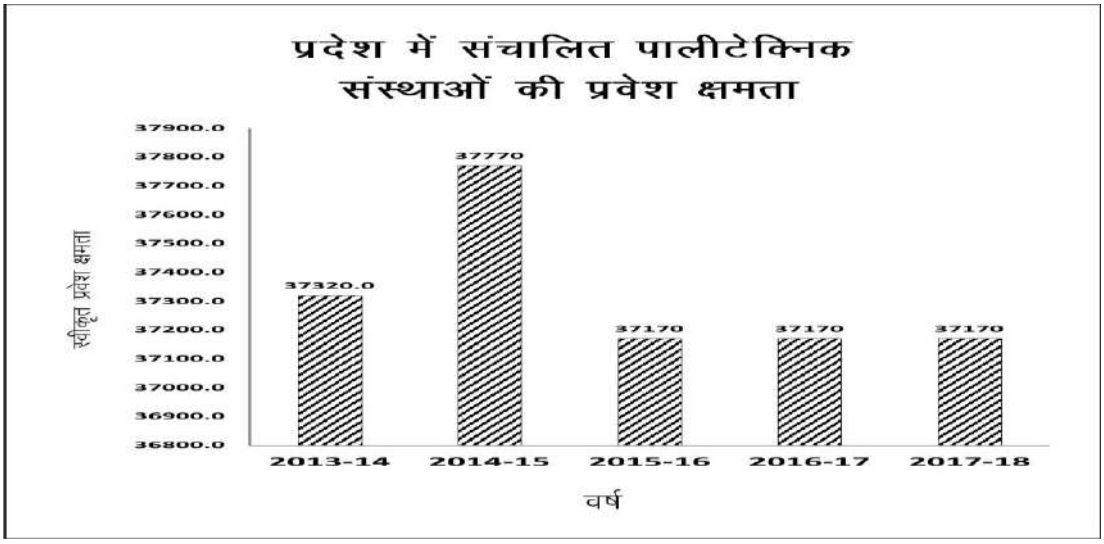

तालिका–11.11

डिप्लोमा सेक्टर में आय–व्ययक प्राविधान एवं व्यय की स्थिति

(रू0 लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय
2013-14	26828.46	22145.09	21502.62
2014-15	24253.83	19297.16	18225.97

2015-16	19503.26	15317.41	14862.22
2016-17	34043.75	33441.97	30485.76
2017-18	46094.78	42519.75	39106.96

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डिग्री सेक्टर में स्थापित संस्थान

1–बुन्देलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी

जनपद–झांसी में **एच0डी0आई0** की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक 0.592 है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का यह एक अति प्रतिष्ठित डिग्री स्तरीय संस्थान है जिसमें विभिन्न ब्रान्चों में बैचलर आफ टेक्नॉलाजी का शिक्षण–प्रशिक्षण होता है। यह इंजीनियरिंग कालेज डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के छात्रों के तकनीकी शिक्षा के विकास में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है।

2–राजकीय इंजीनियिरिंग कालेज बाँदा

जनपद–बाँदा में **एच0डी0आई0** की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक 0.465 है। स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान के अन्तर्गत इस संस्थान की स्थापना की गई है। पठन–पाठन हेतु आधुनिक लैबों का निर्माण किया गया है जिसमें आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं तथा राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से लगातार साज–सज्जा, उपकरण एवं फर्नीचर की कमियों को दूर किया जा रहा है। यह इंजीनियरिंग कालेज भी डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध है।

इस इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के फलस्वरूप बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों के छात्रों हेतु स्नातक स्तर पर पर्याप्त सीटें उपलब्ध हो गई हैं।

****

अध्याय–12
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

प्रदेश सरकार के सतत प्रयास से स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में पर्याप्त सुधार आया है, परन्तु अभी भी उ०प्र० इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है जैसा कि तालिका–12.01 से परिलक्षित हो रहा है।

तालिका–12.01
प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

मद	वर्ष			
	2015		2016	
	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
जन्म दर	26.7	20.8	26.2	20.4
मृत्यु दर	7.2	6.5	6.9	6.4
शिशु मृत्यु दर	46	37	43	34

स्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार

प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मातृत्व मृत्यु दर से तात्पर्य प्रतिवर्ष एक लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु दर से है। अद्यतन एस0आर0एस0 बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व मृत्यु दर वर्ष **1997–98** में क्रमशः 606 एवं 398 थी जो घटते हुए वर्ष **2014–2016** में क्रमशः 201 तथा 130 हो गयी। स्पष्ट है कि प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

तालिका–12.02
प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

वर्ष	मातृत्व मृत्यु दर	
	उत्तर प्रदेश	भारत
1997–98	606	398
1999–01	593	327
2001–03	517	301
2004–06	440	254
2007–09	359	212
2010–12	292	178
2011–13	285	167
2014–16	201	130

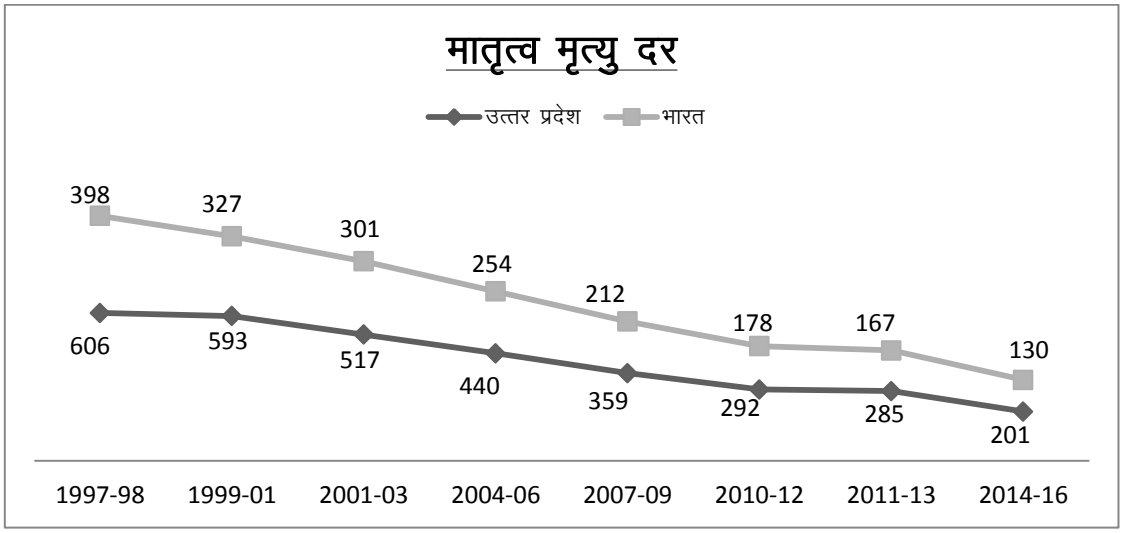

वर्ष 2017–18 में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.15 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 1.97 केन्द्रीय क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 50.38 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सब से कम 34.28 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 2.87 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 1.40 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या संख्या सर्वाधिक 7.21 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सब से कम 4.00 पश्चिमी क्षेत्र में रही जैसा कि तालिका गत आंकड़ों से स्पष्ट है–

तालिका–12.03

प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या

(2017–18)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
1	2	3	4	5
पूर्वी	2.44	39.61	1.99	5.25
बुन्देलखण्ड	3.15	50.38	2.87	7.21
पश्चिमी	2.02	34.28	1.40	4.00
केन्द्रीय	1.97	45.33	1.84	5.14
उत्तर प्रदेश	2.23	39.15	1.79	4.86

प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं

प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें तालिका–12.04 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–12.04
उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

क्र0 सं0	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी		होम्योपैथिक	
		1.1.17	1.1.18	2016–17	2017–18	2016–17	2017–18
1	चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5117	5117	2370	2370	1575	1575
2	शैय्याओं की संख्या	86729	86881	11077	11077	388	438
3	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	1171.65	9645.30	30525	31772	25697	27896

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2018–19 के अनुसार वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है।

तालिका–12.05
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2016-17	1530109 (7.6%)	71129 (0.7%)	1601238 (5.4%)
2017-18	1920783 (7.4%)	125348 (1.4%)	2046131 (5.9%)
2018-19	2314609 (8.3%)	111204 (1.0%)	2425813 (6.2%)

नोट–कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर वर्ष 2018–19 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 8.3 प्रतिशत तथा 1.0 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017–18 (पुनरीक्षित अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.4 प्रतिशत तथा 1.4 प्रतिशत रहा। वर्ष 2016–17 (वास्तविक अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.6 प्रतिशत तथा 0.7 प्रतिशत रहा।

स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है। स्वास्थ्य सेवाओं के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के आर्थिक सहयोग एवं मार्ग दर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला क्षय रोग अधिकारी (आर0एन0टी0सी0पी0) को विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु रू0 351.67 करोड़ की राज्य कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है जिसमें माह अक्टूबर, 2018 तक 65.4 करोड़ व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु रू0 252 करोड़ की राज्य कार्ययोजना स्वीकृत की गयी थी जिसके सापेक्ष 129 करोड़ का व्यय किया गया था।

सम्पूर्ण प्रदेश को पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम से दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 तक आच्छादित किया जा चुका है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भावित रोगियों के पंजीकरण, जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। राज्य में कार्यक्रम के सुचारु रुप से संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद आगरा, बरेली, लखनऊ एवं वाराणसी में क्षेत्रीय क्षय कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई (आर.टी.पी.एम.यू.) तथा स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा की स्थापना की गई है। राज्य में समस्त 75 जनपदों में 141 सी0बी0 नाट मशीन क्रियाशील हैं जिससे कि एम0डी0आर0 टी0बी0की जांच मात्र 2 घन्टे में उपलब्ध हो जाती है। प्रदेश में क्षय रोगियों के उपचार हेतु 993 टी0बी0 यूनिट (टी0यू0), 2020 बलगम परीक्षण केन्द्र (डी0एम0सी0) हैं।

सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 30.10.2017 से क्षय रोगियों हेतु डेली रेजीमेन (Daily Regimen) की औषधियां दी जा रही हैं जिसके अन्तर्गत फिक्स डोज कम्बीनेशन का प्राविधान है जिससे कि अब से क्षय रोगी को पहले के अपेक्षा रोजाना कम गोलियों(टेबलेट) का सेवन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018–19 में 03 नोडल डी0आर0टी0बी0 सेन्टर आगरा, मेरठ एवं लखनऊ में एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों हेतु बीडाक्यूलीन का शुभारम्भ/उदघाटन किया गया। प्रदेश में वर्तमान समय में 01–स्टेट टी0बी0 सेल, 01–टी0बी0 एण्ड डिमान्स्ट्रेशन सेन्टर, 04–क्षेत्रीय टी0बी0 प्रोगाम मैनेजमेंट यूनिट, आगरा, बरेली, लखनऊ एवं वाराणसी, 02 आई0आर0एल0(लखनऊ एवं आगरा), 05–कल्चर डी0एस0टी0 लैब(अलीगढ़ वाराणसी, लखनऊ–2 एवं बरेली), 21–नोडल डी0आर0टी0बी0 सेन्टर, 75–डिसिट्रक्ट टी0बी0 क्लीनिक, 2020–डी0एम0सी0 कार्यरत है।

राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम–

वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम वर्तमान में उ0प्र0 के 36 जनपदों में संचालित है। वर्ष 2018–19 में सितम्बर, 2018 तक 20 नये जनपदों में ये कार्यक्रम संचालित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 56 जनपद इस कार्यक्रम से आच्छादित है।

ट्रामा सेन्टर की स्थापना

दुर्घटना के उपरान्त घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ट्रॉमा सेन्टर खोले जा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2017–18 में सितम्बर, 2018 तक नवनिर्मित ट्रामा सेन्टरों की स्थापना/उपकरणों हेतु कुल रु 817.68 करोड की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार 30000 की आबादी पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित है। वर्तमान में 821 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3621 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील हैं।

जे०ई० अभियान

प्रदेश सरकार प्रदेश के पूर्वान्चल में विद्यमान ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग की समस्या को दूर करने के लिये अत्यधिक गम्भीर एवं प्रतिबद्ध है। ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग के वर्ष 2016 में कुल रोगियों में 45.13 प्रतिशत रोगी बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में उपचार हेतु भर्ती हुए एवं जनपदीय चिकित्सालयों में 54.87 प्रतिशत रोगी उपचार हेतु आये, जबकि वर्ष 2017 में दिनांक 09.11.2017 तक कुल रोगियों में 43.59 प्रतिशत रोगी बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में उपचार हेतु भर्ती हुये एवं जनपदीय चिकित्सालयों में 56.41 प्रतिशत रोगी उपचार हेतु आये। इस प्रकार वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में जनपदीय चिकित्सालयों में उपचार सुविधा के सुदृढ़ीकरण (ब्लॉक स्तरीय ई0टी0सी0, जिला चिकित्सालयों में पीडियाट्रिक आई0सी0यू0) के फलस्वरुप बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में भर्ती होने वाले ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों की कुल संख्या में कमी आई है।

समस्त ज्वर रोगियों को (झटके आने से पूर्व ही) मस्तिष्क ज्वर उपचार केन्द्र (इन्सेफ्लाईटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर–ई0टी0सी0 तक पहुँचाने के लिये 108 एवं 102 एम्बुलेन्स के प्रशिक्षित कर्मियों के सहयोग से निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जे0ई0 टीकाकरण को नियमित टीकाकरण में सम्मिलित करते हुये 09 माह एवं 16–24 माह की आयु पर जे0ई0 वैक्सीन की दो डोज़ प्रदेश के 38 जनपदों में दी जा रही है। प्रदेश के 38 जनपदों में 02 अप्रैल, 2018 से जे0ई0 टीकाकरण विशेष अभियान 01 से 15 वर्ष के बच्चों हेतु चलाया गया जिसके अन्तर्गत 3396330 बच्चों का टीकाकरण किया गया।

पी0एम0आर0यूनिट (विकलांग पुर्नवास केन्द्र)

ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग के विकलांग रोगियों के पुर्नवासन के लिये बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फिजीकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन इकाई (पी0एम0आर0 यूनिट) वर्ष 2012 से क्रियाशील है। इस इकाई में मस्तिष्क ज्वर से विकलांग हुये मरीजो की देख रेख की जाती है, जिसमें मस्तिष्क ज्वर के विकलांग रोगियो को विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है तथा उनके पुर्नवास का कार्य किया जाता है।

अध्ययन एवं शोध कार्य

ए0ई0एस0 रोग उत्पन्न करने वाले जे0ई0 एवं एण्ट्रोवायरस विषाणु के अतिरिक्त अन्य कारकों की पहचान के लिये विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संस्थाओं जैसे– सी0डी0सी0 अटलान्टा/इण्डिया की विशेषज्ञ डा0 पद्मिनी श्री कन्थिया के नेतृत्व में एन0सी0डी0सी0, आई0सी0एम0आर0, एस0जी0पी0जी0 आई0, लखनऊ, के0जी0एम0यू0, लखनऊ, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा समन्वय स्थापित करते हुये अध्ययन एवं शोध कार्य में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

102 नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक तथा एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक लाभार्थी को परिवहित करने में भी प्रयोग की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस पहुंचने का अधिकतम समय 30 मिनट तथा शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट निर्धारित किया गया है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में पूरे 24 घंटे उपलब्ध है।

108 एम्बुलेन्स सेवा

रोगियों को आकस्मिक परिस्थितियों में अविलम्ब निकटवर्ती चिकित्सा इकाई तक पहुंचायें जाने हेतु आकस्मिक चिकित्सकीय परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 988 एम्बुलेसों का संचालन पूर्णतया निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' पर कॉल करने पर शहरी क्षेत्र में 20 मिनट में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में एम्बुलेंस को रोगी तक पहुँचायें जाने की व्यवस्था की जाती है तथा उक्त एम्बुलेंस के द्वारा रोगी को निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुँचाकर चिकित्सा सेवा सुलभ करायी जाती है। इस सेवा की उपयोगिता को देखते हुये माह दिसम्बर, 2014 से अर्न्तजनपदीय संदर्भन की सेवा भी उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2017–18 में अप्रैल, 2018 से सितम्बर, 2018 तक कुल 31.7 लाख लोगो को 108 एम्बुलेन्स सेवा से एवं 59455 लोगो को एडवांस लाइफ सर्पोट सिस्टम से लाभान्वित किया जा चुका है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक कार्यक्रम है। प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1950 के दशक में प्रारम्भ किया गया था, जिसके अन्तर्गत नियोजन की स्थायी व अस्थायी विधियों की सेवायें निःशुल्क प्रदान की जाती है। स्थायी विधियों के अन्तर्गत महिला व पुरूष नसबन्दी की सेवायें प्रदान की जाती है एवं अस्थायी विधियों के अन्तर्गत लूप निवेशन, गर्भ निरोधक गोलियों व कण्डोम का वितरण सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क दिया जाता है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में गर्भ निरोधक सामग्री का वितरण "आशा कार्यकत्रियों" द्वारा लाभार्थियों के द्वार पर किया जाता है। वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ निम्नवत हैः–

तालिका–12.06

क्र०सं०	विधि	2016–17	2017–18	2018–19 (सितम्बर–2018 तक)
1	वैसेक्टामी	8219	3956	1793
2	टयूबेक्टामी	286107	255049	45278
3	सकल नसबन्दी	294326	259005	47071
4	आइ०यू०डी०	1199797	1043884	420459
5	सी०सी०यूजर्स	600439	537224	516791
6	ओ०पी० यूजर्स	345028	267001	279958

आधुनिक गर्भनिरोधक तकनीकों/विधियों का प्रयोग

नसबन्दी

परिवार नियोजन के अन्तर्गत नसबन्दी कराने वाले महिला लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि रू० 1400/– तथा पुरूष लाभार्थी की धनराशि रू 2000/– है। नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/जटिलता/असफल नसबन्दी के मामलों में लाभार्थी को भुगतान हेतु अप्रैल, 2013 से "परिवार नियोजन आईडिमिनिटी योजना" लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण (असफल नसबन्दी) के केसों में रू० 30,000/– तथा नसबन्दी उपरान्त जटिलता के केसों पर अधिकतम् रू० 25,000/– की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। नसबन्दी उपरान्त मृत्यु के केसों में मुआवजे की धनराशि मिलती है। ऐसे सेवा केन्द्र जिन पर प्रतिमाह 200 से अधिक प्रसव हो रहे हैं, पर लाभार्थियों की काउन्सिलिंग कर उन्हें परिवार नियोजन विधियों को अपनाने हेतु प्रोत्सहित किये जाने के उद्देश्य से फैमिली वेलफेयर काउन्सलर" की तैनाती संविदा के आधार पर की गयी है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017–18 में कुल 259.01 हजार व्यक्तियों ने नसबन्दी कराया जो वर्ष 2016–17 के 294.32 हजार की तुलना में 12.0 प्रतिशत कम था। इनमें वर्ष 2017–18 में नसबन्दी कराने वाले पुरुषों की संख्या 3.96 हजार थी जो गत वर्ष 8.22 हजार की तुलना में 51.8 प्रतिशत कम था। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में महिला नसबन्दी की संख्या 255.05 हजार थी जो गत वर्ष 286.1 हजार की तुलना में 10.9 प्रतिशत कम था।

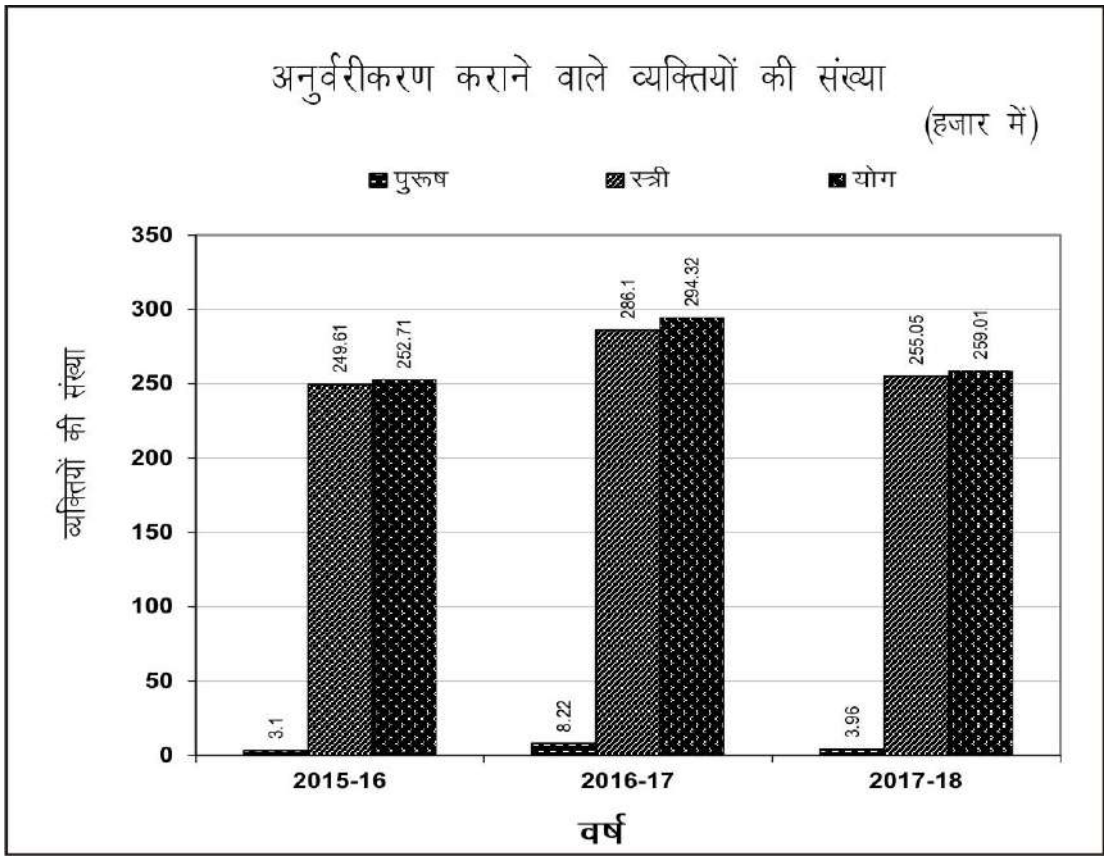

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में वर्ष 2016–17 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी का प्रयोग करने

वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1441.97 हजार, 345.03 तथा 600.44 हजार थी। वर्ष 2017–18 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1043.89 हजार, 267.00 तथा 537.23 हजार हो गयी।

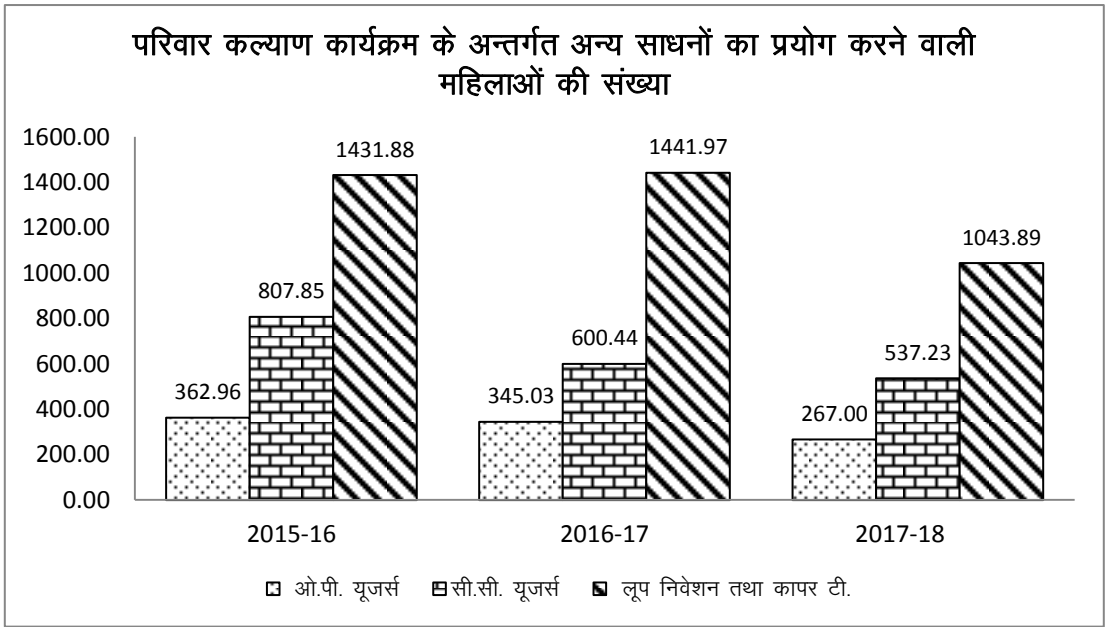

पूर्ण प्रतिरक्षण

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को टिटनेस एवं बच्चों को काली खांसी, पोलियो इत्यादि के टीके लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016–17 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 45.77 लाख टी0टी0, 40.71 लाख डी0टी0पी0, 43.95 लाख पोलियो, 49.57 लाख बी0सी0जी0 एवं 45.46 लाख मीजिल्स के टीके लगाए गये। वर्ष 2017–18 में टिटनेस, पोलियो, बी0सी0जी0 एवं मीजिल्स के टीकों की संख्या क्रमशः 48.47 लाख, 46.60 लाख, 48.98 लाख एवं 46.02 लाख हो गयी जैसा कि तालिका–12.07 से स्पष्ट हैः–

तालिका–12.07

(लाख में)

क्र0 सं0	मद	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (सितम्बर–2018 तक)
1	टी0टी0 गर्भवती माता	64.85	46.91	66.13	45.77	66.86	48.47	66.08	24.05
2	डी0पी0टी0	56.01	43.92	–	–	–	–	–	–
3	पेन्टावेलेन्ट	–	–	57.11	40.71	57.86	46.87	–	–
34	पोलियो	56.01	45.05	57.11	43.95	57.86	46.60	57.49	20.03
5	बी0सी0जी0	56.01	49.94	57.11	49.57	57.86	48.98	57.49	21.90
6	मिजिल्स	56.01	45.86	57.11	45.46	57.86	46.01	57.49	17.78 (अगस्त–2018 तक)
7	हेप्टाइटिस बी	56.01	43.24	–	–	–	–	–	–

क्र0 सं0	मद	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (सितम्बर–2018 तक)
8	जे0ई0 (38 जनपद)	31.63	20.65	32.25	22.12	32.68	24.04	32.47	8.41 (अगस्त–2018 तक)

नोट. वर्ष 2016–17 सें पेन्टावेलेन्ट वैक्सीन लगने के कारण डी0टी0पी0 एवं हेप्टाइटिस बी का टीकाकरण बन्द हो गया है।

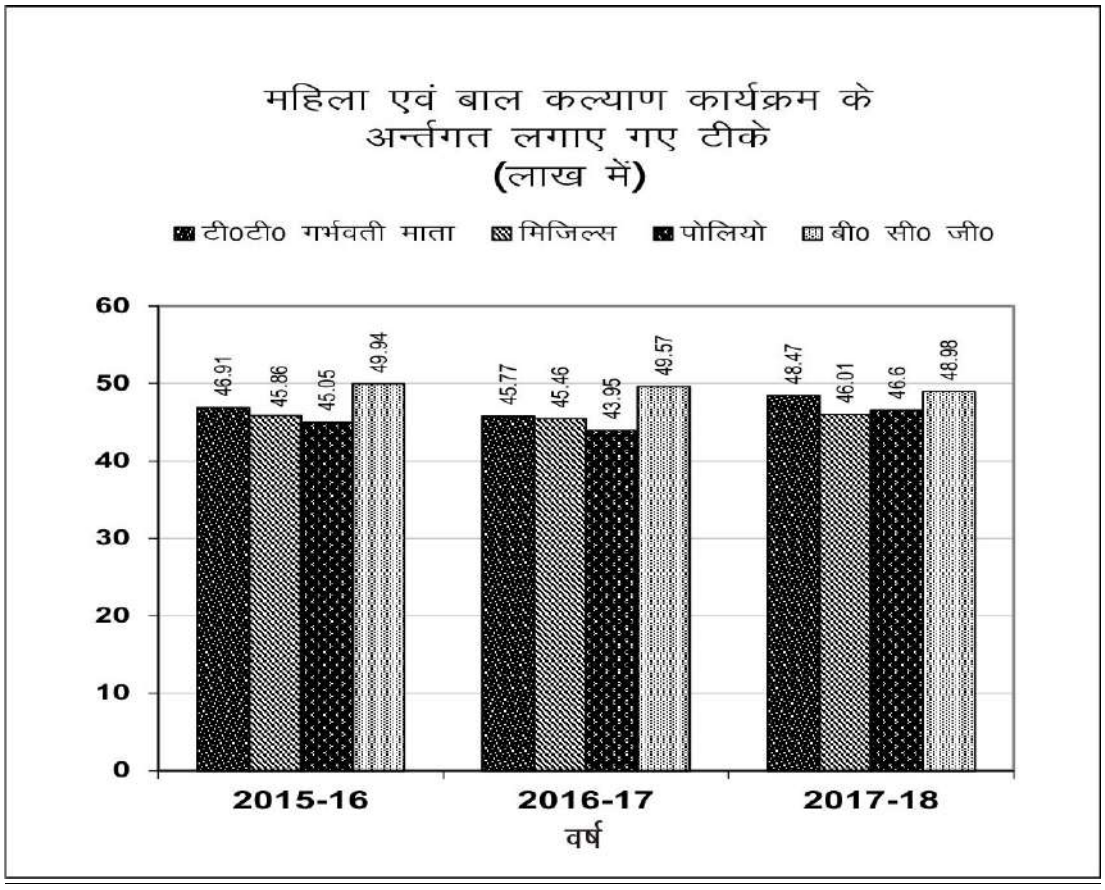

पोलियो कार्यक्रम

प्रदेश में 21 अप्रैल, 2010 के बाद से पोलियो का कोई केस प्रकाश में नहीं आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू0एच0ओ0) द्वारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन के 11 देशों में, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, को मार्च, 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है।

पोलियों विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश में एन0आई0डी0 (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) तथा एस0एन0आई0डी0 (सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) चक्र चलाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जा रहा है। साथ ही पोलियों विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश के 06 जनपदों में जो नेपाल सीमा से लगे है, पोलियों के 30 बूथ संचालित किये जा रहे हैं, जो अगले वर्षो में भी संचालित रहेंगे।

बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह

बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन–'ए' की खुराक से आच्छादित किया जाता है। इसके अर्न्तगत दिसम्बर, 2017 के अभियान में कुल 21468512 बच्चों को विटाामिन ए की खुराक से आच्छादित किया गया।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदो में संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत गर्भावस्था में दी जाने वाली सेवायें, प्रसव के दौरान तथा प्रसवोपरान्त सेवाएं, महिला तथा उसके नवजात शिशु की देखभाल आदि समस्त सेवाओं का एकीकरण कर लिया गया है एवं यह सेवायें उस महिला के क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री/आशा कार्यकर्त्री द्वारा अथवा उसकी सहायता से उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को **गारन्टीड कैशलेस प्रसव सेवा** प्रदान करना है जो निम्नवत हैः–

1. प्रसव के दौरान उपयोग में लाये जाने वाली समस्त औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
2. सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है।
3. महिला से सामान्य अथवा सिजेरियन प्रसव हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी यूजर चार्ज नही लिया जा रहा है।
4. सभी जांचे जैसे ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
5. आवश्यकतानुसार ब्लड ट्रान्सफ्यूजन भी निःशुल्क किया जा रहा है।
6. इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व घर से चिकित्सा इकाई तक एवं प्रसवोपरान्त चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है।

   प्रसवों के उपरान्त माँ की 42 दिन तक और बच्चे की एक वर्ष तक पूरी देखभाल/टीकाकरण/ बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, घर से चिकित्सा इकाई तक एवं चिकित्सा इकाई से घर तक पहुँचाने की निःशुल्क परिवहन सुविधा एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से दी जा रही है।

तालिका–12.08

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को दी जा रही सुविधाएं

निःशुल्क सुविधाये	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19 (सितम्बर–2018 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
निःशुल्क भोजन	1557000	1392441	1745042	1775347	1966240	1182411	1966500	791023
निःशुल्क उपचार	4800000	3182906	5000000	4300387	5000000	2264973	5000000	967587
निःशुल्क जाँच	4800000	3231837	5000000	4387210	5000000	3896591	5000000	868181

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 का क्रियान्वयन

वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में पिछले दशक 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है जबकि बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) में गिरावट आयी है। पिछले 03 दशकों के प्रदेश के लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–12.09

प्रदेश में लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात

क्र0सं0	वर्ष	उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात	उत्तर प्रदेश का बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र)
01	1991	876	927
02	2001	898	916
03	2011	912	902

कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में **"प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994"** पूर्व में ही प्रख्यापित किया जा चुका है, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है।

अधिनियम के क्रियान्वयन की अनुश्रवण व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु एक पृथक वेबसाईट विकसित की गयी है, जिसका शुभारम्भ प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को किया गया। लिंग चयन/भ्रूण हत्या/अवैध सचांलित केन्द्रो के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियो/केन्द्रों/संस्थानों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु दिनांक 1 जुलाई, 2017 से मुखबिर योजना प्रारम्भ की गयी है।

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के वर्ष 2011–12 व 2012–13 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात, 0-4 आयु वर्ग में लिंगानुपात व समस्त आयु वर्ग में लिंगानुपात में वृद्धि परिलक्षित हो रही है, जैसाकि तालिका–12.10 से स्पष्ट है:–

तालिका–12.10

वर्ष	जन्म के समय लिंगानुपात	लिंगानुपात (0–4 आयु वर्ग)	लिंगानुपात (समस्त आयु वर्ग)
2011-12	**908**	**914**	**944**
2012-13	**921**	**919**	**946**

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम संचालित है। एनुअल हेल्थ सर्वे के बेस लाइन रिपोर्ट (2010–11) में उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 345 प्रति एक लाख जीवित जन्म था जो प्रथम अपडेशन 2011–12 में घटकर 300 प्रति एक लाख जीवित जन्म एवं द्वितीय अपडेशन 2012–13 की रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 258 प्रति एक लाख जीवित जन्म हो गया है। किसी भी प्रदेश में मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिये मातृ मृत्यु समीक्षा एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो कि मातृ मृत्यु के विभिन्न कारणों एवं कारकों पर प्रकाश डालता है एवं उनको दूर करने में सहायता करता है।

मातृ मृत्यु समीक्षा (एम0डी0आर) कार्यक्रम में प्रत्येक मातृ मृत्यु के कारणों की गहन छानवीन की जाती है जिससे यह पता चलता है कि मातृ मृत्यु के मेडिकल कारण क्या थे तथा सामाजिक कारण क्या थे। इस प्रकार इस समीक्षा से क्षेत्र विशेष तथा समुदाय विशेष में होने वाली मातृ मृत्यु के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसी के अनुसार योजना बनाकर कार्य किया जाता है। मातृ मृत्यु से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें तालिका–12.11 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–12.11

मातृ मृत्यु से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें

वर्षवार	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (सितम्बर–2018 तक)
सम्भावित मृत्यु	17268	16906	14021	14620	11055
मातृ–मृत्यु	3274	3861	4372	3592	2471
मातृ–मृत्यु आडिट	2970	3494	3874	3213	1604
प्रतिशत	**18.96**	**22.84**	**31.18**	**24.57**	**22.35**

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017–18 में पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 635 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 445 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में पेयजल सुविधा युक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 260110, आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या शून्य तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 1723 लाख थी। प्रदेश में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017–18 में जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 58 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 44 लाख थी।

तालिका–12.12

उत्तर प्रदेश में हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2 तथा नल द्वारा पेयजल एवं जलोत्सरण सुविधायुक्त नगर एवं मजरे

मद		2016-17	2017-18
1		2	3
1.	पेयजल सुविधायुक्त–		
	(1) नगरों की संख्या	631	635
	(2) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	441	445
	(3) पूर्ण आच्छादित मजरे	260110	260110
	(4) आंशिक आच्छादित मजरे	0	0
	(5) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	1698	1723
	(6) अनाच्छादित मजरों की संख्या	0	0
2.	जलोत्सारण सुविधायुक्त नगर–	55	58
	(2) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	40	44

स्रोतः– उत्तर प्रदेश, जल निगम।

प्रदेश में स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति–

नगरीय क्षेत्रः–

- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 203 पेयजल योजनायें जिनकी स्वीकृत लागत रू० 6405.51 करोड़, 81 जलोत्सारण योजनायें स्वीकृत लागत रू० 6278.07 करोड़ एवं 12 जल निकासी योजनाएं स्वीकृत लागत रू० 177.93 करोड़ निर्माणाधीन हैं।
- उ०प्र० जल निगम द्वारा 64 नग सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित कर प्रदेश मे 2002.87 मिलियन लीटर प्रतिदिन की शोधन क्षमता विकसित की गयी है।
- आगरा नगर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जायका सहायतित गंगाजल परियोजना जिसकी स्वीकृत लागत रू० 2887.92 करोड़ है, के अन्तर्गत 144 एम०एल०डी० क्षमता का जल शोधन संयंत्र निर्मित कर नगरवासियों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।
- **नमामि गंगे कार्यक्रम–**

  एन०जी०आर०बी०ए०/नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश मे गंगा एवम् मुख्य सहायक नदियों रामगंगा एवं काली नदी के किनारे स्थित मुख्य नगरों के घरेलू जल से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु योजनाएं निर्मित की जा रही हैं।

  राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत रू० 6538.63 करोड़ की 30 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिसके अन्तर्गत कुल 636.90 एम०एल०डी० क्षमता के 30 नग सीवेज शोधन संयंत्र प्रस्तावित है। उक्त में से वाराणसी नगर में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत दो योजनाएं नामतः जायका सहायतित परियोजना जिसकी मूल स्वीकृत लागत रू० 496.90 करोड़ तथा पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रू० 641.19 करोड. है, निर्माणाधीन है। योजना में 140 एम०एल०डी० क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है एवं रमना में 50 एम०एल०डी० क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मोड (एच०ए०–पी०पी०पी०) में किया जा रहा है।
- **झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम–**

  झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन 02 योजनाओं **रामगढ. ताल (गोरखपुर)** योजना मे 45 एम०एल०डी० शोधन क्षमता विकसित की जा रही है तथा **लक्ष्मीताल (झांसी)** के विकास एवं सौन्दर्यीकरण की परियोजना मे 26 एम०एल०डी० क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है।

ग्रामीण क्षेत्रः–

प्रदेश में वर्ष 2004 में चिन्हित 260110 ग्रामीण बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया।

- वर्तमान मे ए०ई०एस०/जे०ई० प्रभावित 20 जनपदों यथा गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बलिया, मऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर देहात एवं सहारनपुर में कुल 343 पाइप पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन है। इनमें से वर्ष 2017–18 मे 83 पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

उक्त के अतिरिक्त जे०ई०/ए०ई०एस० से सर्वाधिक प्रभावित बस्ती/गोरखपुर मण्डल के 7 जनपदों के संवेदनशील 51 बस्तियों मे सौर ऊर्जा आधारित टी०टी०एस०पी० योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों में क्रियान्वित की जा रही विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 09 जनपदों की 233 परियोजनाओं हेतु कुल लागत रू० 411.01 करोड़ की 13 बहुल ग्राम एवं 220 एकल ग्राम योजनाएं विरचित की गयी हैं, जिसमें से 161 योजनाएं कमीशन की जा चुकी है। अब तक रू० 322.21 करोड़ व्यय किया जा चुका है।
- वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 1595 पाइप पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिसमें वर्ष 2017–18 में कुल 430 पाईप पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसके विरूद्ध 436 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है।
- माननीय विधायक विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों की संस्तुति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के अवशेष नये हैण्डपम्पों एवं रिबोर हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन क्रमशः 2897 एवं 4281 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में नए हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष मार्च, 2018 तक 1760 नये हैण्डपम्पों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 मे अधिष्ठापित नये हैण्डपम्पों एवं रिबोर हैण्डपम्पों की कुल संख्या क्रमशः 11944 एवं 7374 है।
- अनियमित विद्युत आपूर्ति से प्रभावित बस्तियों में सौर ऊर्जा आधारित 1400 मिनी पाइप पेयजल योजनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष 1210 मिनी पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।

<u>निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं (सी० एण्ड डी०एस०)</u>:–

- सी० एण्ड डी०एस० द्वारा प्रदेश में विभिन्न राजकीय विभागों के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों, स्पोर्ट्स स्टेडियमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, राजकीय पॉलिटेक्निकों, डिग्री कालेजों एवं नवोदय विद्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के आवासों इत्यादि के लगभग रू० 9390.51 करोड. की लागत के कार्य निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 32 नगरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की योजनाओं (अनु० लागत रू० 515.40 करोड़) के कार्य निर्माणाधीन है।

उ०प्र० जल निगम द्वारा पेयजल आपूर्ति एवं जलोत्सारण कार्य उच्च गुणवत्ता तथा निर्माण के समय सुरक्षा के पुख्ता प्रबन्ध के साथ किए जाते हैं तथापि जागरूक जन साधारण **हेल्पलाइन नम्बरः–18001800525** पर किसी भी अन्यथा स्थिति के लिए जल निगम के हेल्पलाइन नम्बर पर सूचित कर सकते हैं।

****

अध्याय–13

समाज कल्याण

लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का मूल उद्देश्य वर्तमान समाज के निर्बल वर्गों के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है ताकि समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं हेतु छात्रवृत्ति, छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालय, पेंशन, शोषण के विरूद्ध सहायता एवं भरण पोषण सम्बन्धी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आदि का संचालन किया जा रहा है। ये योजनाएं समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2018–19 के अनुसार वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में सरकार का सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–13.01

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2016-17	1989424 (9.9%)	130823 (1.4%)	2120247 (7.1%)
2017-18	2242447 (8.7%)	96997 (1.1%)	2339444 (6.7%)
2018-19	2493685 (9.0%)	176998 (1.5%)	2670683 (6.8 %)

नोट– कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर वर्ष 2018–19 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 9.0 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017–18 (पुनरीक्षित अनुमान) में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 8.7 प्रतिशत तथा 1.1 प्रतिशत रहा। वर्ष 2016–17 (वास्तविक अनुमान) में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 9.9 प्रतिशत तथा 1.4 प्रतिशत रहा। तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है।

समाज कल्याण सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों को जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित है अथवा जो बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थी हैं अर्थात जिसकी आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/– वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460/– वार्षिक से कम है, पात्रता की श्रेणी में आते हैं। ऐसे पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजना में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पेंशनरों को राज्य सरकार अपने संसाधन से रू0 200/– मासिक पेंशन राज्यांश के रूप में तथा भारत सरकार द्वारा

प्रतिमाह रू0 200/– प्रति लाभार्थी की दर से केन्द्रांश के रूप मे पेंशन दी जाती है। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को रू0 500/– प्रति लाभार्थी प्रति माह की दर से भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में पेंशन दी जाती है। **प्रत्येक** वर्ष **माह अप्रैल, मई एवं जून में पात्र वृद्धजनों के सत्यापन का कार्य किया जाता है।**

वर्ष 2017–18 में 206599.56 लाख रू० व्यय कर 37.47 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत रू0 256000.00 लाख का बजट प्राविधान व्यय किया गया।

2.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत् परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर रू० 30,000 की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा रू0 20,000 एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 10,000/– की एक मुश्त अनुदान सहायता राशि के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से यह योजना कम्प्यूटरीकृत करते हुए ऑन लाईन कर दी गयी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में 25876.94 लाख रू० व्यय कर 86256 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 30 ***जून***, 2018 तक रू0 422.70 लाख व्यय कर 1409 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

3. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना :–

समाज में सर्व धर्म–समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने एवं विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मो के रीति–रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गो के जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की कन्याओं एवं विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु सामूहिक विवाह आयोजन किया जाता है।

योजनान्तर्गत गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में रू0 20,000/– की धनराशि का अनुदान एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री यथा कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि रू0 10,000/– की धनराशि से क्रय करके प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर रू0 5,000/– की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है। नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम) क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण एवं न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में 7220.49 लाख रू० व्यय कर 20629 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 30 ***जून***, 2018 तक रू0 4272.15 लाख व्यय कर 2037 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

4.राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से संचालित पेंशन योजना

पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साक्षरता को समन्वित करते हुए समाज के निर्बल एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक योजना के संचालन का निर्णय लिया गया था। इस योजना में प्रदेश के 40 लाख परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य था, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 12 लाख लाभार्थी, अल्पसंख्यक वर्ग के 10 लाख लाभार्थी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के 18 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य था। पुनः वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत लक्ष्य बढ़ाकर 45 लाख एवं वर्ष 2016–17 हेतु बढ़ाकर 55 लाख कर दिया गया था। योजना में प्रति लाभार्थी को रू0 500/– की मासिक सहायता अनुमन्य करायी गयी। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं साक्षरता के कतिपय मानकों को पूरा करने के फलस्वरूप सहायता राशि में रू0 50/– की वार्षिक वृद्धि किये जाने का प्राविधान था।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू० 242624.34 लाख की धनराशि व्यय कर 42.43 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजनान्तर्गत रू0 325564.27 लाख की धनराशि व्यय कर 54.50 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

5.छात्रवृत्ति वितरण योजना

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 से छात्र द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरने की अनिवार्य व्यवस्था लागू की गयी है। तालिका–13.02 में विभिन्न वर्षों की प्रगति दिया गया है।

तालिका–13.02

छात्रवृत्ति वितरण योजना की प्रगति

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (धनराशि रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	पूर्वदशम् – अनु. जाति/जनजाति	2016–17	323179	6683.50
		2017–18	416860	8849.26
	पूर्वदशम् – सामान्य वर्ग	2016–17	79978	1663.99
		2017–18	77777	1664.00
2	दशमोत्तर– अनु. जाति/जनजाति	2016–17	1159590	176080.16
		2017–18	1238307	181014.55
	दशमोत्तर– सामान्य वर्ग	2016–17	589383	66629.74
		2017–18	571782	66626.38

6.पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग)

कक्षा 9 व 10 के अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली पर आधारित ई–पेमेन्ट के माध्यम से कोर बैंकिंग सिस्टम द्वारा सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में किया जाता है। अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 की कक्षाओं में अध्ययनरत रू0 2.00 लाख वार्षिक आय की सीमा तक के माता–पिता/अभिभावकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

पूर्वदशम छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग)

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित बजट(अनु0जाति)	रू0 18675.00 लाख
वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित बजट(सामान्य वर्ग)	रू0 1664.00 लाख

दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग)

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित बजट (अनु0जाति)	रू0 176130.00 लाख
30 जून, 2018 तक व्यय धनराशि	रू0 3.21 लाख
वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित बजट (सामान्य वर्ग)	रू0 75000.00 लाख
30 जून, 2018 तक व्यय धनराशि	रू0 3.52 लाख

7. पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था है। वर्तमान में इन विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है। समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित 93 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 42 आश्रम पद्धति विद्यालयों की सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में क्रमशः 31150 एवं 31150 छात्रों को योजना का लाभ दिया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 17969.20 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 30 **जून, 2018** तक रू0 2646.35 लाख व्यय किया गया।

8..राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत एवं पेय जल की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में 252 छात्रावास संचालित हैं। वर्ष 2017–18 में इस योजनानतर्गत 2620.56 लाख रू० व्यय कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 9450 छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 3255.61 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष **30 जून, 2018** तक रू0 591.52 लाख व्यय किया गया।

9..अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी0सी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को भारत सरकार की तद्विषयक नियमावली के अन्तर्गत न्यूनतम 85000/– रूपये से लेकर 825000/– रूपये तक की सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2017–18 में 15261.68 लाख रू० व्यय कर 16507 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 4755.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष **30 जून, 2018** तक रू0 5899.70 लाख व्यय किया गया।

10. उत्तर प्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं वृद्धाश्रमों का संचालन

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 के अधीन उ0प्र0 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली–2014 के अधीन भरण–पोषण के आदेश पर न्याय निर्णयन और विनिश्चयन करने के प्रयोजन से राज्य के प्रत्येक राजस्व जिलों की प्रत्येक तहसील में भरण–पोषण अधिकरण का गठन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कर दिया गया है। प्रत्येक तहसील में एक सुलह अधिकारी की तैनाती का प्राविधान किया गया है। तत्क्रम में 21 जनपदों में रू0 10000/– के मानदेय पर सुलह अधिकारी को तैनात कर दिया गया है।

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रमों की स्थापना पी0पी0पी0 माडल पर की गयी है, जिसमें निवासरत वृद्धों को निःशुल्क ढंग से भोजन, वस्त्र, औषाधि, मनोरंजन तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अनुरक्षण समिति तथा प्रदेश स्तर पर मा0 मंत्री, समाज कल्याण की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुरक्षण समिति का गठन कर कार्यक्रम का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। योजनानतर्गत वर्ष 2017–18 में 4572.52 लाख रू० व्यय किये गये।

11. अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु निदान योजना

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना संचालित है। निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना में रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार) का अनुदान आवेदक के खाते में सीधे भेजा जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/– होती है एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो, पात्र होते है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 12100.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 10659.93 लाख व्यय कर 53313 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में

रू0 12100.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 30 जून, 2018 तक रू0 116.10 लाख व्यय कर 581 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

12.सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु निदान योजना

समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना संचालित है। निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना में रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार) का अनुदान आवेदक के खाते में सीधे भेजा जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/– होती है एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो, पात्र होते है। योजनान्तर्गत आंनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 4125 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 2997.00 लाख व्यय कर 14985 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 8250. 00 लाख के बजट प्राविधान किया गया।

योजनाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियां एवं प्राथमिकतायें

समाज कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के परम्परागत संचालन में अनेक व्यवहारिक समस्यायें उत्पन्न हो रही थी। योजना संचालन में दलालों/बिचौलियों द्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप करते हुए योजना का लाभ सही व्यक्ति को पहॅुचाने में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था।

- वृद्धावस्था पेंशन योजना में बहुधा यह शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि योजना संचालन में दलालों/बिचौलियों द्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप करते हुए योजना का लाभ सही व्यक्ति को पहुँचाने में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था। इस समस्या के निराकरण हेतु योजना को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा सीधे बैंक खाते में किया जा रहा है।
- इसी प्रकार छात्रवृत्ति वितरण योजना को भी पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। छात्रवृत्ति से सम्बन्धित समस्त आवेदन पत्र ऑन लाईन ही स्वीकार किये जा रहे हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारियों के स्तर से सम्यक परीक्षणों उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान भी पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा सीधे छात्रों के बैंक खातों में किया जाता है।
- पारिवारिक लाभ योजना को भी वित्तीय वर्ष 2014–15 से कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है तथा माह जनवरी, 2016 से इस योजना में आवेदन पत्र ऑन लाइन स्वीकार किये जा रहे हैं।

समाज कल्याण हेतु संचालित प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण पारदर्शी तथा समयबद्ध रूप से संचालित किये जाने के कार्य को राज्य सरकार द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया गया है तथा इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किये गये है। सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का प्रभाव वर्तमान में योजना संचालन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है।

योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं लक्ष्य पूर्ति हेतु किये गये उपाय

- वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त पात्र पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है ताकि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- छात्रवृत्ति वितरण योजना के अन्तर्गत नियमानुसार चयनित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। योजना में पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। वर्ष 2013–14 से छात्र द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑन लाइन भरने की अनिवार्य व्यवस्था लागू की जा चुकी है।
- प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु एकीकृत पेंशन पोर्टल **एसएसपीवाई–यूपी.जीओवी.इन** की स्थापना की गयी है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत/वार्ड में

विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जा रहे लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध रहेगा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की लगभग 52 प्रतिशत आबादी के दृष्टिगत उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु राज्य सरकार क्रियाशील है। वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रावास निर्माण के साथ–साथ बेरोजगार युवक–युवतियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजनायें संचालित की जा रही हैं। उक्त के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार से अनुदान दिलाये जाने की योजनायें भी संचालित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम की चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत है, के द्वारा पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे/दोहरी गरीबी रेखा के परिवार को स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिए एवम् उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

पिछड़े वर्ग के विकास हेतु संचालित योजनायें

1.पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश में पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भाँति उन्हीं दरों एवम् शर्तों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसमें अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 के कक्षा 9 व 10 के 758520 छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि कुल रू० 160.01 करोड़ एवं कक्षा 10 व 12 के 1878452 लाख छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि कुल रू० 535.37 करोड़ पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में अन्तरित की गयी।

वर्ष 2018–19 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 750000 छात्र/छात्राओं को कुल रू0 161.01 करोड़ एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के सभी उत्तीर्ण व पात्र छात्र/छात्राओं को कुल रू0 700.01 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित करने का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2.शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित करते हुए पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से 1269462 लाख छात्र एवं छात्राओं को रू० 551.28 करोड़ की धनराशि उनके बैंक खाते में सीधे अन्तरित की गयी। वर्ष 2018–19 में गत परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने वाले पात्र छात्र/छात्राओं हेतु कुल रू0 551.28 करोड़ की धनराशि से लाभन्वित करने का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3.शादी अनुदान योजना

पिछड़े वर्ग की निःसहाय, निर्धन तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु रू0 20000.00 की सहायता अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना में विधवा, विकलांग, दैवीय आपदा जनो एवं भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। शादी अनुदान योजना में लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 76110 आवेदको को रू0 152.22 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2018–19 में इस योजना में 200.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित व स्वीकृत धनराशि से 1,00,000 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4.'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करने हेतु एक वर्षीय 'ओ'

लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं त्रैमासिक सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना भारत सरकार की डोयक सोसाइटी (नीलिट) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित है। उक्त योजना हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम रू0 15000.00 प्रति प्रशिक्षणार्थी एवं सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम रू0 3,500.00 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से संस्था को किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना के अन्तर्गत 9,431 प्रशिक्षार्थियों को रू0 11.00 करोड़ का व्यय कर लाभन्वित किया गया। वर्ष 2018–19 में 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना मं 15.00 करोड़ की स्वीकृत धनराशि से 18,398 लाभार्थियों को ओ लेवल/सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दिव्यांग कल्याण

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांग व्यक्तियों का विकलांगतावार वर्गीकरण निम्नवत हैः–

तालिका–13.03
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार दिव्यांगों की संख्या

विवरण	ग्रामीण	शहरी	कुल योग
दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या	3166615	990899	4157514
दृष्टि विकलांगता	579182	184806	763988
वाक् विकलांगता	202152	64434	266586
श्रवण विकलांगता	753704	274131	1027835
अस्थि विकलांगता	543203	134510	677713
मानसिक मंदित	140097	41245	181342
मानसिक रूग्ण	57497	19106	76603
अन्य विकलांगता	720020	226416	946436
बहु विकलांगता	170760	46251	217011

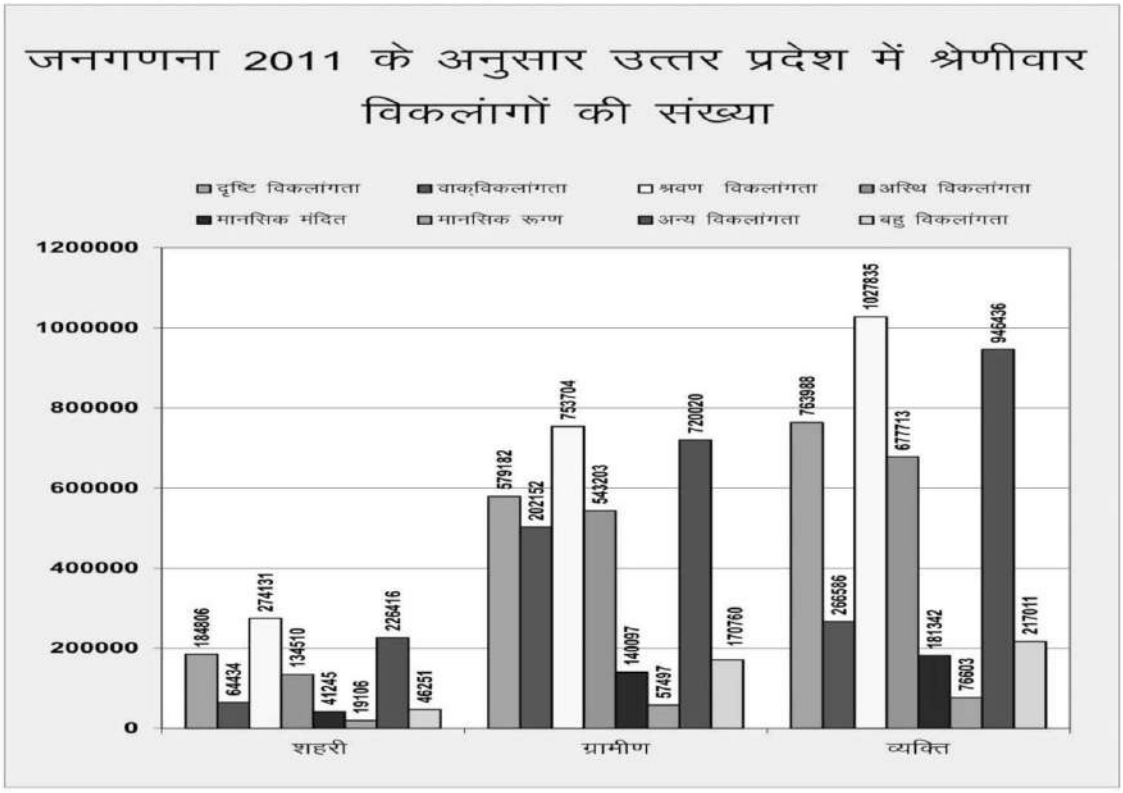

दिव्यांगों के कल्याण हेतु संचालित योजनायें

1. विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, जिनका जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण–पोषण हेतु दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत रू0 500/– प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में सामान्य वर्ग के दिव्यांगों हेतु कुल रू0 55000.00 लाख तथा एस0सी0पी0 वर्ग में रू0 900.00 लाख एवं टी0एस0पी0 हेतु रू0 2.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष क्रमशः 15 फरवरी, 2018 तक कुल रू0 52877.11 लाख एवं एस0सी0पी0 हेतु रू0 899.24 लाख एवं टी0एस0पी0 वर्ग में रू0 1.91 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु रू0 56650.00 लाख, एस0सी0पी0 में रू0 900.00 लाख व टी0 एस0पी0 में रू0 2.00 लाख का प्राविधान है।

2.कुष्ठावस्था पेंशन योजना

दिव्यांगजन हेतु संचालित दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी आयु वर्ग के दिव्यांगजन को रू० 2500/– प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य होगा, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा बी०पी०एल० आय सीमा के अन्तर्गत आते हों एवं शासन द्वारा संचालित अन्य पेंशन प्राप्त न कर रहे हों। इस हेतु प्रदेश के सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मान्य होगा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु कुल रू0 1800.00 लाख के वजट प्राविधान के सापेक्ष 15 फरवरी, 2018 तक रू0 1705.13 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 1800.00 लाख का प्राविधान है।

3. कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम रू0 8000/– तक का अनुदान कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र हेतु दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 3240.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 15 फरवरी, 2018 तक रू0 263.45 लाख़ का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 3330.00 लाख का बजट प्राविधान है।

4. दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाः–

दिव्यांगों से विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग दम्पत्ति में से पति के दिव्यांग होने पर रू० 15,000/– तथा पत्नी के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000/– अथवा दोनों के दिव्यांग होने पर रू० 35,000/– धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 264.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष 15 फरवरी, 2018 तक रू0 223.95 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 264. 00 लाख का प्राविधान है।

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को दिव्यांगजन की निःशुल्क बस यात्रा हेतु क्षतिपूर्ति :–

दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों से निम्नानुसार निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही हैः–

(क) न्यूनतम् 40%दिव्यांगता वाले सभी दिव्यांगजन को।

(ख) 80% या उससे अधिक अथवा बहुदिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजन को एक सहवर्ती के साथ।

5. विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों हेतु विशेष विद्यालय

विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चों को आवासीय एवं अनावासीय शिक्षा प्रदान करनें के उद्देश्य से दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु, **स्पर्श(बालक/बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय)** लखनऊ (दो विद्यालय), गोरखपुर (दो विद्यालय), सहारनपुर, बांदा, मेरठ में एक–एक विद्यालय, श्रवण बाधित छात्रों हेतु **संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय)** लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रूखाबाद, गोरखपुर में, मानसिक मंदित छात्र/छात्राओं हेतु **ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय)** लखनऊ तथा इलाहाबाद में एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों हेतु **प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय)** लखनऊ तथा प्रतापगढ़ में एक–एक विशेष विद्यालय संचालित हैं। दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं को विशिष्ट शिक्षा पद्धति ब्रेललिपि एवं कम्प्यूटर के माध्यम से आधुनिकतम विधा में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। श्रवण बाधित छात्र/छात्राओं को श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जानें के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मानसिक मंदित छात्र/छात्राओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

6. बचपन डे केयर का संचालन

03 से 07 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के प्री–स्कूल रेडीनेस हेतु जनपद–लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, में 60–60 बच्चों की क्षमता का तथा जनपद आगरा, बरेली, झांसी, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर में 30–30 बच्चों की क्षमता के बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा है। इन सेन्टर्स में दिव्यांग बच्चों को उनकी दिव्यांगता की चुनौतियों का सामना करने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण/शिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उनके निःशुल्क आवागमन, फिजियो–थिरैपी, साईको–काउन्सलिंग, स्पीच–थिरैपी आदि की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। जनपद अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, कानपुर नगर, फैजाबाद, गोण्डा तथा गोरखपुर में 10 नये बचपन डे केयर सेन्टर्स की स्थापना सरकार द्वारा की जा रही है।

स्थापित बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 310.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष 15 फरवरी, 2018 तक कुल रू0 143.84 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 332.80 लाख का प्राविधान है।

डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) की स्थापनाः–

प्रदेश के विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित छात्र/छात्राओं समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना वर्ष 2008 में की गयी है जिसमें सभी प्रकार के पाठ्क्रमों में दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयी हैं जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात 25 प्रतिशत सीटें केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। विश्वविद्यालय में कुल 09 संकाय के अर्न्तगत 29 विभागों के बनने का प्राविधान है जिसमें वर्तमान में 21 विभाग क्रियाशील हैं। वर्तमान में विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ, श्रवणबाधितार्थ एवं मानसिक मन्दितार्थ बी0एड0 एवं डी0एड0 विशेष शिक्षा पाठयक्रमों के संचालन के साथ–साथ बी0ए0, एम0ए0, बी0काम0, एम0काम0, एम0एस0डबलू, एम0बी0ए0 तथा विधि संकाय के अर्न्तगत बी0काम0 एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में विश्वविद्यालय में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रू0 166.57 लाख तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वासन केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 974.84 लाख का प्राविधान किया गया है।

7.कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला) लखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा–

विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दृष्टिबाधित व्यक्तियों/दिव्यांगों हेतु लखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा में, मूक बधिरों के लिये जनपद आगरा में एवं शाारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/दिव्यांगों को वाराणसी/इलाहाबाद/उन्नाव में एक–एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला संचालित है। इलाहाबाद एवं उन्नाव में संचालित कौशल विकास केन्द्रों को लखनऊ स्थित मोहान रोड पर स्थानांतरित किया गया है। इन कर्मशालाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई, सिलाई आदि का कार्य अन्य कार्यालयों में उपलबध कराया जाता है जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। दिव्यांग कर्मशालाओं के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राविधानित धनराशि कुल रू0 344.83 लाख के सापेक्ष 15 फरवरी, 2018 तक कुल रू0 102.14 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू 244.42 लाख का प्राविधान है।

8.बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं गौतमबुद्धनगरः–

सभी श्रेणी के दिव्यांगों हेतु मुरादाबाद एवं गौतमबुद्धनगर जनपद में एक–एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता 50–50 (कुल 100 है) जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांग जन को बाजार की मांग के अनुरूप अल्प अवधि के विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु कुल रू0 21.76 के बजट प्राविधान के सापेक्ष 15 फरवरी, 2018 तक कुल रू0 8.65 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू 23.01 लाख का प्राविधान है।

9. मनोविकास केन्द्र गोरखपुर

गोरखपुर मण्डल में जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में मनोविकास केन्द्र संचालित है। इस मनोविकास केन्द्र में जापानी इंसेफलाइटिस से ग्रसित दिव्यांगजन को आई0क्यू0 असेसमेन्ट, आक्यूपेशनलथिरेपी यूनिट, फिजियोथैरेपी यूनिट, आडियोलाजी यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सिलिंग एवं सोशल एजूकेशनल यूनिट के माध्यम से पुनर्वास सेवायें एवं सुविधायें प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु कुल रू0 18.73 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 15 फरवरी, 2018 तक कुल रू0 18.04 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू 62.71 लाख का प्राविधान है।

10.मानसिक मंदित आश्रय गृह

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित महिलाओं एवं पुरूषों हेतु तीन मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। ये केन्द्र मेरठ, गोरखपुर में पुरूषों हेतु एवं बरेली में महिला एवं पुरूष दोनों को कौशल विकास प्रशिक्षण, एक्टिविटी आफ डेलीलिविंग (नैत्यिक कार्यों का सम्पादन) आदि के माध्यम से उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने हेतु संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 500.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 15 फरवरी, 2018 तक कुल रू0 59.55 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 500.00 लाख का बजट प्राविधान है।

11. अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान, वाराणसी का संचालन

मानसिक मंदित दिव्यांगजन को आवासीय सुविधा के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय संस्थान की स्थापना की गई है। इस संस्थान में विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान किये जाने के साथ ही स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 33.71 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 15 फरवरी, 2018 तक कुल रू0 18.04 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 62.71 लाख का प्राविधान है।

12.डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण

प्रदेश में डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसी छिपी हुई दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने एवं उनके अभिभावकों को इस परिपेक्ष्य में जागरूक करने की एक महत्वपूर्ण योजना प्रारम्भ की गयी है।

उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 20. 00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 15 फरवरी, 2018 तक रू0 6.99 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 20.00 लाख का प्राविधान है।

अल्पसंख्यक कल्याण

प्रदेश में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं पारसी समुदायों तथा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों की शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या की तुलना में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् है :–

तालिका–13.04

कुल जनसंख्या में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत

क्र0सं0	समुदाय का नाम	कुल जनसंख्या की तुलना में समुदाय का प्रतिशत	
		भारत	उत्तर प्रदेश
1.	मुस्लिम	14.2	19.3
2.	ईसाई	2.3	0.2
3.	सिक्ख	1.7	0.3
4.	बौद्ध	0.7	0.1
5.	जैन	0.4	0.1
6.	अन्य	0.9	0.3
कुल अल्प संख्यक		20.2	20.3

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व निम्नवत् हैः–

तालिका–13.05

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व

क्र0सं0	समुदाय	भारत	उत्तर प्रदेश
1	मुस्लिम	70.42	95.02
2	ईसाई	11.37	0.88
3	सिक्ख	8.52	1.59
4	बौद्ध	3.45	0.51
5	जैन	1.82	0.53
6	अन्य	4.42	1.47

अल्पसंख्यक कल्याणहेतु संचालित योजनायें

1.पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना

पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की योजना वर्ष 1995–96 से संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत समुदाय के ऐसे सभी छात्र, जिनके द्वारा पिछली अन्तिम वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख है, को अधिकतम रू0 2250/–वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। अक्टूबर, 2012 से अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण बैंक खाते के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में योजना के अर्न्तगत राजस्व पक्ष में रू0 2512.00 लाख तथा जिला योजना पक्ष में रु0 1053.00 लाख अर्थात् कुल रू0 3565.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना के अर्न्तगत रु0 2512.00 लाख तथा जिला योजना पक्ष में रू0 1053.00 लाख अर्थात् कुल रु0 3565.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है।

2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति

वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनार्न्तगत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राएं, जो पिछली अन्तिम वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे तथा योजनान्तर्गत आय के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गो (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गतवर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा नये छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 60 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित मासिक दरों पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक/के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 455848 छात्र/छात्राओं को रू0 14867.00 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में कुल रू0 14867.00 लाख की धनराशि का बजट उपलब्ध है।

3.दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र छात्र–छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के साथ–साथ शुल्क प्रतिपूर्ति योजना भी संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक

समुदाय के ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, को लाभान्वित किया जाता है।

योजनान्तर्गत आय के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गो (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा नये छात्रों हेतु गत वर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों को न्यूनतम 60 प्रतिशत के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक छात्र/छात्रा की शिक्षा पर होने वाले वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम रू0 50,000/– वार्षिक (जो भी कम हो) को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 291991 छात्र/छात्राओं को रू0 15000.00 लाख की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि से लाभान्वित किया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में कुल रू0 15000.00 लाख की धनराशि का बजट उपलब्ध है।

4.अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ इस योजना में किसी गरीब अभिभावक की अधिकतम् दो पुत्रीयों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 20,000/ की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–2018 में योजनान्तर्गत रू0 7400.00 लाख का बजट में प्राविधान के सापेक्ष 37000 पात्र आवेदकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रख गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना के अर्न्तगत में रू0 7400.00 लाख धनराशि का बजट में प्राविधान है।

5.प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशलन ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0) प्रारम्भ की गयी है, जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना कर मदरसा प्रबन्ध–तन्त्र को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरूचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजनार्न्तगत सम्बन्धित ट्रेडों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसको पूरा करने पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक/बालिकाओं की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण–पत्र भी प्रदान किये जाते हैं। इस योजना की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये अनुदेशकों आदि के चयन के लिये जिलाधिकारी के स्तर पर चयन समिति बनायी गयी है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों को भी रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार/तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक/युवतियों को रोजगार भी मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 1119.74 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में कुल रू0 2117.31 लाख की धनराशि का बजट उपलब्ध है।

6.अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना

वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ यह योजना प्रदेश में सबसे अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले 20 जनपदों में लागू की जानी है। चयनित जनपद में एक बालक तथा एक बालिका राजकीय मॉडल इण्टर कालेज स्थापित किया जायेगा। योजना के लिये माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा का मॉडल लिया गया है। स्थानीय औचित्य तथा आवश्यकता के अनुसार छात्रावास के भी स्थापना की व्यवस्था है। प्रस्तावित मॉडल इण्टर कालेज के मानक केन्द्रीय

विद्यालय के होंगे। वर्ष 2017–18 में योजना के लिए रू0 1000.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2018–19 में योजना के लिए रू0 2473.00 लाख का प्राविधान कराया गया है।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएँ

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में सघन क्षेत्र विकास योजना के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाओं में शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में संचालित योजनायें निम्नवत् हैः–

1.भारत सरकार द्वारा संचालित अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना

योजनर्न्तगत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा स्नातक शिक्षक को रू0 6,000/ प्रतिमाह तथा परास्नातक/ बी0एड0 शिक्षकों को रू0 12,000/प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रू0 50,000/, विज्ञान एवं गणित किट हेतु रू0 15,000/, आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु रू0 1.00 लाख प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्रांश एवं राज्यांश के मानदेय के रूप में कुल रू0 40414.88 लाख का बजट में व्यवस्था कराई गई है।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना

वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रदेश स्तर पर लागू यह योजना शत् प्रतिशत केन्द पुरोनिधानित है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत पात्र छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रू0 2.50 लाख है, जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के 80 व्यवसायिक एवं तकनीकी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हों तथा गत् परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह माने जायेंगे।

इस योजना के अर्न्तगत छात्रावासीय छात्रों को रू0 10000/– एवं गैर आवासीय छात्रों हेतु रू0 5000/– वार्षिक डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैक खातों में दिये जाने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में प्रशासनिक व्यय के रूप में रू0 322.65 लाख बजट का प्राविधान है।

3. मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंन्ट प्लान

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 48 जनपदों के 139 विकास खण्डों तथा 18 नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों के चहुँमुखी विकास एवं उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाये जाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में अल्पसंख्यकों की मूलभूत समस्याओं एवं आवश्यकताओं के निराकरण एवं क्रिटिकल गैप्स को दूर किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों में सकारात्मक प्रयास किये गये।

क. जनपद स्तर पर धार्मिक आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक अन्तर को दूर करने सम्बन्धी कार्य

1. साक्षरता दर
2. महिला साक्षरता दर
3. कार्य में सहभागिता दर
4. महिला कार्य में सहभागिता दर

ख. 12वी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है।

1–शैक्षणिक सुविधाओं का विकास।

2–स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना।

3–पेयजल आपूर्ति ।

4–रोजगार एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था।

वर्ष 2017–18 में इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के नाम से पुनर्गठित किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत मद में रू0 37300.00 लाख की धनराशि तथा राजस्व मद में रू0 3110.00 लाख अर्थात कुल रू0 40410.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान किया गया है।

महिला कल्याण

महिला कल्याण हेतु संचालित योजनायें

1.महिला समाख्या कार्यक्रम–

उत्तर प्रदेश में महिला समाख्या कार्यक्रम विगत 27 वर्षो से महिला, सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत है। वर्तमान में महिला समाख्या कार्यक्रम 19 जिलों में संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत 5923 महिला संघों का निर्माण किया है। इस संघों में 1,50,000 महिलाऐं एवं 30,000 किशोरियों का जुड़ाव है। ये संघ समुदाय स्तर पर महिलाओं को संगठित करनें, गतिशील करनें, सरकारी योजनाओं के प्रति उन्हें जागृत करनें और घरेलू हिंसा व महिलाओं के प्रति अन्य प्रकार के उत्पीड़न को रोकनें व उन्हें राहत पहुंचानें के लिये सक्रिया रूप से कार्य करते हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 1231.93 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपयें 1000.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

2 .उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष–

महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए संवेदनशील बनाना, एवं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना तथा सभी क्षेत्रों, विशेष रुप से आर्थिक स्वावलंबन में महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष" की स्थापना वर्ष 2015 में की गयी है। इस कोष का उपयोग जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं के लिए तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सकीय राहत सुनिश्चित करने हेतु, पीडिताओं के भरण–पोषण, शिक्षा और स्वास्थ, पुर्नरुद्धार के साथ–साथ यदि परिस्थितिवश ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण–पोषण एवं शिक्षा के लिये भी किया जाएगा।

रानी लक्ष्मीबाई बीरता पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश की महिलाओं व बालिकाओं को बहादुरी के कार्य तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला प्रधानों को राली लक्ष्मीबाई बीरता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 6707.87 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपये 10007.54 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

3.रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र का संचालन–

यह एक पाइलट प्रोजेक्ट है जिसका शुभारम्भ 17 जनपदों में आशा ज्योति केन्द्रों के संचालन के साथ किया गया है। इस योजना में दुष्कर्म पीड़ित, एसिड अटेक या घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय, कानूनी, मनो–सामाजिक परामर्श, पुलिस सहायता तथा तत्काल सहायता के रूप में 181 हेल्प लाइन के सुविधायें उपलब्ध कराई जाी हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत प्राविधान नहीं था वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपयें 500.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

4. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना वर्तमान में प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत रू0 59.59 लाख की धनराशि का व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 212.50 लाख का बजट उपलब्ध है। वर्तमान में यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से संचालित की जा रही है।

5.स्वाधार आश्रय गृह–

यह एक केन्द्र पुरानिधानित योजना है। इसमें 75 प्रतिशत केन्द्र एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश है। जनपद मथुरा में स्वाधार आश्रय गृह के अन्तर्गत ऐसी महिलाओं को रखे जाने की व्यवस्था है जो पति/बच्चे/परिवार से बेघर, घरेलू हिंसा से पीड़ित अथवा किसी दैवीय आपदा के चलते निराश्रित हो गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 328.48 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूप्ये 440.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

महिला हेल्पलाइन

महिलाओं को हिंसा से संरक्षण, चिकित्सा सुविधा, विधिक सहायता, आश्रय प्रदान करना तथा पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं के पुर्नवासन संबंधी योजना से लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बुमेन हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 1818.87 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूप्ये 89.40 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

6.पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान

योजना के अन्तर्गत ऐसी निराश्रित महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो व जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080/– एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56460/– वार्षिक है, जिनके बच्चे नाबालिग अथवा बालिग होने के बावजूद भरण पोषण के लिए असमर्थ हैं, को रु0 500 /– प्रतिमाह का अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 105010.34 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 2018–19 में सामान्य जाति के लिए रू0 103521.52 लाख एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 22826.04 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

7.निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान

योजनान्तर्गत विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रु0 10,000/– सहायता/अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 70.0 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 39.22 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 70.0 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

8.पति की मृत्युपरान्त महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार

35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने हेतु उनसे विवाह करने पर उस दम्पति को विवाह के लिए रु0 11,000 का पुरस्कार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 11.07 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपये 45.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

9.दहेज से पीड़ित महिलाओं की आर्थिक एवं कानूनी सहायता

योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं जिनके द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, को रु0

125/– प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 9.0 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 3.88 लाभार्थियों हेतु धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 9.00 लाख का बजट उपलब्ध है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली दहेज से उत्पीड़ित महिलाओं जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, को विधिक वाद की पैरवी हेतु रू0 2500/– की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। कानूनी सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 8.0 लाख के प्राविधान के सापेक्ष 2.60 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 8.00 लाख का बजट उपलब्ध है।

10. आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना–

प्रदेश के 17 जनपदों में हिंसा से ग्रस्त, असहाय एवं आपातकालीन स्थितियों का सामना कर रही महिलाओं उनके बच्चों एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे समन्वित सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन जनपदों में स्थित इन केन्द्रों में उल्लिखित श्रेणी की महिलाओं, उनके बच्चों एवं जरूरतमंद बालिकाओं को आकस्मिक चिकित्सीय सेवाएं, कानूनी सहायता, अल्पकालिक आश्रय, रोजगार प्रशिक्षण, पुलिस एफ0आई0आर0 में सहयोग, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परामर्श बैकों से समन्वय कर उनका सर्वांगीण सशक्तिकरण आदि कार्य किया जाता है। इसके साथ ही आकस्मिक परिस्थतियों में आपत्तियों का सामना कर रही महिलाओं एवं बालिकाओं को सेवाएं प्रदान करने हेतु 181 महिला हेल्पलाइन को भी इन केन्द्रों के साथ जोड़कर संचालित किया जा रहा है। हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 1200.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपयें 1500.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

11.जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापनाः–

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिये आई0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना 75 जनपदों में हो चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 813.14 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपयें 792.50 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

12.किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना–

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियानवयन के लिये आई0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत जनपदों में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना 75 जनपदों में हो चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 746.82 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपयें 1125.05 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

13.बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना–

बच्चे देश का भविष्य हैं। भारतीय संविधान नें बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये हैं, जैसे न्याय के समक्ष समानता, 06 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देना, श्रम से रोकना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को करखानों, खानों तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों में नियुक्त न करना आदि। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया। तदक्रम में वर्ष 2013 में राज्य आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में विस्तृत कार्यवाही कर उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया जाये। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 63.34 की धनरशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपये 629.32 लाख कीा आय–व्ययक स्वीकृत है।

बाल विकास

बाल विकास हेतु संचालित योजनायें

1–समेकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) योजना

06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों के समन्वित विकास के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 897 परियोजनाओं के अन्तर्गत 188259 ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से यह योजना संचालित है। योजना में 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को साप्ताहिक रूप से टेक–होम–राशन के रूप में अनुपूरक पोषाहार दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों को प्रातःकाल नाश्ता और दोपहर में पका–पकाया भोजन (हॉट कुक्ड फूड) दिया जाता है। केन्द्र पर बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा भी प्रदान की जाती है। अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 343010.12 लाख रू० की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 332966.18 लाख रू० व्यय किये गये।

2–आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण

योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु स्वयं के ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रू. 20000.00 लाख प्राविधानित कराये गये थे जिसके सापेक्ष रू. 18315.41 लाख व्यय कर 9269 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है।

3– शबरी संकल्प अभियान योजना

प्रदेश में कुपोषण को समाप्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना ''शबरी संकल्प अभियान'' योजना तैयार कराई जा रही है। यह योजना पूर्णतया राज्य पोषित होगी जो गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों हेतु प्रथम महत्वपूर्ण 1000 दिवसों में उनके स्वास्थ्य की देखभाल के दृष्टिगत बनाई जा रही है। शबरी संकल्प पोषण योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 0–6 माह के अतिकुपोषित बच्चों की धात्री माताओं एवं 05 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार हेतु अतिरिक्त पोषाहार हेतु सहायता दी जायेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 26200.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

4–आई0एस0एस0एन0आई0पी0

समन्वित बाल विकास सेवा योजना के मौजूदा ढांचे को विभिन्न स्तरों पर और अधिक प्रभावी बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से यहपरियोजना उत्तर प्रदेश के 41 जनपदों में क्रियान्वित हैं। भारत सरकार द्वारा योजना का पुनगर्ठन करते हुए संवितरण से जुडे सूचकों को सम्मिलित किया गया है जिसके तहत् भारत सरकार तथा विश्व बैक के मध्य 29.09.2015 को नया अनुबन्ध हुआ है। इस योजना का प्रथम चरण 30 दिसम्बर, 2017 को समाप्त होगया। योजनान्तर्गत भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता क्रमशः 88:12 की होगी। योजना का प्रमुख उद्देश्य 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का विकास तथा पोषकता की गुणवत्ता में सुधार लाना है। पुनर्गठित योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 5140.28 लाख का आय–व्ययक प्रावधान है।

5– प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु कुपोषण मुक्त गांव बनाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन–

अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु मातृ–शिशु मृत्यु दर व मात्–बाल कुपोषण में कमी लाते हुये ''कुपोषण–मुक्त गांव'' बनाने का निर्णय लिया गया हैं। इस प्रयास के अन्तर्गत पोषण विशिष्ट (गभार्वस्था के दौरान देखभाल, स्तनपान, एनीमिया आदि) तथा पोषण संवेदनशील (स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका) हस्तक्षेपों को समाहित किया जायेगा ताकि मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समग्र सुधार परिलक्षित हो सके।

6–गर्भवती महिलाओं के लिए फीडिंग कार्यक्रम

उद्देश्य

- गर्भवती महिलाओं की स्पॉट फीडिंग कराकर, कैलोरी/प्रोटीन के गैप की भरपाई।
- गर्भवती महिलाओं को ऑयरन की 100 गोलियां खिलाना।
- नियमित परामर्श सत्रों के माध्यम से संस्थागत प्रसव/स्तनपान को बढ़ावा देना।
- गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार पर नवजात शिशु को कुपोषण से मुक्त रखना।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अति कुपोषित बच्चों की माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श।

फीडिंग कार्यक्रम का मीनू

- रू0 19 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से व्यवस्था।
- भोजन के साथ प्रत्येक दिन एक मौसमी फल।
- सप्ताह में तीन दिन भोजन के साथ दही।
- भोजन के साथ आयरन की लाल गोली का सेवन।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श।

7– 06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के लिए फीड़िंग कार्यक्रम

उद्देश्य

1. कैलोरी–प्रोटीन एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट के गैप की भरपाई।
2. ग्रोथ चार्ट के माध्यम से कार्यक्रम के फलस्वरूप आये सुधार की नियमित ट्रैकिंग।
3. परिवार एवं समुदाय आधारित परामर्श सत्रों का आयोजन।
4. वी0एच0एन0डी0 के दिन लक्षित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण कराना।

फीडिंग कार्यक्रम का मीनू

1. रू0 14 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन की दर से व्यवस्था।
2. भोजन के साथ प्रत्येक दिन एक मौसमी फल।
3. अति कुपोषित बच्चों को प्रत्येक माह 500 ग्राम देशी घी।
4. 03–06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को घर पर ग्रहण करने हेतु बिस्किट पैकेट/मुरमुरा चना।

****

अध्याय–14
श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या 1114 लाख थी जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का अंश 55.8 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229. 19 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकर थे। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या क्रमशः 446.35 लाख तथा 211.79 लाख थी। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 29.0 प्रतिशत कृषक के रूप में, 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में, 5.9 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 34.8 प्रतिशत अन्य कार्यों में कर्मकर लगे हैं। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या से सम्बंधित आंकड़े तालिका–14.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–14.01
उत्तर प्रदेश में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकर

(लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर
1	2	3	4
ग्रामीण	335.38	184.13	519.51
नगरीय	110.97	27.67	138.64
उत्तर प्रदेश	446.35	211.80	658.15

प्रदेश की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इस हेतु सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय स्थापित है। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े तालिका 14.02 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–14.02

उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्रम संख्या	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2016	2017	
1	2	3	4	5
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	619704	326280	(–)47.35
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	963	931	(–)3.32
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	9459	7386	(–)21.92
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	68521	47930	(–)30.05
5.	स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	325	426	31.08
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	3178	2647	(–)16.71

स्वतः रोजगार/नियोजन कार्यक्रम

वैतनिक रोजगार के सीमित अवसरों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अनेक योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा भी इस क्षेत्र में प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार के उपयुक्त व्यवसाय तथा स्वतः नियोजन के प्रोन्नयन के लिये बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की भली–भांति जानकारी कराकर उन्हें स्वतः रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार आरम्भ करने के लिये उत्प्रेरित किया जाता है। वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेरोजगार अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र, वित्तीय संस्थाओं को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भी अग्रसारित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016 में 325 तथा वर्ष 2017 में 426 अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित कराया गया। स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण तालिका–14.03 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–14.03

उत्तर प्रदेश में स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2016	2017	
1	2	3	4	5
1.	स्वतः नियोजन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	1481	1376	(–)7.09
2.	स्वतः नियोजन हेतु प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण	710	788	10.99
3.	स्वतः नियोजन कराये गये व्यक्तियों की संख्या	325	426	31.08
4.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित सामूहिक वार्ताएं	1360	705	(–)48.16
5.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित गोष्ठियों/बैठकों की संख्या	267	196	(–)26.59

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों से सम्बन्धित आंकड़ा तालिका 14.04 में दर्शाया गया है–

तालिका–14.04

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्षेत्र	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
	मार्च, 2016	मार्च, 2017	
1	2	3	4
1.केन्द्र सरकार	722	727	0.69
2.राज्य सरकार	8379	8456	0.92
3.अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5571	5621	0.90
4.अर्द्ध सरकार (राज्य)	1602	1608	0.37
5.स्थानीय निकाय	1326	1332	0.45
योग	**17600**	**17744**	**0.82**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में 0.82 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। प्रदेश में मार्च, 2016 के अन्त में 17600 अधिष्ठान सेवायोजक पंजिका पर उपलब्ध थे, जो मार्च, 2017 में 17744 हो गये। आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार के अधिष्ठानों की संख्या में सर्वाधिक 0.92 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

रोजगार सुलभ कराने में निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के सेवायोजकों से संबंधित आंकड़े तालिका 14.05 में दिये जा रहे हैः–

तालिका–14.05

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्रमांक	अधिष्ठान वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2016	मार्च, 2017	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	5478	5589	2.03
2	नान एक्ट अधिष्ठान	3435	3455	0.58
	योग	**8913**	**9044**	**1.47**

तालिका संख्या 14.06 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक कमी (–)0.88 प्रतिशत स्थानीय निकाय के क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में हुई है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या तालिका–14.06 में दी जा रही हैः–

तालिका–14.06

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2016	मार्च, 2017	
1	2	3	4	5
1.	केन्द्र सरकार	307875	307718	(–)0.05
2.	राज्य सरकार	701507	705319	0.54
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	160258	162500	1.40
4.	अर्द्धसरकार (राज्य)	333142	333192	0.02
5.	स्थानीय निकाय	108687	107731	(–)0.88
योग		**1611469**	**1616460**	**0.31**

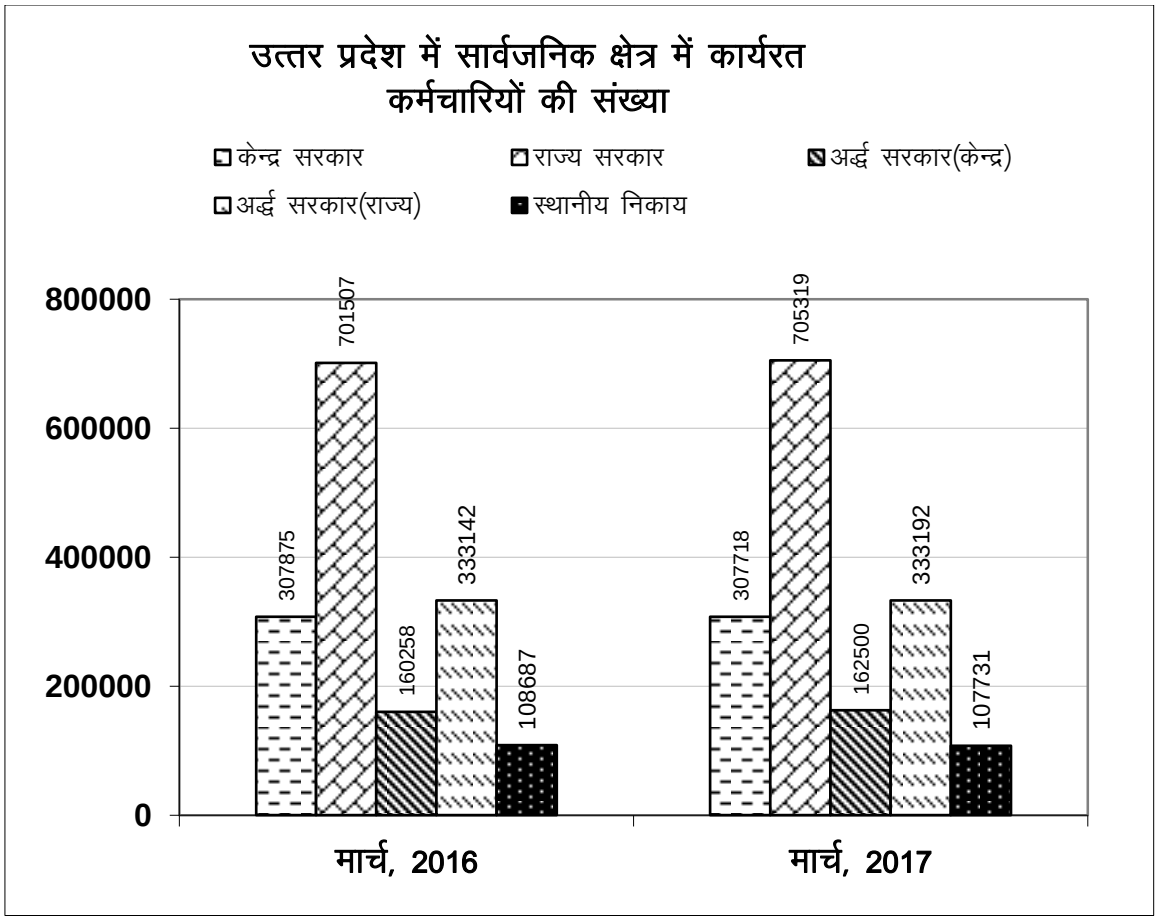

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च, 2017 में गत वर्ष की अपेक्षा 5.95 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े तालिका 14.07 में दिये गये हैं–

तालिका–14.07

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2016	मार्च, 2017	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	618807	658083	6.35
2	नान एक्ट अधिष्ठान	49363	49874	1.04
योग		668170	707957	5.95

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में मार्च, 2017 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका 14.08 में दिया गया है–

तालिका–14.08

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2016	मार्च, 2017	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	38645	39303	1.70
"बी"	खान एवं उत्खनन	4622	4616	(–)0.13
"सी"	उत्पादन	93298	92486	(–)0.87
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	46545	47209	1.43
"ई"	जल आपूर्ति	21800	20554	(–)5.72
"एफ"	निर्माण	128915	128725	(–)0.15
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	15204	16304	7.23
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	233184	233463	0.12
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	397	394	(–)0.76
"जे"	सूचना एवं संचार	22892	22839	(–)0.23
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	102981	104278	1.26
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0	0	0.00
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	20244	20277	0.16
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	476	513	7.77
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	540869	542848	0.37
"पी"	शिक्षा	234648	234769	0.05
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	101320	102435	1.10

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2016	मार्च, 2017	
1	2	3	4	5
"आर"	कला,मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	2151	2153	0.09
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3278	3294	0.49
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0.00
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0.00
योग		**1611469**	**1616460**	**0.31**

तालिका–14.08 से स्पष्ट है कि खान एवं उत्खनन, उत्पादन, जल आपूर्ति, निर्माण आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें तथा सूचना एवं संचार को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के शेष वर्गो में मार्च, 2017 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि सर्वाधिक 7.77 प्रतिशत प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें वर्ग में हुई।

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार निजी क्षेत्र में मार्च, 2017 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 5.95 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका–14.09 में दिया गया है–

तालिका–14.09

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2016	मार्च, 2017	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	615	528	(–)14.15
"बी"	खान एवं उत्खनन	62	108	74.19
"सी"	उत्पादन	333049	344532	3.45
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	5729	5812	1.45
"ई"	जल आपूर्ति	0	0	0
"एफ"	निर्माण	430	430	0
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	11896	12543	5.44
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	2983	2966	(–)0.57
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	9219	11656	26.43
"जे"	सूचना एवं संचार	11281	27746	145.95
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	8676	10429	20.21
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	24826	26351	6.14
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं	379	379	0.0

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2016	मार्च, 2017	
1	2	3	4	5
	तकनीकी क्रियायें			
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	42522	42984	1.09
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	0	0	0
"पी"	शिक्षा	203740	207338	1.77
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	10685	12103	13.27
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	747	741	(–)0.80
"एस"	अन्य सेवा कार्य	1331	1311	(–)1.50
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0
योग		**668170**	**707957**	**5.95**

तालिका 14.09 को देखने से स्पष्ट होता है कि कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य, परिवहन एवं भण्डारण, कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें तथा अन्य सेवा कार्य वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गो में मार्च, 2017 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और सर्वाधिक वृद्धि सूचना एवं संचार वर्ग में 145.95 प्रतिशत हुई।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2017 में गत वर्ष की अपेक्षा 0.2 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 8.1 प्रतिशत अधिक रही जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गत वर्ष की अपेक्षा 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। गत वर्ष की अपेक्षा निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या से तुलनात्मक रुप से अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई। इन्हें तालिका 14.10 से देखा जा सकता हैः–

तालिका–14.10

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत् महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2016	मार्च, 2017	
1	2	3	4	5
1	सार्वजनिक क्षेत्र	206424	206884	0.22
2	निजी क्षेत्र	99734	107848	8.14
योग		**306158**	**314732**	**2.80**

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा सेवायोजन हेतु संचालित कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा प्रदेश के बेरोजगार अभ्यार्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं–

1.रोजगार मेलों का आयोजन–

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। रोजगार मेलों के आयोजन हेतु सेवायोजन वेब पोर्टल : **सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन** पर आनलाइन व्यवस्था विकसित की गयी है।

2.कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम :

रोजगार बाजार में रोजगार के अवसरों तथा उपलब्ध जनशक्ति में असंतुलन को दृष्टि में रखते हुए सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

तालिका–14.11

कॅरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेला की प्रगति रिपोर्ट

वर्ष	रोजगार मेला		कॅरियर काउन्सिलिंग	
	मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5
2017–18	633	63152	2163	259436
2018–19 नवम्बर, 2018 तक	455	72207	1805	213686

3. माडल कैरियर सेन्टर (केन्द्र पुरोनिधानित योजना)–:

महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंर्तगत शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में प्रदेश में माडल कैरियर सेन्टर की स्थापना की जानी है। माडल कैरियर सेन्टर का कार्य क्षेत्र पूरे प्रदेश के अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों के अध्ययन कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संबंधित है। इस सेन्टर द्वारा वर्तमान परिवेश में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए उभरते व्यवसायों की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उनकी सेवायोजकता में वृद्धि किए जाने की भी व्यवस्था है।

वर्तमान में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, लखनऊ, जिला सेवायोजन कार्यालय, गाजियाबाद में माडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मेरठ, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मुरादाबाद एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में माडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं।

4.शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र–

प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा समाज के निर्बल वर्गों यथा अनुसूचित जाति–जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को मार्ग दर्शन एवं प्रशिक्षण

प्रदान कर उनकी सेवायोजकता में अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। इन शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में सामान्य ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्धति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

तालिका–14.12

शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट

वर्ष	सेवायोजित	स्वतः नियोजित	कुल
1	2	3	4
2017	68	34	102

5.सेवायोजन पोर्टल–

बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु वेबपोर्टल **सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन** का विकास कराया गया है। इस वेबपोर्टल में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने का प्राविधान किया गया है। इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को जहां रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होंगे वहीं सेवायोजकों को भी योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे।

सेवायोजन पोर्टल **सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन** के प्रचार–प्रसार, विकास एवं अन्य सहयोग हेतु 08 जून, 2017 को श्रम एवं सेवायोजन विभाग तथा एन0एच0आर0डी0एन0 **(नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट नेटवर्क)** के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। एन0एच0आर0डी0एन0 राष्ट्रीय स्तर पर कम्पनियों के प्रतिनिधियों का समूह है, जिसमें लगभग 12500 सदस्य सम्मिलित हैं। एन0एच0आर0डी0एन0 जिसमें लगभग 12500 सदस्य सम्मिलित हैं, अपने सदस्यों के मध्य सेवायोजन पोर्टल का व्यापक प्रचार–प्रसार करने में सहयोग प्रदान करेगा तथा अधिक से अधिक सदस्यों को पोर्टल से भर्ती करने हेतु प्रेरित करेगा। इसी क्रम में 29.08.2017 को साइंटिफिक कन्वेशन सेंटर, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में एन0एच0आर0डी0एन0 **(नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट नेटवर्क)** के सहयोग से इम्प्लायमेन्ट समिट का आयोजन किया गया। उक्त समिट में एन0एच0आर0डी0एन0 से संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों, उद्यमियों एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करानें संबधी विषय पर परिचर्चा की गयी।

सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में संविदा एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को सेवायोजन वेबपोर्टल **सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन** के माध्यम से अधिसूचित किये जाने की व्यवस्था 21 जून, 2017 से शुरु की गयी है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली योजनायें

1. शिशु हितलाभ योजना

उद्देश्य–

इस बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराया जाना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत कर्मकर (महिला एवं पुरूष) लाभ अधिकतम दो बच्चों तक देय होगा।

हितलाभ–

वर्ष में एक बार एक मुश्त (लड़का होने पर 10,000 लड़की पर 12,000 प्रति शिशु की दर से) दो वर्ष की आयु तक ही देय है।

2. मातृत्व हितलाभ योजना

उद्देश्य–

बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी महिला कर्मकारों को प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार की व्यवस्था कराया जाना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत महिला श्रमिक या पुरूष कर्मकार की पत्नी
- लाभ अधिकतम दो प्रसवों तक ही देय होगा।

हितलाभ–

- रू0 12,000/– दो किश्तों में पंजीकृत महिला कर्मकार को और रू0 6,000/– दो किश्तों में
- पुरूष कर्मकार की पत्नी को प्रथम किश्त–प्रसव के उपरान्त एवं द्वितीय किश्त बी0सी0जी0 टीकारण पूर्ण होने पर।

3. बालिका मदद योजना

उद्देश्य–

बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों की पुत्रियों की आर्थिक मदद कर आत्म निर्भर बनाना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत महिला/पुरूष निर्माण श्रमिक जो न्यूनतम 01 वर्ष से सदस्य हो ताकि अंशदान जमा किया हो।
- परिवार में जन्मी पहली बालिका को लाभ मिलेगा, दूसरी को तभी मिलेगाा जब दोनों सन्तानें बालिका हों। यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिकाएं जन्मती है तो सभी को लाभ अनुमन्य होगा।
- कानूनी रूप से गोद ली हुई बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए लाभ अनुमन्य होगा।
- बालिका के जन्म का पंजीकरण जन्म–मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यादि पुत्री का निधन हो जाता हे तो सावधि जमा की रकम बोर्ड को वापस हो जायेगी।
- भारत/उ0प्र0 सरकार द्वार चलाई जा रही किसी अन्य योजना में लाभ न लिया हो।

हितलाभ–

- रू0 20,000 एकमुश्त बतौर सावधि जमा, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही परिपक्व होगा।
- भुगतान अविवाहित रहने पर ही देय है।
- परिवार के निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र पर बालिका के जन्म से 01 वर्ष के अन्दर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

4. अक्षमता पेंशन योजना

उद्देश्य–

बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी कर्मकारों के दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर लाभार्थी व उसके परिवार के भरण–पोषण हेतु नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत श्रमिक जो दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से (50 प्रतिशत व अधिक) अक्षम हों।

प्रतिबन्ध–

- लाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा येाजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र न हो
- पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के स्वयं अक्षम होने की स्थिति में ही देय होगा।

हितलाभ–रू0 1000/– बतौर पेंशन लाभार्थी के अक्षम हो जाने पर जीवन काल तक देय होगा।

- बीमारी से तात्पर्य लकवा, कुष्ठ रोग कैंसर, तपेदिक एवं अन्य गम्भीर बीमारी जिससे श्रमिक अक्षम हो गया हो।

5. मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना

उद्देश्य–

पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना हो जाने पर तत्कालिक सहायता हेतु लाभार्थी श्रमिक व उसके आश्रितों को तत्कालिक अनुग्रह राशि प्रदान किया जाना।

पात्रता–

सभी पंजीकृत लाभार्थी कर्मकार या उनके आश्रितों (पति, अविवाहित पुत्रियां, अवयस्क पुत्रों तथा निर्भर माता–पिता) को देय होगा।

(क) कार्यस्थल पर कार्य के दौरान या इतर मृत्यु पर

(ख) महिला कर्मकार की प्रसव के दौरान मृत्यु पर।

हितलाभ–

- रू0 5,00,000/– एकमुश्त कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को देय होगा।
- रू0 3,00,000/– कर्मकार की स्थायी पूर्ण अपंगता पर रू0 2,00,000/– स्थायी आंशिक विकलांगता पर बतौर अनुग्रह धनराशि देय होगा।

6. पुत्री विवाह अनुदान योजना

उद्देश्य–

बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरूष)।
- श्रमिक का न्युनतम 03 वर्ष तक नियमित सदस्य होना अनिवार्य है तथा नियमित अंशदान जमा हो।

हितलाभ–

रू0 40,000/– निर्माण श्रमिक की सभी पुत्रियों को प्रति पुत्री की दर से अनुमन्य होगा।

7. अंत्येष्टि सहायता योजना–

उद्देश्य– बोर्ड के निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अंत्येष्टि एवं अंतिम संस्कार को सुगमतापूर्वक सम्पन्न किए जाने हेतु तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।

पात्रता–

- पंजीकृत मृतक निर्माण श्रमिक के आश्रित।

- यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।

हितलाभ–

- रू0 15000/– अंतिम संस्कार व्यय के रूप में।
- रू0 1 लाख एकमुश्त तात्कालिक सहायता राशि के रूप में आश्रितों को दी जायेगी।

8. कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

उद्देश्य– निर्माण श्रमिकों को उनमें कौशल संबंधी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से आवश्यक प्रशिक्षण सुलभ कराया जाना है। ऐसे प्रशिक्षण में हुए व्यय तथा मजदूरी के नुकसान की प्रतिपूर्ति करना है।

पात्रता–पंजीकृत श्रमिक अथवा पत्नी एवं आश्रित अविवाहित पुत्री व 21 वर्ष से कम आयु वाले पुत्रों को ही मिल सकेगा परन्तु यदि किसी लाभार्थी का पुत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21 वर्ष से कम आयु का है और प्रशिक्षण के उपरान्त उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ उसे भी अनुमन्य होगा। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण का कार्य व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कौशल विकास मिशन के तहत कराया जाएगा।

हितलाभ–

- प्रशिक्षण की दशा में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क, पाठ्य पुस्तकें एवं प्रशिक्षण से संबंधित अन्य लेखन सामग्री के व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- श्रमिक के स्वयं प्रशिक्षण में भाग लेने पर प्रशिक्षण अवधि की अनुमन्य मजदूरी भी मिलेगी जबकि आश्रित पुत्र/पुत्रियों को अनुमन्य नहीं होगी।

9. आवास सहायता योजना

उद्देश्य–

अधिकांशतः निर्माण श्रमिक गरीब होते हैं, परन्तु बी0पी0एल0 सूची में उनका नाम न होने से आवास लाभ नहीं मिलता, वस्तुतः वे पात्र होते हैं। अतः योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।

पात्रता–

- गत वित्तीय वर्ष में सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे। लाभार्थी नियमित अंशदान जमा करता हो।
- परिवार एक ईकाई के रूप में लिया जाएगा।
- लाभार्थी के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।
- केन्द्र/प्रदेश सरकार की अन्य योजना में आवास हेतु सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिक इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- उन श्रमिकों को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो।
- कार्य स्थान/ निवास एक ही जिले में होने पर वरीयता प्रदान की जाएगी।
- श्रमिकों को इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा।
- पति/पत्नी दोंनो पंजीकृत हैं तो लाभ में पत्नी को वरीयता दी जाएगी।

हितलाभ–

- रू0 1,00,000/– की धनराशि 02 किश्तों में।
- मरम्मत हेतु रू0 15000/– की धनराशि मिलेगी।
- एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नहीं दिया जाएगा।

10. पेंशन योजना

उद्देश्य–

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, जिनकी आयु 60 वर्ष हो गई है और जिनका वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा हों, को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। अतः लाभार्थी की नियमित आय में हो रही क्षति की प्रतिपूर्ति करने तथा उसकी आजीविका के सुगम संचालन की दृष्टि से इस योजना की संकल्पना की गयी है।

पात्रता–

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकर अधिनियम–1996 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना।
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय् न्यूनतम पॉच वर्ष तक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत एवं अद्यतन अंशदान दिया जाना।
- किसी अन्य बोर्ड या पेंशन योजना का सदस्य न होना एवं आयु पूर्ण करते समय उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करना।

हितलाभ–

प्रत्येक पात्र निर्माण–श्रमिक को प्रतिमाह की दर से रू0 500/– की धनराशि उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रथमतः उसकी पत्नी/पति को या द्वितीयः उसके आश्रित, माता/पिता को यदि वह किसी पेंशन योजना के अंतर्गत यह धनराशि पेंशन के रूप में देय होगी। पेंशन की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक–खाते के माध्यम से किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात् ऐसे निर्माण श्रमिक को या उसकी मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित को पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने जीवित होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. सौर ऊर्जा सहायता योजना

उद्देश्य– पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों एवं उनके परिवार की ऊर्जा/प्रकाश संबंधी आवश्यकता पूर्ण करना है जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी एवं आश्रित बच्चों को अध्ययन में सहायता मिलेगी।

पात्रता–

- सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक लाभार्थी होंगे।
- किसी अन्य योजना में सोलर लाइट/लालटेन का लाभ न प्राप्त किया हो। परिवार को एक इकाई माना जाएगा (स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित माता पिता, 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र तथा अविवाहित पुत्री)।

हितलाभ–

- सोलर लाइट/ लालटेन (एल0ई0डी0/सी0एफ0एल0) मिलेगी एवं रख–रखाव/सर्विस चार्ज के लिए नेडा उ0प्र0 से सम्पर्क करना होगा।
- किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं होगा।
- सम्पूर्ण जीवन में केवल एक बार लाभार्थी को लाभ मिलेगा, यदि दोनों पति/पत्नी पंजीकृत हो तो भी।

12. साईकिल सहायता योजना

उद्देश्य– निर्माण कामगारों को कार्य हेतु अपने आवास से काफी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें उन्हें पैदल चलना पड़ता है और अपनी सीमित आय में से धनराशि खर्च करनी पड़ती है। कामगारों को कार्यस्थल पर पहुंचने में सुविधा ईधन/व्यय में बचत हो। इसका मूल उद्देश्य कामगारों को साईकिल की सुविधा उपलब्ध कराना है।

पात्रता–

- श्रमिक के रूप में कम से कम 06 माह से पंजीकृत हो।
- केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना में साईकिल की सुविधा प्राप्त करने वाला पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

हितलाभ–

- बोर्ड द्वारा साईकिल क्रय हेतु रू0 3000/– की धनराशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। बाकी धनराशि लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं दी जाएगी।
- भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर श्रमिक स्वयं उसका सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय से करवायेगा तथा ऐसा न करने पर उससे वसूली की कार्यवाही अपनाई जाएगी एवं उसकी सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जाएगा।

13. गम्भीर बीमारी सहायता योजना

उद्देश्य–

पंजीकृत कर्मकार की स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य को गम्भीर बीमारी की स्थिति में सरकारी चिकित्सालय में कराये गए इलाज के उपरान्त किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।

पात्रता–

सभी निर्माण श्रमिक (गत वित्तीय वर्ष से पंजीकृत) स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत हृदय आपरेशन, गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट, लीवर ट्रान्सप्लान्ट, मस्तिक आपरेशन, रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन, पैर के घुटने बदलना, कैंसर इलाज, एड्स बीमारी आदि ही लाभान्वित होंगी।

हितलाभ–

- लाभार्थी स्वयं या पारिवारिक सदस्य की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी सरकारी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज पर व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।
- लाभार्थी गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार (सी0जी0एच0एस0 व ई0एस0आई0) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जायेगी।

14. मेधावी छात्र योजना

उद्देश्य–

इस योजना का मूल उद्देश्य उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है।

पात्रता–

इस योजना के लिए यह सभी कर्मकार प्राप्त होंगे सन्निर्माण अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं तथा उनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 05 से 08 तक 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों तथा कक्षा 09 से 12 तक 60 प्रतिशत हो।

हितलाभ–

- कक्षा 5 से 7 तक जिनका प्राप्तांक 70 प्रतिशत है उन्हें रू0 4,000/–(पुत्र को) तथा रू0 4,500/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
- कक्षा–8 जिनका प्राप्तांक 70 प्रतिशत है उन्हें रू0 5,000/–(पुत्र को) तथा रू0 5,500/–(पुत्री को) दो किश्तों में एवं कक्षा 9 एवं 10 जिनका प्राप्तांक 60 प्रतिशत है उन्हें रू 5,000/–(पुत्र को) तथा रू0 5,500/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
- कक्षा 11 से 12 तक जिनका प्राप्तांक 60 प्रतिशत है उन्हें रू0 8,000/–(पुत्र को) तथा रू0 10,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में बतौर हित लाभ देय है।
- बी0ए0/बी0कॉम/बी0एस0सी0, एम0ए0/एम0कॉम0/एम0एस0सी0, एल0एल0बी0, पालिटेक्निक डिप्लोमा, इन्जीनियरिंग/ चिकित्सा डिग्री हेतु प्राप्तांक 60 प्रतिशत हो तब देय हितलाभ रू0 10,000/–से 22,000 में उपरोक्त शिक्षा के लिए निर्धारित है।

15. मध्यान्ह भोजन सहायता योजना

उद्देश्य–

निर्माण श्रमिक अपने कार्य की तलाश में दूर–दराज के राज्यों तथा जनपदों से आते हैं तथा उनके पास न तो रहने का स्थान होता है और न ही भोजन बनाने की कोई उचित व्यवस्था जिसके अभाव में उनकी कार्यकुशलता प्रभावित होती है तथा उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अतः ऐसे श्रमिको को उनके कार्यस्थल के आसपास एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराये जाने से उनके स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा।

पात्रता–

इस योजना में भवन सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार नियेाजन सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 की धारा–12 के अंतर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।

हितलाभ–

पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों को निर्धारित मूल्य रू0 10/– अथवा समय समय पर संशोधित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। भोजन के मूल्य का भुगतान श्रमिक द्वारा सीधे नकद के रूप में किया जाएगा। श्रमिक द्वारा भुगतान किये गये उक्त रू0 10/– के अतिरिक्त अवशेष लागत की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा सब्सिडी के रूप में संस्था को की जायेगी।

16. आवासीय विद्यालय योजना

उद्देश्य–

प्रायः निर्माण–श्रमिकों के बच्चे अपने माता–पिता के साथ कार्य स्थल पर ही रहते है। माता–पिता की गरीबी तथा साधनहीनता के कारण ऐसे बच्चे किसी विद्यालय में प्रवेश ही नहीं ले पाते हैं अथवा प्रवेश लेने के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते है। निर्माण–श्रमिकों के ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए आवासीय विद्यालय योजना प्रस्तावित की गयी है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण–श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।

पात्रता–

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (विनियमन एवं सेवाशर्तें) अधिनियम 1996 की धारा 12 के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत सभी निर्माण–श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

हितलाभ–

पंजीकृत सभी निर्माण– श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियाँ, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते है।

****

अध्याय–15
सतत विकास

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने 25 सितंबर, 2015 को आयोजित ''सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट'' में सतत विकास के लक्ष्य 'एजेंडा फॉर 2030' को स्वीकार किया। इसको एसडीजी एजेंडा–2030 भी कहा जाता है। वर्ष 2030 तक गरीबी, असमानता व अन्याय के खिलाफ संघर्ष और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों **(सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स–एसडीजी)** तथा 169 सहायक लक्ष्यों को हमारी दुनिया को बदलने के लिये अपनाया गया और 1 जनवरी, 2016 से यह प्रभाव में आ गया।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है जिसंका उद्देश्य सबके लिए समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शंतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।

सतत विकास लक्ष्य–

1. **इण्ड पावर्ट्री इन ऑल इटस फॉरम्स एवरीव्हेयर।**
   सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना।
2. **इण्ड हंगर, एचीव फूड सिक्योरिटी एण्ड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एण्ड प्रोमोट सस्टेनेवल एग्रीकल्चर।**
   भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना।
3. **इनस्योर हेल्थी लाइव्स एण्ड प्रोमोट वेल–विंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस।**
   स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरूस्ती को बढ़ावा देना।
4. **इनस्योर इन्क्लूसिव एण्ड इक्वीटेबल क्वालिटी एजूकेशन एण्ड प्रोमोट लाइफ–लांग लर्निंग ऑपरचुनिटीज फॉर ऑल।**
   समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापुर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा–प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।
5. **एचिविंग जेण्डर इक्वालिटी एण्ड एम्पावर ऑल वुमेन एण्ड गर्ल्स।**
   लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना।
6. **इनस्योर एवेलेविलिटी एण्ड सस्टेनेवल मैनेजमेन्ट ऑफ वाटर एण्ड सैनिटेशन फॉर ऑल।**
   सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।
7. **इनस्योर एक्सेस टू एफोर्डेवल,रिलाएवल, सस्टेनेवल एण्ड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल।**
   सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
8. **प्रोमोट सस्टेन्ड, इन्क्ल्यूसिव एण्ड सस्टेनेवल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एण्ड प्रोडक्टिव इम्प्लायमेन्ट एण्ड डिसेन्ट वर्क फॉर ऑल।**
   सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना।
9. **बिल्ड रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोमोट इन्क्ल्यूसिव एण्ड सस्टेनेवल इन्डस्ट्रीयलाइजेशन एण्ड फोस्टर इनोवेशन।**
   समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना।
10. **रिड्यूज इनइक्वालिटीज विदिन एण्ड एमंग कन्ट्रीज।**
    राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना।
11. **मेक सिटीज एण्ड ह्यूमैन सैटलमेन्ट्स इन्क्ल्यूसिव, सेफ, रेजिलिएन्ट एण्ड सस्टेनेवल।**
    शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना।
12. **इनस्योर सस्टेनेवल कन्जम्पशन एण्ड प्रोडक्शन पैटर्न्स।**
    सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना।
13. **टेक अरजेन्ट एक्शन टू कॉमबेट क्लाइमेट चेन्ज एण्ड इट्स इम्पैक्ट्स।**

जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करना।

14. **कन्सर्व एण्ड सस्टेनेवली यूज दि ओसियान्स, सीज एण्ड मैरिन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेवल डेवलवमेन्ट।**
सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना।

15. **प्रोटेक्ट, रिस्टोर एण्ड प्रोमोट सस्टेनेवल यूज ऑफ टैरिस्ट्रियल इको–सिस्टम्स, सस्टेनेवल मैनेज फॉरेस्ट्स, कॉम्बेट डिसर्टिफिकेशन, हॉल्ट एण्ड रिवर्स लैण्ड डिग्रेडेशन एण्ड हॉल्ट बायोडायवर्सिटी लॉस।**
स्थलीय पारिस्थिकी–तंत्रों का संरक्षण और पुनरूद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रंबधन करना, मरूस्थल–रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकरना और प्रतिवर्तित करना और जैव–विविधता की हानि को रोकना।

16. **प्रोमोट पीसफुल एण्ड इन्क्ल्यूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेवल डेवलपमेन्ट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एण्ड बिल्ड इफेक्टिव, एकाउन्टेवल एण्ड इन्क्ल्यूसिव इंस्ट्टियूशंस ऍट ऑल लेवल्स।**
सतत विकास के लिए शांति पूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलबध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

17. **स्ट्रेथेन दि मीन्स ऑफ इम्पलीमेन्टेशन एण्ड रिवाईटलाइज दि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेवल डेवलपमेन्ट।**
कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरूद्धार करना।

एसडीजी एवं भारत–

भारत ने अधिकारिक तौर पर सतत विकास लक्ष्यों का यह एजेंडा एक जनवरी, 2016 से अगले 15 वर्षों (2030) तक के लिए अपनाया है।

एस0डी0जी0–2030 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम 4 अप्रैल, 2016 को एक मैट्रिक्स बनाकर भेजी गई थी, जिसमें विभिन्न लक्ष्य से समबद्ध उनकी नोडल मिनिस्ट्री, सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम, संबंधित इन्टरवेशन, टारगेट्स, अन्य संबंधित विभाग एवं राज्य के संबंधित विभाग सम्मिलित थे, जिसमें कहा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक राज्य सरकार अपने–अपने राज्यों की आने वाले 15 वर्षो हेतु एक विजन डाक्यूमेंट बनायेंगे। इस विजन को प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा जो रणनीति अपनाई जायेगी उस रणनीति के लिए 3 वर्ष का एक्शन प्लान (2017–18, 2018–19, 2019–20) भी बनायेंगे।

इन 17 सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कुल 169 टार्गेट निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक टार्गेट की प्रतिपूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कुल 306 इंडिकेटर्स चिन्हित किये गये हैं। इन इंडिकेटर्स को मानक मानते हुए प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति हेतु योजनाओं का संकलन किया गया है। इस प्रकार लक्ष्यवार–टार्गेटवार–इन्डिकेटरवार योजनाएं अपनाते हुए सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 306 इंडिकेटर को पूरा करने हेतु 38 मन्त्रालयों को उत्तरदायी माना गया है।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में 515 एवं आन्ध्र प्रदेश में 404 इंटिकेटर एस0डी0जी0 हेतु लागू हैं। वहां एस0डी0जी को जिला स्तर से शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकाय स्तर तक लागू किया जा रहा है।

प्रदेश में एस0डी0जी0 के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति–

एसडीजी के 17 लक्ष्यों में से केवल 16 लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए है। लक्ष्य 14 **महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय तरीके से उपयोग** प्रदेश के लिए नहीं है। 169 टार्गेट में से 120 ही उ0प्र0 में लागू हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 306 सूचकांकों में से केवल 220 उ0प्र0 में लागू है। इन इंडिकेटर को तीन श्रेणियों में रखा गया है–

टियर 1 श्रेणी में केवल मेथेडॉलाजी उपलबध है, डाटा नहीं है।

टियर 2 श्रेणी में डाटा एवं मेथेडॉलाजी दोनों नहीं है।

टियर 3 श्रेणी में केवल डाटा उपलब्ध है, मेथेडॉलाजी नहीं है।

प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एस0डी0जी0 विजन–2030, स्ट्रेटेजी 2024 एवं तीन वर्षीय एक्शन प्लान 2017–18, 2018–19, 2019–20 तैयार किया जा चुका है जिसका भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुश्रवण किया जा रहा है। इस विजन डाक्यूमेंट की ड्राफ्ट कापी फरवरी, 2017 में नीति आयोग को प्रेषित किया गया। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक नोडल विभाग एवं नोडल अधिकारी नामित है। प्रत्येक लक्ष्य कई विभागों से जुड़े हैं। नियोजन विभाग की समन्वय की भूमिका है। लक्ष्य को पूरा करने हेतु विजन डाक्यूमेंट/एक्शन/मैपिंग का दायित्व नोडल विभाग का है। सतत् विकास लक्ष्यों के लिए प्रदेश में नामित नोडल विभागों का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–1

लक्ष्य संख्या	लक्ष्य	नोडल विभाग
1	नो पावर्टी	ग्राम्य विकास
2	जीरो हंगर	कृषि
3	गुड हेल्थ एण्ड वेल विइंग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
4	क्वालिटी एजूकेशन	माध्यमिक शिक्षा
5	जेण्डर इक्वलिटी	महिला कल्याण
6	क्लीन वाटर एण्ड सेनीटेशन	सिंचाई
7	एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी	ऊर्जा
8	डीसेन्ट वर्क एण्ड एकानामिक ग्रोथ	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
9	इंडस्ट्री, इनोवेशन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर	औद्योगिक विकास
10	रीड्यूज्ड इन्क्वालिटी	समाज कल्याण
11	सस्टनेबुल सिटी एण्ड कम्युनिटी	नगर विकास
12	रिस्पांसेबुल कंजम्पशन एण्ड प्रोडक्शन	पर्यावरण
13	क्लाइमेट एक्शन	पर्यावरण
14	लाइफ आन लैण्ड	वन
15	पीस एण्ड जस्टिस फार आल	गृह
16	पार्टनरशिप फार द गोल	वित्त

एक्शन प्लान

विजन डाक्यूमेन्ट के आधार पर नोडल विभागों द्वारा यूनीसेफ के सहयोग से 3 वर्ष का लक्ष्यवार विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

यह एक्शन प्लान दो प्रकार का हैः–

I प्रथम प्रदेश की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के आधार पर

II दूसरा विस्तृत एक्शन लक्ष्यवार

दिनांक 10 मई, 2017 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष, नीति आयोग व उनकी टीम के साथ प्रदेश के प्रमुख प्राथमिकता वाले 9 मुख्य सेक्टरों (न्यूट्रीशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास पेयजल एवं स्वच्छता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग, कृषि एवं नगर विकास) के तहत 23 प्रमुख विभागों की 3 वर्ष की कार्य योजना पर कार्यवाही प्रारम्भ हुई। प्रदेश में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर एवं प्रदेश सरकार के अपने संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में विजन–2030 को प्राप्त करने की दिशा में रणनीति को प्राप्त करने की शुरूआत 22.5.2017 को प्रारम्भ की गई तथा 15वें वित्त आयोग के अनुसार भी कार्यवाही प्रस्तावित हैं।

जिला स्तर पर एस0डी0जी0 का कियान्वयन–

प्रदेश में एस0डी0जी0 जिला स्तर पर कियान्वित करने हेतु सभी जिलाधिकारियों को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में केवल दो जिलों **पीलीभीत एवं मुरादाबाद** में एस0डी0जी0 हेतु जिला मॉडल प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें लक्ष्यवार/टार्गेट/इंटिकेटर वार जिला स्तरीय योजनाओं को कैटेगराइज किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर

लक्ष्यवार/टार्गेटवार/इन्डिकेटरवार 333 योजनाएं हैं परन्तु कतिपय योजनाओं का वित्त पोषण नहीं हो पाता। अतः जिले तक आते आते यह घटकर 120 रह जाती हैं। केन्द्र पोषित योजनाओं के आधार पर लक्ष्यवार राज्य पोषित योजनाएं तय की जानी हैं। जैसे ही जिला योजना के वास्तविक आंकड़ें वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 के प्राप्त होते हैं, वर्ष 2019–20 में इन्हीं दो जनपदों के माडल को प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त सभी जिलाधिकारी/मण्डलायुक्तों को पत्र प्रेषित कर अपने–अपने जनपदों में प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशाला आयोजित कर माडल जिला योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही सभी जनपदों से अपने–अपने जनपदों की विजन–2022 बनाने के निर्देश दिये गये हैं।

एस0डी0जी0 एवं ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय

प्रथम चरण में एस0डी0जी0 के लक्ष्य को ग्राम्य पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय की योजनाओं के साथ एकीकृत किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मानीटरिंग मैकेनिज्म

मानीटरिंग मैकेनिज्म के लिए प्रत्येक लक्ष्य के टारगेट्स के सापेक्ष इन्डीकेटर आधारित एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर उपलब्ध इन्डीकेटर के आधार पर सभी लक्ष्यों के नोडल विभागों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

कैपिसिटी बिल्डिंग

एस0डी0जी0 के एक्शन प्लान को प्रभावी तरीके से लागू करने एवं विजन 2030 को पूर्ण करने हेतु प्रदेश में क्षमता विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। क्षमता विकास (कैपेसिटी बिल्डिंग) के लिये यूनीसेफ द्वारा एस0डी0जी0 पर 5 प्रशिक्षण माड्यूल बनाये गये हैं–

1. माड्यूल–1 में एस0डी0जी0 का संक्षिप्त परिचय एवं टिप्पणी आदि है।
2. माड्यूल–2 में सतत विकास के 17 लक्ष्यों एवं उनके 169 टार्गेट्स पर चर्चा की गयी है।
3. माड्यूल–3 में लक्ष्यवार उ0प्र0 का विजन एवं सभी 16 लक्ष्यों (लक्ष्य 14 यूपी में लागू नहीं है) को प्राप्त करने हेतु क्या रणनीति (स्ट्रेटजी) अपनायी जाये, स्टेट एक्शन प्लान के अनुसार क्या योजनाएं सम्मिलित होंगी आदि पर चर्चा की गयी है।
4. माड्यूल–4 में उ0प्र0 विजन 2030 का विकास विषय पर टिप्पणी की गयी है।
5. माड्यूल–5 में एस0डी0जी0 की मानिटरिंग के लिए इन्डीकेटर पर विस्तृत चर्चा की गयी है।

इन पांच माड्यूलस को सभी जनपदों/विभागों को ऑनलाइन/ऑफलाइन उपलब्ध करा दिये गये हैं। कैपिसिटी बिल्डिंग के लिये सभी विभागों को अपने अपने बजट का 1.5 प्रतिशत प्रशिक्षण मद में खर्च करने के निर्देश दिये गये हैं।

एस0डी0आर0 (विजन–2022)

लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से एस0डी0आर0(सस्टेनेबुल डेवलपमेन्ट रिपोर्ट) व प्रदेश का विजन–2022 पर कार्यवाही की जा रही है। नियोजन विभाग के अन्तर्गत एस0डी0जी0 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक स्टेयरिंग समिति का गठन किया गया है जो समय–समय पर एस0डी0जी0 विजन–2030, स्ट्रेटेजी 2024 तथा तीन वर्षीय एक्शन प्लान 2017–18, 2018–19, 2019–20 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में नोडल विभागों को सहयोग प्रदान करेगी।

एस0डी0जी0सेल का गठन

सभी विभागों को एस0डी0जी0सेल राज्य/जिला/ब्लाक/ पंचायत स्तर तक बनाने एवं नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में समुचित निर्देश दिये गये हैं।

****